

वात्स्यायन का कामसूत्र

वात्स्यायन के कामसूत्र का हिन्दी अनुवाद संस्कृत श्लोक सहित

वात्स्यायन के कामसूत्र में कुल सात भाग हैं। प्रत्येक भाग कई अध्यायों में बँटे हैं। प्रत्येक अध्याय में कई श्लोक हैं। साहित्यप्रेमियों की सुविधा के लिए पहले संस्कृत श्लोक और उसके नीचे उसका हिन्दी अनुवाद दिया गया है।

महर्षि वात्स्यायन का जन्म बिहार राज्य में हुआ था और प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक हैं। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में न केवल दाम्पत्य जीवन का शृंगार किया है वरन् कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपदित किया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान महर्षि वात्स्यायन का है। महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धान्तों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। अधिकृत प्रमाण के अभाव में महर्षि का काल निर्धारण नहीं हो पाया है। परन्तु अनेक विद्वानों तथा शोधकर्ताओं के अनुसार महर्षि ने अपने विश्वविख्यात ग्रन्थ कामसूत्र की रचना ईसा की तृतीय शताब्दी के मध्य में की होगी। तदनुसार विगत सत्रह शताब्दियों से कामसूत्र का वर्धस्व समस्त संसार में छाया रहा है और आज भी कायम है। संसार की हर भाषा में इस ग्रन्थ का अनुवाद हो चुका है। इसके अनेक भाष्य एवं संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। वैसे इस ग्रन्थ के जयमंगला भाष्य को ही प्रमाणिक माना गया है। कोई दो सौ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध भाषाविद सर रिचर्ड एफ बर्टन (Sir Richard F. Burton) ने जब ब्रिटेन में इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया तो चारों ओर तहलका मच गया। अरब के विख्यात कामशास्त्र 'सुगन्धित बाग' पर भी इस ग्रन्थ की अमिट छाप है।

महर्षि के कामसूत्र ने न केवल दाम्पत्य जीवन का शृंगार किया है वरन् कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपदित किया है। राजस्थान की दुर्लभ यौन चित्रकारी तथा खाजुराहो, कोणार्क आदि की जीवन्त शिल्पकला भी कामसूत्र से अनुप्राणित है। रीतिकालीन कवियों ने कामसूत्र की मननोहारी झांकियां प्रस्तुत की हैं तो गीत गोविन्द के गायक जयदेव ने अपनी लघु पुस्तिका 'रति-मंजरी' में कामसूत्र का सार संक्षेप प्रस्तुत कर अपने काव्य कौशल का अद्भुत परिचय दिया है।

काम की व्याख्या

ग्रन्थ में काम की व्याख्या द्रवि-आयामी है। प्रथम सामान्य एवं द्रवितीय विशेष। सामान्य के अन्तर्गत पंचेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले आनन्द एवं रोमांच का समावेश किया गया है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मन एवं चेतना से जुड़ा हुआ है। इन्हीं के द्वारा मनोशारीरिक किया एवं प्रतिक्रिया का संचालन होता है। विशेष के अन्तर्गत स्पर्शेन्द्रियों की भूमिका प्रतिपादित की गई है। शिश्न और योनि अत्यन्त संवेदनशील स्पर्शेन्द्रियों हैं। इन्हीं का पारस्परिक मिलन एवं घर्षण सम्भोग है जिसकी अन्तिम परिणति चरमोत्कर्ष (Climax) एवं स्खलन (Ejaculation) में होती है।

दाम्पत्य

कामसूत्र ने दाम्पत्य उल्लास एवं संतृप्ति के लिए यौन-क्रीड़ा को आधार माना है। दाम्पत्य जीवन में उल्लास एवं उमंग का संचार तभी होता है जब पति पत्नी दोनों में मानसिक तालमेल हो, दोनों एक दूसरे के परिपूरक बनने का प्रयास करें तथा यौन क्रीड़ा के समय पारस्परिक सहयोग करें और अपने अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ

निरन्तर आगे बढ़ते रहें। दाम्पत्य जीवन में सतत रसवर्षा के लिए ही महर्षि ने अपने कामसूत्र में यौन प्रेम के रहस्यों का उद्घाटन किया है एवं यौन क्रीड़ा तथा तकनीक का सूक्ष्म तथा विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है।

काम एक अन्यन्त शक्तिशाली मूल प्रवृत्ति (Instinct) है। काम ही जीवन का संपदन, जीवन का उद्गम, उसके अस्तित्व तथा उसकी गतिशीलता तथा नर-नारी के पारस्परिक अकर्षण एवं सम्मोहन का रहस्य है। वास्तव में काम ही विवाह एवं दाम्पत्य सुख-शांति की आधारशिला है। काम का सम्मोहन ही नर-नारी को वैवाहिक-सूत्र में आबद्ध करता है। अतः विवाहित जीवन में आनन्द की निरन्तर रस-वर्षा करते रहना ही कामसूत्र का वास्तविक उद्देश्य है।

काम-विषयक अन्य प्राचीन ग्रन्थ

पंचशक्य

स्मरप्रदीप

रतिमंजरी

रसमंजरी

अनंग रंग

अब भी ज्यादातर भारतीयों का मानना है कि सेक्स ज्ञान के लिए दूसरी शताब्दी में वात्स्यायन द्वारा लिखी गई 'कामसूत्र' से बेहतर कोई किताब नहीं है। लेकिन कामसूत्र की प्रसिद्धि सिर्फ भारत तक ही नहीं है। दुनिया की कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है और इसने लोगों तक सेक्स ज्ञान को परोसने में अहम रोल प्ले किया है। कामसूत्र महर्षि वात्सायन द्वारा लिखा गया भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। दुनिया भर में यौन बिमारीयों और एड्स के बढ़ते चलन के कारण इस प्राचीन पुस्तक पर लोगों का खूब ध्यान गया है। खास कर पश्चिम के देशों में यह काफी लोकप्रिय हुआ है और इसमें लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। कामसूत्र को उसके विभिन्न आसनों के लिए ही जाना जाता है।

भाग 1 साधारणम्

वात्स्यायन के कामसूत्र के भाग 1 'साधारणम्' में कुल पाँच अध्याय हैं।

अध्याय 1 शास्त्रसंग्रहः

अध्याय 2 त्रिवर्गप्रतिपत्तिः

अध्याय 3 विद्यासमुद्देशः

अध्याय 4 नागरकवृतम्

अध्याय 5 नायकसहायदूतीकर्मविमर्शः

अध्याय १ शाश्वतसंग्रह

श्लोक (1)- धर्मार्थकामेभ्यो नमः॥

अर्थ- मैं धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार करने के बाद मैं इस ग्रंथ की शुरुआत करता हूं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का यह बहुत पुराना चलन रहा है कि ग्रंथ की शुरुआत, बीच और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। इसके बाद आचार्य वात्सायन ने ग्रंथ की शुरुआत करते हुए अर्थ, धर्म और काम की वंदना की है। दिए गए पहले सूत्र में किसी देवी या देवता की वंदना मंगलाचरण द्वारा न करके, ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय- धर्म, अर्थ और काम की वंदना को महत्व दिया है। इसको साफ करते हुए आचार्य वात्सायन ने खुद कहा है कि काम, धर्म और अर्थ तीनों ही विषय अलग-अलग हैं फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं। भगवान शिव सारे तत्वों को जानने वाले हैं। वह प्रणाम करने योग्य है। उनको प्रणाम करके ही मंगलाचरण की श्रेष्ठता पाई जा सकती है।

जिस प्रकार से चार वर्ण (जाति) ब्राह्मण, शुद्र, क्षत्रिय और वैश्य होते हैं उसी प्रकार से चार आश्रम भी होते हैं- धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। धर्म सबके लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके बगैर मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अर्थोपार्जन के बिना जीवन नहीं चल सकता है। दूसरे जीव प्रकृति पर निर्भर रहकर प्राकृतिक रूप से अपना जीवन चला सकते हैं लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वह दूसरे जीवों से बुद्धिमान होता है। वह सामाजिक प्राणी है और समाज के नियमों में बंधकर चलता है और चलना पसंद करता है। समाज के नियम हैं कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो सामाजिक, धार्मिक नियमों में बंधा होना जरूरी समझता है और जब वह सामाजिक-धार्मिक नियमों में बंधा होता है तो उसे काम-विषयक ज्ञान को भी नियमबद्ध रूप से अपनाना जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य किसी खास मौसम में ही संभोग का सुख नहीं भोगता बल्कि हर दिन वह इस क्रिया का आनंद उठाना चाहता है।

इसी ध्येय को सामने रखते हुए आचार्य वात्स्यायन ने काम के सूत्रों की रचना की है। इन सूत्रों में काम के नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके मनुष्य संभोग सुख को और भी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला और आनंदमय बना सकता है।

आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र की शुरुआत करते हुए पहले ही सूत्र में धर्म को महत्व दिया है तथा धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार किया है।

श्लोक (2)- शास्त्रो प्रकृतत्वात्॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन ने काम के इस शास्त्र में मुख्य रूप से धर्म, अर्थ और काम को महत्व दिया है और इन्हे नमस्कार किया है। भारतीय सभ्यता की आधारशिला 4 वर्ग होते हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य की सारी इच्छाएं इन्हीं चारों के अंदर मौजूद होती हैं। मनुष्य के शरीर में जरूरतों को चाहने वाले जो अंग हो यह चारों पदार्थ उनकी पूर्ति किया करते हैं।

इसके अंतर्गत शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा यह 4 अंग सारी जरूरतों और इच्छाओं के चाहने वाले होते हैं। इनकी पूर्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्वारा होती है। शरीर के विकास और पोषण के लिए अर्थ की जरूरत होती है। शरीर के पोषण के बाद उसका झुकाव संभोग की ओर होता है। बुद्धि के लिए धर्म ज्ञान देता है। अच्छाई और बुराई का ज्ञान

देने के साथ-साथ उसे सही रास्ता देता है। सदमार्ग से आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा की शांति से मनुष्य मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यह नियम हर काल में एक ही जैसे रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। आदि मानव के युग में भी शरीर के लिए अर्थ का महत्व था। जंगलों में रहने वाले कंद-मूल और फल-फूल के रूप में भोजन और शिकार की जरूरत पड़ती थी। संयुक्त परिवार कबीले के रूप में होने के कारण उनकी संभोग संबंधित विषय की पूर्ति बहुत ही आसानी से हो जाती थी। मृत्यु के बाद शरीर को जलाया या दफनाया इसीलिए जाता था ताकि मरे हुए मनुष्य को मुक्ति मिल सके। इस प्रकार अगर भोजन न किया जाए तो शरीर बेजान सा हो जाता है। काम (संभोग) के बिना मन कुंठित सा हो जाता है। अगर मन में कुंठा होती है तो वह धर्म पर असर डालती है और कुंठित मन मोक्ष के द्वारा नहीं खोल सकता। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बिना धर्म के बुद्धि खराब हो जाती है और बिना मोक्ष की इच्छा किए मनुष्य पतन के रास्ते पर चल पड़ता है।

बुद्धि के ज्ञान के कारण समवाय संबंध बना रहता है। जैसे ही ज्ञान की बढ़ोतरी होती है वैसे ही बुद्धि का विकास भी होता जाता है। अगर देखा जाए तो बुद्धि और ज्ञान एक ही पदार्थ के दो हिस्से हैं।

जिस तरह से बुद्धि और ज्ञान एक ही है उसी तरह धर्म और ज्ञान भी एक ही पदार्थ के दो भाग हैं क्योंकि ज्ञान के बढ़ने से धर्म की बढ़ोतरी होती है। धर्म के ज्ञान में जितना भाग मिलता है तथा ज्ञान के अंतर्गत धर्म का जितना भाग पाया जाता है उसी के मुताबिक बुद्धि में स्थिरता पैदा होती है।

बुद्धि का संबंध जिस तरह से धर्म से है उसी तरह शरीर का अर्थ से संबंध है, मन का काम से संबंध है और आत्मा का मोक्ष का संबंध है। इन्ही अर्थ, धर्म, काम में मनुष्य के जीवन, रति, मान, ज्ञान, न्याय, स्वर्ग आदि की सारी इच्छाएं मौजूद रहती हैं। अर्थ यह है कि जीवन की इच्छा अर्थ में स्त्री, पुत्र आदि की, काम में यश, ज्ञान तथा न्याय की, धर्म और परलोक की इच्छा मोक्ष में समा जाती है।

इस प्रकार चारो पदार्थ एक-दूसरे के बिना बिना अधूरे से रह जाते हैं क्योंकि अर्थ- भोजन, कपड़ों के बगैर शरीर की कोई स्थिति नहीं हो सकती तथा न संभोग के बगैर शरीर ही पैदा हो सकता है। शरीर के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता तथा मोक्ष की प्राप्ति के बगैर अर्थ और काम को सहयोग तथा मदद नहीं प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से मोक्ष की दिल में सच्ची इच्छा रखकर ही काम और अर्थ का उपयोग करना चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति मोक्ष की सच्ची इच्छा रखकर ही काम और अर्थ का उपयोग करता है तो वह व्यक्ति लालची और कामी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति देश और समाज के दुश्मन होते हैं।

सिर्फ धर्म के द्वारा ही प्राप्त किए गए अर्थ और काम ही मोक्ष के सहायक माने जाते हैं। यह धर्म के विरुद्ध नहीं है। आर्य सभ्यता के मुताबिक धर्मपूर्वक अर्थ और काम को ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आचार्य वात्स्यायन इस प्रकार कामसूत्र को शुरू करते हुए धर्म, अर्थ और काम की वंदना करते हैं। आचार्य वात्स्यायन का कामसूत्र वासनाओं को भड़काने के लिए नहीं है बल्कि जो लोग काम और मोक्ष को सहायक मानते हैं तथा धर्म के अनुसार स्त्री का उपभोग करते हैं, उन्हीं के लिए है। नीचे दिए गए सूत्र द्वारा आचार्य वात्स्यायन में यही बताने की कोशिश की है।

१८०क (३)- तत्समयावबोधकेऽन्यश्चाचार्येऽन्यः॥

अर्थ- इसी वजह से धर्म, अर्थ और काम के मूल तत्व का बोध करने वाले आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। वह नमस्कार करने के काबिल हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय के देशकाल को ध्यान में रखते हुए धर्म, अर्थ और काम तत्व की व्याख्या की है।

१लोक (4)- तत्सम्बन्धात्॥

अर्थ- पुराने समय के आचार्यों ने सिद्धांत और व्यवहार रूप में यह साबित करके बताया है कि काम को मर्यादित करके उसको अर्थ और मोक्ष के मुताबिक बनाना सिर्फ धर्म के अधीन है। न रुकने वाले काम (उत्तेजना) को काबू में करके तथा मर्यादा में रहकर मोक्ष, अर्थ और काम के बीच सामंजस्य धर्म ही स्थापित कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म के मुताबिक जीवन बिताकर मनुष्य लोक और परलोक दोनों ही बना सकता है। वैशेषिक दर्शन में यतोऽभ्यु दयानि: श्रेयससिद्धि स धर्मः कहकर यह साफ कर दिया है कि धर्म वही होता है जिससे अर्थ, काम संबंधी इस संसार के सुख और मोक्ष संबंधी परलौकिक सुख की सिद्धि होती है। यहां अर्थ और काम से इतना ही मतलब है जितने से शरीर यात्रा और मन की संतुष्टि का गुजारा हो सके और अर्थ तथा काम में डूबे होने का भाव पैदा न हो।

इसी का समर्थन करते हुए मनु कहते हैं जो व्यक्ति अर्थ और काम में डूबा हुआ नहीं है उन्हीं लोगों के लिए धर्मज्ञान कहा गया है तथा इस धर्मज्ञान की जिजासा रखने वालों के लिए वेद ही मार्गदर्शक हैं।

इस बात से साबित होता है कि वैशेषिक दर्शन के मत से अश्युदय का अर्थ लोकनिर्वाह मात्र ही वेद अनुकूल धर्म होता है।

धर्म की मीमांसा करते हुए मीमांसा दर्शन ने कहा है कि वेद की आज्ञा ही धर्म है। वेद की शिक्षा ही हिन्दू सभ्यता की बुनियाद मानी जाती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि संसार से इतना ही अर्थ और काम लिया जाए जिससे मोक्ष को सहायता मिल सके। इसी धर्म के लिए महाभारत के रचनाकार ने बड़े मार्मिक शब्दों में बताया है कि मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर और चिल्ला-चिल्लाकर कहता हूँ कि अर्थ और काम को धर्म के अनुसार ही ग्रहण करने में भलाई है। लेकिन इस बात को कोई नहीं मानता है।

वस्तुतः धर्म एक ऐसा नियम है जो लोक और परलोक के बीच में निकटता स्थापित करता है। जिसके जरिये से अर्थ, काम और मोक्ष सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। पुराने आचार्यों द्वारा बताया गया यही धर्म के तत्व का बोध माना गया है।

धर्म की तरह अर्थ भी भारतीय सभ्यता का मूल है। मनुष्य जब तक अर्थमुक्त नहीं हो जाता तब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जिस तरह आत्मा के लिए मोक्ष जरूरी होता है, मन के लिए काम की जरूरत होती है, बुद्धि के लिए धर्म की जरूरत होती है, उसी तरह शरीर के लिए अर्थ की जरूरत होती है।

इसलिए भारतीय विचारकों ने बहुत ही सावधानी से विवेचन किया है। मनु के मतानुसार सभी पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता को सबसे अच्छा माना गया है। मनु ने अर्थ संग्रह के लिए कहा है कि जिस व्यापार में जीवों को बिल्कुल भी दुख न पहुँचे या थोड़ा सा दुख पहुँचे उसी कार्य व्यापार से गुजारा करना चाहिए।

अपने शरीर को किसी तरह की परेशानी पहुँचाए बिना ध्यान-मनन उपायों द्वारा सिर्फ गुजारे के लिए अर्थ संग्रह करना चाहिए। जो भी परमात्मा ने दिया है उसी में संतोष कर लेना चाहिए। इसी प्रकार पूरी जिंदगी काम करते रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और कोई सा उपाय संभव नहीं है।

वेदों, उपनिषदों के अलावा आचार्यों ने अपने द्वारा रचियत शास्त्रों में अर्थ से संबंधी जो भी ज्ञान बोध कराए हैं उनका सारांश यही निकलता है कि मुमुक्षु को संसार से उतने ही भोग्य पदार्थों को लेना चाहिए जितने के लेने से किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचे।

धर्म और अर्थ की तरह काम को भी हिंदू सभ्यता का आधार माना गया है। धर्म और अर्थ की तरह इसको भी मोक्ष का ही सहायक माना जाता है। अगर काम को काबू तथा मर्यादित न किया जाए तो अर्थ कभी मर्यादित नहीं हो सकता तथा बिना अर्थ मर्यादा के मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसी कारण से भारत के आचार्यों ने काम के बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार किया है।

दुनिया के किसी भी ग्रंथ में आज तक अर्थशुद्धि के मूल आधार-काम-पर उतनी गंभीरता से नहीं सोचा गया है जितना कि भारतीय ग्रंथ में हुआ है।

भारतीय विचारकों ने काम और अर्थ को एक ही जानकर विचार किया है लेकिन भारतीय आचार्यों ने जिस तरह शरीर और मन को अलग रखकर विचार किया है उसी तरह शरीर से संबंधित अर्थ को और मन से संबंधित काम को एक-दूसरे से अलग मानकर विचार किया है।

काम एक महती मन की ताकत है। भौतिक कार्यों में प्रकट होकर यह ताकत अन्तःकरण की क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त होकर 2 भागों में बंट जाती है। यह ताकत कभी भौतिक शक्ति तथा कभी चैतन्य के रूप में प्रकट होती है। कहीं-कहीं तो वह छितराकर काम करती है तो कहीं संवरण रूप में काम करती है।

हर मनुष्य का जीवन चित की इन्ही आंतरिक और बाह्य शक्तियों के ऐसे बिखारव तथा संघर्ष-स्थल बना रहता है। अणु-अणु परमाणु में मन की यह शक्ति समाई हुई है। इसका एक हिस्सा बाहर है तो एक अंदरा। इसमें से एक हिस्सा तो व्यक्ति की प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है और दूसरा निवृत्ति की तरफ।

मूल वासनाएं ही मन की असली प्रवृत्तियां कहलाती हैं। हर तरह की वासनाओं या मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया जाए तो वित्तेषणा, दारैषणा और लोकेषणा इन तीनों हिस्सों में सभी वासनाओं अथवा मन की मूल प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। धन, स्त्री, पुत्र और यश आदि की इच्छा के मूल में आनंद का उपयोग रहता है। इसी तरह की वासनाओं, इच्छाओं या प्रवृत्तियों का प्राण आनंद नहीं होता।

तैतिरीय उपनिषद का मानना है कि आनंद से ही भूतों की उत्पत्ति होती है, आनंद से ही उत्पन्न सारी वस्तु तथा जीव-समुदाय जीवित रहते हैं तथा आनंद में ही लीन होते हैं। आनंद ही सब कुछ है।

वृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत आनंद का एकमात्र स्थान जननेन्द्रिय है। बाकी सभी चीजें आनंद के साधन हैं। वित, स्त्री और लोक सभी कुष आनंद को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं।

स्वामी शंकराचार्य के मतानुसार अंतरात्मा पहली अकेली थी लेकिन कालांतर में वह विषयों को खोजने लगा जैसे मेरी स्त्री, पुत्र हो और उनके भरण-पोषण के लिए धन हो। उन्हीं के लिए व्यक्ति अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बहुत सी परेशानियों को झेलकर काम करता है। वह उनसे बढ़कर और किसी चीज को सही नहीं मानता। यदि बताई गई चीजों में से कोई भी एक चीज उपलब्ध नहीं होती तो वह अपनी जिंदगी को बेकार समझता है।

जीवन की पूर्णता अथवा अपूर्णता, सफलता अथवा असफलता का मापक यंत्र आनंद को माना जाता है। विषयों से ताल्लुक रखने में मनुष्य को भरपूर आनंद मिलता है। इस प्रकार यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि उसके

इच्छित विषयों में से एक के भी समाप्त होने पर वह मनुष्य अपने आपका सर्वनाश कर देता है और उसकी उपलब्धि से वह अपने आपको यथार्थ समझता है।

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के शांकट भाष्य के अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया है। उन उदाहरणों के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति जोड़े के द्वारा अपनी पूर्णता की इच्छा रखता है। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्म अकेले थे तो उनके मन में यही संकल्प पैदा हुआ कि एकोऽह बहु स्याय! एक से बहुत सारे हो जाने की खवाहिश ही अपूर्णता से पैदा होने वाले अभाव को व्यक्त को करती है।

हर मनुष्य रति को तलाश करना चाहता है, उसे बढ़ाने की कोशिश करता है, अनेक होकर आनंद का उपभोग करना चाहता है।

अकेले मैं उसे आनंद प्राप्त नहीं होता, अकेले मैं किसी तरह का आनंद नहीं है इसलिए उसे दूसरे की जरूरत पड़ती है।

इसके द्वारा 3 बातें सिद्ध होती हैं कि एक तो यह कि दो भिन्नताओं के बीच के संबंध को काम कहते हैं। यह एक प्रवृत्ति है जो विषय और विषयी को एकात्मा बनाती है।

दूसरी बात यह है कि काम-प्रवृत्ति विषय और रमण की इच्छा आदि शक्ति है। वह अकेला था इसका उसे बोध था-पहले वे आत्मा से एक ही था। वह पुरुष विध था। उसने अपने अलावा और किसी को नहीं पाया। मैं हूं इस तरह पहले उसने वाक्य कहा।

मैं हूं का बोध होने पर भी वह खुश नहीं हुआ इसलिए दूसरे की इच्छा की- स द्वितीयमैच्छत- वह दूसरा विषय था। फिर विषय ने अनेक का रूप धारण कर लिया - सोऽकामयत बहु स्याथों प्रजायते इति- उसने चाहा कि मैं अनेक हो जाऊं, मैं पैदा करूं। तदैदात बहुस्थां प्रजायेय इति। उसने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊं मैं सृजन करूं।

स ऐक्षत लोकान्नु सृजा इति। उसने सोचा कि मैं लोकों की सृष्टि करूं। उसके चाहने और सोचने पर भी इसकी सभी क्रियाओं के मूल में सिर्फ काम-प्रवृत्ति है। उसे जैसे ही अहमस्मि- मैं हूं का बोध हुआ वैसे ही वह डरा तथा एक मददगार की इच्छा करने लगा।

जब जीव अविद्याग्रस्त हुआ तो उसे अपने अस्तित्व का जान हुआ कि मैं हूं। इसके बाद उसे अपनी पहले की स्थिति को जानने की इच्छा हुई जिससे उसके दिल में दूसरे का बोध हुआ। दूसरे के बारे में दिमाग में आते ही वह डर गया, उसे उस तरफ से विकर्षण हुआ और फिर विकर्षण से आकर्षण पैदा हुआ कि अकेले संभोग नहीं किया जा सकता इसलिए दिल में दूसरे की इच्छा पैदा हुई।

सबसे पहले जीव को दूसरे का बोध होता है उसके बाद डर पैदा होता है। डर तभी पैदा होता है जब भिन्नता उत्पन्न होती है। जिस जगह पर डर पैदा होता है वहां पर डर को दूर करने के लिए खोई हुई चीज की इच्छा पैदा होती है। दार्शनिक की दृष्टि में इसी प्रेम-भय, प्रवृत्ति-निवृत्ति, आकर्षण-विकर्षण, राग-द्वेष में अविद्या का स्वरूप स्थिर रहता है। पुराने समय से अनंत जीव-समुदाय इसी में फंसा हुआ है। इस तरह के सभी अज्ञान के मूल में दूसरे के प्रति आकर्षण और दूसरों को अपने से अलग ही जानना चाहिए।

इसलिए साबित होता है कि काम और आकर्षण की इच्छा ही विश्व वासना कहलाती है। अविद्या, आकर्षण आदि सभी वासनाओं के मूल में काम मौजूद है। इसी प्रकार से वेदों, पुराणों में भी कार्य को आदिदेव कहा गया है।

काम शुरुआत में पैदा हुआ। पितर, देवता या व्यक्ति उसकी बराबरी न कर सके।

शैव धर्म में पूरे संसार के मूल में शिव और शक्ति का संयोग माना जाता है।

यही नहीं शैव मत के अंतर्गत आध्यात्मिक पक्ष में आदि वासना पुरुष और प्रकृति के संबंध में प्रकाशित है तथा वही भौतिक पक्ष में स्त्री और पुरुष के संभोग में परिणत है।

पूरी दुनिया को शिव पुराण और शक्तिमान से पैदा हुआ शैव तथा शाक्त समझता है। पुरुष और स्त्री के द्वारा पैदा हुआ यह जगत् स्त्री पुंसात्मक ही है। ब्रह्म शिव होता है तथा माया शिव होती है। पुरुष को परम ईशान माना जाता है और स्त्री को प्रकृति परमेश्वरी। जगत् के सारे पुरुष परमेश्वर हैं और स्त्री परमेश्वरी हैं।

इन दोनों का मिथुनात्मक संबंध ही मूल वासना है तथा इसी को आकर्षण और काम कहा जाता है।

इसके अलावा शिवपुराण में 8 से लेकर 12 प्रकरण तक काम के विषय में जो बताया गया है उसमें काम को मैथुनविषयक काम के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। उनके अनुसार यह मानना कितना सच है कि विश्वामित्र, मुखदेव, श्रृंगी जैसे ऋषि और श्रीराम जैसे साक्षात् ईश्वर के अवतार भी काम के जाल में फँसे हुए हैं।

शिव पुराण की धर्म संहिता और वात्सायायन के कामसूत्र में लिखा है कि संकल्प के मूल में विषय आसक्ति ही बनी रहती है।

काम को मन का आधार माना जाता है जो बच्चे के कोमल हृदय में सबसे पहले संपर्दित होता है। इसको वही जान सकता है जो सच्चाई को देखने की इच्छा रखता है।

६लोक (५)- प्रजापतिहिं प्रजाः सृष्टवा तासां स्थितिनिबन्धनं त्रिवर्गस्य साधनमध्यायानां शतसहस्रेणाग्रे प्रोवाच॥

अर्थ- प्रजापति ने प्रजा को रचकर और उनके रोजाना कार्य धर्म, अर्थ और काम के साधन भूतशास्त्र का सबसे पहले 1 लाख ६लोकों में प्रवचन किया है।

भारतीय सिद्धान्त के मुताबिक जब तक द्वंद (अंदरूनी लड़ाई) है तब तक दुख भी रहेगा। इसलिए दुख को निकालकर फेंक देना चाहिए। भगवान शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। इन तीनों विषयों की ज्वाला यहां पर नहीं है। मनुष्य का गम्य स्थान भारतीय दार्शनिकों ने इसे ही कहा है। भारतीय वागंमय का निर्माण भी इसी को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। ब्रह्मविद्या के अंतर्गत यह सारी विद्याएं मौजूद हैं।

सारे देवताओं से पहले पूरे संसारे की रचना करने वाले प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र अर्थव्र के लिए ब्रह्मविद्या का निर्माण किया जो कि हर विद्या में सबसे बढ़कर है। इससे इस बात का साफ पता चल जाता है कि ब्रह्मविद्या के अंतर्गत कामशास्त्र को भी महत्व दिया गया है।

आचार्य वात्सायायन के मतानुसार ब्रह्मा ने प्रजा को उनके जीवन को नियमित बनाने के लिए कामसूत्र के बारे में बताया था- जो कि सुसंगत और परंपरागत माना गया है। ब्रह्मा ने कामसूत्र को काम, अर्थ और धर्म का साधन मानकर इसकी रचना की है क्योंकि इन तीनों का आखिरी पड़ाव मोक्ष ही है और मनुष्य के जीवन का मकसद भी मोक्ष को प्राप्त करना ही है। इसलिए जब तक मोक्ष की असली परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं जाएगा तब तक इसको प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।

ब्रह्मा के लिए कामशास्त्र का निर्माण करना इसलिए जरूरी है कि काम आदिदेव है, इसकी शक्ति अपार है। जब तक काम का नियमित साधन नहीं किया जाता तब तक मानव जीवन भी नियमित नहीं हो सकता और उसकी कठिन से कठिन तपस्या पर भी पानी फेर सकता है।

योगवशिष्ठ के मतानुसार- ब्राह्मणों को जीवनमुक्त, नारदत्रूषि, इच्छा से रहित, बहुज्ञ तथा विरागी समझा जाता है। वह देखने में आकाश की तरह कोम, विशद और नित्य होते हैं, लेकिन फिर भी वह काम के वशीभूत किस प्रकार हो गए।

तीनों लोकों के जितने भी प्राणी हैं चाहे वह मनुष्य हो या देवता, उन सभी लोगों का शरीर स्वभाव से द्वयात्मक होता है। जब तक शरीर मौजूद है तब तक शरीर धर्म स्वभाव से ही जरूरी है। जो वासना प्राकृतिक होती है उसको निरोध के द्वारा नहीं दबाया जा सकता क्योंकि हर जीव प्रकृति के अनुसार ही चलता है तो फिर निग्रह का क्या काम।

प्रकृति यानि भूतानि निग्रहः कि करिष्यति।

इसी प्रकार मूलभूत प्रवृत्तियों का निरोध करना बेकार है। आचार्य वात्सयायन के मतानुसार मानव जीवन में कामसूत्र की सबसे ज्यादा जरूरत मानते हुए ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कामसूत्र की रचना की थी। इसके साथ ही इस कथन के द्वारा ही ग्रंथ की प्रामाणिकता साबित हो जाती है।

१लोक (6)- तस्यैकदेशिकं मनुः स्वायम्भुवो धर्माधिकारिकं पृथक् चकार॥

अर्थ- ब्रह्मा के द्वारा रखे गए 1 लाख अध्यायों के उस ग्रंथ के धर्म विषयक भाव को स्वयम्भू के पुत्र मनु ने अलग किया।

१लोक (7)- बृहस्पतिर्थाधिकारिकम्॥

अर्थ- अर्थशास्त्र से संबंधित विभाग को बृहस्पति ने अलग करके अपने अर्थशास्त्र का निर्माण किया।

१लोक (8)- महादेवानुचरश्च नन्दी सहस्रेणाध्यायानां पृथक् कामसूत्रं प्रोवाच।

अर्थ- इसके बाद उस शास्त्र में से 1000 अध्याय वाले कामसूत्र को महादेव के अनुचर नन्दी ने अलग कर दिया।

१लोक (9)- तदेव तु पञ्चभिरध्यायशतैरौद्रालकिः श्वेतकेतुः सञ्जिक्षेप॥

अर्थ- उद्यालक के पुत्र श्वेतकेतु ने नन्दी के उस कामसूत्र को 500 अध्यायों में करके पूरा कर डाला।

१लोक (10)- तदेव तु पुनरध्यर्थनाध्यायशतेन साधारण-साम्प्रयोगिककन्यासम्प्रयुक्तभार्याधिकारिक-पारदारिक-वैशिकऔपनिषदिकैः सप्तभिरधिकरणैर्बाह्यः पाञ्चालञ्जक्षेप॥

अर्थ- इसके बाद पाञ्चाल देश के बभु के बेटे ने श्वेतकेतु के 500 अध्यायों वाले कामसूत्र को 100 अध्यायों में साधारण साम्प्रयोगिक, कन्या सम्प्रयुक्त, भार्याधिकारिक, पारदारिक, वैशिक और औपनिषदिक नाम के 7 अधिकरणों में जोड़कर पेश किया।

मानव जीवन के मक्षसद को निर्धारित करने के लिए और उसे काबू करने के लिए ब्रह्मा ने एक संविधान बनाया जिसके अंदर लगभग 1 लाख अध्याय थे। इन अध्यायों में जीवन के हर पहलू का विशद्, संयमन और निरूपण

का उल्लेख था। मनु ने उस विशाल ग्रंथ को मथकर आचारशास्त्र का एक अलग संस्करण पेश किया जो मनुस्मृति या धर्मशास्त्र के नाम से प्रचलित है।

मनु ने जो मनुस्मृति रची थी वह असली रूप में उपलब्ध नहीं है। प्रचलित स्मृति उसी स्मृति का संक्षिप्त विवरण है जिसे मनु ने पेश किया था। आचार्य बृहस्पति ने भी उसी विशाल ग्रंथ के द्वारा अर्थशास्त्र विषयक भाग अलग करके बाह्यस्पत्यम् अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति के अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं।

ब्रह्मा से लेकर बाभव्य तक की कामशास्त्र की रचना पर विहंगम दृष्टि डालने से ग्रंथ रचना पद्धति की परंपरा और उसके इतिवृत्त का भी बोध होता है। कामशास्त्र को ब्रह्मा ने नहीं रचा उन्होंने तो सिर्फ इसके बारे में बताया है। इससे यह बात साबित हो जाती है कि रचनाकाल से ही कामसूत्र का प्रवचन काल शुरू होता है।

कामसूत्र के छठे और सातवें अध्याय से पता चल जाता है कि ब्रह्मा के प्रवचन शास्त्र से पहले मनु ने मानवधर्म को अलग किया, उसके बाद बृहस्पति ने अर्थशास्त्र को अलग किया, इसके बाद फिर नन्दी ने इसको अलग किया।

इसके बाद अर्थशास्त्र और मनुस्मृति की रचना हुई क्योंकि बृहस्पति और मनु ने कामसूत्र की रचना नहीं की बल्कि इसे सिर्फ अलग किया है। इसके बाद ही श्वेतकेतु और नन्दी ने इसके 1000 अध्यायों को छोटा करके 500 अध्यायों का बना दिया। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ब्रह्मा द्वारा रचित शास्त्र में से नन्दी ने कामविषयक सूत्रों को एक सहस्र अध्यायों में बांट दिया। उसने अपनी ओर से इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया क्योंकि वह प्रवचन काल था।

उसने जो कुछ भी पढ़ा या सुना था वह ऐसे ही शिष्यों और जानने वालों को बताया। लेकिन श्वेतकेतु के काल में संक्षिप्तीकरण का प्रचलन हो चुका था और बाभव्य के काल में तो ग्रंथ-प्रणयन और संपादन की एक मजबूत प्रणाली प्रचलित हो गयी। पांचाल द्वारा तैयार किए गए 7 अधिकरण इस प्रकार हैं-

- साधारण अधिकरण
- साम्प्रयोगिक अधिकरण
- कन्या सम्प्रयुक्तक अधिकरण
- भार्याधिकारिक अधिकरण
- पारदरिक अधिकरण
- वैशिक अधिकरण
- औपनिषदिक अधिकरण

श्लोक (11)- तस्य षष्ठं वैशिकमधिकरणं पाटलिपुत्रिकाणां गणिकानां नियोगाद् दत्तक पृथक चकार॥

अर्थ- आचार्य दत्तक ने बाभव्य द्वारा संक्षिप्त किए गए कामसूत्र के छठे भाग वैशिक नामक अधिकरण को अलग कर दिया। उन्होंने यह सब पाटलिपुत्र की गणिकाओं द्वारा अनुरोध करने पर ही किया था।

श्लोक (12)- तत्प्रसगांत् चारायणः साधारणमधिकरणं पृथक् प्रोवाच। सुवर्णनाभः साम्प्रयोगिकम्। घोटकमुखः कन्यासम्प्रयुक्तकम्। गोनर्दीयो भार्याधिकारिकम्। गोणिकापुत्रः पारदारिकम्। कुचुमार औपनिषदिकमिति॥

अर्थ- आचार्य चारायण ने इसी प्रसंग से साधारण नाम के अधिकरण का पृथक प्रवचन किया। साम्प्रयोगिक नाम के अधिकरण को आचार्य सुवर्णनाभ ने अलग किया। कन्यासम्प्रयुक्तक नाम के अधिकरण को आचार्य घोटकमुख ने अलग किया। आचार्य गोनर्दीय ने भार्याधिकारिक नाम के अधिकरण को अलग किया। पारदारिक नाम के अधिकरण को गोणिकापुत्र ने कामसूत्र से अलग किया और औपनिषदिक नाम के अधिकरण को आचार्य कुचुमार ने अलग किया।

श्लोक (13)- तत्र दत्तकादिभिः प्रणीतानां शास्त्रावयवानामेकदेशत्वात् महदिति च बाभवीयस्य दुरध्येयत्वात् संक्षिप्त्य सर्वमर्थमल्पेन ग्रंथेन कामसूत्रमिदं प्रणीतम्।

अर्थ- दत्तक आदि आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के अधिकरणों को लेकर अपने-अपने ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार ये खंड समग्र शास्त्र के ही भाग माने जाते हैं और आचार्य बाभव्य का मूल ग्रंथ विशाल होने की वजह से साधारण मनुष्यों के लिए दुरध्येय है। इसलिए उस महान ग्रंथ को वात्स्यायन ने संक्षिप्त करके थोड़े ही में सारे विषयों से संपन्न कामसूत्र की रचना की।

मानव जाति की तरक्की और उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा ने काम, अर्थ और धर्म तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए 100 अध्यायों में उपदेश दिए हैं। उस प्रवचन में से धर्माधिकारिक भागों को लेकर मनु ने मनुस्मृति की रचना की। बृहस्पति ने अर्थपूरक विषयों को लेकर अर्थशास्त्र की स्वतंत्र रचना की। फिर उसी प्रवचन में से काम के विषय के भागों को लेकर नन्दी ने एक सहस्र अध्यायों में कामसूत्र की रचना की।

ब्रह्मा से लेकर नन्दी तक की परंपरा को देखकर यह पता चलता है कि कामसूत्र ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना करने से पहले भी था। सृष्टि की रचना के बाद उन्नति और मानवी परंपरा को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा ने कामसूत्र का भी उपदेश दिया जो धर्म और अर्थ से संबंधित था। उस विशाल प्रवचन के आधार पर ही नन्दी ने सहस्र अध्यायों के एक स्वतंत्र कामशास्त्र की रचना की अर्था कामसूत्र के प्रवर्तक नन्दी है।

आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ की शुरुआत में ही दावा किया था कि इसमें सभी प्रयोजनों का सम्यक समावेश किया गया है।

श्लोक (14)- तस्यायं प्रकरणधिकरणसमुद्देशः॥

अर्थ- कामसूत्र के प्रकरण, अधिकरण और समाद्वेश की सूची इस प्रकार है- अधिकार पूर्वक विषय जहां शुरु होगा उसे प्रकरण करते हैं जिसके प्रकरण होते हैं उसे अधिकरण कहते हैं तथा संक्षिप्त कथन को समुदद्वेश कहते हैं।

श्लोक (15)- शास्त्रसंग्रहः। त्रिवर्गप्रतिपत्तिः। विद्यासमुद्देशः। नागरकवृतम्। नायकसहाय-दूतीकर्मविमर्शः। इति साधारणं प्रथमाधिकरणम् अध्यायाः पञ्च। प्रकरणानि पञ्च॥

अर्थ- कामसूत्र का अनुबंधन अधिकरण अध्याय और प्रकरण के रूप में किया गया है। पहले अधिकरण का नाम साधारण इस कारण से रखा गया है कि इस अधिकरण में ग्रंथार्थत- सामान्य विषयों का परिचय है, किसी सिद्धान्त की व्याख्या अथवा तात्त्विक विवेचन नहीं किया गया है।

पहला प्रकरण, पहला अध्याय- शास्त्र-संग्रह। यहां पर शास्त्र-संग्रह का अर्थ है इस शास्त्र की सूची। ग्रंथ लिखने से पहले लेखक एक विषय सूची तैयार करता है और उसी सूची के द्वारा ग्रंथ की रचना करता है। इसी प्रकार आचार्य वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ की विषय सूची का नाम शास्त्र संग्रह रखा है अर्थात् वह संग्रह जिससे यह ग्रंथ शासित हुआ है।

दूसरा प्रकरण, दूसरा अध्याय- त्रिवर्ग प्रतिपाति। काम, धर्म और अर्थ यह 3 त्रिवर्ग कहलाए जाते हैं। त्रिवर्ग की प्राप्ति का नाम प्रतिपाति है। इस अध्याय और प्रकरण में यह भी बताया गया है कि धर्म, अर्थ और काम को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

तीसरा प्रकरण, तीसरा अध्याय- विद्यासमुद्देश। यहां पर सारी विद्याओं की नाम की सूची को विद्या समुद्देश का नाम दिया गया है। इस अध्याय का मुख्य मकसद है कि मानव को स्मृति, श्रुति, अर्थ विद्या और उसकी अंगभूत विद्या दंडनीति के अध्ययन के साथ कामसूत्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। यहां पर विद्याओं की नाम-सूची का अर्थ संभोग की 64 कलाओं से हैं।

चौथा प्राकरण चौथा अध्याय- नागरकृत। नागरक से काम सूत्रकार का अर्थ विद्यग्ध अथवा रसिक व्यक्ति से होता है और वृत का अर्थ आचरण नहीं बल्कि दिनचर्या समझना चाहिए।

कामसूत्र के मुताबिक मनुष्य का सबसे पहले विद्या पढ़नी चाहिए, फिर अर्थोपार्जन करना चाहिए और इसके बाद विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके नागरक वृत का आचरण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य जब तक कामकलाओं की शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसको विवाह करने का कोई हक नहीं है। गृहस्थ जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए अर्थ संग्रह जरूरी है। सुशिक्षित, धन-संपन्न मनुष्य ही अपने वैवाहिक जीवन को सही तरीके से चलाने में सक्षम हुआ करता है।

पांचवां प्रकरण, पांचवां अध्याय- नायक सहायदूती- कर्म- विमर्श। आचार्य वात्स्यायन के मतानुसार विवाह से पहले वर्ण धर्म के मुताबिक स्त्री और पुरुष का चुनाव करके प्रेम संबंध स्थापित करना चाहिए। अगर इस तरह के प्रेम संबंधों को स्थापित करने में किसी तरह की रुकावट आती है तो मदद के लिए स्त्री या पुरुष को जरिया बनाना चाहिए। स्त्री-पुरुष किस तरह के संबंध स्थापित करें, किस तरह के व्यक्ति को अपना जरिया बनाएं, इस अध्याय के अंतर्गत इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है।

१८ोक (16)- प्रमाणकालाभावेभ्यो रतावस्थापनम्। प्रीतिविशेषाः। आलिंगनविचाराः। ,चुम्बनविकल्पाः। नखरदनजातयः।
दशनच्छेद्यविधयः। देश्याउपचाराः। संवेशनप्रकाराः। चित्रतानि। प्रहणयोगाः। तद्युक्ताश्च। सीत्कृतोपक्रमाः।
पुरुषायितम्। पुरुषोपसृष्टानि। औपरिष्टकम्। रतारम्भावसानिकम्। रतविशेषाः। प्रणयकलहः। इति साम्प्रयोगिकं
द्वितीयमधिकरणम्। अध्याया दश। प्रकरणानि सप्तदश॥

अर्थ- दूसरे अधिकरण में अध्यायों और प्रकरणों को इस प्रकार से बताया गया है-

- प्रमाण, भावों और काल के मुताबिक संभोग क्रिया की व्यवस्था करना।
- प्रतिभेद।
- आलिंगन।
- चुम्बन प्रकार।

- नखच्छेदन-प्रकार।
- दंतच्छेदन-प्रकार।
- अलग-अलग प्रदेशों के लोगों की अलग-अलग प्रवृत्तियां।
- संभोग के प्रकार।
- विचित्र प्रकार के विशिष्ट रत।
- मुट्ठी मारना।
- अलग-अलग स्ट्रोकों से पैदा हुई सी-सी करना।
- थकने के बाद पुरुष का स्त्री के समान व्यवहार करना।
- पुरुष का पास आना।
- औपरिष्टक (मुखमैथुन)।
- संभोग क्रिया की शुरुआत और आखिरी में कर्तव्य।
- उत्तेजना के प्रकार।
- प्रणय कलह।

इस अधिकरण के अंतर्गत यह 17 प्रकरण दिए गए हैं और 10 अध्याय हैं।

इस दूसरे अधिकरण का नाम साम्प्रयोगिक है। सम्प्रयोग से मतलब यहां संभोग से हैं। कामसूत्र का ग्रंथ होने की वजह से इस ग्रंथ में यह खासतौर से बताया गया है पुरुष अर्थ, धर्म और काम नामक तीनों वर्गों की प्राप्ति के लिए स्त्रियसाध्यत अर्थात् स्त्री को प्राप्त करें। आचार्य वात्स्यायन स्त्री को पाने का सबसे बड़ा लक्ष्य संभोग को ही मानते हैं। लेकिन जब तक संभोग क्रिया की पूरी जानकारी न हो तब तक इसमें पूरी तरह से कामयाबी मिलना मुश्किल है और न ही किसी तरह की आनंद की प्राप्ति होगी।

ऋग्वेद में संभोग के जिन 10 उपायों को बताया गया है वह कामसूत्र की उपर्युक्त संभोग क्रियाओं के अंतर्गत हैं। यह कोई खास विषय नहीं हैं। आध्यात्मिक नजरिये से भी जगदवैचिन्य मैथुनात्मक और कामात्मक है। काम का मुख्य भाग आकर्षण है या फिर आकर्षण का खास अंग काम है।

यही आकर्षण जब बड़ों के प्रति होता है, तब वह श्रद्धा, भक्ति आदि सम्मान के भावों में दिखाई पड़ता है, बराबर वालों के प्रति मित्रता, प्यार और सहयोगी के रूप में होता है, अपने से छोटों के प्रति दया और अनुकंपा आदि के रूप में प्रकट होता है और बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव बनता है। वहीं काम मां के स्तनों में वात्सल्य के रूप में प्रेमी का आलिंगन करते समय कामरूप में और वही काम दीन-दुष्क्रियों के प्रति कृपा के रूप में अवतरिक होता है।

मगर इन सारे रूपों में एक ही मानसिक भाव प्रवाहित रहता है, वह होता है मिथुन का संबंध- काम या आकर्षण। इसी वजह से बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है-

पुरुष काममय है। काम मन की जरूरत है।

१८ोक (17)- वरणविधानम्। सम्बन्धनिर्णयः। कन्याविस्त्रम्भणम्। बालायाः। उपक्रमाः। इंगिताकारसूचनम्। एकपुरुषाभियोगः। प्रयोज्यस्योपावर्तनम्। अभियोगतश्च कन्यायाः। प्रतिपत्तिः विवाहयोगः। इति कन्यासम्प्रयुक्तकं तृतीयाधिकरणम्। अध्यायाः पञ्च। प्रकरणानि नव॥

अर्थ- इसके बाद कन्या सम्प्रयुक्त नाम के तीसरे अधिकरण के प्रकरणों का निर्देश किया जा रहा है-

•कन्यावरण।

•विवाह करने के बारे में फैसला करना

•कन्या को भरोसा दिलाना।

•कन्या में प्यार पैदा करने का ढंग।

•इशारों आदि को समझना।

•इशारों, कोशिशों या किसी बहाने से देखी हुई कन्या से विवाह करने की कोशिश।

•कन्या द्वारा अपने चहेते को अपनी ओर आकर्षित करना।

•अपने प्रेमी को अभियोगों द्वारा प्राप्त करना।

इस अधिकरण के 9 प्रकरण सुखी दांपत्य जीवन की कुंजी माने गए हैं। कामसूत्र के रचियता वात्स्यायन विवाह को धार्मिक बंधन मानते हुए दिल का मिलाप स्वीकार करता है। वह लड़कियों को न तो सिर्फ भेड़बकरी जानकर मनचाहे खूंटे पर बांधने का समर्थन करता है और न ही उन्हे उच्छ्वास और व्यभिचारिणी बनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए इसका विधान है कि लड़कियां और लड़के अपनी युवावस्था में पहुंचने पर संभोग की 64 कलाओं का अध्ययन करें तथा अपना जीवन साथी तलाश करने में अपने दिल और बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

इस बात की सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि हर आदमी के अंदर ऐसे 2 तत्व रहते हैं जो एक-दूसरे से विशिष्ट हैं। इनमें से एक तर्कपूर्ण वृत्ति है और दूसरी विचारशून्य वृत्ति। यही वृत्ति अपने को काम-संभोग, भूख-प्यास और बहुत सी इच्छाओं के रूप में प्रकट करती है। दर्शनशास्त्र के अनुसार हर प्राणी समूह इच्छामात्र है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य का मन हर समय भटकता रहता है।

मनुष्य हर समय अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। इच्छाएं हमेशा पूरी होना चाहती है। हालात अनुकूल होने पर जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह मन में जमा होकर विक्षोभ उत्पन्न करती है। यह भी सच्चाई है किसी व्यक्ति को उसकी मनचाही चीज देश, काल, समाज या हालात के बंधन से अथवा राजदंड के डर से न मिलकर किसी दूसरे को मिल जाती है तो उसकी इच्छा क्रिया रूप में जमा हो जाती है और अगर वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो एक तूफान के रूप में मन में समा जाती है। जिसका नतीजा यह होता है कि उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है।

१८ोक (18)- एकचारिणीवृत्तम्। प्रवासचर्या। सपलीषु ज्येष्ठावृत्तम्। कनिष्ठावृत्तम्। पुनर्भवृत्तम्। दुर्भगवृत्तम्।
आन्तःपुरिकम्। पुरुषस्य बहवीषु प्रतिपत्तिः। इति भार्याधिकारिकं चतुर्थमधिकरणम्। अध्यायौ द्वो प्रकरणान्यषटौ॥

अर्थ- इस अधिकरण का नाम भार्याधिकारिक है। इसके अंतर्गत 8 प्रकरण और 2 अध्याय हैं-

- सिर्फ अपने पति पर ही अनुराग रखने वाली पत्नी का कर्तव्य।
- पति के कहीं दूर जाने पर पत्नी का कर्तव्य।
- सबसे बड़ी पत्नी का अपनी से छोटी सौतनों के साथ बर्ताव।
- सबसे छोटी पत्नी का अपनी से बड़ी सौतनों के साथ बर्ताव।
- दूसरी बार विवाहित विधवा का फर्ज।
- अभागिनी पत्नी का अपनी सौतनों और पति को खुश रखने का विधान।
- अंतःपुर (महलों में रहने वाले) के फर्ज।
- पति का अपनी बहुत सारी पत्नियों के प्रति कर्तव्य।

विवाह के बाद हर कन्या, कन्या न कहलाकर पत्नी कहलाती है। पत्नी और सप्तनी 2 प्रकार की भार्या होती हैं। इसके अंतर्गत इन दोनों प्रकार की पत्नियों के कर्तव्य दिए जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन को सुख-संपन्न रूप से चलाने के नियमों को आचार्य वात्स्यायन अच्छी प्रकार जानते हैं। उसे इस बात की जानकारी भी है कि वह कौन सी एक छोटी सी चिंगारी है जो पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। वह घर को सुखी बनाने के लिए मंगल कामना करता हुआ इस अधिकरण द्वारा सुझाव पेश करता है।

१९ोक (19)- स्त्री-पुरुषशीलावस्थापनम्। व्यावर्तनकारणानि। स्त्रीषु सिद्धाः पुरुषाः। अयन्तसाध्या योषितः।
परिचयकारणानि। अभियोगाः। भावपरीक्षा। दृतीकर्माणि। ईश्वरकामितम्। अंतःपुरिकं दारक्षितकम्। इति पारदारिकं
पञ्जममधिकरणम्। अध्यायाः षट् प्रकरणानि दश।

अर्थ- पारदारिक नाम के पांचवें अधिकरण के प्रकरणों का निर्देश करते हैं। इसमें 6 अध्याय और 10 प्रकरण हैं।

- पुरुष और स्त्री के शील की व्यवस्थापना।
- पराए पुरुष के साथ संबंध बनाने में रुकावट डालने वाले कारण।
- स्त्रियों को अपने वश में करने में निपुण पुरुष।
- अपने आप ही वश में होने वाली स्त्रियां।
- परिचय प्राप्त करने के नियम।
- अभियोग।
- भावों की परीक्षा।

•दूतीकर्म।

•ऐश्वर्यशाली पुरुषों की इच्छाओं को पूरी करने के उपाय।

•व्यभिचारी पुरुषों से स्त्रियों की रक्षा।

इस अधिकरण का मुख्य मक्सद किन हालातों में पराए पुरुष और पराई स्त्री का आपस में प्रेम संबंध पैदा होता है, बढ़ता है और टूट जाता है। किस तरह परदार इच्छा पूरी होती है और किस प्रकार व्यभिचारी से स्त्रियों की रक्षा की जा सकती है।

पुरुष और स्त्री के बीच एक ही शक्ति बहुत से रूपों में मौजूद रहती है जिसको प्रेम कहते हैं। अगर प्रेम का कहीं कोई बीज होता है तो वह सिर्फ संभोग की इच्छा ही है।

दार्शनिक दृष्टि से प्रेम का मुख्य मक्सद संभोग को माना जाता है। जितने व्यवहार प्रेम से संबंध रखने वाले हैं वह सब संभोग-प्रेम में अंतर्हित है और इससे अलग नहीं किये जा सकते- जैसे आत्मप्रेम, मातृपितृ प्रेम, शिशु वात्सल्य, मैत्री, विश्व-प्रेम, विषय-वासनाओं से प्रेम और भावनाओं के प्रति श्रद्धा आदि।

मनुष्य जगत की हर वासना खासतौर पर वित्तेषणा, दारैषणा और लोकेषणा इन 3 भागों में बंटी है। अगर बारीकी से देखा जाए तो सारी वासनाएं सिर्फ दारैषणा में ही अंतर्भूत हो जाती है क्योंकि आकर्षण ही स्त्री की कामना का सार होता है और स्त्री-पुरुष के मिलन में आकर्षण ही परिणत हो जाया करता है।

धन, स्त्री और यश की इच्छा सिर्फ आनंद के लिए की जाती है। सारी तरह की वासनाओं की जड़ आनंद ही है और इसी को मूलप्रेरक शक्ति माना जाता है। इसका स्थूल अनुभव संभोग के द्वारा हासिल किया जा सकता है। सांसारिक जीवन में संभोग पराकाष्ठा का आनंद है इसलिए सभी तरह के आनंदों को संभोग आनंद का रूपांतर समझने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

१लोक (20)- गम्यचिन्ता। गमनकारणानि। उपावर्तनविधिः। कान्तानुवर्तनम्। अर्थागमोपायाः। विरक्तिलिंगानि।
विरक्तप्रतिपत्तिः। निष्कासनप्रकाराः। विशीर्णप्रतिसंधानम्। लाभविशेषः। अर्थानर्थानुबन्धसंशयविचारः। वेश्याविशेषाश्च इति
वैशिकं षष्ठमधिकरणम्। अध्यायाः षट्। प्रकरणानि द्वादशाः।

अर्थ- हम इस वैशिक नाम के छठे अधिकरण के प्रकरणों का निर्देश करते हैं। इस अधिकरण के अंतर्गत 6 अध्याय और 12 प्रकरण दिए गए हैं-

•गम्य पुरुष विचार।

•किसी एक व्यक्ति के साथ संभोग करने के कारण।

•अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका।

•वेश्या का अपने प्रेमी के साथ उसकी विवाहित पत्नी की तरह व्यवहार करना।

•अर्थोपार्जन के तरीके।

•विरक्त पुरुष के निशान।

•विरक्त पुरुष की दुबारा प्राप्ति।

• निकालने के उपाय।

• निकाले हुए के साथ दुबारा संधि करना।

• लाभ विशेष का विचार।

• अर्थ, धर्म और अर्धर्म के अनुबंध संयम संबंधी विचार।

• वेश्याओं के भ्रेद।

इन 12 प्रकरणों से युक्त वैशिक नाम का यह छठा अधिकरण है। इस अधिकरण के अंतर्गत वेश्याओं के चरित्र और उनके समागम उपायों को बताया गया है। आचार्य वात्स्यायन ने वेश्यागमन को एक तरह का बुरा काम माना है और उनका कहना है कि वेश्यागमन से शरीर और अर्थ दोनों का नाश हो जाता है। लेकिन वेश्या समाज का ही अंग होती है इसलिए उसका उपयोग समाज करता है। साधारण मनुष्यों और वेश्याओं की भलाई को ध्यान में रखते हुए लेखक इस अधिकरण में वेश्याओं के चरित्र का विशद् विवेचन किया है।

यह तो अनुभव की बात है कि काम एक शक्ति है और वह बहुत ज्यादा चंचल होती है। इस शक्ति का जब भी उन्नयन होता है तब तक भावों और संवेगों की उत्पत्ति होती है।

मनुष्य की जो इच्छाएं ग्रंथि का रूप ले लेती हैं वहीं वासना कही जाती है। वासनाओं के इसी वेग को संवेग कहते हैं। व्यक्ति के दिल में अनुकूल या प्रतिकूल वेदना ही उत्पत्ति ही भाव कहलाती है। यही भाव बढ़ते-बढ़ते संवेग का रूप धारण कर लेता है। विषयों की स्मृति से अथवा सत्ता से या फिर कल्पित विषयों से भी डर, प्रेम आदि के संवेग जागृत हुआ करते हैं। यह बात वाकई अनुभवसिद्ध है कि विषयों के सन्निकर्ष से कोई न कोई भाव अथवा संवेग जरूर पैदा होता है।

इसका समर्थन गीता में भी किया गया है कि संग से काम होता है। जितने भी वासना व्यूह है सभी के साथ संवेग जुड़ा रहता है। हमारी चित्र वृत्ति के भावमय, जानमय और क्रियामय- तीन ही रूप होते हैं। जान के कारण ही भाव और संवेग जागृत होते हैं। मनचक्र में सोई हुई अतुल कामशक्ति, प्रेरक स्फुलिंगों को पाकर ही जागृत होते हैं। बाह्य अथवा आभ्यन्तर उद्दीपकों से पैदा संवेदनाएं और जानात्मक मनोभाव ही कामशक्ति के प्रेरक स्फुलिंग होते हैं। इनसे प्रेरणा पाकर ही संवेग के साथ कामशक्ति बहिर्मुख होती है।

मनुष्य के विचार चोटी पर होते हुए भी उसका हृदय हमेशा नई संवेदनाओं की तलाश में नीचे उतर आता है। हर मनुष्य को भावों को बदलने की इच्छा होती है। मनुष्य स्वभाव से ही बदलाव, सुंदरता और नएपन को चाहता है।

अगर गौर से देखा जाए तो नवीनता का दूसरा नाम अभिरुचि है। जहां पर नवीनता है वहीं रमणीयता रहती है।

रमणीयता का वही रूप है जो पल-पल में नएपन को प्राप्त करता है। संवेग के कारण ही हमारी क्रियाएं प्रतिक्षण बदला करती हैं। पहले तो उत्सुकता जागृत होती है और इसके बाद तृष्णा जागृत होती है। जिस समय व्यक्ति के दिल में संवेग पूरी तरह से जागृत हो जाता है उसी समय उसे 1 दिन 1 साल के जैसा लगता है।

जब संवेग के अवरोधक पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं होने देते तब मन में बेचैनी होने लगती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। मन में उथल-पुथल होने लगती है। सामाजिक नियमों के अनुरूप काम का निरोध-अवरोध तो जबरदस्ती

करना पड़ता है। जबकि यह अनुभव समाज युग-युग से करता आ रहा है कि काम वासना पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। समाज का नियंत्रण यहीं तक सीमित रहता है कि वासना शारीरिक क्रिया में परिणत न होने पाए। मानसिक द्वन्द्व भले ही मजबूत होता है।

मनुष्य जिन वासनाओं को निरोध से दबाना चाहता है वह कभी नहीं दबती, बल्कि सुलगने लगती है और किसी न किसी रूप में अपना असर डालती रहती है। असल बात यह है कि जिस बात को मना किया जाता है उसी को करने के लिए मन में बेचैनी बढ़ती रहती है। शास्त्र और समाज की दृष्टि से पराइ स्त्री के साथ संबंध बनाना अर्थमें है और उसके साथ संभोग करने को गलत माना जाता है। इस तरह की रोक का नतीजा यह होता है कि पराइ स्त्री का रस रसोत्तम माना जाता है।

श्लोक (21)- सुभंगकरणम्। वशीकरणम्। वृष्याश्च योगाः। नष्टरागप्रत्यानयनम्। वृद्धिविधयः। चित्राश्च योगाः।
इत्यौपनिषदिकं सप्तममधिकरणम्। अध्यायौ द्वौ। प्रकरणानि।

अर्थ-

- गुण, रूप आदि को बढ़ाना।
- यंत्र, तंत्र और मंत्र द्वारा वश में करना।
- वाजीकरण (काम-शक्ति बढ़ाना) प्रयोग।
- नष्टराग (खत्म हुई उत्तेजना) को दुबारा पैदा करना।
- लिंग को बढ़ाने वाले प्रयोग।
- चित्र-विचित्र प्रयोग।

इन 6 प्रकरणों से युक्त औपनिषदिक नाम का यह सातवां अधिकरण है और इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं।

श्लोक (22)- एवं षट्त्रिंशदध्यायाः। चतुःषष्ठिः प्रकरणानि। अधिकरणानि सप्त। सपादं श्लोकसहस्रम्। इति शास्त्रस्य संग्रहः॥

अर्थ- इस प्रकार से कामसूत्र में 36 अध्याय, 64 प्रकरण, 7 अधिकरण और 1250 श्लोक हैं।

श्लोक (22)- संक्षेपमिमक्षुक्त्वास्य विस्तरोऽतः प्रवक्ष्यते। इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासभाषणम्॥

अर्थ- इस तरह अधिकरण, अध्याय, प्रकरण आदि की विषय सूची संक्षेप में बताकर अब उसी को विस्तार से पेश किया जा रहा है क्योंकि संसार में विद्वानों के लिए संक्षेप तथा विस्तार दोनों की जरूरत है।

आचार्य वात्स्यायन ने इस सातवें अधिकरण के अंतर्गत अधिकरण का नाम औपनिषदिक रखा है। औपनिषदिक का स्थूल अर्थ टोटका होता है। इस अधिकरण के अंतर्गत कामवासना को पूरा करने के साधन तथा भौतिक जीवन की कामयाबी के तरीकों को बहुत ही विस्तार से समझाया जा रहा है।

तंत्र औषधि आदि के रूप में जो टोटके पेश किए जा रहे हैं, उनके अंतर्गत स्वेच्छाचारिता, उच्छव्यलात और असामाजिकता, अशिष्टता, निर्दयता की भावना न पैदा हो, यह विवेक भी रखा गया है।

१लोक- इतिश्री वात्स्यायनीय कामसूत्रे साधारणे, प्रथमधिकरेण शास्त्र संग्रह प्रथमोद्यायः॥

www.freehindipdfbooks.com

अध्याय 2 त्रिवर्ग प्रतिपत्ति प्रकरण

श्लोक (1)- शतायुर्वं पुरुषों विभज्य कालमन्योन्यानुबद्धं परस्परस्यानुपघातकं त्रिवर्गं सेवेत्॥

अर्थ- शांत जीवन बिताने वाला मनुष्य अपने पूरे जीवन को आश्रमों में बांटकर धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि यह तीनों एक-दूसरे से संबंधित भी रहे तथा आपस में विघ्नकारी भी न हो।

मनुष्य की उम्र 100 साल की निर्धारित की गई है। अपने इस पूरे जीवन को सुखी और सही रूप से चलाने के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास नाम के चार भागों में बांटकर धर्म, अर्थ और काम का साधन, संपादन इस प्रकार से करना चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम में आपस में विरोध का आभास न हो तथा वे एक-दूसरे के पूरक बनकर मोक्षप्राप्ति के साधन बन सकें।

इस संसार के सभी मनुष्य लंबे जीवन, आदर, ज्ञान, काम, न्याय, और मोक्ष की इच्छा रखते हैं। सिर्फ वेदों की शिक्षा ही ऐसी है कि जो मनुष्यों के लंबे जीवन की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यक्तियों को इन इच्छाओं में विवेक पैदा कराके और बराबर अधिकार दिलाकर सबको मोक्ष की ओर अग्रसर करती है।

आचार्य वात्स्यायन ने शतायुर्वं पुरुष लिखकर इस बात को साफ किया है कि कामसूत्र का मकसद मनुष्य को काम-वासनाओं की आग में जलाकर रोगी और कम आयु का बनाना नहीं बल्कि निरोगी और विवेकी बनाकर 100 साल तक की पूरी उम्र प्राप्त करना है।

लंबी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहला तरीका सात्त्विक भोजन को माना गया है। सात्त्विक भोजन में धी, फल, फूल, दूध, दही आदि को शामिल किया जाता है। अगर कोई मनुष्य अपने रोजाना के भोजन में इन चीजों को शामिल करता है तो वह हमेशा स्वस्थ और लंबा जीवन बिता सकता है।

सात्त्विक भोजन के बाद मनुष्य को लंबी जिंदगी जीने के लिए पानी, हवा और शारीरिक परिश्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजाना सुबह उठकर ताजी हवा में धूमना बहुत लाभकारी रहता है। इसके साथ ही खुले और अच्छे माहौल में रहने और शारीरिक मेहनत करते रहने से भी स्वस्थ और लंबी जिंदगी को जिया जा सकता है।

इसके बाद लंबी जिंदगी जीने के लिए स्थान आता है दिमाग को हरदम तनाव से मुक्त रखने का। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी चिंता में ही घुलकर बिता देते हैं। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदू का ही फर्क होता है लेकिन इनमें भी चिंता को ही चिता से बड़ा माना गया है। क्योंकि चिता तो सिर्फ मरे हुए इंसानों को जलाती है लेकिन चिंता तो जीते जी इंसान को रोजाना जलाती रहती है। इसलिए अपने आपको जितना हो सके चिंता मुक्त रखें तो जिंदगी को काफी लंबे समय तक जिया जा सकता है।

इसके बाद लंबी जिंदगी जीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। योगशास्त्र के अनुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अर्थात् ब्रह्मचर्य का पालन करके ही वीर्य को बढ़ाया जा सकता है और वीर्य बाहुबलम् वीर्य से शारीरिक शक्ति का विकास होता है। वेदों में कहा गया है कि बुद्धिमान और विद्वान लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके मौत को भी जीत सकते हैं।

सदाचार को ब्रह्मचर्य का सहायक माना जाता है। जो लोग निष्ठावान, नियम-संयम, संपन्नशील, सत्य तथा चरित्र को अपनाए रहते हैं, वही लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लंबी जिंदगी को प्राप्त करते हैं। सदाचार को अपनाकर कोई भी मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता है।

कोई भी बच्चा जब ब्रह्मचर्य अपनाकर अपने गुरु के पास शिक्षा लेता है तो वह 4 महत्वपूर्ण बारें सीखता है। कई प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करना, वीर्य की रक्षा करके शक्ति को संचय करना, सादगी के साथ जीवन बिताने का अभ्यास करना, रोजाना सन्ध्योपासन, स्वाध्याय तथा प्राणायाम का अभ्यास करना, भारतीय आर्य सभ्यता की इमारत इन्ही 4 खंभों पर आधारित है। ब्रह्मचर्य जीवन को सफल बनाने वाली जितने बाती है, सभी प्राप्त होती है।

ब्रह्मचर्य जो कि उम्र का पहला चरण है, जब परिपक्व हो जाए तो मनुष्य को शादी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष का सम्पादन विधिवत् करना चाहिए। यहां पर वात्स्यायन इस बात का संकेत करते हैं कि अर्थ, धर्म तथा काम का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि आपस में संबद्ध रहें और एक-दूसरे के प्रति विघ्नकारी साबित न हो।

एक बात को बिल्कुल साफ है कि अगर सही तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो गृहस्थ आश्रम अधूरा, क्षुब्ध और असफल ही रहता है। इसी बजह से हर प्रकार की स्थिति में हर आश्रम में पहुंचकर उसके नियमों का पालन विधि से करने से ही कामयाबी मिलती है।

ब्रह्मचर्य जीवन को गृहस्थ आश्रम से जोड़ने का अर्थ यही होता है कि वीर्यरक्षा, सदाचरण, शील, स्वाध्याय अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में सही तरह से किया गया है तो गृहस्थआश्रम में दाम्पत्य जीवन अकलुष आनंद तथा श्रेय प्रेय संपादक बन सकता है। गृहस्थआश्रम को धर्मकर्म पूर्वक बिताने पर वानप्रस्थ का साधन शांति से और बिना किसी बाधा के हो सकता है और फिर वानप्रस्थ की साधना सन्यास आश्रम में पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने में मदद करती है।

श्लोक (2)- वयोद्वारेण कालविभागमाह-बाल्ये विद्याग्रहणादीनर्थान्॥

अर्थ- अब क्रमशः उम्र के विभाग के बारे में बताया गया है।

बचपन की अवस्था में विद्या को ग्रहण करना चाहिए।

श्लोक (3)- कामं च यौवने॥

अर्थ- जवानी की अवस्था में ही काम चाहिए।

श्लोक (4)- स्थाविरे धर्म मोक्षं च॥

अर्थ- बुढ़ापे की अवस्था में मोक्ष और धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए।

श्लोक (5)- अनित्यत्वादायुषो यथोपपादं वा सेवेत्॥

अर्थ- लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए जितना भी इसको जी सकते हो जी लेना चाहिए।

श्लोक (6)- ब्रह्मचर्यमेव त्वा विद्याग्रहणात्॥

अर्थ- विद्या ग्रहण करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।

धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के 3 भेद होते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं होती हैं। हर इंसान की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है। आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक 100 वर्ष की उम्र को 3 भागों में बांटकर पुरुषार्थों का उपभोग तथा उपार्जन करना चाहिए।

वात्स्यायन के मुताबिक जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र को बाल्यावस्था, 16 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र युवावस्था और इसके बाद की उम्र को वृद्धावस्था कहते हैं। इसी वजह से बाल्यावस्था में विद्या ग्रहण करनी चाहिए। युवावस्था में अर्थ और काम का उपार्जन तथा उपभोग करना चाहिए।

इसके बाद बुढ़ापे की अवस्था में मोक्ष और धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बावजूद आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। शरीर मिट्टी है इसी कारण से किसी भी समय और जब भी संभव हो जिन-जिन पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सके कर लेनी चाहिए।

अब एक सवाल और उठता है कि जीवन को माया (जिसका कोई भरोसा नहीं होता) समझकर बाल्यावस्था में ही काम का उपार्जन और उपभोग करने की सलाह आचार्य वात्स्यायन देते हैं। इस बारे में किसी तरह की शंका आदि न पैदा हो इस वजह से उन्होंने स्पष्ट किया है-

धर्म शास्त्रकारों में इंसान की उम्र को 4 भागों में बांटा है लेकिन आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने अपने विचारों में प्रौढ़ावस्था का जिक्र नहीं किया है। दूसरे आचार्य सन्यास लेने की सही उम्र 50 साल के बाद की मानते हैं लेकिन आचार्य वात्स्यायन ने इसकी सही उम्र 70 साल के बाद की बताई है।

विद्या ग्रहण करने की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन पूरी सख्ती और निष्ठापूर्वक करना चाहिए।

आचार्य कौटिल्य के मुताबिक मुंडन संस्कार हो जाने पर गिनती और वर्णमाला का अभ्यास करना चाहिए। उपनयन हो जाने के बाद अच्छे विद्वानों तथा आचार्य से त्रयी विद्या लेनी चाहिए। 16 साल तक की उम्र तक बहुत ही सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इसके बाद विवाह के बारे में सोचना चाहिए। विवाह के बाद अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हर समय बढ़े-बढ़ों के साथ में रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की संगति ही विनय का असली कारण होती है।

वात्स्यायन और कौटिल्य दोनों ही ने जीवन की शुरुआती अवस्था अर्थात् बाल्यवस्था में विद्या ग्रहण करने और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया है क्योंकि विद्या और विनय के लिए इन्द्रिय जय होती है इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष जान से अपनी इन्द्रियों पर विजय पानी चाहिए।

**१८ोक (७)- अलौकिकत्वादृष्टार्थत्वादप्रवृत्तानां यजदीनां शास्त्रात्प्रवर्तनम्, लौकिकत्वादृष्टार्थत्वात्त्र प्रवृत्तेभ्यश्च
मांसभक्षणादिभ्यः शास्त्रादेव निवारणं धर्मः॥**

अर्थ- जो लोग पारंपरिक तथा अच्छा फल देने वाले यज्ञ आदि के कामों में जल्दी शामिल नहीं होते ऐसे लोगों का शास्त्र के आदेश से इस तरह के कार्यों में शामिल होना तथा इसी जन्म में अच्छा फल मिलने के कारण जो लोग मांस आदि खाते हैं उनका शास्त्र के आदेश से यह सब छोड़ देना- यही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप में 2 प्रकार का धर्म है।

महाभारत में भी इस बारे में बताया गया है धारण करने से लोग इसे धर्म के नाम से बुलाते हैं। धर्म प्रजा को धारण करते हैं जो धारण के साथ-साथ रहता है वही धर्म कहलाता है- यह निश्चित है।

इस बात से यह साबित हो जाता है कि धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है। ग्रंथकोश में धर्म के अर्थ मिलते हैं।

वैदिक विधि, यज्ञादि

सुकृत या पुण्य

न्याय

यमराज

स्वभाव

आचार

सोमरस का पीने वाला और

शास्त्र विधि के अनुसार कर्म के अनुष्ठान में पैदा होने वाले फल का साधन एवं रूप शुभ अद्वितीय अथवा पुण्यापुण्य रूप भाग्य।

श्रौत और स्मृति धर्म।

विहित क्रिया से सिद्ध होने वाले गुण अथवा कर्मजन्य अद्वितीय।

आत्मा।

आचार या सदाचार।

गुण।

स्वभाव।

उपमा।

यज्ञ।

अहिंसा।

उपनिषद्।

यमराज या धर्मराज।

सोमाध्याची।

सत्संग।

धनुष।

ज्योतिष में लग्न से नौवें स्थान या भाग्यभवन।

दान।

न्याय।

धर्म शब्द का अर्थ निरुक्तकार नियम को बताया गया है और धर्म शब्द का धातुगत अर्थ धारण करना होता है। इन दोनों अर्थों का तालमेल करने से यही अर्थ निकलता है कि जिस नियम ने इस संसार को धारण कर रखा है वह धर्म ही है।

शास्त्रों के अनुसार धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है और लोकमत भी इस बारे में शास्त्रों का समर्थन करता है। धन से धर्म होता है और धर्म से ही सुख मिलता है।

१८ोक (8)- तं श्रुतेर्धर्मज्ञसमवायाच्च प्रतिपद्येत॥

अर्थ- उपयुक्त सातवें सूत्र में बताए गए धर्म को जानी मनुष्य वेद से और साधारण पुरुष धर्मज्ञ पुरुषों से सीखें।

कामसूत्र के रचियता ने शास्त्रों के मत पर सहमति जताते हुए कहा है कि जानी मनुष्य को वेदों के द्वारा धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मनु के अनुसार सारे वेद धर्म के मूल हैं।

श्री मद्धगवत्पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि जो वेद में कहा गया है वही धर्म है और जो उसमें नहीं कहा गया है वह अर्थमें है।

आचार्य वात्स्यायन ने जानी व्यक्तियों को वेदों से धर्म आचरण सीखने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि धर्म का तत्व गुहा में मौजूद होता है। इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म-निरीक्षण, श्रवण, मनन और निदृश्यासन करना जरूरी है। जानी वही होता है जो निहित प्रच्छन्न तत्वों को पहचानता है। कामसूत्र का मुख्य धर्म काम का असली विवेचन और विश्लेषण करना ही है। काम के तत्व को वहीं मनुष्य पहचानता है जो धर्म के तत्व को पहचानता है।

यहां पर साधारण पुरुषों से अर्थ उन लोगों से हैं जो स्वयं वे वेदाध्ययन, श्रवण मनन में असमर्थ हैं, मगर स्मृतियों द्वारा बताए गए धर्मज्ञों द्वारा निर्दिष्ट पथ पर सवार रहते हैं। यहां पर कामसूत्र के रचियता स्मृति और श्रुति दोनों का समन्वय करते हैं। मतलब यह है कि श्रुति के द्वारा जो बताया गया है वही धर्म स्मृति में भी बताया गया है।

ऐसा वह कौन सा धर्म है जो स्मृति में बताया गया है तथा श्रुतिरागव है। इसका समाधान मनुस्मृति के अंतर्गत है।

श्रुति और स्मृति के अंतर्गत बताया गया सदाचार ही परम धर्म कहलाता है। इसलिए अपने आपको पहचानने वाले व्यक्ति को हमेशा सदाचार से युक्त ही रहना चाहिए।

आचार्य वात्स्यायन ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है कि विद्वान् और सामान्य दोनों तरह के लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह सदाचारी बन जाए क्योंकि सदाचार ही काम की पृष्ठभूमि है।

१९ोक (9)- विद्याभूमिहिरण्यपशुधान्य भाण्डोपस्करमित्रादीनामर्जनमर्जितस्य विवर्धनमर्थः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन ने धर्म के लक्षण बताने के बाद अर्थ की परिभाषा को पेश किया है-

विद्या, भूमि, सौना, जानवर, बर्तन, धन आदि घर की चीजें और मित्रों तथा कपड़ों, गहनों, घर आदि चीजों को धर्मपूर्वक प्राप्त करना तथा प्राप्त किए हुए को और बढ़ाना अर्थ है।

आचार्य चाणक्य ने कौटलीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थ की परिभाषा बताते हुए बताया है कि लोगों की जीविका ही अर्थ है।

इस विषय में कौटल्य और वात्स्यायन का एक ही मत है। कौटल्य ने अर्थशास्त्र लिखने का अर्थ तत्व दर्शन को बताया है तथा यही अर्थ कामसूत्रकार का भी है।

जिस प्रकार से बुद्धि का संबंध धर्म से है उसी तरह से शरीर का संबंध अर्थ से, काम का संबंध मन से और आत्मा का संबंध मोक्ष से है। इन्हीं अर्थ, धर्म, मोक्ष और काम में मनुष्य की सभी लौकिक और परलौकिक कामनाओं का समावेश हो जाता है।

कामसूत्रकार का मन्तव्य यही मालूम पड़ता है कि जिस तरह अर्थ, वस्त्र, भोजन आदि के बिना शरीर बिल्कुल सही नहीं रह सकता, संभोगकला के बिना शरीर पैदा नहीं हो सकता और शरीर के बिना मोक्ष को पाना संभव नहीं हो सकता। उसी तरह से बिना मोक्ष का रास्ता निर्धारित किए बिना काम और अर्थ को भी सहायता नहीं मिल सकती है। जब तक मोक्ष की सच्ची कामना नहीं की जा सकती तब तक अर्थ और काम का सही उपयोग नहीं हो सकता।

१०क (10)- तमध्यक्षप्रचाराद्वारासमयविद्धयो वणिभयश्चेति॥

अर्थ- अर्थ को सीखने के बारे में जो बताया जा रहा है उसे जानने में अक्सर बहुत से टीकाकारों को वहम होता है। कामसूत्र के रचयिता का अध्यक्षप्रचार से अर्थ कौटल्य अर्थशास्त्र के अध्यक्षप्रचार अधिकरण से है। इस अधिकरण के अंदर कौटल्य ने भूमि-संरक्षण, राज्य-संरक्षण, नागरिकों के संरक्षण के नियम और दुर्गों के निर्माण का विधान, राजकर की वसूली, आय-व्यय विभाग के नियम तथा उसकी व्यवस्था, शासन प्रबंध रत्न की पारखी, धातुओं के पारखी, सुनारों के कर्तव्य और नियम, कठोर तथा उसके अध्यक्ष के कार्य विक्रय विभाग के नियम, युवतियों की सुरक्षा, तोलमाप का निरूपण, शस्त्रागार की व्यवस्था, चुंगी के विभिन्न प्रकार के नियम आदि 36 विषयों के बारे में बताया गया है।

११क (11)- श्रोत्रत्वकचक्षुजिह्वाधाराणानामात्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठतानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानुकूल्यतः प्रवृत्तिः कामः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन ने काम के लक्षण बताते हुए कहा है कि आंख, जीभ, कान, त्वचा और नाक पांचों की इंद्रियों की इच्छानुसार शब्द स्पर्श, रूप और सुगंध अपने इन विषयों में प्रवृत्ति ही काम है या फिर इन्द्रियों की प्रवृत्ति है।

भारतीय दर्शन के सिद्धान्त के अनुसार विद्या और अविद्या यहीं दो प्रमुख बीज हैं। यह दोनों जब बराबर मात्रा में एकसाथ मिलते हैं तब तीसरा बीज भी पैदा हो जाता है। वाक, मन और प्राण तीनों अव्यव तथा जगत के साक्षी माने जाते हैं। इनमें से मन को ज्यादा मात्रा में प्राण ग्रहण करता है तब वह विद्या का रूप ले लेता है और जब वह वाक को ज्यादा मात्रा में लेता है तब अविद्या कहलाता है। यहीं अविद्या विद्यारूप आत्मा का ऐसा स्वाभाविक विकार है जो कि बाहर के पदार्थों को अपने में मिला लिया करता है जिसके कारण से ज्ञान निविर्षयक तथा सविषयक इन रूपों में बंट जाता है।

१२क (12)- स्पर्शविशेषविषयात्वस्याबिमानिकसुखानुविद्धा फलवत्यर्थप्रतीतिः प्राधान्यात्कामः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन ने इस सूत्र में काम के बारे में बताते हुए कहा है कि आलिंगन, चुंबन आदि संभोग सुख के साथ गोल, नितंब, स्तन आदि खास अंगों के स्पर्श करने से आनंद की जो झलवती प्रतीत होती है उसकी को काम कहते हैं।

इस सूत्र में फलवती अर्थप्रतीति: इस शब्द में गंभीर भाव मौजूद है। इसका खास मकसद सुयोग्य संतानोप्दान ही समझना सही होगा क्योंकि वेद और उपनिषद भी इसी आशय को व्यक्त करते हैं-

1- आरोहतल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनस्य पत्ये अस्मै।

इन्द्राणीव सुवृधा बुद्ध्यमाना ज्योतिरुग्मा उपसः प्रतिजागरासि॥

अर्थ- हे वधू त् खुश होकर इस पलंग पर लेट जा और अपने इस पति के लिए संतान को पैदा कर तथा इंद्राणी की तरह हे सौभाग्यवती चतुरता से सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग जा।

अर्थात्- संभोग क्रिया रात के समय ही होनी चाहिए जिससे मन में किसी तरह का डर, संकोच या शर्म आदि महसूस न हो।

2- देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूभिः।

सूर्यव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या संभवे ह॥

अर्थ- विद्वान पुरुष पहले भी अपने पत्नी को प्राप्त हुए हैं तथा अपने शरीर को उनके शरीर से अच्छी तरह से मिलाया है। इस वजह से हे महान सुंदरता वाली तथा प्रजा को प्राप्त करने वाली स्त्री तू भी अपने पति से मिल जा।

अर्थात्- संभोग क्रिया करने से पहले आलिंगन और चुंबन आदि जरूरा कर लेने चाहिए जिससे कि दोनों को ही आनंद की प्राप्ति हो सके और आलिंगन करने से शरीर में जो बिजली सी दौड़ती है उससे न सिर्फ शर्म ही दूर होती है बल्कि एक अजीब सा ,सुकून भी मिलता है।

3- तां पूषं छिवतमामरेयस्व यस्यां बीजं मनुष्यां वपन्ति

या न ऊरु विश्रयाति यस्यामुश्नतः प्रहरेम शेषः॥

अर्थ- हे जग को पालने वाले ईश्वर, जिस स्त्री के अंतर्गत आज बीज को बोना है उसे जागृत कर। जिसके द्वारा वह हमारी इच्छा करती हुई अपनी जांघों को फैलाती हुई तथा हम इच्छा करते हुए अपने लिंग का प्रहार स्त्री की योनि पर कर सके।

अर्थात्- पुरुष और स्त्री दोनों को ही अपनी खुशी से संभोग क्रिया करनी चाहिए। इस क्रिया को करते समय दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री के योनि पथ को किसी तरह की हानि न पहुंचे क्योंकि स्त्रियों की योनि में एक बहुत ही बारीक झिल्ली होती है जो अक्सर पहले ही संभोग में टूट जाती है। इसलिए पुरुष को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

4- प्रत्वा मुञ्जामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वा सविता सुशेवाः।

ऊरु लोकं सुगमत्रपन्थां कृणोमि तुभ्यं सहपल्यै वधु॥

अर्थ- हे स्त्री मैं तेरे पति के जरिए जांघों के बीच के योनिमार्ग को सरल बनाता हूं तथा तूँगे वरुण के उस उत्कृष्ट बंधन से मुक्त करता हूं जिसको सविता ने बांधा था।

अर्थात्- संभोग करते समय जो प्राकृतिक आसन होते हैं उन्हीं को आजमाना चाहिए क्योंकि अप्राकृतिक आसनों को संभोग करते समय आजमाने से संतान विकलांग पैदा होती है।

5- आ रोहोरुमुपर्धत्स्व हस्त परिष्वजस्व जायां सुमनस्यामानः।

प्रजा कृणवाथामिह मोदमानौ दीर्घ वामायुः सविता कृणोतु॥

अर्थ- हे पुरुष तू जांघ के ऊपर चढ़ जा, मुझे अपनी बांहों का सहारा दें, खुश होकर पत्नी को चिपका लें तथा खुशी मनाते हुए दोनों संतानों को पैदा करो जिसे सविता देव तुम्हारी उम्र को लंबी बनाए।

अर्थात्- संभोग क्रिया के संपन्न होने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को ही स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि इससे किसी शरीर को किसी तरह के रोग और गंदगी से मुक्ति मिलती है।

6- यद् दुष्कृतं यच्छमलं विवाहे वहतौ च यत्।

तत् संभलस्य कंबले मृज्महे दुरितं वयम्॥

अर्थ- इस वैवाहिक कार्य के द्वारा जो मलिनता हम दोनों से हुई उस कंबल के दागों को हमें छुड़ा लेना चाहिए।

अर्थात्- इस बात से साफ पता चलता है कि आचार्य वात्स्यायन ने चुबन, आलिंगन से फलवती अर्थ प्रतीति का अर्थ संतान को पैदा करने की दृष्टि रखकर ही इस सूत्र की रचना की है।

श्लोक (13)- तं कामसूत्रात्रागरिकजनसमवायाच्च प्रतिपद्येत॥

अर्थ- उस कामविज्ञान को कामसूत्र जैसे शास्त्रों से और काम व्यवहार में निपुण नागरिकों के हासिल करना चाहिए।

कामसूत्र के रचियता अर्थात् आचार्य वात्स्यायन ने कहा है कि कामशास्त्रों का अध्ययन कामसूत्र के जैसे आचार्यों को आकर ग्रन्थों से ही करना चाहिए या किसी योग्य नागरिक से। यहां पर शास्त्र और आचार्य दोनों की ही महतवता बताई गई है। अगर किसी भी विषय को जानना है या उसपर योग्यता हासिल करनी है तो किसी शास्त्र और आचार्य की शरण लेनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर इधर-उधर भागता है वह न तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है और न ही लौकिक सुख को ही ग्रहण कर सकता है। वह कभी मोक्ष को भी पा नहीं सकता है।

श्लोक (14)- यः शास्त्रविधिमृत्सूज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परांगतिम॥

अर्थ- यहां पर कामशास्त्राकार का नागरिक जन से अर्थ है कि विद्यधर्मजन अथवा कामशास्त्र का आचार्य। आचार्य वही होता है जो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दे कि वह धर्म-अर्थ-काम को आसानी से प्राप्त कर सके। उपनिषद का जाता अपने शिष्य को पूरी तरह से शिक्षा देने के बाद उसे उपदेश देता है-

श्लोक- सत्य वद, धर्म चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः प्रजाततुमा व्यवच्छवेत्सीः।

अर्थ- धर्म का पालन करो, हमेशा सच बोलो, अप्रमत्त होकर स्वाध्याय करते रहो।

गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद संतान परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए।

संतान परंपरा को टूटने से बचाने के लिए ब्रह्मचारी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले विधि पूर्वक कामशास्त्र का अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके बाद विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।

अर्थ, धर्म और काम के लक्षण तथा उनको पाने के साधन बताकर वात्स्यायन इनकी उत्तरोत्तर उत्कृष्टता तथा प्रामाणिकता को बता रहे हैं-

एषां समवाये पूर्वः पूर्वो गरीयान्॥

अर्थ- काम, अर्थ और धर्म में से काम से ज्यादा श्रेष्ठ अर्थ को माना गया है तथा अर्थ से धर्म को।

सत्य, असत्य, अहिंसा, काम-क्रोध, लोभ से रहित होना, प्राणियों की प्रिय तथा हितकारिणी कोशिश में तैयार करना- यह सभी वर्णों के सामान्य धर्म माने जाते हैं।

समाज व्यवस्था और सहस्तित्व को अहिंसा ही कायम रखती है। संसार में जो कुछ भी है वह सत्य है। इसी प्रकार सत्य सर्वोपरि धर्म है तथा अहिंसा को अपनाना चाहिए। अहिंसा को छोड़ देने पर सच्चाई भी हाथ नहीं लगती।

चोरी न करने को ही अस्तेय कहा जाता है। अस्तेय सत्य का ही एक भाग है। सच के इसी भाग पर समाज का व्यवहार आधारित है।

जब जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग करने की इच्छा नहीं होती है तो उसे अकाय कहते हैं अर्थात मनुष्य को अपनी इच्छाएं और जरूरतों को सीमित ही रखना चाहिए।

अहिंसा के दूसरे रूप में अक्रोध को जाना जाता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर के कोध को जानना बहुत जरूरी है।

सर्वभूतहित की भावना मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाने में सबसे ऊपर मानी जाती है। अहिंसा, अक्रोध और अकाम आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वात्मभाव हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए तथा सर्वभूतहित हमारी साधना होनी चाहिए।

आचार्य वात्स्यायन ने इन्हीं वजहों से काम से बेहतर अर्थ और धर्म को माना है। जो मनुष्य धर्म की इन भूमिकाओं को स्वीकार कर लेता है उसके लिए काम और अर्थ करतल गत माने जाते हैं।

आचार्य वात्स्यायन का मुख्य मकसद कामशास्त्र की महत्वता की व्याख्या तथा उसकी व्यवहारिक उपयोगिता व्यक्त करना है। मगर जब तक मनुष्य धर्म के तत्व को नहीं जानता तब तक वह काम की दहलीज पर नहीं पहुंच सकता है।

१८०क (१५)- अर्थश्च राजः। तन्मूलत्वाल्लोकयात्रायाः। वेश्यायाश्चेति त्रिवर्गप्रतिपत्तिः॥

अर्थ- इस तरह के साधारण नियम के बाद काम, धर्म और अर्थ के विशेष नियमों का उल्लेख करते हैं। सांसारिक जीवन का अर्थ मूल सूत्र माना जाता है। इस वजह से राजा के लिए काम और धर्म से ज्यादा जरूरी अर्थ होता है। वेश्या के लिए सबसे ज्यादा काम और अर्थ की जरूरत होती है। काम, धर्म और अर्थ के लक्षण तथा उनकी प्राप्ति के साधन खत्म होते हैं।

चाणक्य के अनुसार-

धर्मस्य मूलमर्थ- धर्म का मूल धर्म है।

अर्थस्य मूलराज्यम्- अर्थ काम मूल राज्य है।

राज्यमूलनिन्द्रयजय- राज्य का मूल इन्द्रिजय है।

कौटल्य के द्वारा राजा की अर्थ प्रधान वृत्ति होनी चाहिए। उसके द्वारा वह राज्य तथा धर्म दोनों को उपलब्ध कर सकता है तथा राज्य को भी मजबूत बना सकता है। कौटल्य के इन विचारों से आचार्य वात्स्यायन के विचार बहुत ज्यादा मिलते-जुलते हैं।

१८०क (१६)- धर्मस्यालौकिकत्वात्तदभिदायक शास्त्रं युक्तम्। उपायपूर्वकत्वादर्थासिद्धिः। उपायप्रतिपत्तिः शास्त्रात्।

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन धर्म का बोध करने वाले शास्त्र की जरूरत बताते हुए कहते हैं-

धर्म परमार्थ का संपादन करता है, इस प्रकार धर्म का बोध कराने वाले शास्त्र का होना जरूरी है तथा उचित भी। अर्थसिद्धि के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं इस वजह से इन उपायों को बताने के लिए अर्थशास्त्र की जरूरत होती है।

धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से होता है- पहला तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की सच्चाई को जानने की इच्छा और तीसरा परमात्मा प्राकेत विद्-विद्या का ज्ञान। अर्थवैद धर्म का लक्षण बताते हुए कहता है-

यज्ञ, दम, शम, दान और प्रेमभक्ति से तीनों लोकों में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना की जाती है उसे तप कहा जाता है। तत्त्व मानने, सत्य बोलने, सारी विद्याओं को सुनने, अच्छे स्वभाव को धारण करने में लीन रहना ही तप होता है।

सत्य को ऋत भी कहते हैं। सच्चे भाषण और सत्य की राह पर बढ़ने से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है क्योंकि सत्य से ही रोजाना मोक्ष सुख और सांसारिक सुख मिलता है।

मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, यम, संवर्त, कात्यायन, पराशर, व्यास, बृहस्पति, शंख लिखित दक्ष, गौतम, शातातप वशिष्ठ समेत यह सारे ऋषि धर्मशास्त्र को रचने वाले हैं। इन सभी धर्मशास्त्रारों ने यही बताया है कि यज्ञ करना, इन्द्रियों पर काबू करना, सदाचार, अहिंसा, दान, वेदों का स्वाध्याय करना यही परम धर्म होता है।

धर्म का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि विषयोचित वृत्तियों का निरोधकर आत्मज्ञाम प्राप्त करा जाए। इस वजह से वात्स्यायन ने धर्म को पारमार्थिक कहा है।

धर्म और मोक्ष से ज्यादा अर्थ के क्षेत्र को ज्यादा व्यापक माना जाता है। जिस तरह से आत्मा के लिए मोक्ष की, बुद्धि के लिए धर्म की तथा मन के लिए काम की जरूरत होती है। इसी तरह शरीर के लिए भी अर्थ की जरूरत होती है। मनुष्य को ही धर्म और मोक्ष की जरूरत पड़ती है लेकिन काम तथा अर्थ के बिना तो मनुष्य पशु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े तथा तृण पल्लव किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। काम के बिना भी एकबार काम चल सकता है और मनोरंजन को भी त्यागा जा सकता है।

जिस अर्थ पर प्राणिमात्र के शरीर स्थिर है, सभी की जिंदगी ठहरी हुई है, उस अर्थ की प्रधानता का अंदाजा अनायास किया जा सकता है। उसकी मिमांसा भी बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए क्योंकि उसके अनुचित संग्रह के द्वारा मोक्ष मार्ग बिगड़ सकता है। आर्य सभ्यता में इस वजह से अर्थ की महत्वता स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्रों की रचनाएं हुई हैं।

जीवन की हर समस्या का हल अर्थशास्त्र के द्वारा सभी दृष्टियों से किया जा सकता है। ज्ञान को पाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्राचीन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्रों की रचना है, अक्सर उन सभी को इकट्ठा करके कौटल्य ने कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना की है, इस कौटलीय अर्थशास्त्र की लेखनप्रणाली को अपनाकर वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की है।

आपस्तंब धर्मसूत्र में अर्थ तथा धर्म में कुशल राजपुरोहित तक का विवरण है। धर्मसूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय धर्म अथवा विधान ही है लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी आर्थिक सिद्धांतों तथा नियमों को बताया गया है।

अर्थशास्त्र का खास विषय राजनीति है। मनुष्य के सभी लौकिक कल्याणों का स्वरूप अर्थशास्त्र के अंतर्गत मौजूद है। इसलिए जीवन के सभी प्रयोजनों की सिद्धि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दी गई है।

१८ोक (17)- तिर्यग्योनिष्वपि तु स्वयं प्रवत्त्वात् कामस्य नित्यत्वाच्च न शास्त्रेण कृत्यमस्तीत्याचार्यः॥

अर्थ- पशु-पक्षी को अक्सर बिना कुछ सिखाए ही संभोग क्रिया करते हुए देखा जा सकता है और काम के अविनाशी होने से यह साबित होता है कि इस विषय का शास्त्र बनाने की जरूरत नहीं है। यह कुछ आचार्यों का मत है-

१८ोक (18)- संप्रयोगपराधीनत्वात् स्त्रीपुंसयोरुपायमपेक्षते॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन ने इसका समाधान करते हुए कहा है-

संभोग क्रिया करते समय हारने पर स्त्री और पुरुष को इस हार से बचने के लिए शास्त्र की अपेक्षा हुआ करती है।

जो लोग धर्म के व्यापक रूप को, उसके प्रच्छन्न राज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं वही कामशास्त्र का विरोध करते हैं। संभोगक्रिया को स्वाभावसिद्ध मानकर संभोगक्रिया में व्यक्ति और जानवर को बराबर मानने वाले नीतिकारों ने कामशास्त्र की उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया है।

लेकिन आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि संभोग करने के लिए शास्त्रज्ञान जरूरी इसलिए है कि अगर स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी भयभीत, लज्जान्वित या हारता है तो उसको उपायों की जरूरत होती है। इन उपायों को शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है। संभोग सुख या वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए संभोग की 64 कलाओं की जरूरत होती है।

अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र के द्वारा ऐसी कलाओं और उपायों का ज्ञान नहीं होता। इस वजह से आचार्य वात्स्यायन यह ज्ञान देते हैं कि गृहस्थ जीवन को सुखी, संपन्न और आनंददायक बनाने के लिए कामसूत्र की जानकारी जरूर होनी चाहिए।

कामशास्त्र के द्वारा इस बात की जानकारी मिलती है कि संभोग क्रिया का सर्वोत्तम तथा आध्यात्मिक उद्देश्य है पति-पत्नी में आध्यात्मिकता, मानव प्रेम तथा परोपकार और उदात्त भावनाओं का विकास। इस मक्षसद का ज्ञान पशु-पक्षियों, कीड़े-मकोड़े को नहीं हो सकता। जो लोग संभोग के बारे में नहीं जानते वह जानवरों की तरह संभोग किया करते हैं।

कामसूत्र के द्वारा मनुष्य को इस बात का ज्ञान होता है कि संभोग का असली सुख क्या है। यह सुख इस प्रकार से है-

मनुष्य जाति का उत्तरदायित्व।

संभोग, संतान पैदा करना, जननेन्द्रिय और काम से संबंधित समस्याओं के प्रति आदर्शमय भाव।

अपनी सहभागी के प्रति उच्चभाव, अनुराग, श्रद्धा और भले की कामना से इन तीनों पर निर्भर रहे।

दम्पत्य प्रेम या अपनी प्रेमिका की आत्मियता के बिना विवाह करना या प्रेम करना असफल होता है। दम्पतियों के बीच में आपसी क्लेश, संबंधों का टूटना, अनबन, गुप्त व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, स्त्री का अपहरण, अप्राकृतिक व्याभिचार आदि बहुत से बुरे परिणामों और घटनाओं का असली कारण कामसूत्र को पसंद न करना या उसके बारे में जानकारी होना है।

१८ोक (19)- सा चोपायप्रतिपत्तिः कामसूत्रादिति वात्स्यायनः॥

अर्थ- पति-पत्नी के धार्मिक और सामाजिक नियम की शिक्षा कामसूत्र के द्वारा मिलती है। जो दम्पति कामशास्त्र के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन यौन-दृष्टि के पूरी तरह सुखी होता है। ऐसे दम्पति अपनी पूरी जिंदगी एक-दूसरे के साथ संतुष्ट रहकर बिताते हैं। उनके जीवन में पत्नीव्रत या पतिव्रत को भंग करने की कोशिश या आकांक्षा कभी पैदा ही नहीं हुआ करती है तथा उपायों द्वारा प्राप्त वह ज्ञान कामसूत्र से प्राप्त होगा। यह वात्स्यायन का मत है।

कामसूत्र के द्वारा इस बात के बारे में जानकारी मिलती है कि संभोग की 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं- विलास, सीत्कार और उपसर्ग। इनके अलावा 3 तरह के पुरुष, 3 प्रकार की स्त्रियां, 3 तरह का सम संभोग, 6 तरह का विषम संभोग, संभोग के 3 वर्ग, वर्ग भेद से 9 प्रकार के संभोग, काल भेद से 9 प्रकार के संभोग तथा संभोग के सभी 27 प्रकार हैं। संभोग करते समय पुरुष और स्त्री को कब और किस तरह का आनंद मिलता है, पहली बार संभोग करते समय किस तरह की परेशानी होती है, स्त्री पर स्खलन का क्या प्रभाव पड़ता है, संभोग करते समय विभिन्न प्रकार के आसनों से किस प्रकार के लाभ होते हैं।

जो लोग सेक्स क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं वह अपनी पत्नी के साथ सेक्स करके उन्हे बहुत से रोगों की गिरफ्त में पहुंचा देते हैं। कामसूत्र द्वारा ऐसी बहुत सी विधियां पाई जाती हैं जो स्त्री और पुरुष को आपस में ऐसे मिला देती हैं जैसे कि दूध में पानी। इसलिए आचार्य वात्स्यायन के अनुसार संभोग के लिए शास्त्र उसी तरह जरूरी है जैसे अर्थ और धर्म के लिए होता है।

१८ोक (20)- तिर्यग्योनिषु पुनरावृतत्वात् स्त्रीजातेश्च, ऋतो यावदर्थं प्रवृत्तेबुद्धिपूर्वकत्वाच्च प्रवृत्तीनामनुपायः प्रत्ययः॥

अर्थ- स्त्री और पुरुषों में तो स्त्री जाति स्वाधीन और बंधनरहित होती है। जिसके कारण ऋतुकाल ही में वह तृप्त होती है। उसकी संभोग के प्रति रुचि होने से तथा विवेक बुद्धि न होने से पशु-पक्षियों के लिए स्वाभाविक संभोग की इच्छा ही काम-प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए सही उपाय है।

वात्सल्यायन के मतानुसार मनुष्य रूप में पैदा हुई स्त्री तथा तिर्यग्योनि में पैदा हुई चिडिया में काफी फर्क होता है। स्त्री चिडिया की तरह न तो आजाद होती है और न विवेकशून्य। वह समाज और वंश की मर्यादाओं से बंधी रहती है। इसके अंतर्गत लोकलज्जा, कुललज्जा तथा धर्मभय रहता है। इसलिए किसी खास तरह के पुरुष का किसी खास स्त्री के साथ संबंध होने से बहुत सी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

पशु-पक्षियों की तरह मनुष्य की संभोग करने की इच्छा सिर्फ पाश्विक धर्म नहीं है। व्यक्ति को धर्म, अर्थ, संतान को पैदा करना, वंश को बढ़ाना जैसे कई तरह के मकसदों को सामने रखना पड़ता है।

इसके अलावा भी पशु-पक्षियों में भाई-बहन, माता-पिता के संबंधों का विवेक पैदा नहीं होता और न ही उनका दाम्पत्य जीवन पूरी जिंदगी रहता है। वैवाहिक जीवन को पूरी जिंदगी चैन से बिताने के लिए कामसूत्र की जरूरत होती है।

१९ोक (21)- न धर्माश्चरेत्। एष्यल्फलत्वात्। सांशयिकत्वाच्च॥

अर्थ- धर्म का आचरण कभी न करें क्योंकि भविष्य में मिलने वाला फल ही अनिश्चित होता है। उसके मिलने में भी शक रहता है।

२०ोक (22)- को हयबालिशो हस्तगतं परगतं कुर्यात्॥

अर्थ- कौन सा व्यक्ति इतना मूर्ख होता है जो हाथ में आई हुई चीज को दूसरे के हाथ में सौंप देगा।

२१ोक (23)- वरमद्य कपोतः श्वो मयूरात्॥

अर्थ- अगर वह सुख मिलना निश्चित भी हो तब भी यह लोकोक्ति चरितार्थ ही होती है- कल मिलने वाले मोर से आज मिलने वाला कबूतर ही अच्छा है।

२२ोक (24)- वरं सांशयिकात्रिकादसांशयिकः कार्षपणः। इति लौकायातिकाः॥

अर्थ- नास्तिक लोगों को मानना है कि कहना है कि असंदिग्ध रूप से मिलने वाला तांबे का बर्तन शंका से प्राप्त होने वाले सोने के बर्तन से अच्छा है।

आचार्य वात्सल्यायन के मतानुसार-

धर्मों का पालन जरूर करना चाहिए क्योंकि धर्म का उपदेश करने वाले वेद तथा शास्त्र ईश्वर कृत तथा मंत्रदृष्टा ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं इसलिए वह निश्चय ही सही हैं।

शास्त्रों के अनुसार कहे गए अभिचार कार्यों और शांति, पुष्टिवर्द्धक कार्मों के फलों का एहसास इसी जन्म में हो जाता है।

नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारागण तथा ग्रह-चक्रों की प्रवृत्ति भी लोगों की भलाई के लिए बुद्धिवाद-संपन्न जान पड़ती है।

मनुष्य का जीवन वर्णाश्रय धर्म पर आधारित है-

तत्र संप्रतिपत्तिमाह-

श्लोक (25) शास्त्रस्यानभिशंग-यत्वादभिचारानुव्याहारयोश्च कचित्फलदर्शनात्रक्षत्र-चंद्रसूर्यताराग्रहचक्रस्य लोकार्थं
बुद्धिपूर्वकमिवप्रवेत्तर्दर्शनाद् वर्णाश्रमाचारस्थिति-लक्षणत्वाच्च लोकयात्राया हस्तगतस्य च बीजस्य भविष्यतः सस्यार्थं
त्यागदर्शनाच्चरेद्धर्मानिति वात्स्यायनः॥

अर्थ- हाथ में आए हुए बीज को अनाज मिलने की आशा में त्याग देना बेवकूफी नहीं है क्योंकि बीज से ही अन्न पैदा होता है। उसी तरह भावी मोक्ष की आशा रखकर धार्मिक कार्यों को करना सही है क्योंकि धार्मिक कार्यों के जरिए ही मोक्ष के रास्ते खुलते हैं।

धर्म के आचरण के लिए वात्स्यायन वेद और शास्त्र को ईश्वरकृत और ऋषि प्रणीत कहकर इन्हे सच मानते हैं। इनकी सत्यता साबित होने पर वह धर्म को भी प्रामाणिक मानते हैं।

वेद ईश्वरकृत है- इसके प्रमाण स्वयं वैदिक ग्रंथ हैं-

श्लोक- अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्।

यददग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वागिरसः॥

श्लोक- त्रयोर्वेदो वायोः सामवेदः आदित्यात्॥

त्रयो वेदा अजायन्त आग्नेयऋग्वेदः।

वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः॥

आग्नेयऋग्वेदो वायोर्यजूषि सामान्यादित्यात्।

तस्माथजात्सर्वहतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत॥

यस्मिन्नृचः सामयजूषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः।

सस्माद्दद्यो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपारुषन्।

सामानि यस्य लोमान्यथर्वागिरसो मुखम्॥

अर्थ- ऊपर दिए गए उदाहरणों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद की अपौरुखषेयता और ईश्वरदत्तता साबित होती है। विधि और मंत्र जिसके अंतर्गत आते हैं वही वेद होते हैं। मीमांसा दर्शन ने इस बात पर अपने विचार प्रकट किए हैं कि प्रेरणादायक लक्षण वाला अर्थ ही धर्म है। विधि तथा मंत्र का एक ही अर्थ है क्योंकि प्रेरणात्मकों को मंत्र कहते हैं।

इसके द्वारा आचार्य वात्स्यायन के इस मत की पुष्टि हो जाती है वेद ईश्वरीय जान है तथा उनमें धर्मोपदेश है।

यहां पर वात्स्यायन का अर्थ शास्त्र से मतलब धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र में यादों को प्रमुख माना जाता है। मनु, याजवल्क्य आदि साक्षात् कृतधर्मा ऋषि-मुनियों ने यादों में जो धर्म के उपदेश दिए हैं वह सार्वकालिक तथा सार्वजनीन है। उनका धर्म उपदेश यथार्थ की पृष्ठभूमि पर सामाजिक अन्युदय तथा पर लौकिक कल्याण के लिए हुआ है। इस प्रकार यादें सच हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर धर्म का आचरण करना सही है।

मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कार्य करता है शास्त्रों के द्वारा उसका फल उसे इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। मीमांसा के अनुसार श्रुति के द्वारा जिन कार्यों को करने की आज्ञा मिलती है, वह रोजाना, नैमित्तिक तथा काम्य 3 तरह के होते हैं। होम करना रोजाना का काम है। नैमित्तिक कामों को किसी खास मौकों पर किया जाता है। यह दोनों आदेश के रूप में होते हैं और इनको करना जरूरी होता है। उत्तेजित कार्यों को खास किस्म की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। हर कार्य में कुछ अंश प्रधान तथा कुछ अंश गौण होते हैं।

यज्ञ होम का प्राकृतिक और लाभकारी फल वायुमंडल की शुद्धि है। जलती हुई आग अपने ऊपर की ओर आस-पास की वायु को गर्म करके ऊपर की ओर धकेलती है। शून्य को पूरा करने के लिए इधर-उधर से ठंडी हवा हवन-कुंड की तरफ खिंची आती है तथा गर्म होकर वह भी ऊपर आ जाती है। यह चक्कर चलता रहता है।

इस क्रिया में इधर-उधर उड़ते हुए, पड़े हुए खतरनाक जीव कुंड से गुजरते हुए भस्म हो जाते हैं। इस परिवर्तन क्षेत्र में जो कोई भी बदलाव होता है उससे वायुमंडल तुरंत ही शुद्ध होता है, मंत्रों का पाठ यज्ञ करने वाले को समुन्नत बनाता है। मीमांसाकार के मत से यज्ञों का जो फल है उसका संबंध वर्तमान से है।

धर्म जिजासा पूर्वमीमांसा का विषय है तथा धर्म से वह कार्य अभिप्रेत है जिसकी विधियां वेदों में बताई जा चुकी हैं। इन कर्मों का फल जरूर मिलता है। यही नहीं कर्म अगर किए जाते हैं तो वह फल की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। मीमांसा के मतानुसार फल मनुष्य के लिए है और मनुष्य कर्म के लिए है। कर्म की प्रेरणा भले ही इसलिए की जाती है कि ऐसा कर्म कल्याणकारी होता है। हमारी नैतिक भावना की मांग यह है कि पुण्य काम तथा सुख का मेल हो। पाप और दुख का मेल हो। इस सिद्धान्त का पक्षपाती जेमिनी है। शुभ कामों के फल शुभ और अशुभ कामों के फल अशुभ मिलते हैं।

ग्रह, नक्षत्र आदि की प्रवृत्ति मनुष्य की भलाई की लिए ही होती है। श्रुति के मंत्र भाग के अंतर्गत कई स्थानों पर बताया गया है कि सूर्य ही सब प्रजाओं का प्राण है। सूर्य के द्वारा ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। विषुवत् वृत् तथा क्रांति वृत् का शरीर की बनावट के बहुत ही गहरा संबंध होता है। इस विषय के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है-

इस तरह प्रमाण से यह साबित हो जाता है कि मनुष्य की आत्मा अधेन्द्र अर्थात् इंद्र का आधा भाग है। अपूर्णता के रह जाने पर मनुष्य आदि प्राणियों का आत्मा इन्द्र अपने आपको अपूर्ण व अपर्याप्त समझता है क्योंकि अकेला प्राणी कभी भी संभोग नहीं कर सकता- तस्मादेकाली न रमते तद् द्वितीयमैच्छत। वह मनोविनोद क्रीड़ा के लिए दूसरे प्राणी का इच्छा करता है। यह जीवन का नियम होता है।

इसलिए बहुत सी श्रुतियों का कहना है कि जब तक पुरुष दार-संग्रह विवाह नहीं करता तब तक उसे अधूरा ही माना जाता है। वाजिश्रुति का कहना है कि जिन दो स्त्री-पुरुषों का मिलन होता है वह तब तक पूरे नहीं हो सकते

जब तक एक अर्द्ध का दूसरे से मिथुन संबंध नहीं हो जाता है। यह स्त्री आधा भाग होती है। इस तरह से जब तक स्त्री को हासिल नहीं किया जा सकता तब तक सृष्टि नहीं हो सकती है।

आचार्य वात्स्यायन का यह कथन संकुचित और सीमित नजरिये से अलग ही मात्रम पड़ता है कि वर्णाश्रम धर्म पर ही लोगों को जीवन निर्भर करता है। उनके मतानुसार ब्राह्मणादि वर्ण सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में वर्तमान चेतन-अचेतन सभी पदार्थ 4 वर्णों में बंटे हैं।

जो पदार्थ आग्नेय होते हैं वह ब्राह्मण कहलाते हैं। जो ऐन्द्र होते हैं वह क्षत्रिय होते हैं। जो विश्वदेव हैं वह वैश्य माने जाते हैं और पूष देवता के पदार्थों को शुद्र कहते हैं। सारे पदार्थ अग्नि, इंद्र, विश्वदेव और पूष देवता से अलग-अलग प्रकृति के पैदा होते हैं। इसलिए सारे पदार्थों में क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि चारों विभाग होते हैं। मानव की इसी बुनियादी प्रकृति को ध्यान में रखकर आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र में पुरुष और स्त्री का बंटवारा, गुण-कर्म, स्वभाव के मुताबिक करके उनके लिए संभोगकला का निर्देश दिया है।

धर्म को नैतिक जीवन की बुनियाद माना गया है। धर्म का आचरण कभी त्याज्य नहीं कहा जा सकता है। छान्दोग्य उपनिषद के द्वारा सन्तुमार का कहना है कि सुख में समग्र है, अल्प (थोड़े) में सुख नहीं है। नैतिक जीवन यज्ञ जैसा है और वह दूसरों को अपने अंदर मिला लेता है।

छान्दोग्य उपनिषद धर्म की उपमा वृक्ष से करते हुए कहते हैं- धर्म के 3 संकंध हैं-

दान, यज्ञ और अध्ययन पहला संकंध है।

तप दूसरा संकंध है।

ब्रह्मचारी का आचार्य कुल में तीसरा संकंध है।

दान देना, यज्ञ करना और वेदादि धर्मग्रंथों को पढ़ना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। स्वाध्याय एक तरह का तप ही है। यज्ञ और दान वहीं मनुष्य कर सकता है जो कमाने की काबलियत रखता हो और जो कमाए उसमें से कुछ भाग दान देने की इच्छा रखता हो। अगर जीवन को सफल बनाना है तो उसके लिए तप जरूरी है। अच्छे आचरण जन्म लेते ही नहीं मिलते बल्कि उन्हे तो हमें दूसरों से लेना पड़ता है और इसके लिए हर मनुष्य को कोशिश करनी पड़ती है। यही कोशिश करने का समय ब्रह्मचारी आचार्य कुल में बिताता है जहां पर नैतिक आचार की बुनियाद पड़ती है।

वात्स्यायन के मतानुसार मनुष्य यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय और शुद्ध आचरण का परित्याग न करके रोजाना इनका उपयोग करता रहे।

१८ोक (26)- नार्थाश्चरेत्। प्रयत्नतोऽपि हयेतेऽनुष्ठीयमाना नैव कदायित्म्युः अननुष्ठीयमाना अपि यद्दच्छया भवेयुः॥

अर्थ- इसके अंतर्गत शास्त्राकार अर्थ प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित 5 सूत्रों द्वारा संदेह प्रकट करते हैं-

अर्थ को प्राप्त करने के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी-कभी पूरी तरह प्रयत्न करने के बाद भी अर्थ प्राप्त नहीं होता और कभी-कभी बिना कोशिश के भी प्राप्त हो जाता है।

१८ोक (27)- तत्सर्व कालकारितमिति॥

अर्थ- क्योंकि यह सब कुछ समय पर निर्भर करता है।

१८ोक (28)- काल एव हि पुरुषानर्थानर्थयोर्जयपराजययोः सुखदुःखयोश्च स्थापयति॥

अर्थ- समय ही है जो मनुष्य को अर्थ और अनर्थ में, जय और पराजय में तथा सुख और दुख में रखता है।

श्लोक (29)- कालेन बेलिरेन्द्रः कृतः। कालेन व्यपरोपितः। काल एव पुनरप्येनं कर्तेति कालकारणिकाः॥

अर्थ- समय ही था जिसने बालि को इंद्र के पद पर ला दिया और फिर समय ने ही उसे इंद्र के पद से गिरा दिया। इस तरह समय ही सब कर्मों का कारण है।

श्लोक (30)- पुरुषकारपूर्वक्त्वाद् सर्वं प्रवृत्तीनामुपायः प्रत्ययः॥

अर्थ- आचार्य स्वयं ही निम्नलिखित 2 सूत्रों द्वारा अपनी ही शंका का हल कर रहे हैं-

लेकिन सब कामों के मेहनत द्वारा कामयाब होने के उपायों को समझ लेना भी काम साधन कारण है।

श्लोक (31)- अवश्यभाविनोऽप्यर्थस्योपायपूर्वक्त्वादेव। न निष्कर्मणो भद्रमस्तीती वात्स्यायनः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन के मतानुसार किसी भी काम को कोशिश करने पर पूरा हो जाने के बाद यह साबित होता है कि निककमा आदमी कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता।

आचार्य वात्स्यायन के इस सिद्धान्तवाद का समर्थन ऐतरेय ब्राह्मण के शुनः शेष आछ्यान के उस संचरण गीत से होता है जिसका अंतरा चरैति बैरैति है। इस गीत को इंद्र ने पुरुष के वेश में आकर राजा हरिश्चंद्र के मृत्यु के मुंह में पहुंचे पुत्र को सुनाकर उसे लंबी जिंदगी प्रदान की थी।

आचार्य वात्स्यायन और ऐतरेय ब्राह्मण के विचारों की अगर एक-दूसरे से तुलना की जाए तो उससे यही पता चलता है कि चलने का नाम ही जीवन है, रुकने का नहीं। ऐसे लोग ही अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन के रास्ते पर आलसी बन कर रुक जाना, थककर सो जाना बहुत बड़ी मूर्खता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी तरह के संकल्प पर अड़िग नहीं रहते वह कभी भी आत्मदर्शन नहीं कर सकते। जो मनुष्य पूरी तरह से डटकर अर्थ को प्राप्त करने की राह पर चल पड़ता है, इंद्र भी उन्हीं के साथ है- इंद्र इधरत सखा।

श्लोक (32)- न कामाश्चरेत्। धर्मार्थयोः प्रधानयोरेवमन्येषां च सतां प्रत्यनीकत्वात्।

अनर्थजनसंसर्गमसद्वयवसायमशौचमनायतिं चैते पुरुषस्य जनयन्ति॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन धर्म और अर्थ के बाद अब काम पर अपने मत दे रहे हैं-

काम का आचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह प्रधानभूत धर्म तथा अर्थ और सज्जनों के विरुद्ध है। काम मनुष्य में बुरे आदमियों का संसर्ग, बुरे काम, अपवित्रता और कुत्सित परिणामों को पैदा किया है।

श्लोक (33)- तथा प्रमादं लाघवमप्रत्ययमग्राहयतां च॥

अर्थ- तथा काम-प्रमाद, अपमान, अविश्वास को पैदा करता है तथा कामी आदमी से सभी लोग नफरत करने लगते हैं।

श्लोक (34)- बहवश्च कामवशगाः सगणा एव विनष्टाः श्रूयन्ते॥

अर्थ- तथा ऐसा सुना जाता है कि बहुत से काम के वश में आकर अपने परिवार सहित समाप्त हो जाते हैं।

श्लोक (35)- यथा दाण्डक्यो नाम ऋजः कामाद् ब्राह्मणकन्यामभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विनाश॥

अर्थ- जिस प्रकार भोजवंशी दांडक्य नाम का राजा काम के वश में होकर ब्राह्मण की कन्या से संभोग करने के कारण अपने परिवार और राज्य के साथ नष्ट हो गया।

१८ोक (36)- देवराजश्चाहल्यामतिबलश्च कीचको द्रौपदी रावणश्च सीतामपरे चान्ये च बहवो ददश्यन्ते कामवशगा विनष्टा इत्यर्थचिंतकाः॥

अर्थ- रावण सीता पर, इन्द्र अहल्या पर और महाबली कीचक द्रौपदी पर बुरी नजर रखने के कारण कामुक भाव रखने के कारण नष्ट हुए। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो काम के वश में होकर नष्ट होते देखे गए हैं।

१९ोक (37)- शरीरस्थितहेतुत्वादाहारसधर्माणो हि कामाः। धर्मार्थयोः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन अपने स्वयं के दिए हुए तर्क का समाधान करते हैं-

शरीर की स्थिति का हेतु होने से काम भोजन के समान है और धर्म तथा अर्थ का फलभूत भी यही है।

आचार्य वात्स्यायन ने दिए गए 6 सूत्रों के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करके यह बताया है कि काम मनुष्य को बुरा, घिनौना और दयनीय बनाकर आखिरी में उसका नाश कर देता है। इस तर्क के मत में जो उदाहरण दिए गए हैं वह अर्थ चिंतकों के हैं।

कौटिल्य ने भी राजा को इंद्रियों को जीतने वाला बनने का मशवरा देते हुए लिखा है कि विद्या तथा विनय का हेतु, इंद्रियों को जीतने वाला है। इसलिए क्रोध, काम, लोभमान, मद, हर्ष और ज्ञान से इंद्रियों को जीतना चाहिए।

www.freehindipdfbooks.com

अध्याय 3 विद्यासमुद्देशः

१लोक-१. धर्मार्थागडविद्याकालाननुपरोधयन् कुमसूतं तदगडविद्याश्च पुरुषोऽधीयीत ॥॥

अर्थ- अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और इनके अंगभूत शास्त्रों के अध्ययन के साथ ही पुरुष को कामशास्त्र के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए।

व्याख्या-

मुनि वात्स्यायन ने इस श्लोक में “विद्या” शब्द का उपयोग किया है। धर्मविद्या और उसकी अंगभूत विद्याओं को पढ़ने के साथ कामशास्त्र तथा उसकी अंगभूत विद्याओं को पढ़ने की सलाह दी गयी है।

यह चौदह विद्याओं तथा सात सिद्धांतों पर आधारित है। इन्ही चौदह विद्याओं के विभिन्न प्रकार बाद में विभिन्न शास्त्रों तथा सिद्धांतों के रूप में प्रचलित हुए।

याजवल्यक्य स्मृति के द्वारा चार वेद, छह शास्त्र, मीमांसा, न्याय पुराण तथा धर्मशास्त्र- इन चौदह विद्याओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त पाञ्चरात्र, कापिल, अपरान्तरतम, ब्रह्मिष्ट, हैरण्यगर्भ, पाशुपात तथा शैव इन सात सिद्धांतों का भी उल्लेख है।

इन चौदह विद्याओं के 70 महातंत्र और 300 शास्त्र हैं। महातंत्र की तुलना में शास्त्र बहुत छोटे और संक्षिप्त होते हैं। यह विद्या विस्तार शिव (विशालाक्ष) ने कहा था। महाभारत में यह लिखा है कि ब्रह्म के तिवर्ग शास्त्र से शिव (विशालाक्ष) ने अर्थ भाग अर्थात् अर्थशास्त्र को भिन्न किया था। उस अर्थभाग में विभिन्न विषय थे। बाद में उन्ही के आधार पर विभिन्न ग्रंथ लिखे गये हैं जो निम्न हैं-

1. लोकायव शास्त्र।
2. धनुर्वद शास्त्र।
3. व्यूह शास्त्र।
4. रथसूत्र।
5. अश्वसूत्र।
6. हस्तिसूत्र।
7. हस्त्वायुर्वद।
8. शालिहोत्र।
9. यंत्रसूत्र।
10. वाणिज्य शास्त्र।
11. गंधशास्त्र।

12. कृषिशास्त्र।
13. पाशुपताख्यशास्त्र।
14. गोवैद्ध।
15. वृक्षायुर्वेद।
16. तक्षशास्त्र।
17. मल्लशास्त्र।
18. वास्तुशास्त्र।
19. वाको वाक्य।
20. चित्रशास्त्र।
21. लिपिशास्त्र।
22. मानशास्त्र।
23. धातुशास्त्र।
24. संख्याशास्त्र।
25. हीरकशास्त्र।
26. अद्वितीयशास्त्र।
27. तांत्रिक श्रति।
28. शिल्पशास्त्र।
29. मायायोगवेद।
30. माणव विद्या।
31. सूदशास्त्र।
32. द्रव्यशास्त्र।
33. मत्स्यशास्त्र।
34. वायस विद्या।
35. सर्प विद्या।
36. भाष्य ग्रन्थ।
37. चौर शास्त्र।

38. मातृतंत्र।

उपर्युक्त दी गयी 38 तरह की विद्याएं हैं। इनमें से अधिकतर जानकारी कौटलीय अर्थशास्त्र में मिलती है।

वेद के छह अंगों में से एक अंग कल्प को माना गया है। कल्प शब्द का अर्थ विधि, नियम तथा न्याय है। ऐसे शास्त्र जिनमें विधि, नियम तथा न्याय के संक्षिप्त, सारभूत तथा निर्दोष वाक्य समूह रहते हैं उन्हें कल्पसूत्र के नाम से जाना जाता है।

कामसूत्र के तीन भेद हैं- श्रौत, गृह्य और धर्म। श्रौतसूत्रों में यज्ञों के विधान तथा नियम के बारे में वर्णित किया गया है। गृहसूत्रों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों तथा अनुष्ठानों के बारे में उल्लेख किया गया है। धर्मसूत्रों में अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों और दायित्वों का वर्णन किया गया है।

कामसूत्र के समान ही धर्मशास्त्र भी श्रौत धर्मशास्त्र तथा स्मार्त धर्मशास्त्र- दो भागों में विभाजित है। सभी धर्मशास्त्रों का मूल उद्देश्य कर्मफल में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास तथा मुक्ति पर आस्था है। इन्हीं तीन बातों का विस्तार जीवन के विभिन्न अंगों तथा उद्देश्यों को लेकर धर्मशास्त्रों में किया गया है।

आचार्य वात्स्यायन का उद्देश्य अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के इसी व्यापक क्षेत्र का अध्ययन है। इसके साथ ही कामसूत्र और उसके अंगभूतशास्त्र (संगीत शास्त्र) के लिए वह सलाह देता है।

अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र की ही तरह कामशास्त्र में भी जीवन के लिए उपयोगी भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। वात्स्यायन के अनुसार अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के अध्ययन के अलावा कामसूत्र का अध्ययन भी जीवन के लिए उपयोगी होता है।

आचार्य वात्स्यायन ने कामशास्त्र न लिखकर उसके स्थान पर कामसूत्र लिखा है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केवल कौटलीय अर्थशास्त्र ही एक उपलब्ध ग्रंथ है। उसी तरह से कामशास्त्र के क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथों का अभाव है जिसके कारण वात्स्यायन का यह कामसूत्र ही विशेष उपयोगी है।

कामसूत्रकार कामसूत्र के साथ-साथ इसके अंगभूतशास्त्र अर्थात् संगीत को भी पढ़ने की सलाह देता है। जिस प्रकार कामशास्त्र सृष्टि-रचना का सहायक है। उसी प्रकार से संगीतशास्त्र की नादविद्या भी संसार के रहस्यों को समझने का एक मुख्य साधन है। संगीत के स्वरों से देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र, छंद आदि का गहरा संबंध होता है।

वाद्ययंत्रों को संगीत का सहायक माना जाता है। संगीत ब्रह्मनंद का सहोदर माना गया है। अर्थ, धर्म तथा काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। यह त्रिवर्ग ही मोक्ष प्राप्ति का साधन होता है। वात्स्यायन के अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र तथा संगीत शास्त्र के अध्ययन की सलाह का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति समझना चाहिए।

१८०क-२. प्राग्यौवनात् स्त्री। प्रता च पत्युभिप्रायात् ॥२॥

अर्थ- इन चौदह विद्याओं तथा सात सिद्धांतों का अध्ययन केवल पुरुष को ही नहीं, बल्कि स्त्री को भी करना चाहिए।

व्याख्या-

युवावस्था से पहले ही स्त्री को अपने पिता के घर में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र तथा संगीतशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। विवाह होने के बाद स्त्री को अपने पति से आज्ञा लेकर ही कामसूत्र का अध्ययन करना चाहिए।

१लोक-३. योषितां शास्त्रग्रहणस्याभावादनर्थकमिहशास्त्रे स्त्रीशासनामित्याचार्या॥३॥

अर्थ- शास्त्रों का अध्ययन करना स्त्रियों के लिए सही नहीं है। इस सूत्र में बारे में

कुछ आचार्यों के अनुसार स्त्रियों में शास्त्र का भ्रम समझने का अभाव होता है। इसलिए स्त्रियों को कामसूत्र और उसकी अंगभूत विद्याओं का अध्ययन कराना निरर्थक होता है।

१लोक -४. प्रयोगग्रहणं त्वासाम्। प्रयोगस्य च शास्त्रपूर्वकक्त्वादिति॥४॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन जी कहते हैं कि स्त्रियों को कामसूत्र के सिद्धांतों के क्रियात्मक प्रयोग का अधिकार तो ही तथा क्रियात्मक प्रयोग के बिना शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए स्त्रियों के लिए कामसूत्र का अध्ययन करना अनुचित होता है।

सेक्स क्रिया का उद्देश्य केवल वासनाओं की ही तृप्ति ही नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक इसका सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। यह सच है कि स्त्रियों में सेक्स की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है लेकिन यह प्रवृत्ति तो सभी जीवधारियों में होती है। पशु-पक्षी, जलीय प्राणी आदि सभी जीव सेक्स क्रियाएं करते हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में एक ही अंतर होता है वह है विवेक का। यदि मनुष्य भी विवेकशून्य होकर सेक्स क्रिया करने लगे तो उसमें और पशुओं में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है।

मनुष्य और अन्य जीवधारियों के बीच के इसी अंतर को दूर करने के लिए तथा काम के चरम उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामशास्त्र की शिक्षा स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान रूप से आवश्यक होती है। सेक्स क्रिया के समय जब अगर-मगर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय कामसूत्र की शिक्षा ही उपयोग में आती है।

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

अर्थ- इस प्रकार की दुविधा में शास्त्र ही सही मार्ग दिखाता है। जिस स्त्री को कामशास्त्र अर्थात् सेक्स संबंधी संपूर्ण जानकारी होती है उस स्त्री को अपने कौर्मावस्था में या दाम्पत्य जीवन में उचित और अनुचित का विचार करने में आसानी होती है। ऐसी स्त्री कभी-भी दुविधा में नहीं फंस सकती है।

मीमांसा दर्शन के अनुसार जिस प्रकार विद्युत शक्ति में आकर्षण और विकर्षण की शक्ति होती है लेकिन यदि दोनों को परस्पर मिला दें तो प्रकाश तथा गति संचालित होती है। उसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री के परस्पर सहयोग से सृष्टि का संचालन होता है। यदि दोनों अलग-अलग होते हैं तो निष्क्रिय बने रहते हैं।

कामशास्त्र का यही उद्देश्य है कि वह स्त्री तथा पुरुष को परस्पर मिलाकरके मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बना दें और वह स्त्री तथा पुरुष की की अनुचित क्रियाओं, पाशुविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके दोनों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति में योग दे तथा दोनों को परस्पर मिला करके उनकी पूर्णता का आभास करा दे।

स्त्री तथा पुरुष दोनों में कामसूत्र के अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से मधुर संबंध स्थापित होते हैं। इससे उनके मन में पवित्रता बनी रहती है। जिससे सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की सुव्यवस्था, सुख, स्वास्थ्य तथा शांति बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त स्त्री तथा पुरुषों में मौखिक भेद होने से दोनों की प्रकृति तथा प्रवृत्ति में भी अंतर होता है। कामशास्त्र के अध्ययन के द्वारा स्त्री को पुरुष की तथा पुरुष को स्त्री की प्रकृति के बारे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे दोनों अलग होते हुए एक-दूसरे में पानी की तरह मिल जाते हैं।

वात्स्यायन के अनुसार कामशास्त्र का अध्ययन स्त्री के लिए बहुत ही आवश्यक है।

१लोक-५. तत्र केवलमिहैब। सर्वत्र हि लोके कतिचिदिदेव शास्त्रजः। सर्वजनविषयश्च प्रयोगः॥५॥

अर्थ- इसके अंतर्गत शास्त्र के परोक्ष प्रभाव को विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं।

कामशास्त्र के लिए यह बात नहीं है, बल्कि संसार में सभी शास्त्रों की संख्या कम है तथा शास्त्रों के बताए हुए प्रयोगों के बारे में सभी लोगों को जानकारी है।

१लोक -६. प्रयोगस्य च दूरस्थमपि शास्त्रमेव हेतु॥६॥

अर्थ- तथा दूर होते हुए भी प्रयोग का हेतु शास्त्र ही है।

१लोक -७. अस्ति व्याकरणमित्यवैयाकरण अपि याजिका ऊहं क्रतुषु॥७॥

अर्थ- व्याकरण शास्त्र के होते हुए भी अवैयाकरण याजिक यज्ञों में विकृतियों का उचित प्रयोग करते हैं।

१लोक -८. अस्ति ज्योतिषमिति पुण्याहेषु कर्म कुर्वते॥८॥

अर्थ- ज्योतिष शास्त्र के होते हुए भी ज्योतिष न जानने वाले लोग व्रत पर्वों में संपन्न होने वाले विशेष कार्यों को किया करते हैं।

१लोक -९. तथाश्वारोहा और गजारोहाश्वाश्वान् गजांश्वानधिगतशास्त्रा अपि विनयन्ते॥९॥

अर्थ- तथा महावत और घुड़सवार हस्तिशास्त्र तथा शालिहोत्र का अध्ययन किये बगैर साथियों तथा घोड़ों को वश में कर लेते हैं।

१लोक-१०. तथास्ति राजेति दूरस्था अपि जनपदा न मर्यादामतिवर्तन्ते तदवदेतत॥१०॥

अर्थ- जिस प्रकार दंड देने वाले राजा की उपस्थिति मात्र से प्रजा राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं करती है। उसी प्रकार यह कामशास्त्र है जिसका अध्ययन किए बगैर ही लोग उसका प्रयोग करते हैं।

१लोक-११. सन्तपि खलु शास्त्रप्रहतबुद्धयो गणिका राजपुत्र्यो महामादुहितरश्च॥११॥

अर्थ- स्त्रियों में शास्त्र को समझने की अक्ल नहीं होती है। इस आक्षेप का निराकरण करते हुए सूक्षकार का मत है-

इस प्रकार की मणिकाएं, राजपुत्रियां तथा मंत्रियों की पुत्रियां हैं जोकि सिर्फ प्रयोगों में ही नहीं बल्कि कामशास्त्र तथा संगीतशास्त्र में भी कुशल और निपुण होती हैं।

राजपुत्रियों तथा मणिकाओं के कामशास्त्र तथा उसके अंगभूत संगीतशास्त्र की व्यावहारिक तथा तात्त्विक शिक्षा प्रदान करने की भारतीय प्रणाली बहुत ही प्राचीन है। भारतीय समाज में वेश्याओं का सम्मान उनके रूप, आयु तथा आकर्षण के साथ ही उनकी विद्वता तथा योग्यता आदि कारणों से होता है।

बौद्ध जातकों की “अम्बपाली” तथा भास के नाटक दरिद्र चारुदत की “बसंतसेना” रूप तथा गुण में आदर्श स्त्री मानी जाती थी। उनके इसी रूप तथा गुण के कारण बड़े-बड़े राजा-महाराजा और साधु-संत उनके पास जाया करते थे।

राजपुत्रियों में उज्जयिनी के राजा प्रद्योत-वण्डमहासेन की पुत्री वासवदत्ता बहुत अधिक सुंदर और कला में कुशल थी। राजा प्रद्योत-वण्डमहासेन ने कौशाम्बी के राजा उदायन को छल करके इसलिए बंदी बनाया था ताकि वह उसकी पुत्री को वीणा बजाने की अद्वितीय कला सिखा दे।

प्राचीन काल में सामाजिक शिष्टाचार तथा कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजा अपने पुत्र और पुत्रियों को मणिकाओं के पास भेजते थे।

भारतीय समाज में विद्वान् और रूपवती गणिकाएं आदरणीय ही नहीं बल्कि मंगल सामग्री भी मानी जाती थी। इसी कारण से उन्हें मंगलामुखी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यात्रा के समय गणिकाओं का दर्शन मंगलसूचक माना जाता है। किसी भी यज्ञ के होने पर ऋषि-मुनि गणिकाओं को भी बुलाते थे।

भारतीय समाज में गणिकाएं एक प्रमुख अंग मानी जाती हैं। शासन और जनता दोनों के द्वारा गणिकाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार की गणिकाएं और लक्षित कला तथा संगीत कला की जानकारी रखने वाले व्यक्ति बड़े-बड़े लोगों के संतानों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं।

श्लोक -12. तस्माद्वैसिकाञ्जनाद्रहसि प्रयोगञ्जास्त्रमेकदेशं वा स्त्री गृहवीयात॥12॥

अर्थ- इस कारण से स्त्री को एकांत स्थान पर सभी प्रयोगों की, कामशास्त्र की, संगीतशास्त्र की और इनके आवश्यक अंगों की शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए।

श्लोक -13. अङ्ग्यासप्रयोज्यांश्च चातुःषष्ठिकान् योगान् कन्या रहस्येकाकि-न्यभसेत॥13॥

अर्थ- अङ्ग्यास के द्वारा सफल होने वाली चौसठ कलाओं के प्रयोगों का अङ्ग्यास कन्या को किसी एकांत स्थान पर करना चाहिए।

श्लोक -14. आचार्यस्तु कन्यानां प्रवृत्पुरुषसंप्रयोगा सहसंप्रवृद्धा धात्रेयिका। तथाभूता वा निरत्ययसम्भाषणा सखी। सवयाश्च मातृष्वसा। विस्त्रब्धा तत्स्थानीया वृद्धदासी। पूर्वसंसृष्टा वा भिक्षुकी। स्वसा च विश्वास च विश्वास-प्रयोगात॥14॥

अर्थ-

विश्वस्त स्त्री-शिक्षिका का निर्देश करते हैं-

निम्नलिखित 6 प्रकार की आचार्याओं में से कोई एक, कन्याओं की आचार्य हो सकती है।

- पुरुष के साथ सेक्स का अनुभव प्राप्त कर चुकी हो ऐसी, साथ में पली-पोसी खेली हुई धाय की पुत्री।
- साफ दिल की ऐसी सखी या सहेली जो सेक्स का अनुभव प्राप्त कर चुकी हो।

3. अपने समान उम्र की मौसी।
4. मौसी के ही समान विश्वासपात्र बूढ़ी दासी।
5. अपनी बड़ी बहन।
6. परिवार, शील स्वभाव से पहले से परिचित, भिक्षुणी- संयासिनी।

पुरुषों को कामशास्त्र की शिक्षा देने के लिए आचार्य तथा शिक्षक आसानी से मिल जाते हैं लेकिन स्त्रियों को कामशास्त्र की शिक्षा देने के लिए आचार्य तथा शिक्षक मुश्किल से उपलब्ध हो पाते हैं। इसीलिए आचार्य वातस्यायन ने उपरोक्त 6 प्रकार की औरतों में किसी एक औरत से कामशास्त्र की शिक्षा लेने की सलाह दी है।

कामशास्त्र की शिक्षा के लिए इस प्रकार के निर्वाचन में विश्वास, आत्मीयता तथा पवित्रता निहित है। इस प्रकार की औरतों को सीखने और सिखाने में किसी भी प्रकार का शर्म या संकोच नहीं होता है। कामसूत्र के शास्त्रकारों ने उपरोक्त 6 प्रकार की आचार्यों का चुनाव कामशास्त्र की 64 कलाओं की शिक्षा के लिए किया है। इन 64 कलाओं की शिक्षा के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा कामसूत्र के शास्त्रकारों ने यह भी सलाह दी है कि यदि किसी कारणवश सभी 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई योग्य आचार्य न मिल सके, तो जितना भी समय मिले उतने ही में और आधी, तिहाई, चौथाई कलाओं को जानने वाली जो भी आचार्य मिल सके उससे कामसूत्र की कलाएं सीख लेनी चाहिए।

१५. गीतम्१, वाद्यम्२, नृत्यम्३, आलेख्यम्४, विशेषकच्छेद्यम्५, तण्डुलकुसुमवलिविकारा:६, पुष्पास्तरणम्७,
दशनवसनाङ्गरागः८, मणिभूमिकार्कम्९, शयनकचनम्१०, उदकवाद्यम्११, उदकाघातः१२, चित्राश्च१३,
योगः, माल्यग्रथनविकल्पाः१४, शेखरकापीडयोजनम्१५, नेपथ्यप्रयोगाः१६, कर्णपत्रभंगाः१७, गन्धयुक्तिः१८, भूषणयोजनम्१९,
ऐन्द्रजालाः२०, कौचुमारश्च योगाः२१, हस्तलाघवम्२२, विचित्रशाकयूषक्षयविकारक्रियाः२३, पानकरसरागासवयोजनम्२४,
सूचीवानकर्माणि२५, सूत्रक्रीडाः२६, वीणाडमरुवाद्यानि२७, प्रहेलिकाः२८, प्रतिमालाः२९, दुर्वाचकयोगाः३०, पुस्तकवाचनम्३१,
नाटकाख्यायिकादर्शनम्३२, काव्यसमस्यापूरणम्३३, पट्टिकावाननेत्रविकल्पाः३४, तक्षकर्माणि३५, तक्षणम्३६,
वास्तुविद्या३७, रूप्यपरीक्षा३८, धातुवादः३९, मणिरागाकरज्ञानम्४०, वृक्षायुर्वेदयोगाः४१, मेषकुकुटलावकयुद्धविधिः४२,
सुकसारिकाप्रलापनम्४३, उत्सादने संवाहने केशर्मदने च कौशलम्४४, अक्षरमुष्टिकाकथनम्४५, म्लेच्छितविकल्पाः४६,
देशभाषाविज्ञानम्४७, पुष्पशक्टिकाः४८, निमित्तज्ञानम्४९, यंत्रमातृकाः५०, धारणमातृकाः५१, सम्पाठ्यम्५२, मानसी
काव्यक्रियाः५३, अधिधानकाशः५४, छंदोज्ञानम्५५, क्रियाकल्पः५६, छलितकयोगाः५७, वस्त्रगोपनानि५८, द्यूतविशेषः५९,
आकर्षक्रीडाः६०, बालक्रीडनकानि६१, वैनयिकीनाम्६२, वैजयिकीनाम्६३, व्यायामिकीनाम्६४, च विद्यानां, इति
चतुःषष्ठिरंगविद्याः। कामसूत्रस्यावयावयविन्यः॥११५॥

अर्थ- इसके अंतर्गत आपको उपायभूत 64 कलाओं के नाम बताये जा रहे हैं-

1. गीतम्- गाना
2. वाद्यम्- बाजा बजाना
3. नृत्यम्- नाचना
4. आलेख्यम्- चित्रकारी

5. विशेषकच्छेद्यम्- भोजन के पत्तों को तिलक के आकार में काटना।
6. ताण्डुलकुसुमवलिविकाराः- पूजन के लिए चावल तथा रंग-बिरंगे फूलों को सजाना।
7. पुष्पास्तरणम्- घर अथवा कमरों को फूलों से सजाना।
8. दशनवसनाङ्गरागः कपड़ों, शरीर और दांतों पर रंग चढ़ाना।
9. मणिभूमिका कर्म- फर्श पर मणियों को बिछाना।
10. शयनकचनम्- शैया की रचना।
11. उदकावाद्यम्- पानी को इस प्रकार बजाना कि उससे मुरजनाग के बाजे की ध्वनि निकले।
12. उदकाघात- जल क्रीड़ा करते समय कलात्मक ढंग से छीटे मारना।
13. चित्रयोगा- अनेक औषधियों, तंत्रों तथा मंत्रों का प्रयोग करना।
14. माल्यग्रथनविकल्पा- विभिन्न प्रकार से मालाएं गूथना।
15. शेखर कापीड योजनम्- आपीठकं तथा शेखरक नाम के सिर के आभूषणों को शरीर के सही अंगों पर धारण करना।
16. नेपथ्यप्रयोगः- अपने को या दूसरे को सुंदर कपड़े पहनाना।
17. कर्णपत्रभंगः - शंख तथा हाथीदांत से विभिन्न आभूषणों को बनाना।
18. गन्धयुक्तिः- विभिन्न द्रव्यों को मिलाकर सुगंध तैयार करना।
19. भूषणयोजनम्- आभूषणों में मणियां जड़ना।
20. ऐन्द्रजालयोगः- इन्द्रजाल की क्रीणाएं करना।
21. कौचुमारश्च योगः- कुचुमार तंत्र में बताए गये बाजीकरण प्रयोग सौंदर्य वृद्धि के प्रयोग।
22. हस्तलाघवम्- हाथ की सफाई।
23. विचित्रशाकयूषक्ष्यविकारक्रिया- विभिन्न प्रकार की साग-सब्जियां तथा भोजन बनाने की कला।
24. पानकरसरागासवयोजनम्- पेय पदार्थों का बनाने का गुण।
25. सूचीवानकर्मणि- जाली बुनना, पिरोना और सीना।
26. सूत्रक्रीड़ा- मकानों, पशु-पक्षियों तथा मंदिरों के चित्र हाथ के सूत से बनाना।
27. वीणाडमरुवाद्यानि- वीणा, डमरु तथा अन्य बाजे बजाना।
28. प्रहेलिका- पहेलियों को बूझना।
29. प्रतिमाला- अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता का कौशल।
30. दुर्वाचकयोग- ऐसे श्लोक कहना जिनके उच्चारण तथा अर्थ दोनों कठिन हो।

31. पुस्तकवाचनम्- किताब पढ़ने की कला।
32. नाटकाख्यायिकादर्शनम्- नाटकों तथा ऐतिहासिक कथाओं के बारे में जानकारी।
33. काव्यसमस्यापूरणम्- कविताओं के द्वारा समस्यापूर्ति।
34. पट्टिकावाननेत्रविकल्पः- बैंत और सरकंडे आदि की वस्तुएं बनाना।
35. तक्षकर्मणि- सोने-चांदी के गहनों तथा बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी।
36. तक्षणम्- बढ़ईगीरी।
37. वास्तुविद्या- घर का निर्माण करना।
38. रूप्यपरीक्षा- मणियों तथा रत्नों की परीक्षा।
39. धातुवाद- धातुओं को मिलाना तथा उनका शोधन करना।
40. मणिरागाकरज्ञानम्- मणियों को रंगना तथा उन्हें खानों से निकालना।
41. वृक्षायुर्वेदयोगा- पेड़ों तथा लताओं की चिकित्सा, उन्हें छोटा और बड़ा बनाने की कला।
42. मेषकुकुटलावक्युद्धविधि:- भेड़ा, मुर्गा तथा लावको को लड़ाना।
43. सुकसारिकाप्रलापनम्- तोता-मैना को पढ़ाना।
44. उत्सादने संवाहने केशमर्दने च कौशलम्- शरीर तथा सिर की मालिश करने की कला।
45. अक्षरमुष्टिकाकथनम्- सांकेतिक अक्षरों के अर्थ की जानकारी प्राप्त कर लेना।
46. म्लेच्छत्विकल्पा- गुप्त भाषा विज्ञान।
47. देशभाषाविज्ञानम्- विभिन्न देशों की भाषाओं की जानकारी।
48. पुष्पशक्टिका- फूलों से रथ, गाड़ी आदि बनवाना।
49. निमित्तज्ञानम्- शकुन-विचार।
50. यंत्रमातृका- स्वयं चालित यंत्रों को बनाना।
51. धारणमातृका- स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला।
52. सम्पाठ्यम्- किसी सुने हुए अथवा पढ़े हुए श्लोक को ज्यौं का त्यौं दोहराना।
53. मानसी काव्यक्रिया- विशिष्ट अक्षरों से श्लोक बनाना।
54. अधिधानकोश - शब्दकोषों की जानकारी।
55. छंदोज्ञानम्- छंदों के बारे में जानकारी।

56. क्रियाकल्प- काव्यालंकार की जानकारी।

57. छलितकयोग- बहुरूपियापन।

58.वस्त्रगोपनानि- छोटे कपड़े इस प्रकार पहने कि वह बड़ा दिखाई दे तथा बड़े कपड़े इस प्रकार पहने कि वह छोटा दिखाई दे।

59. द्यूतविशेष:- विभिन्न प्रकार की द्यूत क्रियाओं की कला।

60. आकर्षकीड़ा- पासा खेलना।

61. बालक्रीड़नकानि:- बच्चों के विभिन्न खेलों की जानकारी।

62.वैज्ञानिकानां विद्यानां ज्ञानम्- विजय सिखाने वाली विद्याएं, आचार शास्त्र।

63.वैज्ञानिकानां विद्यानां ज्ञानम्- विजय दिलाने वाली विद्याएं तथा आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र।

64. व्यायामिकीना विद्यानां ज्ञानम् - व्यायाम के बारे में जानकारी।

कामसूत्र की अंगभूत ये 64 विद्याएं हैं।

आचार्य वात्स्यायन ने यहां पर कलाओं का वर्गीकरण नहीं बल्कि उनका परिगणन किया है। कलाओं की गणना के बारे में सबसे अधिक प्रचलित तथा प्रसिद्ध संख्या 64 है। तंत्रग्रंथों और शुक्रनीति में भी कलाओं की संख्या 64 ही है। कहीं-कहीं इन कलाओं का उल्लेख सोलह, बत्तीस, चौसठ तथा चौसठ से अधिक नाम से भी मिलता है।

प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कामकला के रूप में 64 नाम दिये गये हैं तथा कामकला के रूप में 23 नाम हैं। प्रबंधकोष के अंतर्गत इसकी संख्या 72 दी गयी है। इसके अलावा कला विलास पुस्तक में सबसे अधिक कलाओं के बारे में जानकारी दी गयी है, जिनमें से 32 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, 64 लोकोपयोगी कलाएं तथा 32 मात्सर्य शील प्रभाव तथा मान की है।

लोगों को आकर्षित करने की 10 भेषज कलाएं, 64 कलाएं वेश्याओं की तथा 16 कायस्थों की कलाएं हैं। इसके अतिरिक्त गणकों की कलाओं तथा 100 सार कलाओं का वर्णन है।

अन्य कामशास्त्रियों तथा आचार्य वात्स्यायन द्वारा बतायी गयी कलाओं पर ध्यान देने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के आचार्य किसी भी विषय अथवा कार्य में निहित कौशल को कला के अंतर्गत रखते हैं। आमतौर पर ललित तथा उपयोगी दोनों प्रकार की कलाएं कलाकोटि में परिगणित होती हैं।

कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। विभिन्न उपनिषदों में भी कला शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वेद), सांख्यायनब्राह्मण, तैत्तीरीय, शतपथ ब्राह्मण, षडविंशब्राह्मण और आरण्यक आदि वैदिक ग्रंथों में भी कला शब्द का प्रयोग मिलता है। भरत के नाट्य शास्त्र से पहले कला शब्द का अर्थ ललित कला में प्रयोग नहीं हुआ था। कला शब्द का वर्तमान अर्थ जो है उस अर्थ का द्योतक शब्द शास्त्र से पहले शिल्प शब्द था।

संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में शिल्प शब्द कला के अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा है। पाणिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी तथा बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत शिल्प शब्द उपयोगी तथा ललित दोनों प्रकार की कलाओं के लिए होता है।

आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र की जिन 64 कलाओं का वर्णन किया है। उन्हें कामसूत्र की अंगभूत विद्या कहते हैं।

आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का वर्णन किया है। उन सभी कलाओं के नाम का उल्लेख यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में किया गया है।

यजुर्वेद के इस अध्याय में 22 मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिनमें से चौथे मंत्र से लेकर बाइसवें मंत्र तक उन्हीं कलाओं तथा कलाकारों के बारे में जानकारी दी गयी है।

श्लोक-16. पान्चालिकी च चतुःषष्टिरपरा। तस्याः प्रयोगानन्ववेत्य सांप्रयोगिके वक्ष्यामः॥ कामस्य तदात्मकत्वात्॥16॥

अर्थ- पहले वर्णित 64 कलाओं से भिन्न पांचाल देश की 64 कलाएं हैं। वे पांचाली कलाएं कामात्मक हैं, इसलिए उनका वर्णन आगे साम्प्रयोजिक अधिकरण में किया गया है।

श्लोक-17. आभिरङ्गुच्छित्ता वेश्या शीलरूपगुणान्विता। लभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि॥17॥

अर्थ- गुणशील तथा रूप संपन्न वेश्या इन कलाओं के द्वारा उत्कर्ष प्राप्त कर गणिक का पद प्राप्त करती है और समाज में आदर प्राप्त करती है।

श्लोक-18. पूजिता या सदा राजा गुणवद्धिश्च संस्तुता। प्रार्थनीयाभिगम्या च लक्ष्यभूता च जायते॥18॥

अर्थ- इन गणिकाओं का सम्मान राजा करता है, उसकी प्रशंसा गुणवान् लोगों के द्वारा होती है। आम लोग उससे कलाएं सीखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से वह सभी का केन्द्र विन्दु बन जाती है।

श्लोक-19. योगजा राजपुत्री च महामात्रसुता तथा। सहस्रान्तःपुरमपि स्वनशे कुरुते पतिम्॥19॥

अर्थ- राजाओं और मंत्रियों की जो पुत्रियां कामसूत्र की 64 कलाओं का जान प्राप्त कर लेती हैं। वे हजारों स्त्रियों से सेक्स करने की क्षमता रखने वाले पुरुष को भी वश में कर लेती हैं।

श्लोक-20. तथा पतियोग च व्यसनं दारुणा गता। देशोन्तरेऽपि विद्याभिः सा सुखेनैव जीवति॥20॥

अर्थ- ऐसी स्त्रियां किसी कारणवश पति से विमुक्त होने पर या किसी संकट में फँस जाने पर उसे अंजान जगह पर जाना पड़े तो वह अपनी कामसूत्र की 64 कलाओं के द्वारा अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकती है।

श्लोक-21. नरः कलासु कुशलो वाचालश्चाटुकारकः। असंस्तुतोऽपि नारीणां चित्तमाश्चेव चिन्दति॥21॥

अर्थ- ऐसी स्त्रियों की कला की विशेषता बताने के बाद पुरुषों के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। बातचीत करने में निपुण, चाटुकार पुरुष यदि कुशल कलाकार हो तो अपने से घृणा करने वाली स्त्रियों का मन भी आकर्षित कर लेता है।

श्लोक-22. कलानां ग्रहणादेव सौभाग्यमुपजायते। देशकालौ त्वपेक्ष्यासां प्रयोगः संभवेत्र वा॥22॥

अर्थ- कलाओं की जानकारी प्राप्त कर लेने से ही सौभाग्य जागृत हो जाता है लेकिन देश तथा समय प्रतिकूल हो तो इन कलाओं के प्रयोगों की सफलता में आशंका हो जाती है।

www.freehindipdfbooks.com

अध्याय 4 नागरकवृन्त प्रकरण (रसिकजन के कार्य)

१लोक-१. गृहीतविद्यः प्रतिग्रहजयक्रयनिशाधिगतैर्थन्वयागतैरुभयैर्वा गार्हस्थ्यमधिगम्य नागरकमवृतं वर्तत॥१॥

अर्थ- विद्या अध्ययन के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद पैतृक संपत्ति या दान, विजय, व्यापार और श्रम आदि द्वारा धन एकत्र करके विवाह करके गृह प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद सामान्य नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए।

व्याख्या- कामसूत्र तथा उसकी अंगभूत विद्याएं ही विद्या प्राप्त करने का मुख्य अर्थ हैं। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार अपहरण बलात्कार द्वारा स्त्री को प्राप्त करने की कोशिश अव्यवहारिक तथा असामाजिक है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कामशास्त्र तथा 64 कलाओं का अध्ययन करने के बाद ही ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।

विवाह करने के बाद घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है जिसके लिए उचित उपाय करने चाहिए। इसीलिए वात्स्यायन ने स्वयं कहा है कि कामसूत्र और 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही अपनी कुशलता और श्रम के द्वारा धन कमायें। धन कमाने के बाद ही विवाह करें। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद सभ्य लोगों के समान जीवनयापन करें।

१लोक-२. नगरे पतने खर्वटे महित वा सज्जनाश्रये स्थानम्। यात्रावशाद्वा॥२॥

अर्थ- विवाह करने के बाद नागरिकों को नगर में, खर्वट में, पतन में या महत में सभ्य लोगों के बीच निवास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन चलाने के लिए परदेश में रह सकते हैं।

१लोक-३. तत्र भवनमासत्रोदं वृक्षवाटिकावद् द्विभक्तकर्मक्षं द्विवास-गृहं कारयेत्॥३॥

अर्थ- वहां जल के निकट वृक्षवाटिका के पास घर का निर्माण करें जिसमें रहने के लिए दो वासस्थान रखना चाहिए। एक बहि प्रकोष्ठ, दूसरा अंतः प्रकोष्ठ।

आचार्य वात्स्यायन नागरिकों को ऐसे स्थान पर रहने की सलाह देते हैं जहां पर जीवन संबंधी सभी उपयोगी साधन उपलब्ध हो। इस प्रकार की सुविधा पतन (राजधानी) में, नगरों (महतीपुरी) में, खर्वट (तहसील) में तथा महत अर्थात जिले के केन्द्रों में आसानी से उपलब्ध होते हैं।

इन साधनों में जहां पर दैनिक उपयोग और उपभोग की चीजें उपेक्षित हैं। वहीं लोगों को इससे अधिक प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा होती है। इसलिए लोग घरों का निर्माण प्रकृति के आस-पास करवाते हैं।

१लोक-४. बाह्ये च वासगृहे सुश्रलक्षणमुभयोपधानं मध्ये विनतं शुक्लोत्तरच्छदं शयनीयं स्यात्। प्रतिशस्त्रिका च। तस्य शिरोभागे कूर्चस्थानम् वेदिका च। तत्र रात्रिशेषमनलेपनं माल्यं सिक्थ करण्डकं सौगन्धिकपुटिका मातुलुडगत्वचस्ताम्बूलाहनि च स्यः। भूमौ पतदग्रहः नागदंतावसक्ता वीणा। चित्रफलकम्। वर्तिकासमुद्रकः। य कश्चतपुस्तकः कुरण्डकामालाश्च नातिदूरे भूमौ वृत्तास्तरणं समस्तकम्। आर्कषकफलकं द्यूतफलकं च। तस्य बहिः क्रीडाशकुनिपञ्जराणि। एकांते च तक्षतक्षणस्थानमन्यासां च क्रीडानाम्। स्वास्तीर्णा पेढ़खदोला वृक्षवाटिकायां सप्रच्छाया। स्थण्डिलपीठिका च सकुसुमेति भवनविन्यासः॥४॥

अर्थ- यहां बहिःप्रकोष्ठ की सजावट का निर्देश दिया गया है-

घर के बाहरी प्रकोष्ठ (जिसमें नागरिक स्वयं रहता है) में अधिक नर्म, मुलायम, सुगंधित बिस्तर लगा होना चाहिए। सिर तथा पैर दोनों तरफ तकिये लगे होने चाहिए। पलंग बीच में से झुकी होनी चाहिए। पलंग के ऊपर साफ, स्वच्छ चादर होनी चाहिए तथा ऊपर मच्छरदानी तनी होनी चाहिए।

उसी पलंग के बराबर में उसी के समान एक और पलंग लगी होनी चाहिए जोकि सेक्स क्रिया के लिए है। उस पलंग के सिरहाने पर पलंग की ऊँचाई के बराबर वेदिका रखी हो। वेदिका में रात का बचा हुआ लेपन, फूल-मालाएं, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मातृलुंग वृक्ष की छाल तथा पान रखे हुए होने चाहिए। पलंग के पास जमीन पर पीकदान (थूकने का बर्तन) रखा हो। हाथी-दांत की खूंटी पर टंगी हुई वीणा, चित्र बनाने का त्रिफलक, तुलिका तथा रंग के डिब्बे, सजी हुई किताबें और शीघ्र न मुरझाने वाली कुरण्टक पुष्प की माला हो।

पलंग के पास की जमीन पर एक गोल आसन बिछा होना चाहिए जिसके पीछे की तरफ सिर तथा पीठ के लिए एक गाव तकिया अथवा मनसद हो। बाहरी प्रकोष्ठ के बाहर खूंटियों पर पालतू पक्षियों के पिंजरे टंग रहे हो और किसी एकांत स्थान पर अपद्रव्य बनाने तथा बढ़ईगीरी का कार्य करने तथा अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद के लिए स्थान हो। वृक्षवाटिका भी साफ, सुंदर और सुविधायुक्त होना चाहिए।

१लोक-५. स प्रातरुत्थाय कृतनियतकृत्यः गृहीतदंतधावनः, मात्रयानुलेपनं धूपं स्त्रजमिति च गृहीत्वा सिक्थकमलकतं च, दृष्टवादर्शं मुखम्, गृहीत्मुखावासताम्बूलः, कार्याण्यनुतिष्ठेत॥५॥

अर्थ- इस सूत्र में नागरिक की दिन तथा रात की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले उस नागरिक को सुबह जागकर, शौच आदि क्रियाओं से फ्री होकर, दांतों को साफ करके उचित मात्रा में मस्तक में चंदन आदि का लेप करके, बालों को धूप से सुवासित कर तथा सुगंधित माला आदि को पहनकर सिक्थम (मोम) तथा अलरकतक (अलता) का उपयोग करके शीशे में चेहरे को देखकर सुगंधित तम्बाकू आदि खाकर दैनिक कार्यों को करना चाहिए।

१लोक-६. नित्यं स्नानम्। द्वितीयकमुत्सादनम्। तृतीयकः फेनकः। चतुर्थकमायुष्यम्। पञ्चमकं दशमकं वा प्रत्यायुष्यमित्यहीनम्। सातत्याच्च संवृतकक्षास्वेदापनोदः॥६॥

अर्थ- नियमित स्नान करें, हर दूसरे दिन पूरे शरीर की मालिश करें। तीसरे दिन साबुन का प्रयोग करें। चौथे दिन दाढ़ी तथा मूँछों के बाल कटवायें तथा पांचवे दिन या दसवें दिन गुप्त अंगों के बाल सावधानी से काटें। ढकी हुई कांखों के पसीनों को हमेशा सुगंधित पाउडर का प्रयोग करके सुखायें।

कामसूत्र को पढ़ने से जात होता है कि प्राचीन काल में भारत के नागरिक विद्या तथा कला का उपयोग जिस सावधानी के साथ करता था, उस प्रकार वह धन का उपयोग नहीं करता था। उसकी दिनचर्या से प्रकट होता है कि वह सुबह जागने के बाद हाथ-मुँह धोकर दातून से दांतों को साफ करता था। उसकी दातून भी कुछ विशेष प्रकार की होती थी जिसका वर्णन वृहतसंहिता में मिलता है-

सर्वप्रथम दातून को उसके पुरोहित एक सप्ताह पहले सुगंधित द्रव्यों से सुवासित करने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। इसके लिए दातून को हरड़युक्त तरल में एक सप्ताह तक भिगोकर रख देते थे। इसके बाद इलायची, दालचीनी, तेजपात, अंजन, शहद और कालीमिर्च से सुवासित जल में डुबोते थे। इस प्रकार से तैयार की गयी दातून को मंगलदायिनी समझा जाता था। उस समय के लोग दातून का उपयोग सिर्फ दांतों की सफाई के लिए न करके

मांगलिक कार्यों के लिए भी किया करते थे। इसलिए वे अपने पुरोहितों से यह पूछ लेते थे कि कौन-से पेड़ की दातून किस विधि से करें।

दातून के बाद लोग लेप का प्रयोग करते थे। कामसूत्र के विशेषज्ञों के अनुसार शरीर पर सिर्फ चंदन का ही लेप लगाना चाहिए। विभिन्न ग्रंथों में यह बताया गया है कि चंदन को शरीर पर उल्टा-सीधा लेप लेना नियमों के विपरीत है।

प्राचीन समय में लोग चंदन के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के भी अनुलेप तैयार करते थे। इनमें कस्तूरी, अग्रु और केसर आदि के साथ दूध अथवा मलाई के लेप प्रमुख हैं। इस प्रकार के लेपों की सुगंध काफी देर तक होती है। इन लेपों के प्रयोग से शरीर के अंग स्निग्ध और चिकने होते हैं।

अनुलेपन के बाद केशों को धूप से धूपित करने की प्रक्रिया की जाती थी, ऐसा करने पर बाल नहीं उड़ते थे, बाल सफेद नहीं होते हैं तथा चिकने और मुलायम बने रहते हैं। वराहमिहिर के ग्रंथ वृहत्संहिता में उल्लेख मिलता है कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनों, सुगंधित माला धारण करो तथा कीमती गहनों से अपने शरीर के अंगों को सजा लो। लेकिन यदि बाल सफेद हो गये हो तो सभी आभूषण फीके पड़ जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारत के निवासी बालों को काला बनाये रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे।

वृहत्संहिता के अंतर्गत बालों को धूप देने की निम्न विधि बतायी गई है। कपूर तथा केसर या कस्तूरी से सुगंधित उतारी जाती थी, उस सुगंधि से बालों को सुवासित करके कुछ देर तक उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद स्नान किया जाता था।

बालों के सुवासित हो जाने के बाद लोग फूलों की माला धारण करते थे। माला को बनाने और फूलों के चुनाव में भी उसकी रुचि होती थी। उस समय के लोग चम्पाजुही और मालती आदि फूलों की मालाएं धारण करते थे लेकिन सेक्स क्रिया करने के समय विशेष प्रकार से तैयार की गयी माला धारण करते थे ताकि सेक्स के दौरान आलिंगन, चुंबन आदि के समय फूल गिरकर मुरझाएं नहीं।

इसके बाद वह शीशे में अपना मुँह देखता था। प्राचीन काल के धनी लोगों के घरों में कांच के शीशों का उपयोग नहीं होता है। सोने अथवा चांदी के शीशों का उपयोग किया जाता है। शीशे में चेहरा देखने के बाद लोग पान खाते हैं।

भारतीय संस्कृति में ताम्बूल को सांस्कृतिक द्रव्य माना जाता है। ताम्बूल का उपयोग साधारण स्वागत समारोह से लेकर देवताओं की पूजा तक में किया जाता है। वराहमिहिर के ग्रंथ वृहत्संहिता में उल्लेख किया गया है कि ताम्बूल (पान) के सेवन से मुँह में चमक बढ़ती है तथा सुगंध प्राप्त होती है, आवाज में मधुरता आती है। अनुराग में भी वृद्धि होती है। चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है तथा कफ जनित विकार दूर होते हैं।

स्कंदपुराण के कई अध्यायों के अंतर्गत ताम्बूल का विभिन्न तरीके से वर्णन किया गया है। ताम्बूल का बीड़ा लगाना तथा ताम्बूल खाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। भारत में प्राचीन काल में धनी लोगों के यहां ताम्बूल वाहिकाएं इस कला की विशेष मर्मज हुआ करती थी। ताम्बूल का बीड़ा लगाने की विधि का वर्णन करते हुए वराहमिहिर ने कहा है कि- सुपारी, कत्था तथा चूना का उपयोग मुख्य रूप से ताम्बूल में होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ और मसाले आदि भी छोड़े जाते हैं।

ताम्बूल के साथ उपयोग किये जाने वाले कथा, चूना तथा सुपारी की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। यदि ताम्बूल में कथा की मात्रा अधिक हो जाती है तो लाली कालिमा में बदल जाती है, होंठों का रंग भद्दा हो जाता है। यदि सुपारी की मात्रा अधिक हो जाती है तो पान की लाली फीकी पड़ जाती है तथा होंठों की सुंदरता बिगड़ जाती है। पान में चूने की अधिक मात्रा होने से जीभ कट जाती है तथा मुँह का सुगंध बिगड़ जाता है। यदि पान के पत्तियों की मात्रा अधिक हो तो पान की सुगंध खराब हो जाती है। इसलिए रात के पान में पत्ते की संख्या अधिक होनी चाहिए तथा दिन में सुपारी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। पान का सेवन करने के बाद लोग अपने कार्यों में लग जाते थे।

आचार्य वात्स्यायन ने स्नान करने के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि उस समय स्नान करने की कोई भी प्रचलित विधि नहीं थी तथा उसका कोई भी विशेष महत्व नहीं था।

हमारे देश में प्राचीन काल में लोग किस प्रकार स्नान करते थे। इसकी जानकारी प्राचीन, काव्यों, नाटकों, कथा-ग्रंथों में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। कादम्बरी में स्नान करने की विधि का वर्णन इस प्रकार से किया गया है।

लोग दोपहर से थोड़े समय पहले कार्यों को निपटाकर स्नान करने के लिए तैयार हो जाते थे। स्नान करने से पहले लोग कुछ हल्के व्यायाम करते थे। व्यायाम करने के बाद सोने-चांदी के बर्तनों से स्नान करते थे। स्नान के समय लोग अपनी सेविकाओं से शरीर की मालिश किसी सुगंधित तेल से कराते थे तथा बालों में आंवले का तेल लगाते थे।

स्नान के दौरान लोग अपनी गर्दन की मालिश दिमागी तंतुओं को स्वस्थ बनाने के लिए करते थे। स्नान करने के बाद लोग शरीर को साफ कपड़े से पोछकर कपड़े पहनता था। इसके बाद वह पूजाघर में जा करके शाम की पूजा का उपासना करता था।

कामसूत्र में वर्णित स्नान की विधि व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी होती है। वैसे तो स्नान प्रतिदिन करना चाहिए लेकिन शरीर का उत्सादन एक-एक दिन का अंतर करके करना चाहिए। शरीर की स्वच्छता तथा कोमलता के लिए साबुन का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन साबुन का उपयोग प्रतिदिन न करके हर तीसरे दिन करना चाहिए।

उस समय के लोग अपने दांतों, नाखूनों और बालों की सफाई बहुत अच्छी तरह से करते थे। नाखूनों के काटने की कला की चर्चा वैदिक कालीन साहित्य में भी मिलती है। संस्कृत साहित्य के अध्ययन से जात होता है कि लोग नाखूनों को त्रिकोणाकार, चंद्राकार, दांतों के समान तथा अन्य विभिन्न आकृतियों में काटते थे। कुछ लोगों को लंबे नाखून पसंद थे। कुछ लोगों को छोटे आकार के तो कुछ लोगों को मध्यम आकार के नाखून रखने के शौक था।

आचार्य वात्स्यायन के अनुसार हर चौथे दिन पर सेविंग करना चाहिए। भारत में हजामत (सेविंग करना) करने तथा नाखून काटने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। वैदिक काल में भी लोग हजामत (सेविंग करना) तथा नाखून पर विशेष ध्यान देते हैं।

वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्षुर और नखकृन्तक शब्द का प्रयोग से ही प्रमाणित होता है। ऋग्वेद तथा उसके बाद के साहित्य में नाखून को श्मशु कहा जाता है तथा सिर के बालों को केश कहते हैं। यजुर्वेद, अथर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में सिर के बालों का वर्णन मिलता है। वेदों का अध्ययन करने पर जात होता है कि वैदिक काल में आर्यों में बालों के बारे में विभिन्न प्रयोग मिलते हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत विभिन्न मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें बालों के बढ़ने के बारे में औषधियों का वर्णन किया गया है लेकिन ऐसे प्रयोग सिर्फ औरतों के लिए ही हैं।

अधिकांश ऋषि-मुनि सिर पर लंबे बाल रखते थे तथा बालों को विभिन्न तरीके से गूंथकर रखते थे। कुछ ऋषि-मुनि बालों का जूँड़ा बनाकर रखते थे तो कुछ बालों को समेटकर रखते थे। इसके अलावा कुछ ऋषि-मुनि बालों को कपाल की ओर झुकाकर बांधते हैं।

इस प्रकार के बालों को वेदों में कपर्द के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर युवती को “चतुष्पर्द” तथा एक स्थान पर सिनी वाली देवी को सुकपर्दा कहा गया है। इसी प्रकार स्त्रियां भी बालों को विशेष प्रकार से बालों को संवारती हैं।

ऋग्वेद में वशिष्ठ ऋषियों को दक्षिणतः कपर्दा अर्थात् दाहिनी तरफ जटा वाले कहा जाता है। कुछ देवता और ऋषि-मुनि लंबे बाल रखते हैं लेकिन बालों में गांठ नहीं बांधने देते थे, उन्हें पुलस्ति के नाम से जाना जाता है। जो देवता और ऋषि-मुनि बाल, दाढ़ी और मूँछ बढ़ाये रहते हैं उन्हें ऋग्वेद में मोटी दाढ़ी और मूँछ वाला कहा गया है।

१लोक-७. पूर्वाहवयोभोजनम्। सायं चारायणस्य॥७॥

अर्थ- स्नान करने के बाद भोजन तथा दिन में सोने का विधान-

भोजन दोपहर के पहले और दोपहर के बाद दो बार करना चाहिए। लेकिन आचार्य चारायण के अनुसार दूसरा भोजन शाम के समय का ही उपयोगी होता है।

१लोक-८. भोजनानन्तरं शुक्सारिकाप्रलापनव्यापारजः। लावककुकुटमेषयुद्धानि तास्ताश्च कला कीडः।

पीठमर्दविदूषकायता व्यापाराः दिवाशश्या च॥८॥

अर्थ- भोजन करने के बाद लोग तोता-मैना को बोलते और पढ़ाते थे, उनसे बाते करते थे, लावक तथा मुर्गों की लड़ाई देखना तथा विभिन्न प्रकार की कलाओं और कीड़ों द्वारा मनोरंजन करना तथा उनके प्रिय कार्यों को मददगार पीठमर्द, विट तथा विदूषक के सुपुर्द किये गये कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। इन सभी कार्यों के उपरांत सोये।

प्राचीन काल में भारत के नागरिक क्या खाते थे। इसके बारे में प्रबंधकोष, हर्ष चरित्र, कादम्बरी आदि ग्रंथों के वर्णनों से हो जाती है।

कादम्बरी का अध्ययन करने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के भोजन में सभी तरह के खाने एवं पीने योग्य पदार्थ शामिल होते हैं। इनमें गेहूं, चावल, जौ, चना, दाल, धी और मांस आदि सभी चीजें रसोई में प्रयोग की जाती थीं। भोजन, नमकीन पदार्थों से शुरू किया जाता है तथा मिठाइयों से समाप्त होता था।

भोजन के बाद लोग सुक-सारिकाओं से बातें करते थे। प्राचीन काल में भारत में सुक-सारिकाओं का सम्मान राजमहल से लेकर ऋषि-मुनियों के आश्रम तक था।

१लोक (9)- गृहीतप्रसाधनस्यापराहणे गोष्ठीविहाराः॥

अर्थ- इसके दिवाशयन के बाद तीसरे पहर (शाम के समय) की दिनचर्या बताई जाती है- तीसरे पहर (शाम के समय) वसालंकार से विमंडित नागरक गोष्ठी-विहारों में मौजूद हो।

१८ोक (10)- प्रदोषे च संगीतकानि। तदन्ते च प्रसाधिते वासगृहे संजारितसुरभिधूपे ससहायस्य शश्यायामभिसारिकाणां प्रतीक्षणम्।

अर्थ- तथा शाम के समय संगीत की महफिल में शामिल होने के बाद सजे हुए वासगृह में अपने सहायकों के साथ बैठकर अभिसारिका के आने का इंतजार करें।

१९ोक (11)- दूतीनां प्रेषणम्, स्वयं वा गमनम्॥

अर्थ- देर हो जाने पर दूती को बुलाने के लिए भेजे या स्वयं ही उसे बुलाने जाएं।

२०ोक (12)- आगतानां च मनोदैररालापैरुपचारैश्च ससहायस्योपक्रमाः॥

अर्थ- आई हुई नायिकाओं को दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत और रसमय बर्ताव करके सम्मानित करें।

२१ोक (13)- वर्षप्रमृष्टनेपथ्यानां दुर्दिनाभिसारिकाणां स्वयमेव पुनर्मण्डनम्, मित्रजनेन वा परिचरणमित्याहोरात्रिकम्॥

अर्थ- अगर बारिश के कारण नायिका के कपड़े भीग जाते हैं तो स्वयं ही उसके कपड़े बदलकर उसका साज-शृंगार करें और मित्रों से सहायता लें। इस तरह से नागरक की दिनचर्यों तथा रात्रिचर्यों समाप्त होती है।

आचार्य वात्स्यायन नागरक की दिनचर्यों के बारे में बताते हुए उसे सजध्ज कर गोष्ठी विहार में जाने की सलाह दे देते हैं। प्रसाधन से तात्पर्य साज-शृंगार से है जो कपड़ों और अलंकारों के द्वारा पूरा माना जाता है। प्राचीन भारत के नागरिक के वस्त्रालंकार किस प्रकार के थे। इसका अंदाजा पुरानी मुर्तियों के द्वारा किया जा सकता है।

भरतमुनि ने भी नाट्यशास्त्र इसके बारे में कुछ संकेत किए हैं। उनके मुताबिक, अभिजात्य नागरिक क्षौभ, कार्पास, कौषेय तथा शंगव 4 तरह के कपड़े पहनते हैं। अलसी के रेशों को निकालकर उनसे जो कपड़े बनाए जाते थे, उनको क्षौम कहा जाता था।

क्षौम के कपड़ों को छाल से भी बनाया जाता था। कपास (रुई) से बने कपड़े कोशेय तथा ऊन के बने हुए कपड़े रागंव कहलाते थे। यह चारों प्रकार से कपड़े, निबन्धनीय, प्रक्षेप्य तथा आरोप्य। इन प्रकारों से पहने जाते थे। साढ़ी, पगड़ी आदि निबन्धनीय कहलाते थे। चोलक तथा चोली प्रक्षेप्य और उत्तरीय, चादर, दुपट्टा आदि आरोप्य थे।

इस तरह के कपड़े पहनने के बाद नागरिक अलंकार धारण करता था। वराहमिहिर ने 13 तरह के रत्नों तथा 9 तरह के सोने से बने गहनों का उल्लेख वृहत्संहिता के अंतर्गत किया है। वज्रमुक्ता, पद्मराग, मरकत, इन्द्रनीली, वैदूर्य, पुष्पराग, कंकेतन, पुलक, रुधिरक्ष, भीष्म, स्फटिक तता प्रवाल इन 13 प्रकार के जवाहरातों से नागरिक के कई अलंकार बनते हैं।

जाम्बूनद, शातकौम्भ, हाटक, वेटक, श्रृंगी, शुक्तिज, जातरूप, रसविद्ध तथा आकरउद्धृत- इन 9 तरह के सोने की जातियों और रत्नों को मिलाकर निम्नलिखित अलंकार बने होते थे।

आवेद्य, निबन्धनीय, प्रक्षेप्य, आरोप्य। अंग को छेदकर पहने जाने वाले गहने आवेद्य कहलाते हैं। अंगद वेणी, शिखाददिका, श्रोणी सूत्र, चूड़ामणि आदि बांधकर पहने जाने वाले गहने निबन्धलीय के नाम से भी जाने जाते हैं।

अर्निका कटक, वलय, मंजीर आदि अंग में डालकर पहने जाने वाले अलंकार प्रक्षेप्य कहा जाता है। हार नक्षत्रमालिका आदि आरोपित किए जाने वाले गहने आरोप्य कहलाते हैं।

रत्न अलंकारों तथा कपड़ों को पहनने के बाद माल्य-अलंकार धारण करता था। वह माल्य 8 प्रकार के होते थे। उद्धर्वित, विवत, संघाट्य ग्रंथिमत, अवलंबित, मुक्तक, मंजरी तथा स्तवक। मालाओं को पहनने के बाद वह मंडन द्रव्यों से मंडित होता था।

कस्तूरी, कुंकुम, चंदन, कर्पूर, अगुरु, कुलक, दंतसम पटवास सहकार, बैल, तांबुल, अलकत, अंजन, गोरोचन आदि उस समय के मंडन द्रव्य थे। इन द्रव्यों की सहायता से नागरक भूधटना, केश रचना आदि योजनामय अलंकार तथा देश-काल की परिस्थिति के अनुरूप श्रमजल, मद्य-मद आदि जन्य और दूर्वा, अशोक, पल्लव यवांकुर, रजत, टापू शंख, तालदल, दंतपात्रिका मृणाल वलय आदि निवेश से मंडित होकर विहार गोष्ठियों में जाता था।

आचार्य वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में जिन 64 कलाओं के बारे में बताया है उनमें से 2 तिहाई कलाएं बौद्धिक अथवा साहित्यिक हैं। दित्याशय्या के बाद कपड़े अलंकार से विमंडित नागरिक जिन गोष्ठियों में भाग लेता था। वह गोष्ठिया ज्यादातर बौद्धिक तथा साहित्यिक ही हुआ करती थी। उच्चकोटि के श्रीमंत नागरिक की गोष्ठी के साथ प्रधान अंग होते थे।

विद्वान्, भाट, मसखरे, कवि, गायक, पुराणज्ञ और इतिहासज्ञ- ये सातों अंग बौद्धिक तथा काव्यशास्त्र विनोदों में भाग लिया करते थे। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार अच्छी या बुरी 2 प्रकार की गोष्ठी जमती थी। 1-2 मनचले लोगों की गोष्ठी- जिसमें जुआ, हिंसा आदि कुर्कम शामिल थे। दूसरे भले मनुष्यों की गोष्ठी जिसमें खेल और विद्याएं शामिल थी।

पुराने समय में पदगोष्ठी, जलगोष्ठी, गीतगोष्ठी, नृत्यगोष्ठी, काव्यगोष्ठी, वीणागोष्ठी, वाद्यगोष्ठी आदि कई प्रकार की गोष्ठियों में नागरिक भाग लेते थे। इन गोष्ठियों के विषय, कहानियां, कलाएं, काव्य, गीत, नृत्य, चित्र और वाद्य आदि होते थे। विद्यागोष्ठी की अंगभूत गोष्ठियां काव्यगोष्ठी, पदगोष्ठी और जलगोष्ठी थी। विद्यागोष्ठी का खास समादरण था।

काव्यगोष्ठियों में काव्य-प्रबंधों का आयोजन होता था। जलगोष्ठी में आख्यान, आख्यायिका, इतिहास और पुराण आदि सुनाए जाते थे। पदगोष्ठी में अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, बिन्दुमती, गूढ़ चतुर्थपाद आदि प्रकार की बुद्धि बढ़ाने वाली पहेलियां रहती थी।

हर्षचरित के अंतर्गत बाण ने वीरगोष्ठियों के बारे में भी बताया है जिसमें रणभूमि में साका करने वाले वीरों की कहानियां कही और सुनी जाती थी। इस तरह की गोष्ठियों में भारत के पुराने नागरिक के बुद्धिचातुर्य की परीक्षा होती थी। इसके साथ ही मनोरंजन भी होता था। गोष्ठी विनोद के बाद शाम के समय संगीत का आयोजन हुआ करता था।

नागरिक संगीत गोष्ठी को खत्म करके वासगृह में पहुंचकर अभिसारिका की प्रतीक्षा करता है। प्रसाधित वासगृह का मतलब टीकाकारों ने धूप से खुशबूदार किया हुआ कमरा बताया है तोकिन यह गलत है। पुराने समय में

राजा, अमीरों तथा संपन्न नागरिकों के यहां वासागृह बने हुए होते थे। जहां पर विवाह के बाद दूल्हा-दूल्हन का चतुर्थी कम संपादित हुआ करता था।

वासागृह के अंतर्गत दुल्हा-दुल्हन तथा प्रेमी-प्रेमिका के बैठकर प्यार भरी बार्ते, आलिंगन, चुंबन आदि रति-क्रियाएं करने के लिए एक ही पलंग हुआ करता था।

दरवाजों के पल्लों पर कामदेव की दोनों स्त्रियों प्रीति और रति की आकृतियां बनी हुआ करती थी। दोनों ही पल्लों पर मंगल-दीप जला करते थे। एक तरफ प्लॉटों से बोझिल रक्त-अशोक के नीचे धनुष पर बाण रखे हुए निशाना साथे हुए कामदेव का चित्र बना हुआ रहता था। सफेद रंग की चादर से ढके हुए पलंग की बाजू में कांचन आचामरुक रखी होती थी और दूसरी तरफ हाथीदांत का डिब्बा लिए हुए सोने की पुतलिका खड़ी रहती थी। सिरहाने पर पानी से भरा हुआ चांदी का निद्राकलश रखा हुआ रहता था।

वासागृह की भित्तियों पर गोल-गोल शीशे लगे हुए होते थे, जिनमें प्रियतमा के बहुत सारे प्रतिबिंब पड़े रहते थे। 11वीं शताब्दी में ऐसे वासगृहों को आदर्श भवन कहा जाने लगा था तथा बाद में ये शीशमहल या अरसी महल कहलाने लगे थे।

१८ोक (14)- घटानिबंधनम्, गोष्ठीसमवायः, समापानकम्, उद्यान गमनम्, समस्या क्रीडाश्च प्रवर्तयेत्॥

अर्थ- इसमें 5 तरह के सामूहिक विनोदों के बारे में बताया गया है। घटानिबंधन गोष्ठी समवाय, समापानक, उद्यानगमन तथा समवयस्क मित्रों के साथ खेल खेलना- इन 5 प्रकार की क्रीड़ाओं में नागरिक को यथावसर प्रवृत्त होना चाहिए।

घटानिबंध- घटानिबंधन देवायतन में जाकर सामूहिक नृत्य-गान करने अथवा गोष्ठी का बोधक हैं। पुराने भारत का नागरिक हर मौसम में बहुत से उत्सवों का आयोजन करता था। शरद, बसंत, हेमंत तथा बारिश के मौसम के अनेक उत्सवों का विवरण पुराने ग्रंथों में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है।

दूसरे मनोरंजन को गोष्ठीसमवाय बताया गया है। इस तरह की गोष्ठियों को नागरिक अपने घर पर ही आयोजित किया करते थे या किसी गणिका के घर पर। विद्या तथा कला में माहिर कन्याएं गोष्ठी समवाय में जरूर हिस्सा लेती थी तथा पुरुषों की तरह कई प्रकार की काव्य समस्याओं, मानसी, काव्यक्रिया, पुस्तक वाचक, दुर्वाचस योग, देशभाषाविज्ञान, छंद, नाटक आदि बौद्धिक तथा उपयोगी कलाओं में भाग लेती थी और साथ ही गीत, नृत्य और रसालाप द्वारा मौजूद सभ्यों का मनोविनोद भी किया करती थी।

तृतीय मनोरंजन समापानक है। अच्छी तरह से जी भरकर शराब का सेवन करना समापानक है। इस तरह के समापानक मनोरंजन साल में एकाध बार किए जाते थे क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र के द्वारा पता चलता है कि उस जमाने में भई शराब बनाने, पीने और बेचने पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था। आज की तरह उस समय का भी सरकार का आबकारी विभाग शराब के ठेकों तथा शराब के बनाने आदि की व्यवस्था करता था।

इस तरह के प्रबंध करने वाले व्यक्ति को सुराध्यक्ष कहते थे जो शराब के बनवाने और बेचने का प्रबंध काबिल व्यक्तियों द्वारा किया करता था। सुविधा के अनुसार शराब के ठेके भी वही देता था।

अगर कोई व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से शराब बेचते हुए पकड़ा जाता था तो उसे सजा मिलती थी। शराब के मंगवाने या भेजने पर नियंत्रण रहता था। खुलेआम शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ था। जो व्यक्ति शराब

पीकर दंगा-फसाद करता था उसे पकड़ लिया जाता था। शराब को उधार नहीं बेचा जाता था। मद्यशालाओं को बनवाने के लिए सरकारी नक्शे तैयार किये जाते थे और फिर उन्हीं के आधार पर उनका निर्माण कार्य होता था। इसके अलावा सरकारी गुप्तचर विभाग का काम यह था कि वह रोजाना बिकने वाली शराब को नोट कर लें।

समापानक जैसे उत्सवों के मौके पर मद्यनिर्माण और मद्यपान का अलग से सरकारी कानून था। इन मौकों पर सिर्फ श्वेतसुरा, आसव, मेदक और प्रस्सना नाम की शराब ही पी जाती थी।

सुराध्यक्ष की इजाजत से नागकरण इन शराबों को अपने घर पर ही तैयार कर लिया करते थे। मदन महोत्सव आदि खास तरह के मौकों पर सिर्फ 4 दिनों तक खुलकर सामूहिक रूप से सरकार की तरफ से शराब पीने की छूट दी जाती थी। ऐसे मौकों पर सुराध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी।

कामसूत्र में बताया गया है कि उन दिनों राजभवनों में अक्सर आपानकोत्सव या पान गोष्ठी के आयोजन हुआ करते थे। इन मौकों पर बाहर के प्रेमी लोग बिना किसी रोक-टोक के राजभवन में प्रवेश किया करते थे।

चौथा मनोविनोद उद्यानगमन है। आचार्य वात्स्यायन ने स्वयं बताया है कि उस समय उद्यानगमन मनोविनोद किस तरीके से संपादित होता था। उद्यान यात्रा के लिए पहले से एकदिन तय कर लिया जाता था। उस दिन नागरिकगण सुबह से ही पूरी तरह सजधज कर तैयार हो जाया करते थे।

यह यात्रा किसी उद्यान या वन की ही की जाती है जो नागरिकों के निवास-स्थान से इतनी दूरी पर हो कि शाम तक घर पर वापिस पहुंच सकें। इन उद्यान यात्राओं में कभी-कभी अन्तःपुरिकाएं भी साथ में रहती थीं और कभी-कभी गणिकाओं को भी ले जाया जाता था।

उद्यान यात्रा एक तरह का गोठ अथवा पिकनिक होती थी। ऐसे अवसरों पर हिन्दोल लीला, समस्यापूर्ति, आख्यायितका, बिंदुमती आदि अनेक तरह की पहेलियां खेला करती थीं। कुकुट, लाव, मेष, बटेर आदि पशु-पक्षियों की लड़ाईयां कराई जाती थीं। इसी मौके पर कहीं-कहीं क्रीड़ैकशालमली खेल खेला जाता था। सेमल के पेड़ के नीचे ही इस खेल को खेला जाता था। यशोधर के अंतर्गत विदर्भ प्रदेश के नागरिक इस खेल में ज्यादा शौक रखते थे।

पांचवां मनोविनोद समस्या क्रीड़ाओं का है जो सामूहिक रूप से खेली जाती थी। यह काव्य-कला संबंधी क्रीड़ाएं अक्सर उत्सवों में स्थान पाती थीं लेकिन कभी-कभी खासतौर पर इसी विषय के दंगल होते थे। इस विनोद में खासतौर पर निम्नलिखित काव्य-क्रीड़ां होती थीं।

मानसीकला-

इस विनोद के अंतर्गत श्लोक के अक्षरों की जगह पर कमल या किसी दूसरे फूल की पंखुड़ियों को बिछा देते थे और उन पंखुड़ियों से ही श्लोक पढ़ा जाता था। इसका दूसरा रूप यह भी था कि अमुक स्थान पर यह मात्रा है, कहीं पर अनुस्वार है, कहीं पर विसर्ग है। बस इतने सी ही उसे पूरा श्लोक बनाना पड़ता था।

प्रतिमाला-

इसको अंत्याक्षरी भी कहते हैं। एक पक्ष श्लोक पढ़ता था और दूसरा पक्ष श्लोक के अंत्याक्षर से शुरू करके दूसरा श्लोक पढ़ता था।

अक्षरमुण्ठि-

यह समस्या 2 तरह की होती थी-सभासा और निरवभाषा। किसी नाम को संक्षिप्त करके बोलना सभासा कहलाता है जैसे फाल्गुन, चैत्र, वैशाख को छोटा करके फा-चै-वै बोलना। गुप्त तरीके से बातचीत करना निरवभाषा के लिए अनेक प्रकार के इशारे काम में लाए जाते हैं। इसमें एक विधि अक्षरमुष्टि है। इसमें कवर्ग अक्षरों के लिए मुट्ठी बांधी जाती रही है। चर्वर्ग के लिए हथेली फैला दी जाती थी।

इसका विधान यह है कि जो कुछ भी बोलना होता है पहले उसके अक्षरों के वर्गों के संकेत किए जाते हैं। वर्ग बताने के बाद उंगलियों को उठाकर वर्ग अक्षर बताएं जाते हैं जैसे अगर कहना है ग तो पहले वर्ग बताने के लिए मुट्ठी बांधी गई और इसके बाद तीसरी उंगली उठाकर अक्षर बतला दिया गया। वर्ग तथा अक्षर बताने के बाद पैर उठाकर अथवा चुटकी बजाकर मात्राएं बताई जा सकती हैं।

उस समय का हर नागरिक इस प्रकार के काव्य विनोदों को अभ्यास प्रयत्नपूर्वक करता था क्योंकि यश, कीर्ति और लाभ के स्रोत भी ऐसे खेल माने जाते थे। इनके अलावा अक्षरक्रीड़ा, द्रृश्य समादर्श, जलक्रीड़ा उद्दर्शक्रीड़ा, कुसुमावचय आदि क्रीड़ां जाती थी।

श्लोक (15) पक्षसय मासस्य वा प्रजातेऽहनि सरस्वत्या भवने नियुक्तानां नित्यं समाजः॥

अर्थ- पहली सूचना के मुताबिक 15वें दिन या एक महीने में निश्चित दिन में सरस्वती के मकान में नागरकगण इकट्ठा हो।

श्लोक (16) कुशीलवाश्चागंतवः प्रेक्षणकमेषां दद्युः। द्वितीयेऽहनि तेऽन्यः पूजा नियतं लभेरन्। ततो यथाक्षद्धमेषां दर्शनमुत्सगर्गो वा। व्यसनोत्सवेषु चैषां परस्परस्यैककार्यता॥

अर्थ- स्थायी नियुक्त नट, नर्तक आदि कलाकार समाज उत्सव में भाग लें। बाहर से आए हुए नट, नर्तक भी दर्शकों को अपनी कला-कुशलता का परिचय दें तथा दूसरे दिन वे सही पुरस्कार हासिल करें। इसके बाद अगर नागरिकों में उनके प्रति सम्मान का भाव हो तो उन्हें कला-प्रदर्शन के लिए रोका जा सकता है। आगंतुक कलाकारों तथा स्थानीय कलाकारों में आपसी सहयोग तथा एकता की भावना होनी चाहिए।

दुर्वाचनयोग-

इसमें ऐसे मुश्किल शब्दों के श्लोक हुआ करते थे जिन्हे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था।

श्लोक (17)- आगन्तूनां च कृतसमवायानां पूजनमभ्युपतिश्च। इति गणधर्मः॥

अर्थ- समाज उत्सव देखने के लिए सरस्वती भवन में आयोजित अगर ऐसे लोग आएं जो गोष्ठी के सदस्य न हो तथा बाहर से आए हुए हो तो उनकी अभ्यर्चना तथा मेहमानों का सत्कार यथाविधि करना चाहिए। किसी तरह की मुसीबत आने पर उनकी मदद भी करनी चाहिए। इसी गणधर्म होता है।

आचार्य वात्स्यायन के समयमें 5 तारीख की रात को सरस्वती जी के मंदिर में समाजोत्सव मनाया जाता था। उस समय के उत्सवों में इस पहले दर्जे का उत्सव माना जाता था।

इन उत्सवों के समय बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ हुआ करती थी। इन उत्सवों में वहां के नट-नाटियों के अलावा बाहर से भी नट-नाटियां, नर्तक, कुशीलव आदि अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया करते थे। हर

कलाकार अपनी कला द्वारा दर्शकों को खुश तथा मंत्रमुग्ध करने की कोशिश करता था। बाहर से आए हुए कलाकारों के रुकने के लिए भोजन आदि के प्रबंध का कार्य एक-एक व्यावसायिक श्रेणी पर छोड़ दिया जाता था। 5 तारीख (पंचमी) के अलावा अन्यान्य देवालयों में इस तरह का समावजोत्सव मनाया जाता था।

समाज आर्य जाति का बहुत ही पुराना और संभवतः आदि उत्सव है। वैदिक काल में समाज का नाम समन था जिसे एक तरह का मेला कहा जाता था। इन समनों के अंतर्गत पुरुषों के अलावा स्त्रियां भी आती थीं जो दिल बहलाने के लिए काफी संख्या में उपस्थित होती थीं। कवि, धनुर्धर और रेस के घोड़े भी इनाम पाने की हसरत रखकर वहां पर पहुंचते थे। इनके अलावा गणिकाएं भी नाम और धन पाने की हसरत रखकर अपनी कला दिखाने के लिए वहां पर पहुंचा करती थीं।

इस मेले की एक खासियत यह थी कि इसमें अपना मनचाहा वर पाने के लिए वयस्क कुमारी कन्याएं काफी संख्या में आग लेती थीं। यह मेला पूरी रात चलता था।

कामसूत्र तथा उससे पहले परिवर्ती साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि समाज उत्सव पहले निर्दोष आमोद-प्रमोद का एक सामुदायिक आयोजन था। बाद में इसका एक दूसरा रूप भी बन गया जिसके अंतर्गत शराब पीना, मांस खाना, केलि-क्रीड़ाएं भी होने लगी।

इस प्रसंग में गणभोज की भी व्यवस्था की गई थी जिसमें कई प्रकार के व्यंजन, अनाज और सब्जियां आदि बनी हुई थीं। इनके साथ मांस का भी पूरा प्रबंध होता था। भगवान ने उन मल्लों को महंगे कपड़े तथा मुद्राएं देकर सम्मानित किया था।

कदाचित हिंसामूलक खाने वाले पदार्थों तथा चरित्रहीनता बढ़ने के कारण प्रियदर्शी अशोक ने अपने शिलालेखों में ऐसे शिलालेखों में ऐसे समाजोत्सव की निंदा की है।

१८- एतेन तं तं देवताविशेषमुद्दिश्य संभावितस्थितयो घटा व्याख्याताः।

अर्थ- इस प्रकार, शिव, सरस्वती, यज, कामदेव आदिदेवताओं के आलयों में यथासंभव जुटने वाली सामुदायिक गोष्ठियों-मेलों का विवरण पेश किया है।

१९- गोष्ठीसमवायमाह वेश्याभवने सभायामन्यतमस्योद्वसिते वा समानविद्याबुद्धिशीलवित्तवयसां सह वेश्याभिरनुरूपैरालापैरासनबंधो गोष्ठी।

अर्थ- इसके अंतर्गत गोष्ठी समवाय की व्याख्या की गई है-

बुद्धि, संपत्ति, विद्या, उम्र और शील में अपने समान मित्रों, सहचरों के साथ वेश्या के घर में, महफिल में अथवा किसी नागरिक के निवास स्थान पर गोष्ठी समवाय का आयोजन करना चाहिए।

२०- तत्र चैषां काव्यसमस्या कलासमस्या वा।

अर्थ- वहां सुयोग्य वेश्याओं के साथ बैठकर मधुर तथा मनोरंजक बातचीत करें। काव्य व अन्य बौद्धिक, साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेकर काव्य चर्चा, कला चर्चा तथा साहित्य चर्चा करें। साहित्य, संगीत और कला जैसे विषयों पर आलोचनात्मक, तुलनात्मक चिंतन किया जाना चाहिए।

श्लोक (21)- तस्यामुज्ज्वला लोककान्ताः पूज्याः। प्रीतिसमानाश्चाहरितः।

अर्थ- और इस प्रकार की गोष्ठी समवाय में सम्मिलित प्रतिभाशाली कलाकार का अच्छा सम्मान करना चाहिए और बुलाए गए मेहमानों तथा कलाकारों का खासतौर पर सम्मान करना चाहिए।

श्लोक (22)- परस्परभवनेषु चापानकानि॥

अर्थ- एक-दूसरे के घर पर जाकर सुरापान, मेरेथ और मधु का पान करना चाहिए।

श्लोक (23)- तत्र मधुमैपेसुरावान्तिविधलवणफलहरितशाकतिक्तकटुकामलोपदंशान्वेश्याः पाययेयुरनुपिबेयुश्च॥

अर्थ- इसके अंतर्गत मधु, मेरीय, सुरा और आसव आदि शराबों को अनेक प्रकार के लवण, फल, हरी सब्जियां, चरपरे, कडवे तथा खट्टे मसालों के साथ नागरिकों को वेश्याओं को स्वंयं ही पिलाना चाहिए तथा इसके बाद खुद पीना चाहिए।

श्लोक (24)- एतेनोद्द्यानगमनं व्याख्यातम्॥

अर्थ- इस तरह से उद्यान यात्रा में भी समापानक होना चाहिए। अंगूर अथवा दाख के रस से जो शराब बनाई जाती है उसे मधु कहा जाता है। इसके कापिशायन तथा हारहूरक ये 2 नाम और हैं। भारत का रसिक रईस मधु शराब को साफ करवाकर पीता था।

मरोड़ की फली, पलाश, छोह, भारक, मेढ़ासिंगी, करंजा, क्षीरवर्ग के कदि की भावना दिया गया खादार शक्कर का चूरा और उसका आधा लोध, चीता, वायविडंग, परम, मोथा, कलिंग, जौ, दारुहल्दी, कमल, सौंफ, चिचिङ्गा, सतपर्ण आक का फूल को एकसाथ पीसकर चूर्ण बनाकर इकट्ठा करके एक मुट्ठी मसाला एक सारी परिमाण शराब में डालकर शराब को इस प्रकार साफ बनाया जाता था कि पीने वाले खुश हो जाते थे। कभी-कभी स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें 5 पल राब भी मिला दी जाती थी।

मेरेय शराब को तैयार करने के लिए मेढ़ासिंगी की छाल का काढ़ा बनाया जाता था और फिर उसमें गुड़, पीपल और कालीमिर्च को मिलाया जाता था। कभी-कभी पीपल की जगह त्रिफला का प्रयोग कर लिया जाता था।

उस समय में सुरा (शराब) 4 प्रकार की होती थी-

1. सुरा,

2. रसोत्तरा,

3. सहकार,

4. बीचोत्तरा तथा सम्भारकी

साधारण सुरा (शराब) में अगर आम का रस निचोड़ दिया जाता था तो वह सहकार सुरा बनती थी।

अगर साधारण सुरा में गुड़ की चाशनी निचोड़ दी जाती है तो वह रसोतर शराब बनती है।

साधारण सुरा में बीजबंध बूटियां छोड़ देने पर महासुरा बनती हैं।

मुलहठी, दूध, केशर, दारुहल्दी, पाठा, लोध, इलायची, इत्र फुलेल, गजपीपल, पीपल और मिर्च आदि को साधारण सुरा में मिला देने से सम्भारिकी सुरा बनती थी।

आसव को बनाने में 100 पल कैथे का सार, 500 पल राब और एक प्रस्थ शहद का प्रयोग किया जाता था। इसमें पड़ने वाला मसाला, दालचीनी, चीता, गजपीपल, वायविडंग 1-1 कर्ष और और 2-2 कर्ष सुपारी, मुलहठी, लोध और मोथा लेकर आसव में मिलाया जाता था।

इन शराबों को पीने के साथ-साथ कई तरह के लवण, सब्जी के अलावा खट्टे-मीठे, चरपरे पदार्थ खाए जाते थे। आचार्य वात्स्यायन ने ऐसे पदार्थों को उपदंश लिखा है। उपदंश शब्द का अर्थ लिखते हुए हलायुध कोष ने कहा है कि मद्यपान रोचक भोज्य द्रव्यम अथवा शराब पीने के सहाये रोचक भोज्य पदार्थ।

आषानक गोठियों में वेश्याओं की उपस्थिति अपेक्षित मानी जाती थी। वे रसिक नागरक को चषक भरकर शराब पिलाती तथा स्वयं भी पिया करती थी। उद्यान यात्राओं में भी गणिकाएं साथ जाया करती थीं और वहां भी मद्यपान होता था।

१८ोक (25)- पूर्वाह्ण एव स्वलंकृतास्तुरगाधिरुद्धा वेश्याभिः सह परिचारकानुगता गच्छेयुः। दैवसिकिं च यात्रां तत्रानुभूय कुकुटयुद्धद्यूते: प्रेक्षाभिरनुकूलैश्च चेष्टितैः कालं गमयित्वा अपराहणे गृहीततदुद्यानोपभोगचिह्नास्तथैव प्रत्याद्रजेयुः॥

अर्थ- इसके अंतर्गत क्रीड़ा उत्सवों और क्रीड़ाओं के बारे में बताया जाता है-

सुबह-सुबह ही गहने-कपड़े पहनकर तथा घोड़े पर सवार होकर गणिकाओं और सेवकों को साथ लेकर उद्यान यात्रा पर जाना चाहिए। यह उद्यान यात्रा इतनी दूर की होनी चाहिए कि शाम तक वापिस पहुंच जाए। उद्यान में जाकर रोजाना के कामों से निपटकर लावक तथा मेढ़ों की बाजी लगाई गई लड़ाईयां देखें, नृत्य नाटक देखें, जुआ खेलें, संगीत का आनंद लें, मनोरंजक खेलों को खेलें। शाम से पहले उद्यान यात्रा के स्मृति-चिन्ह फल, फूल, पत्ते, स्तबक आदि लेकर जिस तरह आए थे उसी तरह घर पर वापिस लौटना चाहिए।

१९ोक (26)- एतेन रचितोदग्गाहोदकानां ग्रीष्मे जलक्रीडागमनं व्याख्यातम्।

अर्थ- इस तरह गर्मी की जल क्रीड़ाओं में लीन हो जाना चाहिए। गर्मी के मौसम का उत्तम मनोविनोद जल-क्रीड़ा होता है। जिस समय जमीन और आसमान तेज लू से धधकने लगते थे, उस समय पुराने भारत का श्रीमंत नागरक सर्पनिर्भीक के बराबर महीन वस्त्रों, सुगंधित कपूर का चूर्ण, चंदन का लेप तथा पाटल-फूलों से सुसज्जित धारागृह का प्रयोग दिल खोलकर करता था।

जब विलासनियां गृह वापिकाओं में जल-क्रीड़ा किया करती थी तो कान में घुसाए हुए शिरीष-कुसुम पानी में छा जाते थे। चंदन तथा कस्तूरिका के आमोद से और नाना रंग के अंगरागों से तथा श्रंगार-साधनों से पानी रंगीन हो जाता है।

जल-स्फलन से पैदा हुए जल बिंदुओं से आसमान में मोतियों की लड़ी बिछ जाती थी। तालाब के अंदर से गूंजते हुए मृदंग घोष को, बादल के स्वर जानकर, सोचे-विचारे मयूर उत्सुक हो उठते थे। बालों से खिसके हुए अशोक-पल्लवों से कमल-दल चित्रित हो उठते थे तथा आनंद कल्लोल से दिक्मण्डल मुखरित हो उठता था। प्राचीन चित्रों के द्वारा यह जलकेलि, मनोरम भाव अंकित है।

३८०क (२७)- यक्षरात्रिः। कौमुदीजागरः। सुवसंतक॥

अर्थ- इसके अंतर्गत समस्या क्रीड़ाओं का परिचय दिया जाता है-

यक्षरात्रि कौमुदी जागर तथा सुनसंतक उत्सवों में समस्या क्रीड़ाएं रचाई जाती हैं-

आचार्य वात्स्यायन के समय में यज्ञ रात का उत्सव का आयोजन किया जाता था। दीपावली उत्सव का उल्लेख पुराणों, धर्मसूत्रों, कल्पसूत्रों में विस्तृत रूप से मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कामसूत्र के अंतर्गत दीपावली का कोई उल्लेख न होकर रात के यज्ञ का जिक्र किया गया है। रात्रि यज्ञ से इस बात का पता चलता है कि उस समय, उस दिन यज्ञ की पूजा होती रही होगी तथा द्यूत-क्रीड़ा रचाई जाती है।

अगर व्याकरण का आधार लेकर अर्थ निकाला जाए तो यज्ञ यते पूज्यते इतियज्ञ-छज्ञ-यज्ञः तथा यज्ञ रात्रि निष्पन्न होता है।

मुनकिन है इसी अर्थ को लेकर दीपावली का नाम उस समय यज्ञरात्रि रखा गया हो। पुराने समय में शायद दीपावली उत्सव शास्त्रीय अथवा धार्मिक रूप में नहीं मनाया जाता रहा है क्योंकि वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत इसका कोई विवरण नहीं है। स्कन्दपुराण तथा पद्मपुराण में इस पर्व का पूरा विवरण पाया जाता है। उसी के आधार पर दीपावली के उत्सव का प्रचलन अब तक है। कार्तिक की अमावस्या के साथ यज्ञ शब्द जोड़ने का तात्पर्य श्रीसूक्त से साफ हो जाता है। श्रीसूक्त ऋग्वेद के परिशिष्ट भाग का एक सूक्त है। इस सूत्र के एक मंत्र में मणिना सह कहा गया है।

इस वाक्य से पता चल जाता है कि लक्ष्मी का संबंध मणिभद्र यज्ञ से है। मणिभद्र यज्ञ से लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध होने से कामसूत्र के समय तक दीपावली की रात यज्ञरात्रि कहलाती है।

निसंदेह इतना तो कहा जा सकता है कि दीपावली का आधुनिक रूप में जो प्रचलन है वह इसर्वों तीसरी शती के बाद से शुरू होता है और आचार्य वात्स्यायन के समय इसी के पहले सुनिश्चित है। यह अनुमान किया जा सकता है कि वात्स्यायन के समय में कार्तिक की अमावस्या की रात में लक्ष्मी को पूजने और द्यूत-क्रीड़ा की प्रथा रही होगी।

कौमुदी जागरण-

उत्सव अनुमानतः शुरू में विशुद्ध लोकोत्सव रहा होगा क्योंकि संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में आश्विन पूर्णिमा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है।

आश्विन पूर्णिमा की रात में होने वाला यह उत्सव पालि ग्रंथों में कौमुदीय-चातुमासनीय छन बतलाया गया है। यह उत्सव मौसम बदलाव के लिए मनाया जाता था। कामसूत्रकार ने इसी को कौमुदी जागरण लिखा है।

गहसूत्रों में अश्वयुज की पूर्णिमा को काफी महत्व दिया गया है। गहसूत्रों के द्वारा पता चलता है कि इन उत्सव के मौके पर उस वर्ण के लोग भड़कीले कपड़े पहनकर बड़े उल्लास के साथ अश्वयुजी उत्सव मनाते थे। पशुपति, इंद्र, आश्विन आदि देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ हवन भी किए जाते थे तथा खीर का भोग लगाया जाता था।

आर्यशूर के द्वारा लिखित जातक माला में शिविराज्य की राजधानी में उस दिन नगर भर में चहल-पहल रहती थी। सङ्को, चौमुहनियों में पानी का छिड़काव किया जाता था, उन्हे सजाया-संवारा जाता था। साफ-सुधरे धरातल पर फूल बिखेर दिए जाते थे। चारों तरफ झँडे, पताका तथा वन्दनवार लहराए जाते हैं। जगह-जगह पर नृत्य-नाटक, गीत वाद्य के जमघट लगे होते थे।

मात्स्य सूक्त के द्वारा सुवसंतक के दिन ही बसंत ऋतु का अवतरण होता है। इसी रोज मदन की पहली पूजा होती है। वसन्तावतार को आजकल वसन्तपंचमी कहा जाता है। सरस्वती कण्ठभरण से पता चलता है कि सुवसंतक के दिन विलासिनियां कण्ठ में कुवलय की माला तथा कानों में दुष्प्राप्य नवआम्रमंजरी खोसकर गांव को रोशन कर देती हैं।

ऋतुसंहार से यह पता चलता है कि बंसत का मौसम आते ही विलासिनियां गर्म कपड़ों का भार उतार फेंकती थीं। लाक्षा रंग अथवा कुंकुम से रंजित और सुंगंधित कालगुरु से सुवासित हल्की लाल साड़िया पहनती थीं। कोई कुसुंभी रंग से रंगे हुए दुकूल धारण करती थी तथा कोई-कोई कानों में नए कण्ठिकार के फूल, नील अलकों में लाल अशोक के फूल तथा स्तनों पर उत्फुल्ल नवमलिका की माला पहनती थीं।

गरुण पुराण के इन सुझावों से यह पता चलता है कि यह एक व्रत है जो समूह से संबंधित न होकर व्यक्ति से संबंधित है।

१८ोक (28)- सहकारभजिका, अभ्यूषखादिका, विसखादिका, नवपत्रिका, उदकक्षवेडिका, पान्चालानुयानम्, एकशालमली, कदम्बयुद्धानि, तास्ताश्च क्रीडा जनेभ्यो विशिष्टामाचरेयुः। इति संभूयक्रीडाः॥

अर्थ- इसके अंतर्गत दूसरे क्षेत्रीय क्रीडाओं का वर्णन किया जाता है-

सहकार भन्जिका, अभ्यूषखादिका, विसखादिका, नवपत्रिका, उदकक्षवेडिका, पान्चालानुयान, एकशालमलि कदम्बयुद्ध- इन स्थानीय तथा सार्वदेशिक क्रीडाओं में नागरक लोग अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार ही खेलें। सामूहिक क्रीडाओं का वर्णन खत्म होता है।

आचार्य वात्स्यायन ने बसंत के मौसम में खेली जाने वाली क्रीडाओं के नाम यहां पर बताए हैं। कामसूत्र की जयमंगला टीका में उनके अलावा उद्यान यात्रा, खलिल क्रीडा, पुष्पावचयिका, नवाम्रखादनिका और आम तथा माधवीलता का विवाह- इन क्रीडाओं को बसंत के मौसम में उसके बाद निदाध में खेलने का समर्थन किया गया है।

इसके अंतर्गत आचार्य वात्स्यायन एकांकी व ऐश्वर्यहीन नागरिकों के मनोरंजन का सुझाव पेश कर रहे हैं-

१८०क (29)- एकचारिणश्च विभवसामर्थ्याद्।।

अर्थ- दुर्भाग्यवश नागरिकों से रहित नागरक अगर अकेले में विचार करता है तो वह अपनी ताकत के अनुकूल ही क्रीड़ा करे।

१८०क (30)- गणिकाया नायिकायाश्च सखीभिर्नागरकैश्च सह चरितमेतने व्याख्यातम्।।

अर्थ- इसी तरह से एकांकिनी हो जाने पर गणिकाएं तथा नायिकाएं भी नागरिकों तथा सहेलियों के साथ मौसम संबंधी क्रीड़ाएं करें।

१८०क (31) अविभवस्तु शरीरमात्रो मल्लिकाफेनककषायमात्रपरिच्छदः पूज्याद्देशादागत कलासु विचक्षणस्तदुपदेशेने गोष्ठयां वेशोचिते च वृत्ते साधयेदात्मानमिति पीठमर्दः।।

अर्थ- इसके अंतर्गत उपनागरकों का परिचय देते हुए उनके आचरण के बारे में बताया गया है-

किसी सांस्कृतिक स्थान से आया हुआ कालाविचक्षण नागरिक अगर गरीब हो, उसके पास मल्लिका, फेनक तथा कषाय मात्र ही बाकी बचे हो तो वह नागरिकों की संभाओं, उत्सवों में जाकर और वेश्याओं के यहां जाकर उनको हितकर उपदेश देकर अपनी जीवीका कमानी चाहिए। उनका आचार्य बनकर पीठमर्द पदवी हासिल करनी चाहिए।

आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक अमीर-गरीब समुदाय, सम्पन्न अथवा एकांकी सभी लोगों को मौसम संबंधी मनोरंजनों और उत्सवों में भाग लेना चाहिए। इससे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का मूल उद्देश्य तथा स्वरूप आसानी से समझा जा सकता है।

कामसूत्र की गवाही से जान पड़ता है कि भारतीय संस्कृति तथा साहित्य में असुंदर तथा विद्रोह का भाव कहीं भी नहीं है। भारतीय नागरिक पुनर्जन्म तथा कर्मफल के सिद्धांतों को स्वीकार कर सांसरिक विधान के साथ सामन्जस्य बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। वह दुख में भी असंतुष्ट अथवा फिक्रमंद नहीं हुआ करता क्योंकि उसकी मान्यता है कि मनुष्य अपने कामों का फल भोगने के लिए ही जन्म लेता है।

हमारी सभ्यता मनोविनोदों, उत्सवों, नृत्यो-नाटकों को सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं मानती बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन समझती है। यही वजह है कि वात्स्यायन ने हर व्यक्ति को चाहे वह जिस स्थिति का, जिस वर्ग अथवा रंग का हो, उत्सवों, मनोविनोदों में भाग लेने का सुझाव दिया है।

१८०क (32)- भुक्तविभवस्तु गुणवान् सकलत्रो वेशे गोष्ठयां च बहुमतस्तदुपजीवी च विटः।।

अर्थ- जो व्यक्ति संपन्न नागरिकों के सभी सुखों का उपभोग कर चुका हो लेकिन किसी वजह हे विभवहीन हो गया हो और सभी नागरक गुणों से संपन्न है, कलावान है, गणिकाओं तथा नागरकों के समाज में लब्धप्रतिष्ठ है, वह वेश्याओं तथा नागरकों के संपर्क से जीविका चलाएं। ऐसा आदमी विट कहलाता है।

१८०क (33)- एकदेशविद्यस्तु क्रीड़नको विश्चास्यश्च विदूषकः। वैहासिको वा।

अर्थ- लेकिन जो लोग किसी कला अथवा विद्या में पूरी हासिल किए हों वह अधूरा कलाकार लोगों के बीच खिलौना बना रहता है। कदाचित वह विश्वस्त हुआ दो विदूषक कहलाएगा अथवा हंसाते रहने की वजह से वैहासिर भी कहा जाता है।

१८०क (३४)- एते वेश्यानां नागरकाणां च मन्त्रिणः सन्धिविग्रहनियुक्ताः

अर्थ- ऐसे लोग वेश्याओं तथा नागरिकों के बीच संधि-विग्रहिक बनते हैं।

१८०क (३५)- तैर्मिक्षुक्यः कलाविदग्धा मुण्डा वृष्टल्यो वृद्धगणिकाश्च व्याख्याताः॥

अर्थ- विट-विदूषक की तरह कला निपुण भिक्षुकी नायक तथा नायिका के बीच संधि-विग्रहिक बनकर जीवन बिता सकती है।

उपर्युक्त ३ सूत्रों द्वारा आचार्य वात्स्यायन ने पीठमर्द, विट, विदूषक और इन्हीं की तरह भिक्षुणी, बांझस्त्री, विध्वा, बूढ़ी वेश्या आदि के जीवनयापन का विधान बताया है।

सुख-संपन और निर्धन नागरिकों के इस वर्गीकरण से वात्स्यायन कालीन समाज व्यवस्था का सचित्र परिचय प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्च वर्ण के लोग ज्यादा समृद्ध होते थे और नीच वर्ण के लोग कम।

ऐसा लगता है कि समृद्ध होने के बाद श्रेष्ठी अथवा सामन्त पदवी हासिल हो जाती थी, शुद्र पद विलीन हो जाता था। ब्राह्मण सिर्फ वेद पाठी ही नहीं होते थे बल्कि देश-देशान्तर का व्यापार करके श्रेष्ठ भी बन जाते थे। क्षत्रियों की भी बात यही है कि वे सिर्फ राजा या योद्धा ही नहीं होते थे बल्कि उच्चकोटि के व्यवसायी तथा सेठ भी होते थे।

मृष्टकटिक नाटक की गवाही के अंतर्गत जाना जाता है कि चारुदत ब्राह्मण होते हुए भी श्रेष्ठ-चत्वर में वास करता है तथा सभी कलाओं का समादरण करने वाला उत्तम नागरिक है। गरीब हो जाने पर भी वसन्तसेना जैसी अनिन्द सुंधरी, गणिका तथा सभी नागरिकों के प्रेम तथा श्रद्धा का भाजन बना रहता है।

आचार्य वात्स्यायन द्वारा बताई गई विट की परिभाषा का मनुष्य मृच्छकटिक का एक दूसरा ब्राह्मण है जो विट कहा जाता है। राजा के साले की चापलूसी करता है, गणिकाओं का सम्मान करता है और उन्हे खुश रखता है।

१८०क (३६)- ग्रामवासी च सजातान्विचक्षणान् कौतूहलिकान् प्रोत्साहया नागरकजनस्य वृत्तं वर्णयन्श्रद्धां च जनयस्तदेवानुकुर्वीत। गोष्ठीश्च प्रवर्तयेत् संगत्या जनमनुरञ्जयेत्। कर्मस च साहाय्येन चानुगृहणीयात्। उपकारयेच्च।

इति नागरकवृत्तम्॥

अर्थ- इसके अंतर्गत गांव के लोग नागरक के वृत्त का वर्णन करते हैं-

अगर नागरक गांव में जीवनयापन करने या किसी दूसरे मकसद को पूरा करने के लिए निवास करता है तो संजातीय, बुद्धिमान तथा जादू खेल-तमाशा जानने वाले लोगों को रोचक घटनाएं सुनवाकर अपना भक्ति बना लें तथा नागरक जीवन बिताने के लिए उन्हे प्रोत्साहित करें।

उनके मनोरंजन के लिए उत्सवों और यात्राओं का आयोजन किया जाए, अपने संपर्क से उन्हें प्रमुदित बनाकर रखें। उनके काम में सहायता प्रदान करें तथा उन पर अनुग्रह करता रहें। यहां पर नागरकवृत का प्रकरण समाप्त होता है।

नागरकवृत से इस बात का पता चलता जाता है कि उस समय की भारतीय प्रजा, ऐश्वर्य, समृद्धि तथा पौरुष संपन्न थी। सुंदरता तथा सुकुमारता की रक्षा करने में हमेशा जागरुक रहती थी। योग तथा भोग, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का सामन्जस्य तथा संतुलन बनाए रखने में पूरी तरह काबिल और सावधान थी। उसका अपना भी दृष्टिकोण व जीवन दर्शन था जिसके द्वारा वह इन्द्रियों की वृत्ति को पाश्विकता की तरफ उन्मुख नहीं होने देती थी।

श्लोक (37)- नात्यंत संस्कृतेनैव नात्यंत देशभाष्या। कथां गोष्ठीषु कथयन्लोके बहुमतो भवेत्॥

www.freehindipdfbooks.com

अर्थ- इसके अंतर्गत गोष्ठियों में भाषा तथा संभाषण संबंधी नियमों की व्याख्या करते हैं-

सभाओं तथा गोष्ठियों में न सिर्फ संस्कृत में ही बोला जाए और न ही सिर्फ भाषा में। ऐसा करने से वक्ता सर्वमान्य तथा सर्वसम्मानित नहीं हो सकता है।

श्लोक (38)- या गोष्ठी लोकविद्विष्टा या च स्वैरविसर्पिणी. परहिंसात्मिका या च न तामवतरेद्वधः॥

अर्थ- जिस गोष्ठी में जलने वाले लोग रहते हों तथा जहां पर स्वच्छंद कार्यवाही होती हो और दूसरों पर इल्जाम लगाए जाते हो या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती हो उस गोष्ठी में बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए।

श्लोक (39)- लोकचित्तानुवर्तिन्या क्रीडामात्रैकाकार्यया। गोष्ठया सहचरन्विद्वांलोके सिद्धि नियच्छति॥

अर्थ- जो लोग इस प्रकार की गोष्ठियों से ताल्लुक रखते हों, जो जनसुचि का प्रतिनिधित्व करते हों और जिस जगह पर सिर्फ विनोदों या मनोरंजनों का ही माहौल रहता हो वह व्यक्ति कामयाबी और ख्याति को प्राप्त कर सकता है।

आचार्य वात्स्यायन के भाषा संबंधी विचार बहुजनहिताय है। वह जन समाज के बीच न तो कठोर पाण्डित्य चाहता है और न ही गंवारपन। उनकी भाषा नीति मध्यम वर्ग का अवलंबन करती है। वात्स्यायन द्वारा हजारों साल पहले निर्धारित की हुई भाषानीति आज के भाषा विवाद के लिए एक उपाय है।

आचार्य वात्स्यायन के समय में संस्कृतनिष्ठ, सुशिक्षित अथवा साहित्य की भाषा रही है तथा प्राकृत जनभाषा रही है। संस्कृत के साथ-साथ जनभाषा में भी साहित्य का प्रणयन उस समय होता रहा है।

आचार्य वात्स्यायन ने नियम बताया है कि सभाओं तथा गोष्ठियों में साधारणतयः शाम का ही उपयोग किया जाए जो कि आसान सुबोध होने के साथ ही साहित्यिक गुणों से भी संपन्न हो। गोष्ठियों में भाग लेने, भाषण देने का आयोजन ख्याति तथा लोकप्रियता हासिल करना है।

बृद्धिमान लोगों को इस प्रकार के उत्सर्वों में जाना चाहिए जो लोकचितानु वर्तिनी हों। जहां अपने दिल के बोझ को उतारकर दिल और दिमाग के लिए बौद्धिक खुराक हासिल की जा सके। आनन्ददायक सौहार्दमय तथा स्नेहमय माहौल हो। ऐसे माहौल में संपन्न हर क्रिया, हर विचार तथा भावना फलवती हो सकती है। इसके साथ ही कामयाबी और ख्याति भी अनुगमन करती है।

१लोक- इति श्री वात्स्यायनीये कामसूत्रे साधारणे, प्रथमेऽधिकरणे नागरक वृत्तं चतुर्थोऽध्याय॥

अध्याय 5 नायकसहायदूतीकर्मविमर्शः

१लोक (1)- कामश्चतुर्षु वर्णेषु सर्वर्णतः शास्त्रतश्चानन्यपूर्वायां प्रयुज्यमानः पुत्रीयो यशस्यो लौकिकश्च भवति॥

अर्थ- इसके अंतर्गत पुरुष तथा स्त्री के दास और दासियों के करने वाले कार्यों को बताया गया है। इसमें सबसे पहले अपनी जाति की स्त्री से रीति-रिवाज के अनुसार विवाह की जरूरत पर रोशनी डाली जाएगी।

क्षत्रिय, ब्राह्मण, शुद्र और वैश्य वर्ग के अनुसार अपनी ही जाति की स्त्री से विवाह करना चाहिए। इससे उनकी जो संतान पैदा होती है वह संसार में उनका नाम रोशन करती है।

आचार्य वात्स्यायन के अनुसार इस बात के दो अर्थ निकलते हैं- पहला- अपनी ही जाति की स्त्री से विवाह करना और दूसरा संतान को पैदा करके लोकधर्म को निभाना।

इसलिए भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह पद्धति पर बहुत ही नियंत्रण रखा जाता है। बच्चे के जन्म लेने के बाद के अधिकारों को विकसित और परिपक्व बनाने के लिए पूरी शिक्षा-दीक्षा तथा अच्छे माहौल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर जन्म से ही उन गुणों को पाने की कोशिश नहीं की जाती तो खानदानी परंपरा का और परिवार के माहौल का असर बच्चे पर ज्यादा नहीं पड़ता।

आचार्य वात्स्यायन की कही बातें यहां पर बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है। अगर अपनी पत्नी से संभोग करके संतान पैदा की जाए तो यह संसार की मर्यादा के अंतर्गत आता है।

१लोक (2)- तद्विपरीत उत्तमवर्णासु परपरिगृहीतासु च। प्रतिषिद्धोऽवरवर्णास्वनिरवसितासु। वेश्यासु पुनर्भूषु च न शिष्टो न प्रतिषिद्धः। सुखार्थत्वात्॥

अर्थ- इसमें विवाह के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बात को बताया गया है-

अपनी से ऊंची जाति या पराई स्त्री से संभोग की इच्छा शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। इसी तरह से अपने से नीची जाति की स्त्रियों से संभोग की इच्छा रखना गलत है। परंतु वेश्याओं तथा पुनर्भु स्त्रियों से संभोग करना सही है क्योंकि उनके साथ जो संभोग क्रिया की जाती है वह सिर्फ शरीर की आग को शांत करने के लिए होती है न कि संतान आदि पैदा करने के लिए।

आचार्य वात्स्यायन अपनी ही जाति में विवाह करने का ही समर्थन करते हैं क्योंकि वह दोगली जाति पैदा करने को गलत ठहराते हैं। आज के समय में आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि दो अलग-अलग जातियों के जीवों के आपस में मिलने से एक तीसरे प्रकार के जीव की उत्पत्ति होती है।

३लोक (3)- तत्र नायिकास्तिस्त्रः कन्या पुनर्भूर्वेश्या च इति॥

अर्थ- 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं कन्या, पुनर्भु और वेश्या।

आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक इन तीनों प्रकार की स्त्रियों से पुरुष को प्रेम संबंध जोड़ने चाहिए। पहली स्त्री अर्थात् कन्या को सबसे अच्छा माना जाता है। पुनर्भु स्त्री को उससे नीचा और वेश्या स्त्री को सबसे नीचा माना गया है। अब सवाल यह उठता है कि आचार्य वात्स्यायन ने पुनर्भु और वेश्या को कन्या से नीचा क्यों बताया है। जिस लड़की की शादी नहीं होती उसे कन्या कहा जाता है। जो लड़की शादी से पहले किसी पुरुष के साथ संभोग करती है तो उसे पुनर्भु तथा कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली स्त्री को वेश्या कहा जाता है।

इससे एक बात पूरी जाहिर हो जाती है कि आचार्य वात्स्यायन के समय में भी कुंवारी युवतियों को भी अपनी पसंद के युवक से विवाह करने की पूरी छूट थी। हर युवक अपनी खूबियों के बल पर युवती को पाने की इच्छा रखता था। आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक विवाह में बंधने से पहले युवक तथा युवती को आपसी प्रेम संबंध द्वारा एक-दूसरे से परिचित हो जाना चाहिए।

जिस युवक में सारे गुण होते हैं ऐसे युवक के लिए कन्या स्त्री उससे नीचे युवक के लिए पुनर्भु तथा सबसे नीचे युवक के लिए वेश्या स्त्री को चुनने का मकसद सही होता है। सबसे पहले आपस में प्रेम बढ़ाना, फिर एक-दूसरे पर भ्रोसा रखना और फिर विवाह करना आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक सही है।

आचार्य वात्स्यायन ने इसमें युवक की पात्रता के अनुकूल वेश्या नायिका का विधान बनाया है। इसका मतलब यह है कि बुरे युवक के लिए बुरी युवती। इतिहास में वेश्याओं की स्थिति और वह कितनी पुरासे समय से चली आ रही है यह बताया गया है। सभी पुराने ग्रंथों में वेश्याओं के बारे में लिखा हुआ मिलता है। इसी के साथ ही वेश्याओं के संबंध में अलग ग्रंथ भी बने हुए हैं।

वेश्याओं को पुराने समय में समाज का एक जरूरी अंग माना जाता था। पहले के समय में वेश्याओं को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है। लेकिन दूसरी स्त्रियों को इस प्रकार

की शिक्षा से दूर रखा जाता था। पुराने समय से ही वेश्याएं हर चीज में निपुण होती थीं। यहीं नहीं उंची जाति की स्त्रियां भी इनकी शिक्षा-दीक्षा से लाभ उठाया करती थीं।

आचार्यों ने कामसूत्र के अलावा दूसरे ग्रंथों में भी कई प्रकार की स्त्रियों के लक्षण बताए हैं-

1- चित्रिणी

2- परकीया

3- सामान्या

4- स्वकीया

5- पदमिनी

6- हस्तिनी

7- शंखिनी

8- मुग्धा

9- जातयौवना

10- मध्यमा

11- प्रौढ़ा

12- आरुढ़ यौवना मुग्धा

13- नवलअनंग

14- लज्जाप्रिया मुग्धा

15- लुब्धपति प्रौढ़ा

16- प्रगल्भव चना मध्या

17- आक्रमिता प्रौढ़ा

18- सुरतविचित्रा मध्या

19- विचित्र-विभ्रमा प्रौढ़ा

20- समस्तरत कोवि प्रौढ़ा

21- कलहातरिता

22- धीरा

23- उत्कण्ठिता

24- धीरा-धीरा

- 25- स्वाधीन पतिका
26- प्रादुर्भूतमनोभवा मध्या
27- सम्सयाबन्धु
28- खंडिता
29- स्वयंदूतिका
30- प्रोषितापतिका
31- कुलटा
32- लक्षिता
33- लघुमानवती
34- मुदिता
35- अयुशयना
36- मध्य मानवती
37- अनूढा
38- गुरु मानवती
39- रूपग्रंथिता
40- ग्रंथिता
41- अन्य संभोग दुःखिनी
41- कुलटा
42- कनिष्ठा
43- अदिव्या
44- वचनविदग्धा
45- क्रियाविदिग्धा
46- दिव्या
46- दिव्या दिव्या
47- कामग्रंथिता
48- मध्यमा

49- उत्तमा

50- प्रेमगर्विता

51- रूपगर्विता

श्लोक (4)- अन्यकारणवशात्परपरिगृहीतापि पाक्षिकी चतुर्थीति गोणिकापुत्रः॥

अर्थ- इसके अंतर्गत बहुत से आचार्यों द्वारा बताई गई स्त्रियों का उल्लेख किया जाता है।

बहुत से कारणों से पराई स्त्री को भी चौथी स्त्री बनाया जा सकता है।

श्लोक (5)- य यदा मन्यते स्वैरिणीयम्॥

अर्थ- जिन कारणों से पराई स्त्रियों को नायिका बनाया जा सकता है वह निम्नलिखित है-

पुरुष जब इस बात को समझ ले कि पराई स्त्री पतिव्रता नहीं होती है।

**श्लोक (6)- अन्यतोऽपि बहुशो व्यवसित चारित्रा तस्यां वेश्यायामिव गमनमुत्तमवर्णिन्यामपि न धर्मपीडां करिष्यति
पुनर्भुरियम्॥**

अर्थ- आचार्य स्वैरिणी पराई स्त्री से संबंध बनाने के औचित्य को बताते हैं-

बहुत से लोगों द्वारा उनके चरित्र को पहले से ही खराब किया जा चुका है इसीलिए अगर वह अच्छी जाति की भी हो तब भी उसके साथ संभोग क्रिया करना वेश्या के अभिगमन की तरह धर्म के विरुद्ध नहीं होगा।

श्लोक (7)- अन्यपूर्वावरुद्धा नात्र शगंस्ति॥

अर्थ- वह स्त्री पहले ही दूसरे पुरुषों के साथ नाजायज संबंध बनाती है इसलिए उससे संबंध बनाने में किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए।

**श्लोक (8)- पति वा महान्तीमीऽचरमस्मदमित्रसंसृष्टमियमवृहम प्रभुत्वेन चरति। सा मया संसृष्टा स्नेहादेनं
व्यावर्तीयिष्यति॥**

अर्थ- यदि उस स्त्री का पति नामी-गिरामी हस्तियों में आता है और मेरे दुश्मन से उसका संबंध है तो उस स्त्री से मेरा संबंध हो जाने पर वह मेरे मोह में पड़कर अपने पति का मेरे दुश्मन से संबंध तुड़वा देगी।

१८ोक (9)- विरसं वा मयि शक्तमपकर्तुकामं च प्रकृतिमापादयिष्यति॥

अर्थ- इसका अर्थ यह है कि मेरे पुराने दोस्त जो कि किसी कारण से मेरे दुश्मन बन गए हो और मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो तो वह स्त्री उससे मेरी दुबारा से दोस्ती करा देगी और यदि दोस्त न भी बना पाई तो उसके द्वारा मुझे किसी प्रकार की हानि भी नहीं होने देगी।

१९ोक (10)- तथा वा भित्रीकृतेन भित्रकार्यमभित्रप्रतीघातमन्यद्वा दुष्प्रतिपादकं कार्यं साधयिष्यामि॥

अर्थ- अर्थात् उससे संबंध बन जाने पर उसके द्वारा दोस्ती या दुश्मनी के कार्यों को या किसी भी मुश्किल काम को मैं पूरा कर लूंगा।

२०ोक (11)- संसृष्टो वानया हत्वास्याः पतिमस्मद्धाव्यं तदैश्चर्यमेवमधिगमिष्यामि॥

अर्थ- नहीं तो उस स्त्री से मेरे संबंध बन जाने पर उसके पति को मारकर उसके द्वारा छीनी गई मेरी सम्पत्ति को मैं हासिल कर लूंगा।

२१ोक (12)- निरत्यं वास्या गमनमर्थानुबद्धम्। अहं च निःसारत्वात्क्षीणवृत्त्युपायः। सोऽहमनेनोपायेन तदधनमतिमहदकृच्छादधिगमिष्यामि॥

अर्थ- धन के लालच में पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं इस उपाय से उस स्त्री के धन को बहुत ही आसानी से हासिल कर लूंगा।

२२ोक (13)- मर्मजा वा मयि दृढमभिकामा सा मामनिच्छन्तं दोषविख्यापनेन दूषियिष्यति॥

अर्थ- या वह मुझ पर पूरी तरह से मोहित है, मेरे राजों को जानती है, अगर मैं उससे सही तरह से बात न करूं तो वह मेरी बुराईयों को सबको बताकर मुझ बदनाम कर सकती है इसलिए मेरे लिए यह ही सही है कि मैं उसके साथ संबंध बना लूं।

२३ोक (14)- असद्धूतं वा दोषं श्रद्धेयं दुष्परिहारं मयि क्षेप्सयति येन मैं विनाशः स्यात्॥

अर्थ- या मुझसे खफा होकर वह मुझ पर कोई ऐसा संगीन आरोप लगा दें कि मुझे उससे बचना मुश्किल ही हो जाए तब तो मेरा सर्वनाश ही हो जाएगा। इसलिए उसके साथ संबंध बनाना ही मेरे लिए सही है।

२४ोक (15)- आयतिमन्तं वा वशं पतिं मत्तो विभिद्य द्विषतः संग्रहयिष्यति॥

अर्थ- या वह अपने प्रभावशाली पति को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरे दुश्मनों के साथ मिला देगी। इसलिए उसके साथ संबंध बनाना ही सही है।

**श्लोक (16)- स्वयं वा तैः सह संसृज्येत। मदवरोधानां वा दूषियाता पतिरस्यास्तदस्याहमपि दारानेव
दूषयन्तप्रतिकरिष्यामि॥**

अर्थ- या तो वह स्वयं ही मेरे दुश्मनों के साथ मिल जाए या उसका पति मेरी पत्नी को यह सोचकर फँसाना चाहे कि इसने मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध बनाए हैं तो मैं भी इसकी पत्नी के साथ ऐसा ही करूंगा। इसलिए इसके साथ संबंध बनाना ही उचित है।

श्लोक (17)- यामन्यां कामयिष्ये सास्या वशगा। तामनेन संक्रमेणाधिगमिष्यामि॥

अर्थ- या जिस दूसरी स्त्री को मैं चाहता हूं वह उसके वश मैं हूं और इसकी वजह से मैं उसे हासिल कर लूंगा।

श्लोक (18)- कन्यामलभ्यां वात्माधीनामर्थरूपवर्तीं मयि संक्रामयिष्यति॥

अर्थ- या फिर जिस धनवान, खूबसूरत युवती से मैं शादी करना चाहता हूं वह मुझे बिना इसकी सहायता के नहीं मिल सकती।

श्लोक (19)- इति साहसिक्यं न केवलं रागादेव। इति परपरिग्रहगमनकारणानि॥

अर्थ- किसी खास कारण के बिना सिर्फ स्त्री के शरीर को पाने के लिए इतने ज्यादा खतरे उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां पर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने का अध्याय समाप्त होता है।

श्लोक (20)- एतैरेव कारणैर्महामात्रसंबद्धा राजसंबद्धा वा तत्रैकदेशचारिणी काचिदन्या वा कार्यसंपादिनी विधवा

पञ्चमीति चारायणः॥

अर्थ- आचार्य चारायण के अनुसार कन्या, पुनर्भू, वेश्या और पराई स्त्री के अलावा विधवा पांचवीं नायिका है जो राजा, मंत्री और उनके घरवालों के संबंध बना लें या दूसरी कोई ऐसी विधवा स्त्री है जो सफलतापूर्वक अपने सारे कार्यों को कर सके।

श्लोक (21)- सैव प्रव्रजिता षष्ठीति सुवर्णनाभः॥

अर्थ- आचार्य सुवर्णनाभ के मुताबिक परिवाजिका विधवा छठे प्रकार की नायिका होती है।

श्लोक (22)- गणिकाया दुहिता परिचारिका वानन्यपूर्वा सप्तमीति घोयकमुखः

अर्थ- आचार्य घोटकमुख दासी को सातवें प्रकार की स्त्री बताते हैं।

श्लोक (23)- उत्क्रान्तबालभवा कुलयुवतिरूपचारान्यत्वादष्टमीति गोनर्दीयः॥

अर्थ- आचार्य गोनर्दीय के मुताबिक जो युवती बचपन को पार करके जवानी में पहुंचती है और जिसे पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है वह आठवें प्रकार की नायिका होती है।

श्लोक (23)- कार्यान्तराभावादेतासामपि पूर्वस्वेवोपलक्षणम् तस्माच्यतस्त्र एव नायिका इति वात्स्यायनः॥

अर्थ- चारायण से लेकर गोनर्दीय तक जिन आचार्यों ने 4 तरह की नायिकाओं के बारे में बताया है वह सब कन्या, पुनर्भू, वेश्या तथा पराई स्त्री के अन्तर्गत समाहित हैं उनके अलग नहीं हैं। इसलिए सिर्फ 4 प्रकार की नायिकाएं हैं।

आचार्य वात्स्यायन ने गोणिकापुत्र के दिए हुए मत को स्वीकार करके बाकी दूसरे आचार्यों को बहुत ही चतुराई से गलत साबित कर दिया है।

१८ोक (24)- भिन्नत्वात् तीया प्रकृतिः पञ्चमीत्येके॥

अर्थ- आचार्यों के अनुसार पुरुष तथा स्त्री से अलग तीसरे प्रकृति अर्थात् (किन्नर) पांचवीं नायिका है।

इस तीसरी प्रकृति (किन्नर) को पोटा, क्लीव, नपुंसक, वर्षधर, षण्व, उभय-व्यंजन आदि के नामों से भी जाना जाता है। वैसे नपुंसक और हिजड़ों में काफी फर्क होता है।

लिंग में पूरी उत्तेजना न होने और वीर्य के पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण जो पुरुष स्त्री के साथ संभोग करने में असमर्थ रहता है उसे नपुंसक कहा जाता है। कुछ पुरुष जन्म से ही नपुंसक होते हैं और कुछ अपनी जवानी की गलतियों के कारण हो जाते हैं। नपुंसक को क्लीव भी कहा जाता है।

१९ोक (25)- एक एवं तु सार्वलौकिको नायकः। प्रच्छन्नस्तु द्वितीयः। विशेषालाभात्। उत्तमाधममध्यमतां तु गुणागुणतो विद्यात्। तांस्तुभ्योरपि गुणागुणान्वैशिकै वक्ष्यामः॥

अर्थ- इसमें नायिकाओं के लक्षण बताने के बाद पुरुष के लक्षण बताए गए हैं-

स्त्री के जीवन में सबसे बढ़कर जो पुरुष होता है वह उसके पति के रूप में ही होता है। इसके अलावा दूसरा पुरुष उसे कहा जाता है जो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए उसके साथ संबंध बनाता है। इनमें से गुण तथा दोषों के ज्यादा या कम होने के अनुसार सबसे अच्छे, मध्यम और नीच पुरुष कहलाते हैं।

२०ोक (26)- अगम्यास्तवेवैता:- कुष्ठन्युन्मत्ता पतिता भिन्नरहस्या प्रकाशप्राप्तिनी गतप्राययौर्वनातिश्वेतातिकृष्णा दुर्गन्धा संबन्धिनी सखी प्रवजिता संबन्धिसखिश्रोत्रियराजदाराश्च॥

अर्थ- इसके अंतर्गत 13 तरह की अगम्या स्त्रियों (जिन स्त्रियों के साथ संभोग नहीं किया जा सकता) के बारे में बताया गया है यह स्त्रियां हैं- पागल, कोङ्डिन, बेशर्म, ज्यादा उम्र की, शरीर से बदबू आने वाली, किसी तरह के रिश्ते में लगती हो, ज्यादा सफेद रंग की या ज्यादा काली रंग की, बचपन की सहेली, जो किसी राज को न छुपा पाती हो, सन्यासिनी।

२१ोक (27)- दृष्टपञ्चपुरुषा नागम्या काचिदस्तीति बाभ्रवीयाः॥

अर्थ- बाभ्रवीय आचार्यों के मुताबिक अगर कोई स्त्री 5 पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो वह अगम्या स्त्री नहीं है।

२२ोक (28)- संबन्धिसखिश्रोत्रियराजदारवर्जमिति गोणिकापुत्रः॥

अर्थ- बाभ्रवीय आचार्य के मत में आचार्य गोणिकापुत्र ने अपना एक मत और जोड़कर उसका समर्थन करते हैं- 5 पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद भी रिश्तेदार, मित्र, ब्राह्मण और राजा की स्त्री अगम्य है।

आचार्य वात्स्यायन ने जिस तरह की 13 स्त्रियों के नाम बताए हैं वह धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सबसे ज्यादा निषिद्ध हैं। शरीर विज्ञान तथा वंशानुक्रम-विज्ञान से अगर देखा जाए तो पागल, कोङ्डिन, शरीर से बदबू आने वाली, ज्यादा काली युवती या ज्यादा गोरी लड़की से संभोग करना भयंकर तथा वंश

परंपरागत विकारों को जानबूझकर बुलावा देना है। ज्यादा उम्र की स्त्री के साथ संभोग करना दिल और दिमाग तथा शरीर को नुकसान पहुंचाना ही होता है।

इसके साथ बड़ी कोशिश से रक्षा करने लायक, वीर्य का नाश करने के समान ही है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने कुल या गौत्र की स्त्री, दोस्त की पत्नी, राजा की पत्नी तथा सन्यासिनी के साथ संभोग करना जानवर पंती समझी जाती है अर्थात् जो पुरुष ऐसा करता है वह मनुष्य न कहलाकर जानवर कहलाने के लायक ही है।

**श्लोक (29)- सहपांसुक्षीडितमुपकारसंबंद्धं समानशीलव्यसनं सहाध्यायिनं यश्चास्य मर्माणि रहस्यानि य विद्यात्, यस्य
चायं विद्याद्वा धात्रपत्यं सहसंवृद्धं मित्रम्॥**

अर्थ- इसमें यह बताया गया है कि कैसे लोगों को अपना प्रिय मित्र बनाना चाहिए जैसे बचपन में जिनके साथ पूरे दिन खेलते हों, जिस पर किसी तरह का एहसान किया हो, स्वभाव या गुण आदि में जो बिल्कुल अपनी ही तरह हो, जिससे किसी तरह के राज को ना छुपाया गया हो और जो एक ही मां की गोद में खेलकर पले-बढ़े हों।

श्लोक (30)- पितृपैतामहमविसंवादकमद्दृष्टवैकृतं वशं धुवमलोभशीलमपरिहार्यममन्त्रविस्त्रावीति मित्रन्संपत्॥

अर्थ- जिससे खानदानी प्यार-दुलार चला रहा हो, जिन लोगों से लड़ाई-झगड़ा न होता हो, जो स्वभाव से चंचल न हो, लालची न हो, किसी के बहकावे में न आए और किसी के द्वारा बताई गई बातों को दूसरों के सामने न खोले। इस प्रकार के लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए।

**श्लोक (31)- राजकनपितमालाकारगान्धिकसौरिकभिक्षुकगोपाल कताम्बूलिकसौवर्णिकपीठमर्दविटविदूषकादयो मित्राणि।
तद्योषिन्मत्राश्च नागरकाः स्युरिति वात्स्यायनः॥**

अर्थ- इनके अलावा कुछ करोबार से संबंध रखने वाले लोग भी नायक के दोस्तों में शामिल हो सकते हैं जैसे धोबी, नाई, माली, भिखारी, दूध वाला, तमोली, सुनार आदि। आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक धोबी, नाई, माली आदि की पत्नियों को भी दोस्त बनाया जा सकता है क्योंकि यह पुरुषों से ज्यादा नायक की ज्यादा मदद कर सकती है। क्योंकि इनका संबंध महल में रहने वाली रानियों से होता है और यह किसी भी समय उनके महल में आ जा सकती है।

श्लोक (32)- यादुभयोः साधारणमुभ्यत्रोदारं विशेषतो नायिकायाः सुविस्त्रब्धं तत्र दूतकर्म॥

अर्थ- जो लोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही मन में अच्छी भावना रखते हो खास करके स्त्री का ज्यादा विश्वास पात्र हो वह दूतकार्य के लिए बिल्कुल ठीक रहता है।

श्लोक (33)- पटुता धृष्टार्थमिगिंताकारजता प्रतारणकालजता विषह्यबुद्धित्वं लध्वी प्रतिपत्तिः सोपाया चेति दूतगाणाः॥

अर्थ- बातचीत में चतुराई, ढीटपना, इशारों को समझना, नायिका को किस समय बहकाया जा सकता है, इसका काल ज्ञान, संकट अथवा शक महसूस होने पर जल्द ही फैसला लेने वाली आदि दूत के गुणों में शुमार होते हैं।

**श्लोक (34)- भवति चात्र श्लोकः- भवति चात्र श्लोकः- आत्मवान्मित्रवान्युक्तो भावज्ञो देशकालवित्। अलभ्यामप्ययत्नेन
स्त्रियं संसाधयेन्नरः॥**

अर्थ- इस विषय के बारें में एक पुराना श्लोक है-

जो पुरुष आत्मनिर्भर तथा दोस्त बनाने वाले गुणों से संपन्न होता है, जो वृत्त में निपुण होता है, स्त्रियों के मन के भावों को परखने वाला होता है, स्थान और समय के महत्व को समझता है, वही अलभ्य स्त्री को भी बहुत आसानी से पा लेता है।

इस अध्याय का नाम दूतीकर्म विशेष है लेकिन दूतीकर्म से ज्यादा इसमें दूतकर्म का ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। नायिका को नायक से मिलाने में दूती जितनी ज्यादा मदद कर सकती है उतनी दूत नहीं कर सकता। आचार्य वात्स्यायन ने वैसे तो दूसरे काम-शास्त्र के आचार्यों की राय को सही बताते हुए दूतकर्म का कार्य करने वाले पुरुषों की पत्नियों को भी दूतीकार्य में सहयोग करने की राय दी है, लेकिन वह सारी बातें समीचीन इसलिए नहीं जान पड़ती कि जितने प्रकार के दूत बताए गए हैं उन सभी की पत्नियां दूतीकार्य के लिए सही नहीं रहती। पुराने इतिहास में स्त्री और पुरुष के बारे में प्रेम के बारे में पढ़ने पर जात होता है कि स्त्री और पुरुष के बीज क्लेश पैदा कराने वाले कार्यों में स्त्रियां ही ज्यादा सफल साबित हुई हैं पुरुष दूत नहीं।

इस अध्याय को जो नाम दिया गया है उसके अनुसार इस विषय का विवेचन न के बराबर हुआ है। विषयांतर का समावेश समीक्षक दिमाग में उलझने पैदा करता है। इस अध्याय में दूतीकार्य को छुआ तक नहीं गया है बल्कि इसके मुकाबले दूसरे ग्रंथों में इस विषय के बारें में पूरी जानकारी मिलती है।

आचार्य वात्स्यायन ने एक पुराने श्लोक को उदाहरण के रूप में बताते हुए कहा है कि जिस पुरुष के पास आत्मबल और बहुत सारे भरोसेमंद मित्र होते हैं और वह नागरकवृति में निपुण तथा मन के भावों को समझने वाला होता है। वह अनायास, अलभ्य स्त्रियों को हासिल कर सकता है।

इस अध्याय के अंतर्गत नायक पुरुष के जो गुण और विशेषताएं बताई गई हैं वह सिर्फ अलभ्य स्त्रियों को हासिल करने में ही कामयाबी नहीं दिलाती बल्कि जीवन के हर क्षेत्र और काम-काज में पूरी तरह से कामयाब बनाती है।

जो पुरुष कायर नहीं होता उसी को आत्मवान कह सकते हैं। जिसका दिल साफ होता है वही सच्चा मित्र बन सकता है। मन के भावों को समझने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर समीक्षात्मक दिमाग तथा मनौवैज्ञानिक नजरिया हो और व्यवहारकुशल व्यक्ति ही देशकालवित हो सकता है।

इस श्लोक से यहीं पता चलता है कि काम-शास्त्र का जाता पुरुष छिठोरा, लफंगा और मनचला नहीं होता बल्कि कुलीन, समझदार, लोकप्रिय, स्वाभिमानी, आत्मनिष्ठ और कलाकुशल होता है।

श्लोक- इति श्री वात्स्यायनीये कामसूत्रे साधारणे प्रथमेऽधिकलणे पंचमोऽध्यायः प्रथम अधिकरण (साधारण) समाप्त।

अध्याय १ रताववस्थापन प्रकरण (प्रमाणकालभावेभ्यो रतावस्थापनम्)

१लोक-१. शशो वृषोऽश्वइति लिंगतो नायकविशेषः। नायिका पुनमृगी बडवा हस्तिनी चेति।

अर्थ- छोटे, बड़े या मध्यम आकार के लिंग के आधार पर पुरुष को शश (खरगोश), बैल और घोड़े की संज्ञा दी गई है। स्त्री की योनि कम गहरी, ज्यादा गहरी या साधारण गहरी होने के आधार पर उसे मृगी (हिरनी), घोड़ी तथा हथिनी की संज्ञा दी जाती है।

१लोक-२. तत्र सदृशसंप्रयोगे समपतानि त्रीणि॥

अर्थ- अपने जोड़े के स्त्री और पुरुष के संभोग करने को समरत कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है-

शश (खरगोश) पुरुष का मृगी (हिरनी) स्त्री के साथ।

वृष (बैल) पुरुष का बडवा (घोड़ी) स्त्री के साथ।

अश्व (घोड़ा) पुरुष का हस्तिनी (हथिनी) स्त्री के साथ।

१लोक-३. विपर्ययेण विषमाणि षट्। विषमेष्वपि पुरुषाधिक्यं चेदनन्तरसंप्रयोगे द्वे उच्चरते। व्यवहितमेकमुच्चरतम्। विपर्यये पुनर्द्वे नीचरते। व्यवहितमेकं नीचकतरतं च। तेषु समानि श्रेष्ठानि। तरशब्दाग्निं द्वे कनिष्ठे। शोषाणि मध्यमानि॥

अर्थ- संभोग क्रिया करने के लिए एक जोड़े के सदस्य का दूसरे जोड़े के सदस्य के साथ बदलकर संभोग करना जैसे शश (खरगोश) पुरुष का बडवा (घोड़ी) स्त्री या हस्तिनी स्त्री के साथ संभोग करना, वृष (बैल) पुरुष का मृगी (हिरनी) स्त्री के साथ संभोग करना और अश्व (घोड़ा) पुरुष का मृगी (हिरनी) स्त्री या बडवा (घोड़ी) स्त्री के साथ संभोग करना। यह 6 तरह के होते हैं। इस तरह की संभोग क्रियाओं में भी ज्यादा बड़े लिंग वाले पुरुष का छोटी योनि वाली स्त्री के साथ तथा मध्यम आकार के लिंग वाले पुरुष का साधारण योनि वाली स्त्री के साथ संभोग करना उच्चरत कहलाता है। बड़े लिंग वाले पुरुष का छोटी योनि वाली स्त्री के साथ संभोग करना उच्चरत होता है। इसके विपरीत ज्यादा गहरी योनि वाली हस्तिनी स्त्री के साथ मध्यम आकार के लिंग वाले वृष पुरुष के साथ, छोटे लिंग वाले शश पुरुष का ज्यादा साधारण योनि वाली स्त्री के साथ नीचरत तथा ज्यादा गहरी योनि वाली हस्तिनी स्त्री से छोटे लिंग वाले शश पुरुष का संभोग करना नीचरत माना जाता है। इन सब तरह की संभोग क्रियाओं में अपने बराबर के जोड़े के पुरुष के साथ संभोग करना नीचरत माना जाता है। उच्चतर और नीचतररत को सबसे नीची संभोग क्रिया माना जाता है।

१लोक-४. साम्येऽष्युच्चाङ्ग नीचाङ्गञ्जयायः। इति प्रमाणतो नवरतानि॥

अर्थ- मध्यम संभोग में भी अश्व पुरुष का बडवा स्त्री के साथ, वृष पुरुष का मृगी स्त्री के साथ संभोग करना कुछ हद तक ठीक है। लेकिन हस्तिनी स्त्री से वृष पुरुष का या बडवा स्त्री का शश पुरुष से संभोग करना किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता।

अगर सिर्फ संभोग करने में मिलने वाले सुख को ही सामने रखकर विचार करते हैं तो सीत्कार, विलास और उपर्सग यह तीन क्रियाएं संभोग में प्रमुख मानी जाती हैं। लेकिन संभोग क्रिया का असली आनंद स्त्री और पुरुष के स्वभाव,

शरीर की बनावट और जननेन्द्रियों की बनावट पर ज्यादा निर्भर करता है। आचार्य वात्स्यायन ने जननेन्द्रियों के नाम के अनुसार 3 तरह के पुरुष बताए हैं-

शश (खरगोश)- ऐसे पुरुषों का लिंग लगभग 6 इंच का होता है।

वृष (बैल)- इस तरह के पुरुषों का लिंग 8 इंच का होता है।

अश्व (घोड़ा)- इनका लिंग लगभग 12 इंच का होता है।

ऐसी ही स्त्रियों में भी होता है-

मृगी (हिरनी) स्त्री।

बड़वा (घोड़ी) स्त्री।

हस्तिनी (हथिनी) स्त्री।

www.freehindipdfbooks.com

पुरुष के लिंग का मापन लंबाई तथा मोटाई के आधार पर किया जाता है और स्त्री की योनि का मापन उसकी गहराई तथा चौड़ाई से होता है। जिन स्त्री और पुरुषों के लिंग और योनि का माप एक ही आकार में होता है उनके आपस में संभोग करने की क्रिया को सम कहा जाता है। सम संभोग मुख्यतः 3 तरह का होता है और विषम संभोग अर्थात् अदल-बदलकर संभोग करना मुख्यतः 6 तरह का होता है। सम अर्थात् शश पुरुष का मृगी स्त्री के साथ, वृष पुरुष का बड़वा स्त्री के साथ और अश्व पुरुष का हस्तिनी स्त्री के साथ संभोग करना। इस तरह से यह 3 तरह की संभोग क्रिया होती है। शश पुरुष का बड़वा तथा हस्तिनी स्त्री के साथ, वृष पुरुष का मृगी या हस्तिनी स्त्री के साथ और अश्व पुरुष का बड़वा स्त्री के साथ संभोग करना। इस तरह से यह 6 तरह की संभोग क्रिया होती है।

१लोक-५. यस्य संप्रयोगकाले प्रीतिरुदासीना वीर्यमल्पं क्षतानि च न सहते न मन्दवेगः॥

अर्थ- इसके अंतर्गत कामजन्य मानसिक आवेश के अनुसार पुरुष और स्त्री के संभोग करने के भेद बताए जा रहे हैं- संभोग क्रिया के समय जिस व्यक्ति की काम-उत्तेजना बहुत कम होती है, वीर्य कम निकलता है और जो स्त्री के द्वारा अपने शरीर पर नखक्षत (नाखूनों को गढ़ाना) और दन्तक्षत (दांतों को गढ़ाना) आदि प्रहारों को सहने में असमर्थ हो तो वह मन्दवेग कहलाता है।

१लोक-६. तद् विपर्ययौ मध्यमचण्डवेगौ भवतः। तथा नायिकापि॥

अर्थ- इसके विपरीत मध्यम और तेज संभोग करने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चण्डवेग कहा जाता है। इसी तरह संभोग की इच्छा के मुताबिक स्त्रियां भी 3 प्रकार की होती हैं- मंटवेग, मध्यम वेग और चंडवेग।

१लोक-7. तत्रापि प्रमाणवदेव नवरातानि॥

अर्थ- लिंग प्रमाण के प्रकार के अनुरूप बताए जा रहे 9 प्रकार के रत्नों की तरह यहां भी 9 प्रकार के स्त्री और पुरुष की संभोग क्रिया होती है।

१लोक-8. तद्वत्कालतोऽपि शीघ्रमध्यचिरकाला नायकाः॥

अर्थ- लिंग की लंबाई, मोटाई और संभोग करने की इच्छा की तरह समय से भी स्त्री और पुरुष के शीघ्र, मध्य और चिरकाल 3 भेद होते हैं।

१लोक-9. तत्र स्त्रियां विवादः॥

अर्थ- स्त्री के बारे में यहां पर आचार्यों में मतभेद हैं।

१लोक-10. न स्त्री-पुरुषवदेव भावमधिगच्छति॥

अर्थ- पुरुष की तरह ही स्त्री को संभोग क्रिया में सुख नहीं मिलता है।

१लोक-11. सातत्यात्वस्याः पुरुषेण कण्ठूतिरपनवद्यते॥

अर्थ- फिर स्त्री किस कारण से संभोग क्रिया में लीन होती है।

पुरुष के साथ संघर्षण (संभोग करने से) होने से स्त्री की खुजली दूर हो जाती है।

१लोक-12. सा पुनराभिमानिकेन सुखेन संसृष्टा रसान्तरं जनयति तस्मिन् सुखबुद्धिरस्याः॥

अर्थ- यदि स्त्री को केवल अपनी खुजली ही दूर करनी है तो उसके लिए उसके पास दूसरे उपाय भी हैं। स्त्री को तो चुम्बन, आलिंगन और प्रहार आदि उत्तेजना पैदा करने वाली क्रियाओं की वजह से पुरुष के साथ संभोग क्रिया करने में चरम सुख की प्राप्ति होती है।

१लोक-13. पुरुषप्रीतेश्चानभिज्ञत्वात्कथं ते सुखमिति प्रष्टमशक्यत्वात्॥

अर्थ- स्त्री और पुरुष को संभोग क्रिया में जो आनंद प्राप्त होता है उसका लाभ उनके अपने सिवा आपस में दोनों में से किसी को नहीं हो सकता और न ही इस बारे में उनसे पूछकर ही पता लगाया जा सकता है क्योंकि मानसिक आनंद को शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता।

१लोक-14. कथमेतदुपलम्यत इति चेत्पुरुषो हि रतिमधिगम्या स्वेच्छया विरमति न स्त्रियमपेक्षते, न त्वेवं स्त्रीत्यौदालकिः॥

अर्थ- इस वजह से इस बात को कैसे मान लिया जाए कि स्त्री को पुरुष की तरह संभोग का चरम सुख प्राप्त नहीं होता।

इस बारे में आचार्य औद्दालिक अपना मत देते हुए कहते हैं कि एक बार संभोग क्रिया में स्खलित होने के बाद पुरुष की उत्तेजना समाप्त हो जाती है और उसे स्त्री की जरूरत नहीं रहती लेकिन स्त्री की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है।

श्लोक-15. तत्रैतस्यात् । चिरवेगे, नायके स्त्रियोऽनुरुज्यन्ते, शीघ्रवेगस्य भावमनासाद्यावसानेऽन्यसूयिन्यो भवन्ति । तत्सर्व भावप्राप्तेरप्राप्तेश्च लक्षणम्॥

अर्थ- यहां एक बात और भी जानने वाली यह है कि जो पुरुष संभोग क्रिया को बहुत तेजी और देर तक करता है स्त्रियां उससे बहुत लगाव रखती हैं। लेकिन जो पुरुष संभोग क्रिया के समय कुछ ही देर में स्खलित हो जाता है स्त्रियां उनकी निन्दा करती हैं। इसलिए स्त्री अगर पुरुष को कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही है तो उसे समझ जाना चाहिए कि स्त्री को संभोग क्रिया का पूरा सुख मिल रहा है।

श्लोक-16. तञ्च न। कण्डूतिप्रतीकारोऽपि हि दीर्घकालं प्रिय इति । एतदुपपद्यत एव। तस्मात्संदिग्धत्वादलक्षण्यमति॥

अर्थ- लेकिन यह सही नहीं माना जा सकता क्योंकि स्त्री के द्वारा पुरुष को ज्यादा प्यार आदि करने से यह साबित नहीं हो सकता कि उसकी काम-उत्तेजना शांत हो गई है। वैसे भी अगर पुरुष स्त्री के साथ बहुत देर तक संभोग करता है तो इससे काफी देर तक स्त्री की संभोग की खुजली तो शांत रहेगी तो वह पुरुष से प्यार आदि करने में मशरूफ रहेगी ही।

श्लोक-17. संयोगे योषितः पुसां कण्डूतिरपनुद्यते । तञ्जाभिमानसंसृष्ट सुखमित्यभिधीयते॥

अर्थ- इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने एक श्लोक का उदाहरण दिया है। पुरुषों के साथ संभोग करने से स्त्रियों की खुजली दूर हो जाती है और आलिंगन, चुम्बन आदि संभोग की सहायक क्रियाएं मिलकर संभोग सुख कहलाती हैं।

श्लोक-18. सातत्याद्युवतिराम्भातप्रभृति भावमधिगच्छति । पुरुषः पुनरन्त एव। एतुदुपपन्नतरम् । नहयसत्यां भावप्राप्तौ गर्भसम्भव इति वाभवीयाः॥

अर्थ- बभु आचार्य के शिष्यों के अनुसार पुरुष जिस समय स्खलित लगता है उसे उसी समय आनंद आता है और स्खलित होने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन स्त्री को संभोग की शुरुआत से ही बराबर आनंद की अनुभुति होती रहती है। यह बात बहुत अच्छी तरह से साबित हो चुकी है कि संभोग करने की इच्छा न हो तो कभी भी स्त्री को गर्भ स्थिर नहीं हो सकता है।

श्लोक-19. अत्रापि तावेवाशङपरिहारौ भूयः॥

अर्थ- बाभव्य आचार्यों के दिए गए मत में भी उसी तरह की शंकाएं पैदा होती हैं जो आचार्य औद्दालिक के मत में कही जा चुकी हैं। उन समस्याओं का हल भी पहले की ही तरह करना चाहिए।

श्लोक-20. तत्रैतस्यात् सातत्येन रसप्राप्तावारम्भकाले मध्यरथचित्तता नातिसहिष्णुता च। ततः क्रमेणाधिको रागयोगः शरीरे निरपक्षेत्वम् अन्ते च विरामाभीप्सेत्येतदुपपन्नमिति॥

अर्थ- यहां पर इस बात पर सवाल उठ सकता है कि अगर स्त्री को लगातार आनंद की अनुभूति हुआ करती है तो किस वजह से संभोग की शुरुआत में पुरुष बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर बेचैन हो जाता है और स्त्री शांत सी लेटी रहती है। वह पुरुष के द्वारा अपने शरीर पर नाखूनों को गढ़ाना, दांतों से काटना और स्तनों को दबाना आदि के लिए मना करती है और सिर्फ यही चाहती है कि पुरुष उसके साथ संभोग करता रहे। इस बात से एक चीज पता चलती है कि यह कहना गलत है कि स्त्री को आदि से अन्त तक आनंद की अनुभूति होती है।

श्लोक-21. कस्या वा भ्रान्तावेव वर्तमानस्य प्रारम्भे मन्दवेगता तत्पश्च क्रमेण पूरणं वेगस्येत्युपपद्यते। धातुक्षयाच्च विरामाभीप्सेति। तस्मादनाक्षेपः॥

अर्थ- स्त्री की संभोग करने की इच्छा शुरू में कम और फिर धीरे-धीरे तेज होती जाती है और पुरुष के स्खलित होने के बाद शांत हो जाती है। इस प्रकार कहा जाता है कि संभोग क्रिया के शुरू से लेकर वीर्य-स्खलन तक स्त्री की संभोग करने की इच्छा लगातार बनी रहती है।

श्लोक-22. सुरतान्ते सुखं पुंसां स्त्रीणां तु सततं सुखम्। धातुक्षयनिमिता च विरामेच्छोपजायते॥

अर्थ- संभोग क्रिया के अंत में पुरुष के स्खलित होने पर ही पुरुष को चरम सुख मिलता है लेकिन स्त्रियों को इस क्रिया की शुरुआत से ही सुख महसूस होने लगता है और स्खलन होने के बाद रुक जाने की इच्छा होती है।

श्लोक-23. तस्मात्पुरुषवदेव योषितोऽपि रसव्यक्तिद्रष्टव्या॥

अर्थ- आखिर में वात्स्यायन जी का कहना है कि-

इससे यही बात पता चलता है कि पुरुषों की ही तरह स्त्रियों को भी संभोग क्रिया के अंत में चरम सुख की प्राप्ति होती है।

श्लोक-24. कथ हि समानायामेवाकृतावेकार्थमभिप्रन्नयोः कार्यवैलक्षण्यं स्यात्॥

अर्थ- एक ही जाति और एक ही मक्सद में लगे हुए स्त्री और पुरुष का सुख एक-दूसरे से अलग कैसे हो सकता है।

श्लोक-25. उपायवैलक्षण्यादभिमानवैलक्षण्याच्च॥

अर्थ- या स्थिति तथा अनुभूति में अंतर पड़ने पर आनंद में अंतर आ सकता है।

श्लोक-26.. कथमुपायवैलक्षण्यं तु सर्गत्। कर्ता हि पुरुषोऽधिकरणं युवतिः। अन्यथा हि कर्ता क्रियां प्रतिपद्यतेऽन्यथा चाधारः। तस्माच्चोपायवैलक्षण्यात्सर्गादभिमानवैलक्षण्यमपि भवित। अभियुक्ताहमिति पुरुषोऽनुरज्यते। अभियुक्ताहमनेनेति युवातिरिति वात्स्यायनः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक संभोग क्रिया के दौरान मिलने वाला भेद किस प्रकार हो सकता है। अवस्था भेद तो जन्म से ही होता है। यह बात तो सभी जानते हैं कि पुरुष करने वाला होता है और स्त्री कराने वाली होती है। पुरुष की क्रिया और स्त्री की क्रिया अलग-अलग होती है जैसे- संभोग क्रिया के समय पुरुष चरम सुख के दौरान यह

सोचता है कि मैं संभोग कर रहा हूँ और स्त्री यह सोचती है कि मैं पुरुष से संभोग करा रही हूँ। इस प्रकार अवस्था तथा अनुभूति के अलग होने से सिर्फ इतना अंतर होता है लेकिन संभोग में कोई अंतर नहीं होता है।

१८ोक-२७. तत्रैतस्यादुपायवैलक्षण्यवदेव हि कार्यवैलक्षण्यमपि कस्मान्न स्यादिति। तच्च न। हेतुमदुपायवैलक्षण्यम्। तत्र कर्त्ताधारयोर्भिन्नलक्षणत्वादहेतुमत्कार्यवैलक्षण्यमन्यायं स्यात्। आकृतेरभेदादिति॥

अर्थ- अब दुबारा यह आक्षेप पेश किया जा रहा है कि जब स्त्री और पुरुष की स्थितियों में भेद है तो फिर उनको मिलने वाले संभोग के समय में अंतर क्यों नहीं होगा। आक्षेप का जवाब यह है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्त्री और पुरुष के अंगों में भेद होगा तो उनकी स्थिति में तो भेद होगा ही। लेकिन बिना कारण ही स्त्री और पुरुष के संभोग किया के फल और चरमसुख में अंतर संभव नहीं हो सकता है क्योंकि स्त्री और पुरुष एक ही जाति के नहीं हैं।

१८ोक-२८. तत्रैतस्यात्। संहन्य कारकैरेकोऽर्थोऽभिनिर्वर्त्यते। पृथक्पृथक्स्वार्थसाधकौ पुनरिमाँ तदयुक्तमिति।

अर्थ- अब सवाल यह पैदा होता है कि जब अलग-अलग यानी कि करने वाला और कराने वाला मिलकर कोई काम करते हैं तो एक ही काम पूरा होता है और जब स्त्री और पुरुष मिलकर एक ही क्रिया अर्थात् संभोग क्रिया करते हैं तब यह कहना कि उन्हें इसमें अलग-अलग प्रकार का चरम सुख प्राप्त होता है, सही नहीं है।

१८ोक-२९. तच्च न। युगपदनेकार्थसिद्धिरपि ददश्यते। यथा मेषयोरभिघाते कपित्थयोर्भदे मल्लयोर्युद्ध इति। न तत्र कारकभेद इति चेदिहापि न वस्तुभेद इति। उपायवैलक्षण्यं तु सर्गादिति तदभिहितं पुरस्यात्। तेनोभयोरपि सदृशी सुखप्रतिपत्तिरिति॥

अर्थ- ऐसा बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वैसे तो एक साथ कई सारे कामों को सिद्ध होते देखा गया है जैसे 2 मेढ़ों की लड़ाई में, 2 पके हुए फलों को एकसाथ तोड़ने में और पहलवानों की कुश्ती में एक ही फल मिलता है। यदि कहा जाए कि मेढ़ों, फलों और पहलवानों में स्त्री और पुरुषों की तरह लिंग का अंतर नहीं है तो स्त्री और पुरुष में भी वस्तु अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही मनुष्य हैं और यह पहले ही बताया जा चुका है कि लिंग में अंतर तो स्वाभाविक ही होता है। इसलिए यह बात साबित होती है कि संभोग क्रिया के समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही एक ही प्रकार का चरम सुख मिलता है।

१८ोक-३०. जातेरभेदाद्देम्पत्योः सदृशं सुखमिष्यते। तस्मात्थोपचर्या स्त्री यथाग्रे प्राप्नुयाद्रतिम्॥

अर्थ- इसके अंतर्गत महर्षि वात्स्यायन मुनि ने संभोग में मिलने वाले चरम सुख को प्राप्त करने की पद्धति बताई गई है।

एक ही जाति के होने के कारण स्त्री और पुरुष को संभोग में बराबर सुख मिलता है इसलिए संभोग के समय में चुंबन, आलिंगन और स्तनों को दबाना आदि बाहरीय संभोग द्वारा स्त्री को इस तरह से द्रवित करना चाहिए कि पुरुष से पहले स्त्री को चरम सुख प्राप्त हो जाए। फिर अपनी संभोग करने की इच्छा को पूरी करने के लिए तेज गति से संभोग करना चाहिए।

१८ोक-३१. सद्दशत्वस्य सिद्धत्वात् कालयोगीन्यापि भावतोऽपि कालतः प्रमाणवदेव नव रतानि॥

अर्थ- निष्कर्ष में संभोग के 9 प्रकार बताए गए हैं-

पुरुष और स्त्री में बराबरी साबित होने पर समय, भाव तथा प्रमाण के अनुसार स्त्री और पुरुषों के 9 तरह के संभोग होते हैं।

१८ोक-३२. रसो रतिः प्रीतिभावो रागो वेगः समाप्तिरिति रतिपर्यायः। संप्रयोगो रतं रहः शयनं मोहनं सुरतपर्याया॥

अर्थ- इसके अंतर्गत संभोग शब्दों के पर्यायवाची शब्दों की परिगणना करते हैं- रस-रति, प्रीति, भाव, राग, वेग और समाप्ति। यह शब्द संभोग में प्रयुक्त होते हैं और सम्प्रयोग, रत, रहः (अकेले में सोना), शयन मोहन यह शब्द सुरत संभोग में इस्तेमाल होते हैं।

१८ोक-३३. प्रमाणकालभावजानां संप्रयोगाणामेकैकस्य नवविद्यत्वातेषां यतिकरे सुरतसंख्या न शक्यते कर्तुम्।

अतिबहुत्वात्॥

अर्थ- रत (संभोग) के मुख्य प्रकार-

लिंग और योनि के प्रमाण, संभोग के समय तथा मानसिक भाव इनसे पैदा होने वाले हर प्रकार के रत हैं और यही मिलकर कई प्रकार के बनते हैं। ये बहुत ज्यादा की संख्यां में होते हैं इसलिए इनकी गिनती नहीं की जा सकती है।

१८ोक-३४. तेषु तर्कादुपयारानप्रयोजयेदिति वात्स्यायनः॥

अर्थ- वात्स्यायन के मुताबिक इन कई प्रकारों के रतों में पूरी तरह से दिमाग का प्रयोग करके संभोग क्रिया में लगना चाहिए।

१८ोक-३५. प्रथमरते चण्डवेगता शीघ्रकालता च पुरुषयत, तद्विपरीतमुत्तरेषु। योषितः पुनरेतदेव विपरीतम्। आ धातुक्षयात्॥

अर्थ- प्रथम रत (पहली बार संभोग करना) के समय जब तक वीर्य स्खलित नहीं होता तब तक पुरुष की गति बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण उसकी संभोग करने की इच्छा जल्दी ही समाप्त हो जाती है लेकिन उसी रात में जब पुरुष दुबारा संभोग करता है तो वह इस क्रिया को काफी देर तक कर लेता है। स्त्रियों की प्रवृत्ति इसके विपरीत होती है। उनकी काम-उत्तेजना पहले कम होती है और फिर धीरे-धीरे तेज होकर ठहरती है लेकिन दूसरी बार में वह ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाती है। स्त्री और पुरुष की काम-उत्तेजना में यही स्वाभाविक अंतर होता है।

१८ोक-३६. प्राक् च स्त्रीधातुक्षयात्पुरुषाधातुक्षय इति प्रायोवादः॥

अर्थ- इसलिए महर्षि वात्स्यायन कहते हैं-

ऐसा पाया गया है कि संभोग क्रिया के समय में स्त्री से पहले पुरुष स्खलित हो जाता है।

१८ोक-३७. मृदुत्वादुपमृद्यत्वान्निसर्गाच्चैव योषितः। प्राप्तुवन्त्याशु ताः प्रीतिमित्याचार्या व्यवस्थिताः॥

अर्थ- कामशास्त्र में सभी आचार्यों का मानना है कि संभोग क्रिया के दौरान स्त्रियां पुरुषों से पहले चरम सुख को प्राप्त करती हैं क्योंकि वह स्वभाव से ही नाजुक होती हैं। चुंबन और आलिंगन करने से उनकी कामो-उत्तेजना जल्दी तेज हो जाती है।

१८ोक-३८. एतावदेव युक्तानां व्याख्यातं सांप्रयोगिकम्। मन्दानामवबोधार्थं विस्तरोऽतः प्रवक्ष्यते॥

अर्थ- यहां पर स्त्री और पुरुष के बारे में जो बताया जा रहा है सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए है। साधारण मनुष्यों के लिए इसका वर्णन विस्तार से किया गया है।

१लोक-39. अभ्यासाभिमानाच्च तथा संप्रत्ययादपि। विषयेभ्यश्च तन्त्रज्ञः प्रीतिमाहश्चुत्तर्विधाम्॥

अर्थ- कामसूत्र के आचार्यों के अनुसार प्रेम 4 प्रकार से उत्पन्न होता है-

अभ्यास से।

विचारों से।

याद रखने से।

विषयों से।

१लोक-40. शब्दादिभ्यो बहिर्भूता या कर्माभ्यासलक्षणा। प्रीतिः साभ्यासिकी ज्ञेया मृग्यादिषु कर्मसु॥

अर्थ- जो प्रेम अभ्यास करने से बढ़ता है उसे अभ्यासिकी कहते हैं जैसे शिकार, संगीत, नृत्य, नाटक आदि। यह प्रेम विषयों से होने वाले प्रेम से भिन्न होती है।

१लोक-41. अनभ्यस्तेष्वपि पुरा कर्मस्वविषयात्मिका। संकलपाज्ञायते प्रीतिर्या सा स्यादाभिमानिकी॥

अर्थ- किसी अभ्यास को करे बिना सिर्फ सोचने से ही जो प्रेम पैदा होता है उसे अभिमानी कहा जाता है। यह प्रेम भी विषयों से होने वाले प्रेम से भिन्न होता है।

१लोक-42. प्रकृतेर्या तृतीयस्याः स्त्रियाश्चैवोपरिष्टके। तेषु तेषु च विजेया चुम्बनादिषु कर्मसु॥

अर्थ- वेश्याओं तथा किन्नरों (हिंडे) को मुखमैथुन करने में जिस तरह का सुख मिलता है वह मानसिक कहलाता है। इसी तरह चुम्बन-आलिंगन आदि से होने वाली प्रीति भी होती है।

१लोक-43. नान्योऽभिति यत्र स्यादन्यस्मिन्प्रीतिकारणो। तन्त्रज्ञः कथ्यते सापि प्रीतिः संवत्थयात्मिका॥

अर्थ- अचानक ऐसे इंसान को देखकर जिसकी सूरत उस इंसान से मिलती हो जिसको आप बहुत पसंद करते थे तो आपको उसी की याद आ जाती है। इसको सम्प्रययात्मक प्रीति कहा जाता है।

१लोक-44. प्रत्यक्षा लोकतः सिद्धा या प्रीतिर्विषयात्मिका। प्रधानफलवन्वात्सा तदर्भाश्चेतरा अपि॥

अर्थ- इन्द्रियों के विषयों से होने वाली प्रीति के बारे में उन सभी लोगों को मालूम होता है लेकिन इन्द्रिय विषयजन्य प्रीति प्रधान होने के कारण बाकी सारी प्रीतियां इसी के अंतर्गत आती हैं।

१लोक-45. प्रीतीरेताः परामृश्य शास्त्रतः शास्त्रलक्षणाः। यो यथा वर्तते भावस्तं तथैव प्रयोजयेत्॥

अर्थ- जो स्त्री और पुरुष कामशास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं उनको चाहिए कि इन चारों तरह की प्रीतियों को शास्त्र में बताए गए तरीकों से समझकर स्त्री, पुरुष के और पुरुष, स्त्री के भावों के अनुसार इस तरह का बर्ताव करें कि उनमें आपस में प्रीति बढ़ती जाए।

वात्स्यायन ने यह सब उन लोगों के बारे में बताया है जिनकी सोच साधारण किस्म की होती है। उनके अनुसार अभ्यास के द्वारा, विचार करने से, याद रखने से तथा विषयों से स्त्री और पुरुष में आपसी प्रेम को बढ़ाया जा सकता है।

इति श्री वात्स्यायनीये कामसूत्रे सांप्रयोगिके द्वितीयेऽधिकरणे रतावस्थापन प्रीतिविशेष प्रथमोऽध्यायः॥

www.freehindipdfbooks.com

अध्याय 2 आलिंगन विचार प्रकरण

१लोक-१. संप्रयोगाअंग चतुः षष्ठिरित्याचक्षते। चतुःषष्ठिप्रकरणत्वात्॥

अर्थ- कामसूत्र के विद्वानों ने संभोग कला के 64 अंगों के बारे में बताया है।

१लोक-२. शास्त्रमवेदं चतुःषष्ठिरित्याचार्यवादः॥

अर्थ- बहुत से आचार्य कहते हैं कि पूरे काम-शास्त्र के ही 64 अंग हैं।

१लोक-३. कलानां चतुःषष्ठित्वातासां च संप्रयोगाअंगभूतत्वात्कलासमूहो वा चतुःषष्टिरिति। ऋचां दशतयीनां च संज्ञितत्वात्। इहापि तदर्थसम्बन्धात्। पञ्जालसंबन्धाच्च बहौरेषा पूजार्थ संज्ञा प्रवर्तिता इत्येके॥

अर्थ- यह 64 कलाओं की संख्या है क्योंकि कलाएं संभोग का अंग मानी जाती हैं। कलाओं की संख्या होने से कामशास्त्र को भी 64 कलाओं वाला माना जाने लगा है। जिस प्रकार से ऋग्वेद में दशमंडल होने से उसे दशतयी कहा जाता है।

१लोक-(४)-आलिंगनचुम्बननखच्छेद्यदशनच्छेद्यसंवेशनसीत्कृतपुरुषायितौपरिष्यकानामष्टानामष्टाधा विकल्पभेदादष्टावष्टाकाश्चतुः षष्ठिरिति बाभ्रवीयाः॥

अर्थ- बाभ्रवीय आचार्यों के मुताबिक आलिंगन, चुंबन, नखक्षत (नाखूनों से काटना), दंतक्षतों (दाँतों से काटना), संवेशन (साथ-साथ सौना), सीत्कृत, पुरुषायित (विपरीत आसन) तथा मुखमैथुन 8 प्रकार की संभोग क्रिया होती है और इनके भी 8-8 भेद होने से 64 प्रकार की संभोग कलाएं होती हैं।

१लोक-५. विकल्पवर्गाणामष्टानां न्यूनाधिकत्वदर्शनात् प्रहणनदिरुतपुरुषोपृष्ठतचित्रतादीनामन्येषामपि वर्गाणामिह प्रवेशनात्प्रायोवादोऽयम्। यथा सप्तपर्णो वृक्षा। पञ्जवर्णो बलिरिति वात्स्यायनः॥

अर्थ- वात्स्यायनः के मुताबिक बाभ्रवीय आचार्यों का संभोग कला के 64 भेदों के बारे में दिया गया मत गलत है क्योंकि इनमें से सबसे 8-8 भेद नहीं होते बल्कि किसी के कम होते हैं तो किसी के ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इन आठों से अलग प्रहणन, विरुत पुरुषोपसृत, चित्रत आदि नाम के और भी संभोग बाभ्रवीयों के साम्प्रयोगिक अधिकरण में सन्मिविष्ट हैं। इसलिए साम्प्रयोगिक अधिकरण में 64 अंगों को मानना सही नहीं है।

इसके अलावा वात्स्यायन मुनि कुंवारे और मनचले लोगों के लिए और विवाहित लोगों के लिए आलिंगन भेद बताते हैं।

१लोक-६. तत्रासमागतयोः प्रीतिलिंगद्योतनार्थमालिंगन चतुष्टयम्। स्पृष्टकम्, विद्धकम्, उदधृष्टकम्, प्रीडितकम्, इति॥

अर्थ- जो स्त्री और पुरुष मनचले और कुंवारे होते हैं उन्हें आपस में अपने प्यार को प्रकट करने के लिए चार प्रकार के आलिंगन करने चाहिए- स्पृष्टक, विद्वक, उदधृष्टक और पीडितक।

१लोक-७. सर्वत्र संजार्थनैव कर्माप्तिदेशः॥

अर्थ- स्पृष्टक, विद्वक आदि पारिभाषिक अल्फाज अपने नाम से ही अपने कर्माप्तिदेश को सूचित करते हैं।

इसके अंतर्गत हर आलिंगन का लक्षण बताते हैं-

१लोक-८. संमुखागतायां प्रयोज्यायामन्यापदेशेने गच्छेतो गात्रेण गात्रस्य स्पर्शन स्पृष्टकम्॥

अर्थ- स्पृष्टक-

अपने सामने से आती हुई स्त्री के जिस्म को किसी बहाने से छूना स्पृष्टक आलिंगन कहलाता है।

१लोक-९. प्रयोज्यं स्थितमुपविष्टं वा विजने किंचिद् गृहणती पयोधरेण विद्धयेत्। नायकोऽपि तामवपीड्यच गुहणीयादिति विद्धकम्॥

अर्थ- विद्धक-

जब स्त्री पुरुष को किसी एकांत स्थान में बैठे हुए या खड़े हुए देखती हैं तो किसी वस्तु को उठाने के बहाने अपने स्तनों को उसके शरीर से छुआ दे तथा पुरुष भी उसके स्तनों को कसकर दबाए। इसको विद्धक आलिंगन कहा जाता है।

१लोक-१०. तदुभयमनतिप्रतसंभाषणयोः॥

अर्थ- इन दोनों प्रकार के आलिंगनों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब स्त्री और पुरुष आपस में ज्यादा वार्तालाप न कर रहे हो।

१लोक-११. तमसि जनसंबाधे विजने वाथ शनकैर्गच्छतोर्नातिहस्वकालमुद्धर्षणं परस्परस्य गात्राणामुदघृष्यकम्॥

अर्थ- उदघृष्टक-

अगर भीड़-भाड़ में, अंधेरे में या एकांत में दोनों के ही शरीर एक-दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उसे उदघृष्टक आलिंगन कहते हैं।

१लोक-१२. तदेव कुड्यसंदंशन स्तम्भसंदंशन वा स्फुटकमवपीड्येदिति पीडितकम्॥

अर्थ- किसी खंभे या दीवार के सहारे खड़े होकर जब स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के शरीर के कामुक अंगों को जोर-जोर से दबाते हैं तो उसे पीडितक आलिंगन कहा जाता है।

१लोक-१३. तदुभयमवगतपरस्पराकारयोः॥

अर्थ- उदघृष्टक और पीडितक आलिंगन ऐसे स्त्री और पुरुषों के लिए होते हैं जो आपस में तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके बीच में किसी तरह का शारीरिक संबंध न बना हो।

इसमें शादीशुदा स्त्री और पुरुषों के आलिंगनों के बारे में बताया गया है-

१लोक-१४. लतावेष्टिकं वृक्षाधिरूढकं तिलतण्डुलकं क्षीरनीरकमिति चत्वारि संप्रयोगकालेऽ।

अर्थ- संभोग क्रिया के समय लतावेष्टिक, वृक्षाधिरूढक, तिलतण्डुक और क्षीरनीरक आलिंगनों को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है।

इसके अंतर्गत हर व्यक्ति के लक्षण अलग-अलग बताए जा रहे हैं-

१८०क-१५. लतेव शालमावेष्टयन्ती चुम्बनार्थं मुखमवनमयेत्। उद्धत्य मन्दसीत्कृता तमाश्रिता वा किंचिद्वामणीयकं पश्येतल्लातावेष्टितकम्॥

अर्थ- इसमें हर एक के लक्षणों को बताया जा रहा है-

लतावेष्टिक- जिस तरह से एक पेड़ के ऊपर एक लता लिपट जाती है वैसे ही स्त्री पुरुष से लिपटकर मुंह को हल्का सा झुकाकर थोड़ा हटकर सिसकारियां लेती हुई उसके मुख-सौंदर्य का अवलोकन करें तो इसको लतावेष्टिक आलिंगन कहते हैं।

१८०क-१६. चरणेन चरणामाक्रम्य द्वितीयेनोरुदेशामाक्रमन्ती वेष्टयन्ती वा तत्पृष्ठसकैबाहुद्वितीयेनांसमवनमयन्ती ईषन्मन्दं सीत्कृतकूजिता चुम्बनार्थमेवाधिरोदुमिच्छेदिति वृक्षाधिरूढकम्॥

अर्थ- वृक्षाधिरूढकम्- जिस तरह से पेड़ पर चढ़ते हैं उसी तरह वृक्षाधिरूढकम् आलिंगन में स्त्री अपने एक पैर से पुरुष के पैर को दबाती हैं और अपने दूसरे पैर से पुरुष के दूसरे पैर को पूरी तरह से लपेट लेती हैं। इसके साथ ही अपने एक हाथ को पुरुष की पीठ पर रखकर दूसरे हाथ से उसके कंधे तथा गर्दन को नीचे की तरफ झुकाती हैं और फिर धीरे-धीरे से पुरुष को चूमने लगती हैं और उस पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। इस आलिंगन को वृक्षाधिरूढकम् आलिंगन कहा जाता है।

१८०क-१७. तदभ्यं स्थितकर्म॥

अर्थ- लतावेष्टिक और वृक्षाधिरूढक आलिंगनों को संभोग क्रिया करने से पहले ही खड़े-खड़े किया जाता है।

१८०क-१८. शयनगतावेवोरुव्यत्यांसं भुजव्यत्यांसं च ससंघर्षमिव घनं संस्वजेते ततिलतण्डुलकम्॥

अर्थ- तिलतण्डुलक-

पलंग पर लेटा हुआ पुरुष अगर स्त्री के दाईं ओर लेटा होता है तो उसे अपनी बाईं टांग को स्त्री की जांघों के बीच तथा बाएं हाथ को उसकी दाईं कांख के बीच डालना चाहिए और फिर स्त्री को भी पुरुष की ही तरह आलिंगन करना चाहिए। इस प्रकार के आलिंगन में दोनों की टांगें तथा भुजाएं उस तरह मिल जाती हैं जैसे कि चावल में तिल इसलिए इसको तिलतण्डुलकम् आलिंगन कहते हैं।

१८०क-१९. रागान्धावनपेक्षितात्ययौ परस्परमनुविशत इवोत्सङ्गतायामभिमुखोपविष्टायां शयने वेति क्षीरजलकम्॥

अर्थ- क्षीरजलक-

ज्यादा काम-उत्तेजित होने के बावजूद भी किसी चीज की परवाह न करते हुए जब स्त्री और पुरुष एक-दूसरे में समा जाने की कोशिश में मजबूत आलिंगन करते हैं तो उसे क्षीरजलक आलिंगन कहा जाता है। यह आलिंगन तभी मुमकिन हो सकता है जब स्त्री पुरुष की गोद में बैठकर अपनी दोनों टांगों को उसकी कमर में फंसा ले तथा दोनों अपनी-अपनी छाती को आपस में मिलाकर जोर-जोर से दबाएं। नहीं तो दोनों पलंग पर एक-दूसरे की तरफ मुंह करके लेटे रहें।

१८०क-२०. तदुभ्यं रागकाले॥

अर्थ- तिलतण्डलक और क्षीर जलक आलिंगन तभी करने चाहिए जब दोनों की काम-उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंचने वाली हो।

१८०क-२१. इत्युपगूहनयोगा ब्राभवीयाः॥

अर्थ- आचार्य वाभवीय द्वारा बताए गए आलिंगन के भेद समाप्त होते हैं।

१८०क-२२. सुवर्णनाभस्य त्वधिकमेकाङ्गोपगूहनचतुष्टयम्॥

अर्थ- इसमें सुवर्णनाभ जी के बताए गए चार प्रकार के आलिंगनों को बताया जा रहा है।

१८०क-२३. तत्रोरुसन्दंशेनैकमूरुमूरुद्वयं वा सर्वप्राणं पीडयेदित्यूपगूहनम्॥

अर्थ- अरुपगूहन-

स्त्री और पुरुष को एक-दूसरे की तरफ मुँह करके लेट जाना चाहिए तथा अपनी एक जांघ से सहभागी के एक जांघ को बहुत जोर से या दोनों जांघों से उसकी दोनों जांघों को जोर से दबाने को अरुपगूहन आलिंगन कहा जाता है।

१८०क-२४. जघनेन जघनमवपीडयच प्रकीर्यमाणकेशहस्ता नखदशनप्रहणनचुम्बनप्रयोजनाय तदुपरि
लङ्घयेत्तजघनोपगूहनम्॥

अर्थ- जघनोपगूहन- लेटी हुई अवस्था में जब स्त्री काम-उत्तेजना को तेज करने के लिए पुरुष की जांघ को अपनी जांघ से दबाती हुई उसके ऊपर लेट जाती है और फिर उसके मुँह को चूमती है, उसके शरीर पर दांतों से काटती हैं और नाखून गढ़ती हैं तो उसे जघनोपगूहन आलिंगन कहते हैं।

१८०क-२५. स्तनाभ्यामुरः प्रविश्य तत्रैय भारमारोपयेदिति स्नालिङ्गनम्॥

अर्थ- स्तनालिंगन-

जब स्त्री अपने स्तनों को पुरुष की छाती से लगाकर उनका सारा वजन पुरुष की छाती पर डाल देती है और उसके बाद जोर से दबाती है तो उसे स्तनालिंगन आलिंगन कहते हैं।

१८०क-२६. मुख्ये मुखमासज्याक्षिणी अक्षणोर्ललाटेन ललाटमाहन्यात्यात्साललाटिका॥

अर्थ- ललाटिका-

अपने सहभागी के मुँह के सामने अपना मुँह और उसकी आंखों के सामने अपनी आंखें करके उसके मस्तक से अपने मस्तक को दबाने को ललाटिका आलिंगन कहा जाता है।

१लोक-27. संवाहनमप्युपगृहनप्रकारमित्येके मन्यन्ते। संस्पर्शत्वात्॥

अर्थ- कुछ कामशास्त्रियों के अनुसार अपने मुट्ठी से अपने सहभागी के शरीर को दबाने की क्रिया को भी आलिंगन कहा जाता है क्योंकि इससे भी स्पर्श सुख मिलता है।

१लोक-28. पृथक्कालत्वादधिनप्रयोजनत्वादसादारणत्वान्नेति वात्स्यायनः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक मुट्ठी से शरीर को दबाने की क्रिया को आलिंगन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सिर्फ थकावट दूर करने के लिए होता है न कि संभोग क्रिया के लिए।

१लोक-29. पृच्छतां शृण्वतां वापि तथा कथयतामपि। उपगृहिणिं कृत्स्नं रिरंसा जायते नृणाम्॥

अर्थ- जो भी व्यक्ति इस आलिंगन विधि को पूछेगा या सुनेगा या फिर किसी को बताएगा उसके अंदर भी स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा जागृत हो जाएगी और जो लोग इस विधि को प्रयोग में लाएंगे तो वह संभोग के समय मिलने वाले पूरे आनंद को प्राप्त करेंगे।

१लोक-30. येऽपि हयशास्त्रिताः केचित्संयोगा रागवर्धनाः। आदरेणैव तेऽप्यत्र प्रयोज्याः सांप्रयोगिकाः॥

अर्थ- इनके अलावा बहुत से अशास्त्रीय लेकिन काम-उत्तेजना को बढ़ाने वाले आलिंगन हैं लेकिन उनके बारे में यहां पर बताया नहीं जा रहा है। संभोग क्रिया में प्रयुक्त होने वाले हर तरह के और बहुत से स्थानों में प्रचलित आलिंगन को यथास्थान और यथावसर प्रयोग में लाना चाहिए।

१लोक-31. शास्त्राणां विषयस्तावद्यावन्मन्दरसा नराः। रतिचक्रे प्रवृत्ते तु नैव शास्त्रं न च क्रमः॥

अर्थ- शास्त्र के विषय की उसी समय तक जरूरत होती है जब तक कि व्यक्ति काम-उत्तेजना में अंधा नहीं हो जाता। क्योंकि इसके बाद तो शास्त्र और शास्त्र की बताई हूई किसी भी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

स्त्री को संभोग करने के लिए तैयार करने की प्राकक्रीडा आलिंगन है। संभोग करने से पहले हर बार प्राकक्रीडा करना एक प्राकृतिक क्रिया ही नहीं बल्कि इस क्रिया का एक शुभ चरण भी है। सामान्य तौर पर इस बात को देखा गया है कि संभोग क्रिया से पहले की जाने वाली प्राकक्रीडा को पुरुष द्वारा ही पहल करके शुरू करना होता है।

आचार्य वात्स्यायन ने जिन 64 कलाओं के बारे में बताया है वह उन्हें संभोग क्रिया की प्रमुख भूमिका समझता है। आचार्य पद्मश्री अपने नागरसर्वस्व में हेलाविच्छिति विलोक, किलकिंचित, विभ्रम लीला, विलास, हावविक्षेप, विकृत, मद मोहायित, कुट्टामिति, मुग्धता, तपन और ललित अर्थात् इन 16 भावों को संभोग की प्रवृत्ति समझते हैं।

ऊपर दिए गए 16 भाव स्त्री के अंदर काम-उत्तेजना जागृत होने पर पैदा होते हैं। पुरुष को स्त्री के इन भावों को समझकर संभोग करने से पहले की क्रियाएं जैसे आलिंगन, चुंबन आदि करने चाहिए। जो व्यक्ति स्त्री के इन हाव-भावों को न समझकर ठंडा पड़ा रहता है तथा जब खुद के अंदर काम-उत्तेजना जागृत होती है तो बिना भाव प्रकट

किए आलिंगन के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसे पुरुषों को न तो स्त्री का ही सुख प्राप्त होता है और न ही संभोग का सुख।

बहुत से विद्वानों के अनुसार सर्वगुण संपन्न और संभोग की 64 कलाओं में निपुण स्त्री गुणहीन और संकेतहीन पति को ऐसे फेंक देती हैं जैसे कि किसी मुरझाई हुई फूलों की माला को फेंक देते हैं।

पुरुष चाहे हर तरह की कला में सबसे ज्यादा निपुण हो लेकिन अगर स्त्री उसे काम-कला में अनाड़ी समझाकर धिक्कार देती है तो उसे अपना जीवन बेकार समझना चाहिए।

अंगसंकेत- ज्ञानवृद्धक सवाल तथा कुछ कहने में काम का स्पर्श, कामोत्तेजित अवस्था में बालों का स्पर्श, प्यार का इजहार करने में स्तनों का स्पर्श हाथों के द्वारा करना चाहिए।

सही अवसर को जानने के लिए मध्यमा (हाथ की बीच वाली उंगली) उंगली को तर्जनी उंगली पर चढ़ाना तथा मौका मिलने का संकेत करने के लिए दोनों हाथों में अंजली बांध लेनी चाहिए और फिर बुलाने के लिए उसी उंगली को उल्टी कर लेनी चाहिए।

पूर्व दिशा के संकेत के लिए अंगूठे को प्रयोग किया जाता है। तर्जनी उंगली का दक्षिण दिशा के लिए, पश्चिम दिशा के लिए मध्यमा उंगली का और उत्तर दिशा के लिए अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए।

कनिष्ठा की जड़ से शुरू होकर अंगूठे की ऊर्ध्वरे रेखा तक हर उंगलियों में 3-3 रेखा करके 15 रेखा होती हैं और इन्हीं रेखाओं के द्वारा प्रतिपदा से लेकर 15 तिथियों का संकेत दिया जाता है। बाएं हाथ की रेखाओं से शुक्ल पक्ष की तिथियों का और दाएं हाथ की रेखा के द्वारा कृष्ण पक्ष की तिथियों का संकेत होता है।
पोटली संकेत- प्रेम की खबर पहुंचाने में खुशबूदार सुपारी, आतिथ्य प्रेम की सूचना पहुंचाने में कत्था और छोटी इलायची, जायफल और लौंग से संकेत दिया जाना चाहिए।

मूंगा प्रेम को भंग करने का संकेत है। बहुत दिनों के बाद संभोग करने पर 2 मूंगे कम बुखार में कड़वी वस्तु संभोग के संकेत के लिए मुनक्का होता है।

शरीर के समर्पण के लिए कपास, प्राणों को समर्पित करने में जीरा, डर का इशारा करने में भिलावा और अभय संकेत में हरड़ का संकेत होता है।

मोम की एक गोल सी टिकिया बना लें। फिर उसमें पांचों उंगलियों के नाखूनों के निशान बना दें और उसको लाल धागे से बांध दें। इसको पोटली संकेत कहा जाता है। मदन-क्रीड़ा के संकेत में मोम, अनुराग के लिए लाल धागे का बंधन और कामदेव द्वारा जख्मी होने की सूचना में पांचों उंगलियों के नाखून का निशान बनाया जाता है। इसी वजह से इसे पोटली संकेत कहा जाता है।

वस्त्र संकेत- जिसका शरीर कामदेव के बाण से कटा-फटा हो, ऐसी हालत का संकेत फटे हुए लेकिन अच्छे कपड़े दिखाकर किया जाता है। उत्कट प्रेम को दिखाने के लिए पीले या गेरुए रंग का कपड़ा देना जरूरी है।

जुदाई के समय फटे हुए कपड़ों से और मिलन के समय धागे के साथ बंधन भेजकर संकेत करना चाहिए। एक के प्रेम में एक कपड़ा और दो के प्रेम में दो कपड़े देकर प्रेम का संकेत करना चाहिए।

तांबूल संकेत- पान का बीड़ा 5 प्रकार का होता है-

पलंग के आकार का

चौकोना

अंकुश के आकार का

कौशन या श्लाका।

स्नेह की ज्यादती का संकेत करने के लिए कौशल पान (जिसको कलात्मक तरीके से लगाया जाता है) का प्रयोग करना चाहिए। मदन व्यथा में कंदर्प (तिकोना) बीड़ा देना चाहिए और संभोग करने का संकेत देने के लिए पलंग के आकार का बीड़ा देना चाहिए।

चौकोर पान की बीड़ा दिखाना अनसर का संकेत है। प्रेम के अभाव में बिना सुपारी का पान तथा प्रेम के सद्वाव में इलायची के साथ पान देना चाहिए।

जुदाई में होने वाली हालत का संकेत पान उल्टा लगाकर काले धागे से बांधकर करना चाहिए। संयोग की हालत में एक पान के मुँह को दूसरे पान के मुँह से मिलाकर लाल धागे से बांधकर दिखाना चाहिए। त्याग की सूचना में पान को बीचों-बीच से फाइकर काले धागे से बांधकर संकेत करना चाहिए।

अधिक अनुराग हो जाने पर पान के टुकड़े-टुकड़े करके जोड़ देना चाहिए। बीच में केशर भर दी जाए और बाहर चंदन का लेप कर देना चाहिए।

फूलों की माला का संकेत- अनुराग में लाल, वियोग में गेरुआ और स्नेह की कमी के कारण काले धागे की गूँथी हुई माला का उपयोग करना चाहिए। कामशास्त्र के लेखकों ने स्त्री की चंद्रकांत मणि से उपमा दी है। जिस प्रकार चंद्रकांत मणि चंद्रमा की शीतल किरणों का स्पर्श पाते ही पिघल जाती है उसी तरह से स्त्री पुरुष का संस्पर्श करते ही द्रवित हो जाती है। इसी वजह से बुद्धिमान पुरुष को स्त्री का उपभोग बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए।

कामोत्तेजित होने के साथ-साथ उसमें विवेक होना बहुत जरूरी है। काम के विद्वानों ने काम के ग्रंथों की रचना उसी उद्देश्य से की है कि संभोग के समय में जानवर की तरह संभोग नहीं करना चाहिए।

आलिंगन-युंबन तथा संकेतों आदि संस्पर्शी और स्त्री के स्वभाव आदि का मनोवैज्ञानिक शारीरिक अध्ययन करके ही संभोग क्रिया में लीन होना चाहिए।

श्लोक- इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे साम्प्रयोगिके द्वितीयधिकरणे आलिंगनविचाराः द्वितीयोध्यायः।

अध्याय ३ चुम्बन विकल्प प्रकरण

१लोक(१)- चुम्बननखदशनच्देद्यानां न पौर्वपर्यमस्ति। रागयोगात् प्राक्संयोगादेषां प्राषान्येन प्रयोगः। प्रहणनसीत्कृतयोश्च संप्रयोगे।

अर्थ- नखक्षत (नाखूनों को गढ़ाना), दन्तक्षत (दांतों से काटना), चुम्बन आदि का प्रयोग अक्सर संभोग क्रिया करने से सहभागी की काम-उत्तेजना को जागृत करने से पहले किया जाता है। यह तीनों एक-दूसरे से पीछे नहीं होते हैं क्योंकि संभोग क्रिया से पहले किसी चीज के लिए नियम नहीं होता कि पहले चुंबन करे या कोई और क्रिया करें। संभोग के समय तो सिर्फ स्ट्रोक और सीत्कार का ही प्रयोग होता है।

१लोक(२)- सर्वं सर्वत्र। रागस्यानपेक्षितत्वात्। इति वात्स्यायनः॥

अर्थ- वात्स्यायन के मुताबिक उत्तेजना किसी नियमों में बंधी नहीं होती है। इसी वजह से चुम्बन, नाखूनों को गढ़ाना और दांतों से काटना आदि क्रियाएं किसी भी समय की जा सकती हैं।

१लोक(३)- तानि प्रथमरते नातिव्यक्तानि विश्रविधिकायां विकल्पेन च प्रयुञ्जीत। तथाभूतत्वाद्रागस्य। ततः परमतित्वरया विशेषवत्समुच्चयेन रागसंधुक्षेणार्थम्॥

अर्थ- पहली बार संभोग क्रिया करते समय चुम्बन, नाखूनों को गढ़ाना और दांतों से काटना आदि क्रियाओं को एकसाथ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है उसी तरह चुम्बन आदि क्रियाओं को करना चाहिए। उत्तेजना बढ़ जाने के बाद चुम्बन आदि का एकसाथ और जल्दी-जल्दी प्रयोग करना चाहिए। इसकी वजह से काम-उत्तेजना तेज होती है और संभोग क्रिया में आनंद आता है।

१लोक(४)- ललाटालकक्पोलनयनवक्षः स्तनोष्ठान्तुर्मर्खेषु चुम्बनम्॥

अर्थ- गाल, आंखे, छाती, माथा, स्तन, नीचे वाला होंठ और जीभ को चूमा जा सकता है। लाटदेश के लोग स्त्री की जांघ, बाहुमूल और नाभि को भी चूमते हैं। काम-उत्तेजना के न्यूनाधिक्य के कारण और देशाचार भेद चुम्बन के स्थानों में भेद है। वात्स्यायन के मुताबिक यहां पर सभी मनुष्यों के चुंबन स्थानों की गणना की गई है।

वात्स्यायन के मुताबिक संभोग के समय काम-उत्तेजना को बढ़ाने के लिए चुम्बन करना चाहिए। लेकिन चुम्बन के साथ नाखूनों को गढ़ाना और दांतों से काटना स्वाभाविक हो जाता है। जब पुरुष कामोत्तेजित हो जाता है तो उसे उस समय यह ध्यान में नहीं रहता कि पहले क्या करें और क्या न करें।

आचार्य वात्स्यायन ने यहां पर राग (उत्तेजना) शब्द देकर अपनी सार्वभौम काम-शास्त्रीय पश्चिम चारुता का परिचय दिया है। संभोग क्रिया करने से पहले रति की पांचर्वीं अवस्था को राग कहते हैं। संभोग की प्रौढ़ इच्छा का नाम रति है और जब यह रति धीरे-धीरे बढ़ती है तो वह प्रेम कहलाती है।

१लोक(5)- ऊरुसंधिबाहुनाभिमूलयोर्लाटानाम्॥

अर्थ- लाट देश के रहने वाले लोग स्त्री के गुप्त स्थानों जैसे हॉठों, जांघ के जोड़, कांख और नाभि को चूमते हैं।

१लोक(6)- रागवशाद्देशप्रदत्तेऽच सन्ति तानि स्थानानि, न तु सर्वजनप्रयोज्यानीति वात्स्यायनः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक जो लोग ऐसे अंगों को चूमते हैं उनका यह चुम्बन देशाचार के अनुकूल है।

१लोक(7)- तद्यथा-निमित्तकं स्फुरितकं घट्टितकमिति त्रीणि कन्या चुम्बनानि॥

अर्थ- जिस लड़की ने अभी युवावस्था में कदम रखा हो उसका चुम्बन 3 तरह का होता है-

निमित्तक

स्फुरितक

घट्टितक

१लोक(8)- बलात्कारेण नियुक्ता मुखे मुखमाधते न तु विच्षेषत इति निमित्तकम्॥

अर्थ- निमित्तक-

जब पुरुष सबसे पहले शर्माने वाली स्त्री से अपने हॉठों पर जबरदस्ती चुंबन कराता है तो स्त्री पुरुष के मुंह पर अपना हाथ रख तो देती है लेकिन अपने हॉठों को चूमने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाती। इस तरह के चुंबन को निमित्तक कहा जाता है।

१लोक(9)- वदने प्रवेशितं चौष्ठं मनागपत्रपावग्रहीतुमिच्छन्ती स्पन्दयति स्वमोष्ठं नोतरमुत्सहत इति स्फुरितकम्॥

अर्थ- स्फुरितक-

एकबार जब संभोग किया हो जाती है तो उसके बाद पुरुष अपने हौंठों को जब स्त्री के हौंठों पर रख देता है तब शर्माती हुई स्त्री पति के हौंठों को अपने हौंठों से दबाना भी चाहती है और अपने नीचे वाले हौंठ को हिलाती भी है लेकिन शर्म के कारण उसके हौंठ चिपके रह जाते हैं। इस तरह के चुम्बन को स्फुरितक कहते हैं।

१लोक(10)- ईष्टपरिगृहमा विनिमीलितनयना करेण च तस्य नयने अवच्छादयन्ती जिह्वाग्रेण घट्टयति इति
घट्टितकम्॥

अर्थ- घट्टितक-

संभोग किया का आनंद प्राप्त करने के बाद स्त्री अपने हौंठों पर रखे हुए पुरुष के हौंठों को पकड़ती है लेकिन शर्म के मारे आंखें बंद कर लेती है तथा अपने हाथों से पति की दोनों आंखों को बंद करके जीभ के आगे के भाग से पति के हौंठ को रगड़ती है। इस प्रकार के चुम्बन को घट्टितक कहते हैं।

१लोक(11)- सर्म तिर्यगुद्धान्तमवपीडितकमिति चतुविधमपरे॥

अर्थ- 4 तरह के चुंबन इस तरह से हैं-

सम अर्थात् पति और पत्नी एक-दूसरे के सामने मुँह करके एक-दूसरे के हौंठों को चूसते हैं।

तिर्यक अर्थात् मुँह को थोड़ा सा मोइकर तथा हौंठों को गोल-गोल आकार में बनाकर आपस में पकड़ना।

उदभान्त अर्थात् स्त्री की पीठ की तरफ बैठकर अपने हाथों से उसका सिर तथा ठुड़ी पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर हौंठों को चूमना।

अवपीडितक अर्थात् पहले दिए गए तीनों तरह के चुंबनों में हौंठों को बहुत जोर से दबाया जाए।

१लोक(12)- अडलिसंपुटेन पिण्डीकृत्य निर्दशनमोष्ठोपुटेनावपीडित्यवपीडितकं पञ्जममपि करणम्॥

अर्थ- पांचवा भैद-

पुरुष को अपने दोनों हाथों की उंगलियों से स्त्री के दोनों गालों को दबाकर उसके हौंठों को अपने मुँह में लेकर बहुत जोर से इस तरह से दबाना चाहिए कि उसके दांत न गड़ने पाए। इस प्रकार के चुंबन को अवपीडितक कहा जाता है।

१लोक(13)- द्यूत चात्र प्रवर्तयेत्॥

अर्थ- चुम्बन द्यूत-

चुंबन करते समय स्त्री और पुरुष को आपस में बाजी लगानी चाहिए।

१८ोक(14)- पूर्वमधरसम्पादनेन जितमिदं स्यात्।।

अर्थ- पुरुष या स्त्री में से जो भी आपस में से किसी के हौंठ को पहले पकड़ लेता है उसी की जीत मानी जाती है।

१८ोक(15)- तत्र जिता सार्थरुदितं करं विधुनयात्प्रणुदेददशेतपरिवर्तयेद्वलादाहता विवदेत्पुनरप्यस्तु पण इति ब्रूयात्।
तत्रापि जिता द्विगुणमायस्येत्।।

अर्थ- चुम्बन कलह-

अगर चुम्बनों की बाजी पुरुष मार लेता है तो स्त्री को हाथ-पैरों को पटकना चाहिए, पति को धक्का मारकर हटा देना चाहिए, दांतों से काटना चाहिए तथा दूसरी तरफ मुंह करके सो जाना चाहिए। अगर पुरुष स्त्री का मुंह अपनी तरफ करना चाहे तो उसे उससे कहना चाहिए कि चलो एक बार हो जाए और अगर स्त्री फिर भी हार जाती है तो उसे पहले से ज्यादा कलेश आदि उत्पन्न कर देने चाहिए।

१८ोक(16)- विश्रब्धस्य प्रमतस्य वाधरमवगृह्य दशनान्तर्गतमनिर्गमे कृत्वा
हसेदुत्क्रोशेतर्जयेद्वल्गेदाहलयेन्नृत्येतप्रनर्तितभुणा च विचलनयनेन मुखेन विहसन्ती तानि तानि च ब्रूयात्। इति
चुम्बनयुतकलहः।।

अर्थ- कपटघूत-

चुम्बनों की बाजी लगाने पर दूसरी बार भी हार जाने पर स्त्री को पुरुष के जरा सा भी असावधान होते ही उसके हौंठ को अपने दांतों से दबा लेना चाहिए। ऐसा होने पर स्त्री को जोर से हंसना चाहिए और पुरुष को कहना चाहिए कि अगर छुड़ाने की कोशिश करोगे तो काट लूंगी। इसके बाद अपनी जीत पर इतराती हुई पुरुष को ताना मारे, जो दिल में हो वही बोले, आंखों को घुमाकर और हंसते हुए पुरुष को चुनौती दें। यहां पर चुम्बन द्युत सम्बन्धी प्रेमकलेश समाप्त होता है।

१८ोक(17)- एतेन नखदशनच्देद्यप्रहणनद्यूतकलह व्याख्याताः।।

अर्थ- चुम्बन कलेश की ही तरह स्त्री को पुरुष से नखक्षत (नाखूनों को गढ़ाना), दन्तक्षत (दांतों से काटना) तथा प्रहार करने की बाजी भी लगानी चाहिए तथा हारने के बाद उसी तरह से गुस्सा करना चाहिए।

१८ोक(18)- चण्डवेगयोरेव त्वेषां प्रयोगः तत्सात्मयात्।।

अर्थ- यह प्रेम कलह ऐसे स्त्री-पुरुषों के लिए ही ठीक है जो बहुत ही तेज गति से संभोग किया करते हुए बहुत समय तक ठहरते हैं।

१८ोक(19)- तस्यां चुम्बन्त्यामयमप्युतरं गृहणीयात्। इत्युत्तरचुम्बितम्॥

अर्थ- जिस समय स्त्री, पुरुष के होंठों को चूम रही हो उस समय पुरुष को भी स्त्री के ऊपर वाले होंठ को अपने होंठों से दबा लेना चाहिए। इस तरह के चुम्बन को उत्तर चुम्बन कहते हैं।

१९ोक(20)- ओष्ठसंदंशेनावगृह्यौष्ठद्वयमपि चुम्बेत। इति संपुटकं स्त्रियाः, पुंसो वाऽजातव्यञ्जनस्य॥

अर्थ- पुरुष को स्त्री के दोनों होंठों को पकड़कर चुम्बन करना चाहिए। इसी तरह स्त्री भी पुरुष के दोनों होंठों को पकड़कर चूम सकती है। लेकिन यह उन्हीं पुरुषों के साथ संभव है जिनके मूँछे नहीं होती हैं। इस चुम्बन को सम्पुटिकल कहते हैं।

२०ोक(21)- तस्मिन्नितरोऽपि जिहवयास्या दशनान्घट्टयेतालु जिहवां चेति जिहवायुदधम्॥

अर्थ- जीभ, मुँह और दांत युद्ध-

पुरुष जब सम्पुट चुम्बन करता हुआ स्त्री के मुँह के तालु और दांतों में अपनी जीभ को जोर से रगड़ता है तो उसे जिहवायुदध (जीभ का युद्ध) कहते हैं।

२१ोक(22)- एतेन बलाद्वदनरदनग्रहणं दानं च व्याख्यातम्॥

अर्थ- इसी तरह मुखयुद्ध (मुँह का युद्ध) और दन्तयुद्ध (दांतों को युद्ध) भी होता है।

२२ोक(23)- समं पीडितमञ्चितं मृदु शेषाङ्केषु चुम्बन स्थानविशेषयोगात्। इति चुम्बनविशेषाः॥

अर्थ- खास प्रकार के चुम्बन- इन चुम्बनों के अलावा 4 प्रकार के चुम्बन होते हैं-

सम- इस प्रकार के चुम्बन में स्त्री और पुरुष को एक-दूसरे के सामने बैठकर या लेटकर एक-दूसरे की जांघों, छाती और बगल को चूमना या गुदगुदाना होता है।

पीडित- स्त्री के गालों, नाभि और नितम्बों को जोर से दबाना या उनको नोचना।

अन्धित- स्तनों के नीचे और बाहूमूल में धीरे से गुदगुदी करना या फिर हल्के से चूमना।

मृदु- स्त्री के स्तनों में, गालों में, नितंबों तथा पीठ पर हाथ फेरना या सहलाना।

आचार्य वात्स्यायन चुंबन में बाजी लगाने के बारे में बताते हैं अर्थात् स्त्री या पुरुष में से कौन पहले किसका होंठ चूमता है या पकड़ता है। अगर इसमें स्त्री हार जाती है तो उसे रति कलह करने की राय दी है जैसे वह सिसकियां भरते हुए अपने हाथों को पटके, पुरुष को धक्का मारकर अपने से दूर कर दे, अपने मुंह को दूसरी तरफ घूमा ले। अगर फिर भी पुरुष जबर्दस्ती उसे अपनी तरफ करना चाहे तो स्त्री को उससे झगड़ा करते हुए कहना चाहिए कि चलो एक बाजी फिर से हो जाए।

अगर स्त्री दुबारा से चुंबनों की बाजी हार जाती है तो उसे पहले से भी ज्यादा शेर मचाना चाहिए। इसके बाद अचानक धोखे से पुरुष के होठों को अपने दांतों से दबाकर हंसते हुए अपने जीतने की घोषणा करनी चाहिए। पुरुष को यह कहकर डराए कि अगर छुड़ाने की कोशिश की तो काट लूंगी। आंखों के इशारे से अपनी जीत को जाहिर करे। इसी तरह दांत और नाखूनों से भी चोट पहुंचाने की कला के भेद हैं।

आचार्य वात्स्यायन ने इस तरह के क्लेश की जो सीख स्त्री को दी है उसका अर्थ उत्तेजना को बढ़ाना है। यह जो क्लेश करने के बारे में बताया है वह असली झगड़ा न होकर सिर्फ काम-उत्तेजना को बढ़ाने वाले प्रेम क्लेश होता है। इस तरह के रगड़-झगड़, वाद-विवाद से स्त्री और पुरुष की उन ग्रंथियों से (जिनका संबंध संभोग क्रिया से रहता है) स्राव होता रहता है और शरीर में रोमांच, मन में स्फूर्ति और गुप्त अंगों में उत्तेजना बढ़ती है।

लेकिन इस तरह का प्रेम क्लेश हर किसी स्त्री और पुरुष के लिए सही नहीं है। जो स्त्री-पुरुष बहुत तेजी से संभोग क्रिया करने वाले होते हैं या इस क्रिया के समय जल्दी स्खलित नहीं होते हैं, इस तरह के क्लेश आदि से उनका संवेग बढ़ जाता है, संभोग शक्ति की बढ़ोतरी होती है और शारीरिक तथा मानसिक आनंद प्राप्त होता है।

१८०क(24)- सुप्तस्य मुखमवलोकयन्त्या स्वाभिप्रायेण चुम्बनं रागदीपनम्।।

अर्थ- गुप्त चुम्बन तिथि-

अगर स्त्री सोए हुए पुरुष के मुंह को ताकती हुई चूम लेती है तो वह पुरुष तुरंत उसकी भावनाओं को समझकर जाग जाता है। इस तरह के चुम्बन को रागदीपन कहते हैं।

१८०क(25)- प्रमत्स्य विवदमानस्य वाऽन्यतोऽभिमुखस्य सुप्ताभिमुखस्य वा निद्राव्याघातार्थ चलितकम्।।

अर्थ- अगर पुरुष किसी तरह के झगड़े आदि के कारण स्त्री की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हो तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्त्री को साधारण तरीके का चुम्बन करना चाहिए। इस तरह के चुम्बन को चलित कम कहा जाता है।

१८०क(26)- चिररात्रावागतस्य शयनसुप्तायाः स्वाभिप्रायचुम्बनं प्रातिबोधिकम्।।

अर्थ- यदि पुरुष किसी कारण से रात को देर से घर आता है और सोती हुई स्त्री को चूमता है तो इससे पुरुष का मक्षसद भी पता चलता है और स्त्री भी जाग जाती है। इस प्रकार के चुम्बन को प्रातिबोधिक कहते हैं।

श्लोक(27)- सापि तु भावजिजासार्थिनी नायकस्यागमनकालं संलक्ष्य व्याजेन सुप्ता स्यात्॥

अर्थ- पुरुष का इस तरह चुम्बन करके जगाने वाली स्त्री को चाहिए कि वह उसके प्यार की परीक्षा लेने के लिए उसके आने पर बहाना बनाकर सोती रहे।

श्लोक(28)- आदर्शं कुडये सलिले वा प्रयोज्यायायश्छायाचुम्बनमा-कारप्रदर्शनार्थमेवकार्यम्॥

अर्थ- पानी में, आईने में, दीवार पर अगर स्त्री की परछाई दिख रही हो तो पुरुष को अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस परछाई का चुम्बन करना चाहिए।

श्लोक(29)- बालस्य चित्रकर्मणः प्रतिमायाश्च चुम्बनं संक्रान्तकमालिंगं च॥

अर्थ- किसी छोटे बच्चे को, तस्वीर को या मूर्ति आदि को चूमने या आलिंगन करने के बहाने अपने मन के भावों को स्त्री पर प्रकट किया जा सकता है।

श्लोक(30)- तथा निशि प्रेक्षणके स्वजनसमाजे वा समीपे गतस्य प्रयोज्याया हस्ताङ्गलिचुम्बनं संविष्टस्य वा पादाङ्गलिचुम्बनम्॥

अर्थ- रात में जिस स्थान पर कोई खेल आदि हो रहा हो या फिर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हों और वहां पर अगर स्त्री पास ही बैठी हो तो चुपके से उसके हाथ या पैरों की उंगलियों को चूमकर अपने प्यार को प्रकट करना चाहिए।

श्लोक(31)- संवाहिकायास्तु नायकमाकारयन्त्या निद्रावशादकामाया इव तस्योर्वर्दनस्य निधानमुरुचुम्बनं चेत्याभियोगिकानि॥

अर्थ- अगर पुरुष के पैरों को दबाने वाली स्त्री उससे प्रेम करती हो तो अपने प्यार को प्रकट करने के लिए स्त्री को उसकी जांघ पर अपने मुँह को रख देना चाहिए या उसके पैर को अंगूठे को चूसना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्त्री को देखता है तो उसे यही लगना चाहिए कि स्त्री को नींद आ रही है इसलिए उसका मुँह पुरुष की जांघ पर पड़ा है।

श्लोक(32)- कृते प्रतिकृतं कुर्याताडिते प्रतिताडितम्। करणेन च तेनैव चुम्बिते प्रतिचुम्बितम्॥

अर्थ- संभोग किया करने से पहले काम-उत्तेजना को तेज करने के लिए जिस तरह का बर्ताव पुरुष करता है, वैसा ही स्त्री को भी करना चाहिए। जिस चीज से पुरुष स्त्री पर प्रहार करता है उसी से स्त्री को भी पुरुष पर प्रहार करना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष चुम्बन करता है उसी तरह स्त्री को भी चूमना चाहिए।

जानकारी-

एक-दूसरे के करीब आना, एक-दूसरे का भरोसा जीतना, चुम्बन में क्लेश, प्रहरण, दन्तक्षत, नखाघात आदि स्त्री और पुरुष के प्रेम, भरोसे तथा संभोग-क्रिया को सुखदायी बनाते हैं।

चुम्बन के लिए होठों को खास अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा कोमल अंग यहीं होते हैं। होठों के अंदर ऐसी तरंगे बहती हैं जो बाहरी स्पर्श पाते ही उन नाड़ियों और ग्रंथियों को उत्तेजित करके उनका मुँह खोल देती है जिनमें कि अंदर साव होता है। इसके साथ ही पहले सुख का एहसास भी इसी विद्युतधारा से होता है। ये तरंगे इतनी ज्यादा तेज और गतिशील होती है कि युवक और युवती इसके असर में आनंद में भरे रहते हैं। इस समय वह किसी तरह के अच्छे या बुरे परिणाम को न सोचते हुए सिर्फ संभोग सुख के लिए बेचैन रहते हैं।

होठ शरीर के बहुत ही कोमल अंग होते हैं इसी वजह से कोमल भावों को और कोमल प्रभाव डालने में इस अंग की तरंगे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। जिस समय स्त्री और पुरुष एक-दूसरे को चुम्बन करते हैं उस वक्त उनके सांस लेना और सांस छोड़ना, उनकी आंखों की रोशनी, शारीरिक ऊर्जा सब कुछ कोमल भावों और प्रभावों से व्याप्त रहता है तथा इन भावों प्रभावों का आदान-प्रदान स्त्री और पुरुष में होता है।

इन्हीं के द्वारा आपस में प्यार, भरोसा और उत्तेजना की बढ़ोतरी होती है। यहां तक कि स्त्री और पुरुष पर इसका असर इतना पड़ता है कि उनमें अगर कोई बुराई होती है तो दूसरे को उसकी वह बुराई भी अच्छी लगती है।

स्त्री और पुरुषों की जिंदगी में नई क्रांति पैदा करने में चुम्बन को सबसे पहला माध्यम माना जाता है। आनंद को महसूस करने का मुख्य द्वारा चुम्बन ही होता है।

१लोक (1)- रागवृद्धौ संघर्षात्मकं नखविलेखनम्॥

नखच्छेद

अर्थ- उत्तेजना के अधिक बढ़ जाने पर स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के शरीर पर नाखूनों को गढ़ते हैं।

१लोक (2)- तस्य प्रथमसमागमे प्रवासप्रत्यागमने प्रवासगमने क्रुद्धप्रसन्नायां मत्यां च प्रयोगः। न नित्यमचण्डवेगयोः॥

अर्थ- अपने अंदर की काम-उत्तेजना को स्त्री को दिखाने के लिए मन्दवेगी (संभोग क्रिया में पूरी तरह से जो पुरुष संपन्न नहीं होता) पुरुष कहीं दूसरे देश आदि से वापस आने के बाद, सुहागरात के दिन, स्त्री के गुस्से में आने के बाद, काम से खाली होने के बाद या खुश होने के बाद नाखूनों से सहलाते और खुजलाते हैं।

१लोक (3)- तथा दशनच्छेद्यस्य सात्म्यवशाद्धा॥

नखच्छेद के भेद

अर्थ- जिस तरह से संभोग क्रिया के समय नाखूनों से सहभागी के शरीर पर हमला किया जाता है वैसी ही क्रिया दांतों से भी की जा सकती है।

१लोक (4)- तदाच्छुरितकर्मर्थचन्द्रो मंडल रेखा व्याघ्रनखं मयूरपदकं शशप्लुतकमत्पलपत्रकमिति रूपतोष्टविकल्पम्॥

अर्थ- निशानों के अनुसार नखच्छेद ४ प्रकार के होते हैं-

आच्छुरितक।

अर्थचन्द्र।

मंडल।

रेखा।

व्याघ्रनख।

मयूरपदक।

शशप्लुतक।

उत्पलपत्रक।

१८
श्लोक (5)- कक्षौ स्तनौ गलः पृष्ठं जघनमुरु च स्थानानि॥

नखच्छेद स्थान

अर्थ- दोनों बगलों में, दोनों स्तन, गला, पीठ, जांधों और जांधों के जोड़ नाखून गढ़ाने के स्थान होते हैं।

१९
श्लोक (6)- प्रवृत्तरतिचक्राणां न स्थानमस्थानं वा विद्यत इति सुवर्णनाभः॥

अर्थ- सुवर्णनाभ के विचार

कोई भी स्त्री और पुरुष जब संभोग क्रिया में लीन हो जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई ध्यान नहीं रह जाता कि सहभागी के शरीर में किस स्थान पर नाखूनों को गड़ाना चाहिए या किस स्थान पर नहीं गड़ाना चाहिए।

२०
श्लोक (7)- तत्र सव्यहस्तानि प्रत्यग्रशिखराणि द्वित्रिशिखराणि चण्डवेगयोर्नखानि स्युः॥

अर्थ- ऐसे व्यक्ति जिनमें काम-उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है वह अपने बाएं हाथ के नाखूनों को नुकीले तथा लंबे आकार के रखते हैं। कोई तो तो अपने हर नाखून में 2-3 नोकें रखता है।

२१
श्लोक (8)- अनुगतराजि सममुज्जवलममलिनमविपाटितं विवर्धिष्णु मृदुस्त्रिग्धर्दर्शनमिति नखगुणा॥

अर्थ- नाखूनों के 8 गुण

1. नाखून के बीच में जो लाइने होती हैं वह नाखून के रंग की ही होनी चाहिए।
2. नाखून हमेशा चमकदार होने चाहिए।
3. नाखूनों को साफ करके रखना चाहिए।
4. सारे नाखून एक ही आकार के होने चाहिए न तो कोई ऊंचा-नीचा होना चाहिए और न ही कोई टेढ़ा-मेढ़ा होना चाहिए।
5. नाखून फटे हुए नहीं चाहिए।
6. नाखून बढ़ने वाले होने चाहिए।

7. नाखून हमेशा मुलायम होने चाहिए।

8. नाखून देखने में चिकने होने चाहिए।

श्लोक (9)- दीर्घाणि हस्तशोभीन्यालोके च योषितां चित्तग्राहीणि गौडानां नखानि स्युः॥

अर्थ- एक गौड़ नाम का देश है जहां के लोगों के नाखून लंबे होते हैं और यही लंबे नाखून उनके हाथों की शोभा माने जाते हैं। इन नाखूनों को देखकर ही वहां की युवतियां वहां के युवकों की ओर आकर्षित होती हैं।

श्लोक (10)- मध्यमान्युभ्यभाज्जित्र महाराष्ट्रकाणामिति॥

अर्थ- महाराष्ट्र में रहने वाले निवासियों के नाखून मध्यम आकार के होते हैं।

श्लोक (11)- तैः सुनियमितैर्हनुदेशे स्तनयोरधरे वा लघुकरणमनद्रतलेखं स्पर्शमात्रजननाद्रोमाञ्जकरमंते संनिपातवर्धमानशब्दमाच्छुरितकम्॥

अर्थ- नखच्छेद के लक्षण

अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एकसाथ मिलाकर गालों, स्तनों और हौंठों पर इतने हल्के से स्पर्श करना चाहिए कि शरीर में उत्तेजना सी भर जाए। इसके बाद अंगूठे से दूसरे नाखूनों का खुटका मारकर स्पर्श करना आच्छुरितक नखच्छेद कहलाता है।

श्लोक (12)- प्रयोज्यायां च तस्याग्डसंवाहने शिरसः कण्डूयने पिटकभेदने व्याकुलीकरणे भीषणेन प्रयोगः॥

अर्थ- आच्छुरितक का प्रयोग

जब स्त्री पुरुष के शरीर को दबा रही हो, सिर खुजला रही हो, मुहांसों को फोड़ रही हो या जब स्त्री के शरीर में इतनी उत्तेजना भरनी हो कि वह बेचैन हो जाए तो उस समय आच्छुरितक नखच्छेद्य का इस्तेमाल करना चाहिए।

श्लोक (13)- हयस्वानि कर्मसहिष्णूनि विकल्पयोजनासु च स्वेच्छापातीनि दाक्षिणात्यानाम्॥

अर्थ- दक्षिण देश में रहने वाले लोग अक्सर छोटे नाखून रखते हैं। उनके ऐसे नाखून हर तरह के नखच्छेद्य कर सकते हैं। ऐसे नाखून न तो टूटते हैं और न ही मुड़ते हैं।

१८०क (14)- ग्रीवायां स्तनपृष्ठे च वक्रो नखपदनिवेशोऽर्थचन्द्रकः॥

अर्थ- अर्थचन्द्र

संभोग क्रिया के जब स्तनों तथा गर्दन पर अर्थचन्द्र की तरह नाखूनों को गढ़ाकर निशान बनाया जाता है तो उसे अर्थचन्द्र नखच्छेद्य कहा जाता है।

१८०क (15)- तावैव द्वौ परस्पराभिमुखौ मण्डलम्॥

अर्थ- मण्डल

जब दो अर्थचन्द्रों को एक-दूसरे के आमने-सामने पास ही पास किया जाता है तो उसे मण्डल नखच्छेद कहते हैं।

१८०क (16)- नाभिमूलककुन्दरवंक्षणेषु तस्य प्रयोगः॥

अर्थ- प्रयोग

संभोग क्रिया के समय सहभागी के पेड़ में कुन्दर और जांघों के जोड़ों में मण्डल नाम का गोल नखक्षत करना चाहिए।

१८०क (17)- सर्वस्थानेषु नातिदीर्घा लेखा॥

अर्थ- रेखा

संभोग क्रिया के समय सहभागी के शरीर के किसी भी अंग में अपने नाखूनों के द्वारा रेखा सी बनाई जा सकती है लेकिन कुछ ज्यादा बड़ी नहीं।

१८०क (18)- सैवा वक्रा व्याघ्रनखकमास्तनमुखम्॥

अर्थ- अगर उस रेखा को थोड़ा सा टेढ़ा खींच करके स्तन के या मुँह के पास खींची जाए तो उसे व्याघ्ररेखा कहा जाता है।

१८०क (19)- पञ्जभिरभिमुखैलेखा चुचुकाभिमुखी मयूरपदकम्॥

अर्थ- मयूरपदक

संभोग क्रिया के समय जब स्त्री के स्तनों के निष्पलों को हाथ की पांचों उंगलियों से पकड़कर जब अपनी तरफ खींचा जाता है तो उस समय जो रेखाएं बनती हैं उन्हें मयूरपदक कहा जाता है।

श्लोक (20)- तत्संप्रयोगश्लाघायाः स्तनचूचुके संनिकृष्टानि पञ्चनखपदानि शशप्लुतकम्॥

अर्थ- शशप्लुतक

संभोग क्रिया के समय जब स्त्री मयूर पदक नखक्षत की इच्छा करती है तो उस समय उसके स्तनों के निष्पलों को पांचों उंगलियों से दबाकर जो निशान बना दिया जाता है तो उसे शशप्लुतक कहते हैं।

श्लोक (21)- स्तनपृष्ठे मेखालापथे चोत्पलपत्राकृतीत्युपलपत्रकम्॥

अर्थ- उत्पल पत्रक

संभोग क्रिया के समय जब स्त्री के स्तन और कमर पर कमल की पंखुड़ियों की तरह नाखूनों से निशान बनाए जाते हैं उसे उत्पलपत्रक कहा जाता है।

श्लोक (22)- ऊर्वा: स्तनपृष्ठे च प्रवासं गच्छतः स्मारणीयके संहताश्चतस्त्रस्त्रिओ वा लेखाः। इति नखकर्माणि॥

अर्थ- जिस समय पुरुष अपनी पत्नी से दूर जा रहा होता है तो वह स्त्री के स्तनों तथा जांघों के जोड़ों पर अपने नाखूनों से निशान बना देता है ताकि स्त्री को उन निशानों को देखकर उसकी याद आती रहे।

श्लोक (23)- आकृतिविकारयुक्तानि चान्यान्यपि कुर्वीत॥

अर्थ- इनके अलावा स्त्री के शरीर पर दूसरे कई तरह के निशान बनाए जा सकते हैं।

श्लोक (24)- विकल्पानामनन्तत्वादानन्तयाच्च कौशलविधेरभ्यासस्य च सर्वगामित्वाद्रागात्मकत्वाच्छेद्यस्य प्रकारन् कोऽभिसमीक्षितुमर्हतीत्याचार्याः॥

अर्थ- कामशास्त्र की रचना करने वाले लेखकों ने यह कहा है कि अभ्यास तथा कौशल से व्यापकता के कारण नखक्षत के अलग-अलग भेदों की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इसके अलावा काम-उत्तेजना में भरकर व्यक्ति नखक्षत करने में लीन हो जाता है। इस अवस्था में उसे नखक्षत करने की कला और नखक्षत के भेदों का ध्यान नहीं रहता है।

श्लोक (25)- भवित हि रागेऽपि चित्रापेक्षा। वैचित्र्याच्च परस्परं रागो जनयित्वयः। वैचक्षण्ययुक्ताश्च
गणिकास्तकामिनश्च किं पुनरिहेति वात्यायनः॥

अर्थ- इस बताए हुए कथन के मुताबिक आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि उत्तेजित अवस्था में कई तरह की चित्र-विचित्र क्रियाएं करने की इच्छा बनी ही रहती है। जो लोग संभोग करने की बहुत सी कलाओं में निपुण होते हैं उनसे संभोग करने की इच्छा ऐसी स्त्रियां भी रखती हैं जो इस कला में बहुत ही ज्यादा निपुण होती हैं और ऐसी ही स्त्रियों की इच्छा इस कला में निपुण पुरुष भी किया करते हैं।

श्लोक (26)- न तु परपरिगृहीतास्वेवं। प्रच्छेन्नेषु प्रदेशेषु तासामनुस्मरणार्थं रागवर्धनाच्च विशेषान्दर्शयेत्॥

अर्थ- पराई स्त्रियों के साथ नखक्षत (नाखूनों से काटना), दन्तक्षत (दाँतों से काटना) आदि नहीं करना चाहिए बल्कि यादगार के लिए तथा उत्तेजना को बढ़ाने के लिए उनके गुप्त स्थानों में नाखूनों के द्वारा निशान बना देने चाहिए।

श्लोक (27)- नखक्षतानि पश्यन्त्या गृदास्थानेषु योषितः चिरोत्सृटाप्यभिनवा प्रीतिर्भवति पेशला॥

अर्थ- स्त्री जब अपने गुप्त अंगों में नाखूनों के निशान देखती है तो उसे अपने पुराने प्रेमी की याद आ जाती है।

श्लोक (28)- चिरोत्सृष्टेषु रागेषु प्रीतिर्गच्छेत्पराभवभ्। रागायतनसंस्मारि यदि न स्यान्नखक्षतम्॥

अर्थ- स्त्री के शरीर पर अगर रूप, गुण, यौवन की याद दिलाने वाले पुरुष के नाखूनों के निशान नहीं होते हैं तो इसके कारण उसका काफी दिनों से छूटा हुआ प्यार बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है।

श्लोक (29)- पश्यतो युवतिं दूरान्नखोच्छष्टपयोधराम्। बहुमानः परस्यापि रागयोगश्च जायते॥

अर्थ- पुरुष ने जिस स्त्री के शरीर पर नाखूनों के निशान दिये हो उसे जब वह दूर से ही देखता है तो उसके अंदर उसके प्रति सम्मान और काम-उत्तेजना पैदा हो जाती है।

१८ोक (३०)- परषश्च प्रदेशु नखचिह्निंचिह्निः। चितं स्थिरमपि प्रायश्चलयत्येव योषितः॥

अर्थ- अपने शरीर के अलग-अलग अंगों में पुरुष के द्वारा लगाए गए नाखूनों के निशान देखकर अक्सर स्त्री का दिल खुश हो जाता है।

१९ोक (३१)- नान्युत्पट्टरं किंचिदस्ति रागविवर्धम्। नखदन्तसमुत्थानां कर्मणां गतयो यथा॥

अर्थ- स्त्री और पुरुष की काम-उत्तेजना को सबसे ज्यादा नखक्षत और दंतक्षत क्रिया तेज करती है।

जानकारी-

वात्स्यायन ने कामसूत्र में खासतौर पर ८ तरह के नखक्षतों को बताया है और यह भी बताया है कि नखक्षतों को किस समय, किस जगह और किस तरह का करना चाहिए।

संभोग क्रिया के समय नखक्षत करना एक कला माना जाता है। वात्स्यायन का यह विचार सबसे अच्छा लगता है कि संभोग करते समय पुरुष को हर क्रिया सही तरीके से करने की इच्छा होती है। जिस कार्य को पुरुष सबसे अलग तरीके से करता है स्त्रियां भी उसी पुरुष को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और उसको पाने की कोशिश में लगी रहती हैं।

वात्स्यायन के मुताबिक संभोग क्रिया के समय नखक्षत सिर्फ संभोग क्रिया को याद करना ही है। जो स्त्री किसी कारण से अपने प्रेमी को छोड़ देती है वह अगर अपने शरीर के गुप्त स्थानों में पुरुष के द्वारा दिए हुए निशानों को देखती है तो उसके दिल में प्रेमी के लिए फिर से प्यार उमड़ पड़ता है।

नखक्षत और दंतक्षत क्रिया के फलस्वरूप स्त्री के शरीर पर जो निशान होते हैं वह उसको उसके यौवनवास्था की याद दिलाते हैं। अगर उस तरह के निशान नहीं होते तो स्त्री लंबे समय से अपने छोड़े हुए प्रेमी को बिल्कुल ही भूल जाती है। यह ही निशान स्त्री को अपने रूप, यौवन और संभोग क्रिया में बिताए हुए पलों को आंखों के सामने ले आते हैं।

शरीर के उन भागों में काम-उत्तेजना बढ़ाने वाले केंद्र होते हैं जो संभोग से पहले की जाने वाली चुंबन, आलिंगन या नखक्षत क्रीड़ा की प्रक्रिया में यौनरूप से ज्यादा अनुभूतिशील होते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने शरीर के जिन अंगों में नखक्षत करने का विधान बताया है वह सभी काम-उत्तेजना के केंद्र हैं। यौन दृष्टि के मुताबिक हर इंसान के यह अंग शरीर के दूसरे अंगों की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनके अलावा उसके कुछ ऐसे अंग भी हैं जो किसी खास मौके पर संवेदनशील हो जाते हैं। यौवन के समय यह काम-उत्तेजना के केंद्र ज्यादा खास स्थान रखते हैं। राग की अभिवृद्धि, पूर्ण अनुभूति और तृप्ति किस तरह से मिलती है- इसकी शिक्षा में नखक्षत आदि का जान जरूर हासिल करना चाहिए। यह प्रेमी का कर्तव्य होता है कि वह प्राकक्रीड़ा के स्त्री के शरीर के उन अंगों को तलाश करके विकसित करे जिसकी वजह से प्रेमिका में पूरी तरह से काम-उत्तेजना पैदा हो जाए। आचार्य वात्स्यायन ने इसी दृष्टिकोण को अपने ध्यान में रखकर नखक्षत और दंतक्षत अध्याय की रचना की है।

यहां पर एक बात बताना और भी जरूरी है कि आचार्य वात्स्यायन ने जिस तरह संभोग करने के लिए पुरुष और स्त्री को शश या मृगी आदि की संज्ञा दी है उसी तरह शारीरिक विज्ञान और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से नखक्षत प्रयोग के

लिए भी उसे वर्गीकरण करना चाहिए था क्योंकि हर इंसान का सांचा बराबर होते हुए भी आवयिक गठन अलग-अलग होता है।

१लोक- इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे सांप्रयोगिके द्वितीयेऽधिकरणे चतुर्थ॑६यायः।

६याय ५ दशन छेद्यविधि प्रकरण

१लोक(1)- उत्तरौष्ठमन्तमुखं नयनमिति मुतवा चुम्बनवद्दशनरदन स्थानानि॥

अर्थ- ऊपर वाला होंठ, आंख और जीभ को छोड़कर बाकी सभी वह अंग जिनमें चुंबन किया जा सकता है उनको दांतों से भी काटा जा सकता है।

१लोक(2)- गुणानाह- समाः स्तिरध्वच्छाया रागग्राहिणो युक्तप्रमाणा निश्छदास्तीक्षणागा इति दशनगुणाः॥

अर्थ- दांतों के गुण-

दांत ऊंचे-नीचे न होकर बिल्कुल समान होने चाहिए। दांतों में चमक होनी चाहिए, पान आदि खाने से दांत लाल नहीं होने चाहिए। दांत न तो बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए और न ही ज्यादा छोटे होने चाहिए। दांतों के बीच में छेद नहीं होना चाहिए। दांत एक-दूसरे से बिल्कुल सटे होने चाहिए और तेज होने चाहिए।

१लोक(3)- कुण्ठा राज्युद्रताः पुरुषाः विषमाः १लक्षणाः पृथ्वो विरला इति च दोषाः॥

अर्थ- दांतों के अवगुण-

दांतों का छोटा-बड़ा होना, बाहर की तरफ निकलना, एक-दूसरे से दूरी पर होना, खुरदरे होना, पीलापन छाना आदि।

१लोक(4)- गूढकमुच्छूनकं बिन्दुर्बिन्दुमाला प्रवालमणिर्मणिमाला खण्डाभकं वराहचर्वितकमिति दशनच्छेदनविकल्पाः॥

अर्थ- दांतों से काटने वाले ४ भेद-

गूढक, उच्छूनक, बिन्दुमाला, बिन्दु प्रवासमणि, मणिमाला, खण्डाभक्त तथा वराहचर्चित दांतों से काटने वाले ४ भेद होते हैं।

१लोक(5)- नातिलोहितेन रागमात्रेण विभावनीयं गूढकम्॥

अर्थ- गूढक

जब होंठों को दांतों से हल्का सा दबाया जाता है तो होंठ में हल्का सा लालपन आ जाता है लेकिन निशान न उभरे तो उसे गूढक कहा जाता है।

१लोक(6)- तदेव पीडनादुच्छूनकम्॥

अर्थ- उच्छूनक

होंठ को जोर से काटने को उच्छूनक कहा जाता है।

१लोक(7)- तदुभयं बिन्दुरधरमध्य इति॥

अर्थ- उच्छूनक गुढक और बिन्दु होंठों के बीच में किये जाते हैं।

१लोक(8)- उच्छूनकं प्रवालमणिश्च कपोले॥

अर्थ- उच्छूनक और प्रवालमणि गालों पर ही किये जाते हैं।

१लोक(9)- कर्णपूरचुंबन नखदशनच्छेद्यमिति सव्यकपोलमण्डनानि॥

अर्थ- दांतों और नाखून से काटना, चुंबन तथा कर्णपुर बांंग गाल के श्रृंगार कहलाते हैं।

१लोक(10)- दन्तौष्ठसंयोगभ्यासनिष्पादनात्प्रवालमणिसिद्धिः॥

अर्थ- हर बार एक ही जगह को दांतों और होंठों से दबाने की क्रिया को प्रवालमणि कहते हैं।

१८ोक(11)- सर्वस्यैयं मणिमालायाश् च।।

१८ोक(12)- अल्पदेशायाश्च त्वयो दशनद्वचसंदंशजा बिन्दुसिद्धिः।

अर्थ- शरीर के बहुत से अंगों पर बार-बार दांतों से काटने पर जब रेखा सी उभर आती है तो उसे मणिमाला कहते हैं।

१८ोक(13)- अल्पदेशायाश्च त्वयो दशनद्वयसंदंशजा बिन्दुसिद्धिः॥

अर्थ- दांतों से गर्दन आदि की खाल को खींचकर हल्का सा निशान बना देने को बिंदु कहते हैं।

१८ोक(14)- सर्वैविन्दुमालायाश्च।।

अर्थ- ऐसे ही शरीर में एक ही जगह पर बहुत सारे बिंदुओं को बिंदुमाला कहते हैं

१८ोक(15)- तस्यान्मालाद्वयमपि गलकक्षवंक्षणप्रदेशेषु॥

www.freehindipdfbooks.com

१८ोक(16)- मण्डलमिव विषमकूटकयुक्तं खण्डाभ्रकं स्तनपृष्ठ एव॥

अर्थ- दांतों से स्तनों पर बादल के टुकड़े की तरह निशान बनाने को खण्डाभ्रम कहते हैं।

१८ोक(17)- संहताः प्रदीर्घा बहवयो दशनपदराजयस्तामान्तराला वराहर्चर्वितकम्। स्तनपृष्ठ एव॥

अर्थ- स्तनों पर दांत गड़ाने की वजह से लाल रंग के बहुत सारे निशान बनाने को वराहर्चर्वितक कहा जाता है।

१८ोक(18)- तदुभ्यमपि च चण्डवेगयोः। इति दशनच्छेद्यानि॥

अर्थ- खण्डाभ्रक और वराहर्चर्वितक दांतों से काटने की क्रियाओं को वही स्त्री और पुरुष कर सकते हैं जिनमें संभोग क्रिया के समय काम-उत्तेजना बहुत ज्यादा हो जाती है। यहां पर दांतों से काटने के भैद समाप्त होते हैं।

१८०क(19)- विशेषका कर्णपूरे पुष्पापीडे ताम्बूलपलाशे तमालपत्रे चेति प्रयोज्यागमिषु
नखदशनच्छेदयादीन्याभियोगिकानि॥

अर्थ- स्त्री के लिए लिए जा रहे पान के बीड़े पर, तमालपत्र पर, कानों में पहनने वाले नीलकमल पर और श्रंगार के लिए माथे पर लगाने वाले भोजपत्र पर पुरुष को अपने दांतों तथा नाखूनों से निशान बनाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहिए।

१८०क(20)- देशासात्मयाच्च योषित उपचरेत्॥

अर्थ- देशोपचार-प्रकरण इसमें अलग-अलग देशों की स्त्रियों के नाखूनों और दांतों से काटने के रिवाज बताए जा रहे हैं।

= = =

१८०क(21)- मध्यदेश्या आर्यप्रायाः शुच्युपचाराश्चचुम्बननखदन्तपदद्वेषिण्यः॥

अर्थ- विन्द्ययाचल और हिमाचल के मध्य प्रदेश की आर्य जाति की स्त्रियां पवित्र प्यार पर विश्वास करती हैं। वह संभोग क्रिया के समय नाखून गढ़ाना, दांतों से काटना या चुंबन आदि से घृणा करती हैं।

१८०क(22)- बाह्लीकदेश्या आवन्तिकाश्च॥

अर्थ- बाह्लीक और अवंती देश की स्त्रियों को भी संभोग क्रिया के समय चुंबन आदि करना पसंद नहीं होता है।

१८०क(23)- चित्ररतेषु त्वासामभिनिवेशः॥

अर्थ- लेकिन बाह्लीक और अवंती देश की स्त्रियों को चित्ररत में खास रुचि रहती है।

१८०क(24)- परिष्वडग्चुंबननखदन्तचूषणप्रधानाः क्षतवर्जिताः प्रहणनसाध्या मालव्य आभीर्यश्च॥

अर्थ- मालवा और आभीर देश की स्त्रियों को आलिंगन, नाखूनों को गढ़ाना, दांतों से काटना, चुंबन और मुख मैथुन ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इनके नाखूनों या दांतों से पुरुष के शरीर पर किसी तरह के जख्म नहीं होते हैं। संभोग क्रिया के समय पुरुष द्वारा प्रहार आदि करने पर भी इन्हें चरमसुख की प्राप्ति होती है।

१८०क(25)- सिन्धुषष्ठानां च नदीनामन्तरालीया औपरिष्टकसात्म्याः॥

अर्थ- सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के आसपास रहने वाली स्त्रियां मुख मैथुन करना ज्यादा पसंद करती हैं।

श्लोक(26)- चण्डवेगा मन्दसीत्कृता आपरान्तिका लाट्यश्च॥

अर्थ- सूरत, भरोच, अपरान्तक आदि के पास रहने वाली स्त्रियों में काम-उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है और वह संभोग करते समय मुँह से हल्की-हल्की सी-सी की आवाजें निकाला करती हैं।

श्लोक(27)- दृढप्रहणनयोगिन्यः खरवेगा एव, अपद्रव्यप्रधानाः स्त्रीराज्ये कोशलायां च॥

अर्थ- जिन देशों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है या कौशल देश में स्त्रियों को अपनी काम-उत्तेजना को शांत करने के लिए ऐसे पुरुषों की जरूरत होती है जो संभोग कला में पूरी तरह से निपुण होते हैं। उनको शांत करने के लिए निमित्त क्रिया अर्थात् उनकी योनि में पुरुष को अपने लिंग द्वारा तेज प्रहार करने पड़ते हैं। फिर भी जब स्त्री शांत नहीं होती तो उन्हें नकली लिंग का प्रयोग करना पड़ता है।

श्लोक(28)- प्रकृत्या मृद्या रतिप्रिया अशुचिरुचयो निराचाराश्चान्धयः॥

अर्थ- आंध्र प्रदेश की स्त्रियां वैसे तो स्वभाव से नाजुक होती हैं लेकिन वह संभोग क्रिया को पसंद करने वाली, मन में अश्लील विचार रखने वाली, चरित्रहीन गुणी वाली होती हैं।

श्लोक(29)- सकलचतुःषष्ठिप्रयोगरागिण्योऽश्लीलपरुषवाक्यप्रियाः शयने च सरभसोपक्रमा महाराष्ट्रिकाः॥

अर्थ- महाराष्ट्र देश की स्त्रियां संभोग की 64 कलाओं को पसंद करती हैं, वह गंदे और अश्लील और कड़वे बोल बोलती हैं और संभोग की शुरुआत बहुत ही जोश के साथ करती हैं।

श्लोक(30)- तथाविधा एव रहसि प्रकाशन्ते नागरिकाः॥

अर्थ- पाटलिपुत्र की स्त्रियां भी महाराष्ट्र की स्त्रियों की तरह ही होती हैं लेकिन वह 64 कलाओं का अभ्यास अकेले में ही करती हैं।

श्लोक(31)- मृद्यमानाश्चाभियोगान्मंद मंदं प्रसिञ्चन्ते द्रविडय॥

अर्थ- संभोग क्रिया की शुरूआत होने के बाद द्विंद देश की स्त्रियों में धीरे-धीरे रजसाव (मासिकसाव) होने लगता है।

१लोक(32)- मध्यमवेगः सर्वसहाः स्वाङ्गप्रहासिन्यः कुत्सिताश्लीलपरुषपरिहारिण्यो वानवासिकाः॥

अर्थ- कोंकण देश की स्त्रियां संभोग क्रिया में बहुत ही शिथिल होती हैं। वह इस क्रिया में चुंबन, आलिंगन, नाखूनों को गढ़ाना, दांतों से काटना, आदि सभी कुछ करवा लेती है लेकिन वह अपने शरीर के अंगों को ढककर रखना पसंद करती है और दूसरों के अंगों की हंसी उड़ाती हैं। यह स्त्रियां दुष्ट, गुस्सैल, गंदे लोगों को नापसंद करती हैं।

१लोक(33)- मृदुभाषिण्योऽनुरागवत्यो मृद्वयङ्ग्यश्च गौडयः॥

अर्थ- पश्चिमी बंगाल की स्त्रियां कोमल अंगों वाली और अपने पति से प्यार करने वाली होती हैं।

१लोक(34)- उपगृहनादिषु च रागवर्धनं पूर्वं पूर्वं विचित्रमुतरमुतरं च॥

अर्थ- आलिंगन, चुंबन, दांतों से काटना, नाखूनों को गढ़ाना, प्रहणन और सीत्कार में से हर एक के बाद एक काम-उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है और पहले से ज्यादा अनोखा होता है।

१लोक(35)- वार्यमाणश्च पुरुषो यत्कुर्यातदनु क्षतम्। अमृष्यमाणा द्रविगुणं तदेव प्रतियोजयेत्॥

अर्थ- अगर पुरुष स्त्री के मना करने के बाद भी उसे नाखूनों से नोचता या दांतों से काटता है तो स्त्री को पुरुष के शरीर पर उससे ज्यादा तेज नोचना और काटना चाहिए।

१लोक(36)- बिन्दोः प्रतिक्रिया माला मालायाश्चाभ्रखण्डकम्। इति क्रोधादिवाविष्टा कलहान्प्रयोजयेत्॥

अर्थ- बिंदु के बदले माला, माला के बदले अभ्रखण्डक का निशान सहभागी के शरीर पर दांतों से इस तरह बनाना चाहिए जैसे कि गुस्से में बनाया गया हो। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रेमयुद्ध भी किये जा सकते हैं।

१लोक(37)- वार्यमाणश् च पुरुषो यत् कुर्यात् तद् अनु क्षतम्। अमृष्यमाणा द्रविगुणं तद् एव प्रतियोजयेत्॥

१लोक(38)- बिन्दोः प्रतिक्रिया माला मालायाश् चअभ्रखण्डकम्। इति क्रोधादिवाविष्टा कलहान् प्रतियोजयेत्॥

१८०क(३९)- सकचग्रहमुत्रम्य मुखं तस्य ततः पिबेत्। निलीयेत दशोच्चैव तत्र तत्र मदेरिता॥

अर्थ- स्त्री को एक हाथ से पुरुष के बाल पकड़कर और दूसरे हाथ से उसकी ठोढ़ी को पकड़कर उसके हॉठों को चूसना चाहिए और इतने जोर से उसका आलिंगन करना चाहिए कि जैसे दोनों एक-दूसरे में समा रहे हो। इसके अलावा शरीर में बहुत से स्थानों पर दांतों से काटना भी चाहिए।

१८०क(४०)- विधानान्तमाह- उन्नम्य कण्ठे कान्तस्य संश्रिता वक्षसाः स्थलीम्। मणिमालां प्रयुञ्जीत यच्चान्यपि लक्षितम्।

अर्थ- इसके बाद पुरुष की छाती के ऊपर बैठकर एक हाथ से उसके मुँह को ऊपर उठाकर और दूसरे हाथ को उसके गले में डालकर उसकी गर्दन तथा उसके आसपास के भाग में अपने दांतों से मणिमाला के निशान बना दें।

१८०क(४१)- दिवापि जनसंबाधे नायकेन प्रदर्शितम्। उद्दिश्य स्वकृतं चिह्नं हसेदन्यैरपक्षिता॥

अर्थ- पुरुष अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए जब उन्हें अपने शरीर पर अपनी पत्नी के द्वारा बनाए गए निशानों को दिखाता है तो उस समय स्त्री को दूसरी तरफ मुँह करके हँसना चाहिए।

१८०क(४२)- विकूणयन्तीव मुखं कुत्सयन्तीव नायकम्। स्वगात्रस्थानि चिह्नानि सासूयेव प्रदर्शयेत्॥

अर्थ- इसके बाद स्त्री को मुँह बनाते हुए और पुरुष को झिझिकी देते हुए अपने शरीर पर पुरुष द्वारा बनाए गए निशानों को दिखाना चाहिए।

१८०क(४३)- परस्परानुकूल्येन तदेवं लज्जमानयोः। संवत्सरशतेनापि प्रीपिनं परिहियते॥

अर्थ- एक-दूसरे के प्रति शर्म का और प्रेम का भाव रखते हुए स्त्री और पुरुष का प्रेम कई सौ सालों तक भी कम नहीं हो सकता।

जानकारी-

आचार्य वात्स्यायन ने दंतक्षत (दांतों से काटना) और नखक्षत (नाखूनों से काटना) के संबंधी देशाचार का उल्लेख करते हुए मध्य देश, वाहिक, अवन्ती, सिंधु-सतलज का अंतराल, मालव, स्त्री-राज्य कौशल, अपरान्तक, महाराष्ट्र नगर, आंध्र, द्रविड़, बन, लाट, गौड़, कोकण और आभीर देशों का वर्णन किया है।

आचार्य वात्स्यायन के इस वर्णन के द्वारा सिर्फ भारत का मानचित्र ही प्रस्तुत नहीं होता बल्कि हर देश के लोगों की प्रवृत्तियों का भी परिचय मिलता है।

१लोक- इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे साम्प्रयोगिके द्वितीयोऽधिकरणे दशनच्छेद्यविधयो देश्योऽचोपचाराः पञ्जमोऽध्यायः॥

अध्याय 6 संवेशन प्रकरण (संभोग क्रिया के अलग-अलग आसन)

१लोक (1)- रागकाले विशाल यन्स्येव जघनं मृगी संविशेदुच्चरेत्॥

अर्थ- इसमें संभोग क्रिया करने के अलग-अलग तरीकों को बताया जाएगा।

१लोक (2)- अवहासयन्तीव हस्तिनी नीचरते॥

अर्थ- अगर बड़ी योनि वाली हस्तिनी स्त्री छोटे लिंग वाले शश पुरुष के साथ संभोग करती है तो उसे अपनी जांघों को सिकोड़ लेना चाहिए।

१लोक (3)- न्याय्यो यत्र योगस्तत्र समपुष्ठम्॥

अर्थ- अगर स्त्री और पुरुष के योनि और लिंग एक ही आकार के हो तो ऐसे में संभोग क्रिया के समय स्त्री को अपनी जांघों को समेटने की जरूरत नहीं है।

१लोक (4)- आश्यां वडवा व्याख्याता॥

अर्थ- पहले बताई गई दोनों तरह की जातियों की तरह ही बढ़वा जाति की स्त्रियों के बारे में समझा जाता है। ऐसे पुरुष अगर अश्व जाति से संबंधित हैं तो बढ़वा जाति की स्त्री को संभोग करते समय अपनी जांघों को चौड़ा कर लेना चाहिए लेकिन अगर पुरुष वृष्ट जाति से संबंधित है तो स्त्री को अपनी जांघों को समान्य ही रखना चाहिए।

१लोक (5)- तत्र जघनेन नायकं प्रतिगृहवीयात्।

अर्थ- संभोग करते समय स्त्री को लेटने के बाद अपनी दोनों जांघों से पुरुष को जकड़ लेना चाहिए।

श्लोक (6)- अपद्रव्याणि च सविशेषं नीचरते॥

अर्थ- अगर संभोग करने वाले पुरुष का लिंग छोटा है और वह स्त्री की काम-उत्तेजना को शांत करने में असमर्थ रहता है तो इसके लिए स्त्री नकली लिंग का प्रयोग कर सकती है।

श्लोक (7)- उत्फुल्लकं विजृम्भितकमिन्द्राणिकं चेति त्रितयं मृग्याः प्रायेण॥

अर्थ- उत्फुल्लक, विजृम्भितक और इन्द्राणिक तरीकों से मृगी स्त्री को अपनी योनि चौड़ी करनी चाहिए।

श्लोक (8)- शिरो विनिपात्योर्ध्वं जघनमुत्फुल्लकम्॥

अर्थ- उत्फुल्लक

मृगी स्त्री अगर अपने शिरोभाग को नीचा करके कटि वाले भाग को ऊंचा कर लेती है तो इससे उसका योनिद्वार चौड़ा हो जाता है। इसे उत्फुल्लक कहते हैं। इसके लिए स्त्री को अपनी कमर के नीचे तकिया रख लेना चाहिए।

श्लोक (9)- तत्रापसारं दद्यात्॥

अर्थ- जब स्त्री का शिरोभाग नीचा हो जाए और नितंब वाला भाग ऊंचा उठ जाए तो उस समय स्त्री और पुरुष को संभोग करते समय थोड़ा पीछे हटते जाना चाहिए।

श्लोक (10)- अनीचे सकिथनी तिर्यगवसज्य प्रतीच्छेदिति विजृम्भितकम्॥

अर्थ- विजृम्भितक

स्त्री की दोनों जांघों को फैलाकर ऊंचा उठाने से उसका योनिद्वार चौड़ा हो जाता है। ऐसे में अगर पुरुष अपने लिंग को तिरछा करके स्त्री की योनि में प्रवेश कराता है तो उसे विजृम्भितक कहा जाता है।

श्लोक (11)- पाश्वर्योः सममूरु विन्यस्य पाश्वर्योर्जानुनी निदध्यादित्यभ्यासयोगादिन्द्राणी॥

अर्थ- सबसे पहले इस संभोग क्रिया की इस विधि को इन्द्राणी ने किया था जिसकी वजह से इसका नाम इन्द्राणी पड़ा। इस विधि का थोड़े दिनों तक अभ्यास करने से यह पूरी तरह से आ जाती है। पुरुष को स्त्री की जांघों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए और उसके पैरों को अपनी दोनों कांखों से लगा लेना चाहिए।

श्लोक (12)- तयोच्चतररतस्यापि परिग्रहः॥

अर्थ- अगर पुरुष अश्व जाति का हो और स्त्री मृगी जाति की हो तो भी इन्द्राणि आसन के जरिये दोनों संभोग के चरम सुख पर पहुंच सकते हैं।

श्लोक (13)- संपुटेन प्रतिग्रहो नीचरते॥

अर्थ- नीचरत में स्त्री को अपनी योनि को सिकोड़ लेनी चाहिए।

श्लोक (14)- एतेन नीचतररतेऽपि हस्तिन्याः॥

अर्थ- ऐसे ही अगर हस्तिनी स्त्री शश जाति के पुरुष के साथ संभोग करती है तो उनके लिए सम्पुटक आसन अच्छा रहता है।

श्लोक (15)- संपुटकं पीडितकं वेष्टितकं वाडवकमिति॥

अर्थ- नीची जाति में संपुटक, पीडितक, वेष्टितक तथा वाडलक चार तरह के उपवेशन होते हैं।

श्लोक (16)- ऋजुप्रसारितावुभावप्युभयोश्चणाविति संपुटः॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय जब पति और पत्नी दोनों अपनी-अपनी टांगों को सीधे पसारकर मिलाते हैं तो उसे सम्पुटक कहते हैं।

श्लोक (17)- स द्रविविधः पाश्चसंपुट उत्तानसंपुटश्च। तथा कर्मयोगात्॥

अर्थ- पाश्वसम्पुट- उत्तानसम्पुट

सम्पुटक दो तरह का होता है- पाश्व सम्पुट तथा उत्तान सम्पुट। जब स्त्री और पुरुष करवट लेकर एक-दूसरे के सामने मुँह करके संभोग करते हैं तो उसे पाश्व सम्पुट कहा जाता है। जब स्त्री बिल्कुल सीधी लेटी हो और पुरुष उसके ऊपर लेटकर संभोग करता है तो उसे उत्तान सम्पुट कहते हैं। अगर दोनों करवट लेकर संभोग करना चाहे तो ऐसे में पुरुष को दाईं तरफ लेटना चाहिए। संभोग करने की यह विधि हर तरह के पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान है।

श्लोक (18)- पाश्वर्णं तु शयानो दक्षिणेन नारीमधिशयीतेति सार्वत्रिकमेतत्॥

अर्थ- संभोग के समय पुरुष को स्त्री को अपनी बाईं तरफ सुलाना चाहिए।

श्लोक (19)- संपुटकप्रयुक्तयन्त्रेणैव दृढमूरुं पीड्येदिति पीडितकम्॥

अर्थ- पीडितक

संभोग करते हुए स्त्री-पुरुष जब सम्पुटक आसन का प्रयोग करते हैं तो वह एक-दूसरे की जांघों को बहुत जोर से दबाते हैं। इसे पीडितक कहते हैं।

श्लोक (20)- ऊरु व्यत्यस्येदिति वेष्टितकम्॥

अर्थ- वेष्टितक

संभोग क्रिया के समय जब स्त्री अपनी योनि को सिकोइने के लिए एक जांघ को दूसरी जांघ पर रखती है तो उसे वेष्टितक कहते हैं।

श्लोक (21)-वडवेव निष्ठुरमवगृह्वयादिति वाडवकमाभ्यासिकम्॥

अर्थ- वाडवक

जिस तरह से घोड़ी अपनी योनि के द्वारा घोड़े के लिंग को बहुत तेजी से कस लेती है उसी तरह से स्त्री अपनी योनि से पुरुष के लिंग को जकड़ लेती है तथा अलिंगन, चुंबन आदि करती है तो इस आसन को वाडवक कहा जाता है। इसके लिए खास तरह के अभ्यास की जरूरत होती है जिसमें वेश्याएं बहुत ज्यादा निपुण होती हैं।

श्लोक (22)- तदान्धीषु प्रायेण, इति संवेशनप्रकारा बाभ्रवीया:

अर्थ- इस आसन को ज्यादातर आंध्रप्रदेश की स्त्रियां प्रयोग करती हैं।

सौवर्णनाभास्तु॥

इसके अंतर्गत महार्षि सुवर्णनाभ के विचार प्रकट कर रहे हैं।

१लोक (23)- उभावप्युरु ऊर्ध्वाविति तदधुग्नकम्॥

अर्थ-भुग्नक

आचार्य सुवर्णनाभ का मानना है कि भुग्नक नाम का एक और आसन है जिसमें स्त्री अपनी दोनों जांधों को ऊपर तान देती है।

१लोक (24)- चरणावृद्धव नायकोऽस्या धारयेदिति जृमिभतकम्॥

अर्थ- जृमिभतक

जब पुरुष स्त्री की दोनों टांगों को अपने कंधों के ऊपर रख लेता है तो उसे जृमिभतक कहा जाता है।

१लोक (25)- तत्कुञ्चतावुत्पीडितकम्॥

अर्थ- पीडितक

जिस समय बिल्कुल सीधी लेटी हुई स्त्री अपनी पसारी हुई टांगों को मोड़कर अपने ऊपर लेटे हुए पति की छाती के नीचे मोड़कर अड़ा लेती है और पुरुष छाती से उन्हें दबाकर संभोग करता है तो उसे उत्पीडितक कहते हैं।

१लोक (26)- तदेकस्मिप्रसारितेऽर्धपीडितकम्॥

अर्थ- अर्धपीडितक॥

अपनी दोनों टांगों को फैलाकर लेटी हुई स्त्री जब अपनी एक टांग को मोड़कर पुरुष की छाती से लगाकर संभोग करती है तथा फिर उसे धीरे से फैलाकर अपनी दूसरी टांग को मोड़कर बारी-बारी से संभोग क्रिया करती है तो उसे अर्ध पीडितक कहा जाता है।

१लोक (27) -नायकस्यांस एको द्वितीयकः प्रसारित इति पुनः पुनर्व्यत्यासेन वेणुदारितकम्॥

अर्थ- वेणुदारितक

जब लेटी हुई स्त्री अपने ऊपर लेटे हुए पुरुष के कंधे पर एक टांग रखती है तथा फिर पहली टांग को फैलाकर दूसरी टांग को पुरुष के दूसरे कंधे पर रखकर संभोग करती है तो उसे वेणुदारितक कहते हैं।

श्लोक (28)- एकः शिरस उपरि गच्छेद्वितीयः प्रसारित इति शूलाचितक- माभ्यासिकम्॥

अर्थ- शूलाचितक

स्त्री जिस समय अपनी एक टांग को पुरुष के सिर पर रखकर और दूसरी टांग को फैलाकर संभोग करती है तथा फिर दूसरी टांग को सिर पर रखकर पहली टांग को फैलाकर संभोग क्रिया करती है तो उसे शूलाचितक कहा जाता है। यह आसन भी लगातार अभ्यास करने से सफल होता है।

श्लोक (29)- संकुचितौ स्वस्तिदेशो निदध्यादिति कार्कटकम्॥

अर्थ- कार्कटक

जिस तरह से केकड़ा अपने पैरों को पूरी तरह से सिकोड़ लेता है उसी तरह से स्त्री भी लेटकर अपनी टांगों को सिकोड़कर पुरुष की नाभि में लगाकर जब संभोग क्रिया करती है तो उस आसन को कार्कटक कहते हैं।

श्लोक (30)- ऊर्ध्वावूरु व्यत्स्येदिति पीडितकम्॥

अर्थ- पीडितक

संभोग क्रिया के समय जब स्त्री अपनी एक जांघ को दूसरी जांघ से बहुत तेजी से दबाती है तो उस आसन को पीडितक कहते हैं।

श्लोक (31)- जडघाव्यत्यासेन पद्मासनवत्॥

अर्थ- पद्मासन

पलंग पर लेटी हुई स्त्री जब अपने बाएं पैर को दाएं पैर के जोड़ में और दाएं पैर को बाएं पैर के जोड़ में रखकर संभोग क्रिया करती है तो उसे पद्मासन कहते हैं।

१८०क (32)- पृष्ठे परिष्वजमानायाः पराङ्मुखेण परावृत्तकमाभ्यासिकम्॥

अर्थ- परावृत्तक

स्त्री और पुरुष जब मजबूत अलिंगन में जकड़कर आमने-सामने बैठकर संभोग क्रिया करते हैं तो संभोग के समय में ही थोड़ी देर के बाद अलिंगनबद्ध अवस्था में ही पुरुष को स्त्री के पीछे घूम जाना चाहिए और संभोग करते रहना चाहिए। इसे परावृत्तक आसन कहते हैं। यह आसन बहुत ही कठिन होता है और इसके लिए लंबे अभ्यास की जरूरत होती है।

१८०क (33)- जले च संविष्टोपविष्यस्थितात्मकाश्चित्रान्योगानुपलक्षयेत्। तथा सुकरत्वादिति सुवर्णनाभः॥

अर्थ- जलसंयोग

आचार्य सुवर्णनाभ का कहना है कि पानी में भी खड़े होकर, बैठकर, लेटकर आदि कई तरह के आसनों के द्वारा संभोग क्रिया की जा सकती है। जमीन से ज्यादा पानी में संभोग करना बहुत अच्छा रहता है।

१८०क (34)- वार्त तु तत्। शिष्टैरपस्मृतत्वादिति वात्स्यायनः॥

अर्थ- आचार्य वात्सायन पानी में संभोग क्रिया करने का विरोध करते हैं। वह कहते हैं शिष्टों, आचार्यों द्वारा पानी में संभोग करना गलत माना जाता है।

१८०क (35)- अथ चित्रतानि॥

अर्थ- चित्रण प्रकरण

इसके अंतर्गत संभोग क्रिया करने की बहुत ही अद्भुत विधियां बताई जाती हैं।

१८०क (36)- ऊर्ध्वस्थितयोर्यूनोः परस्परापश्रययोः कुडयस्तम्भापाश्रितयोर्वा स्थितरतम्॥

अर्थ- जब स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के सहारे खड़े होकर या फिर दीवार आदि का सहारा लेकर संभोग क्रिया करती हैं तो उसे स्थिरता कहा जाता है।

१लोक(37)-कुडयापाश्रितस्य (कणठावसक्तबाहुपाशायास्तदध्यस्तपञ्चरोपविष्टाया) ऊरुपाशेन जघनमभिवेष्टयन्त्या कुइये
चरणक्रमेण वलन्त्या अवलम्बितकं रतम्।

अर्थ- अवलम्बितक

जब पुरुष दीवार की आड़ लेकर खड़ा हो तथा अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर पत्नी को बैठा लें
तथा पत्नी अपने दोनों हाथों से पति की गर्दन को पकड़कर अपनी दोनों टांगों को दीवार पर टिका दे और झूलती
अवस्था में संभोग क्रिया करे तो उसे अवलम्बितक आसन कहते हैं।

१लोक (38)- भूमौ वा चतुष्पदवदास्थिताया वृषलीलयावस्कन्दनं धेनुकम्॥

अर्थ- धेनुक

जिस समय स्त्री अपने दोनों हाथ और पैरों को जमीन पर टिकाकर जानवर की तरह आसन बनाकर खड़ी हो जाए
और पुरुष उसके पीछे से संभोग क्रिया करे तो उसे धेनुक आसन कहते हैं।

१लोक (39)- तत्र पृष्ठमुरः कर्माणि लभते॥

अर्थ- धेनुक आसन में छाती के बदले पीठ को दबाया जाता है।

१लोक (40)- एतेनैव योगेन शौनमैणेयं छागलं गर्दभाक्रान्तं मार्जारलिलितकं व्याघ्रावस्कन्दनं गजोपमर्दित वराहघृष्टं
तुरगाधिरूढकमिति यत्र-यत्र विशेषो योगोऽपूर्वस्ततहुपलक्षयेत्॥

अर्थ- जिस तरह से जानवर संभोग करने के लिए जोर लगाता है उसी तरह संभोग क्रिया के समय स्त्री और पुरुष को
भी कोशिश करनी चाहिए जैसे स्त्री के ऊपर चढ़ना, स्त्री को रौंदना, जोर से आवाज निकालना, धक्के मारना। इस तरह
से संभोग करने से संभोग के नए-नए तरीकों के बारे में पता चलता है।

१लोक (41)- मिश्रीकृतसदधावाभ्यां द्वाभ्यां सह संघाटकं गतम्॥

अर्थ- जब आपस में अच्छा संबंध रखने वाली दो स्त्रियों के साथ पुरुष संभोग करता है तो इस आसन को संघाटक
कहते हैं।

१लोक (42)- बहमीभिश्च सह गोयूथिकम्॥

अर्थ- गोयूथिक

जब बहुत सारी स्त्रियों के साथ इस तरह की संभोग क्रिया की जाती है तो उसे गोयूथिक कहते हैं।

१लोक (43)- बारिक्रीडितं छागलमैणेयमिति तत्कर्मानुकृतियोगात्॥

अर्थ- जिस तरह से बकरा-बकरी, हिरन-हिरनी संभोग क्रिया करते हैं या हाथी और हथिनी जलक्रीड़ा करते हैं उसी तरह से गोयूथिक आसन को कई तरह से किया जाता है।

१लोक (44)- ग्रामनारीविषये स्त्रीराज्ये च बाहमीके बहवो युवानोऽन्तः पुरसधर्माण एकैकस्याः परिग्रहंभूताः॥

अर्थ- पहाड़ी देश ग्राम नारी नागा देश में और बहयीकर में अन्तःपुरवासिनी स्त्रियां अपने शयनकक्ष में बहुत से पुरुषों को छुपाकर रखती हैं।

१लोक (45)- तेषामेकैकशो युगपच्च यथासात्म्यं यथायोगं य रञ्जयेयः॥

अर्थ- उन स्त्रियों के द्वारा छुपाए गए वह युवक अकेले या कई और युवकों के साथ मिलकर उनकी संभोग की इच्छा को पूरा करते हैं।

१लोक (46)- एको धारयेदेनामन्यो निषेवेत। अन्यो जघनं मुखमन्यो मध्यमन्य इति वारं वारेण व्यतिकरेण चानुतिष्ठेयुः॥

अर्थ- एक युवक उस अन्तःपुरवासिनि स्त्री को गोद में बिठाता है, दूसरा दांतों और नाखूनों को उसके शरीर में गड़ाता है, तीसरा उससे संभोग करता है, चौथा मुँह को चूमता है, पांचवां उसके स्तनों में दांतों को गड़ाता है। इसी तरह से बारी-बारी करके सारे युवक तब तक उस स्त्री के साथ संभोग करते रहते हैं जब तक कि वह स्त्री पूरी तरह से संभोग क्रिया के चरम सुख को नहीं पा लेती है।

१लोक (47)- एतया गोष्ठीपरिग्रहा वेश्या राजयोषापरिग्राहश्च व्याख्यातः॥

अर्थ- इस तरह के मिलकर संभोग करने का सुख ज्यादातर वेश्याएं ही लिया करती हैं। कभी-कभी राजाओं की स्त्रियां भी इस तरह का संभोग सुख पाने के लिए अपने यहां किसी युवक को रख लिया करती थी।

श्लोक (48)- अधोरतं पायावपि दक्षिणात्यानाम्। इति चित्ररतानि॥

अर्थ- सबसे ज्यादा बुरी संभोग क्रिया गुदामैथुन होती है। गुदामैथुन ज्यादातर दक्षिण भारत में मशहूर है।

श्लोक (49)- पुरुषोपसृप्तकानि पुरुषायिते वक्ष्यामः॥

अर्थ- पुरुष को स्त्री के करीब पहुंचने के और उसे आकर्षित करने के लिए क्या करना क्या चाहिए। यह पुरुषायित्व प्रकरण के अंतर्गत आता है।

श्लोक (50)- भवतश्चात्र श्लोकोः- पशूनां मृगजातीनां पतम्डानां च विभ्रमैः। स्तैरूपायैश्रचित्तजो रतियोगान्विवर्धयेत्॥

अर्थ- इसके अंतर्गत दो श्लोक प्रसिद्ध हैं-

पुरुष को चाहिए कि वह पशु-पक्षियों तथा जानवरों की तरह संभोग करने की कलाओं को सीखकर उनका प्रयोग स्त्री के साथ करके उसके प्यार और आकर्षण को बढ़ाना चाहिए।

श्लोक (51)- तस्सात्म्याद्देशसात्म्याच्च तैस्तैर्भावैः प्रयोजितैः। स्त्रीणां स्नेहश्च रागश्च बहुमानश्च जायते॥

अर्थ- जो पुरुष स्त्री की इच्छा के मुताबिक देशाचार के मुताबिक और समयोचित भावनाओं के अनुसार संभोग क्रिया में निपुण होता है। स्त्रियां उस पर ज्यादातर स्नेह रखती हैं और वह पुरुष के द्वारा ज्यादा सम्मानित होता है।

जानकारी-

आचार्य वात्स्यायन ने कामसूत्र के इस अध्याय में संभोग क्रिया, संवेशन प्रकार और चित्ररत के बारे में बताया है। विषय की दृष्टि से देखा जाए तो यह अध्याय एक है लेकिन अगर क्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो संवेशन प्रकार और चित्ररत दो भागों में बांटा गया है। संवेशन प्रकार वाला जो भाग है इसमें संभोग की उन क्रियाओं के बारे में बताया गया है जो सामान्य और शिष्ट समाज के लिए विहित कही जा सकती है। लेकिन चित्ररत वाले भाग में जिन निकृष्टतम क्रियाओं के बारे में बताया गया है उन्हें नीच से नीच स्वभाव और चरित्र के लोग ही प्रयोग में लाते हैं।

आचार्य वात्स्यायन का अमानुषिक, अप्राकृतिक क्रियाओं के बारे में बताने का अर्थ क्या रहा होगा- यह जानने की इच्छा ज्यादातर हर कामसूत्र पढ़ने वाले के मन में होती है।

कोई भी शास्त्र एकदेशीय नहीं होता है बल्कि वह तो समष्टि का बोधक, प्रतिपादक और समर्थक होता है। उसके अंदर अपने विषय का अखंड, परिपूर्ण चित्रण और पूरी जानकारी रहती है। वह अपने बारे में दिए जा रहे विषय के हर पहलू की यथार्थ व्याख्या करता है। उसका यह कोई मकसद नहीं है कि वह अच्छा है और यह बुरा।

अच्छाई और बुराई का विश्लेषण, निराकरण करना तो उन लोगों की इच्छा और बुद्धि पर निर्भर करता है जो लोग शास्त्र को पढ़कर या सुनकर उसमें बताए गए सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। शास्त्र लिखने वाला सावधान जरूर कर देता है कि यह सिद्धान्त या रास्ता मुश्किल है, शिष्टजन सम्मत है या सिर्फ परिचय चारूता बढ़ाने के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए उपयोगी है।

इस अध्याय में आचार्य वात्स्यायन ने यह साफ कर दिया है कि चित्ररत संभोग करना गलत है। जब कामसूत्र लिखने वाला महान विद्वान् स्वयं इस कार्य को गलत समझता है तो भी उसने इसको अपने शास्त्र में जगह इसलिए दी है क्योंकि संसार में हर प्रवृत्ति के इंसान पाए जाते हैं जिनमें से कुछ लोग जानवरों की नस्ल के भी होते हैं जिन्हें इस तरह के चित्ररत संभोग में ही पूर्ण आनंद मिलता है।

आचार्य वात्स्यायन ने इन्हीं भावों को नजर में रखते हुए संभोग क्रिया, मान्मथ क्रिया या आसन न कहकर चित्ररत संभोग को भोग का नाम दिया है।

श्लोक- इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे सांप्रयोगिके द्वितीयेऽधिकरणे संवेशनप्रकारान्त्रित्रतानि च षष्ठोद्यायः।

www.freehindipdfbooks.com

अध्याय 7 प्रहणनीसीत्कार प्रकरण

श्लोक (1)- कलहरूपं सुरतामाचक्षते। विवादात्मकत्वाद्वा मशीलत्वाच्च कामस्थ॥

अर्थ- इसके अन्तर्गत संभोग क्रिया करते समय प्यार को बढ़ाने वाले सुख-कलह को बताया जा रहा है। इसलिए क्योंकि काम स्वभाव से ही विवादास्पद तथा जटिल है।

श्लोक (2)- तस्मात्प्रहणनस्थानमडम्। स्कन्धौ शिरः स्तानातरं पृष्ठं जघनं पाश्वं इति स्थानानि॥

अर्थ- इसी वजह से संभोग क्रिया के समय एक-दूसरे पर प्रहार करना भी संभोग का ही एक अंग माना जाता है। इस प्रहार के लिए दोनों कंधे, दोनों स्तनों के बीच का भाग, पीठ, जांधे, सिर और दोनों बगलें उपयुक्त रहती हैं।

श्लोक (3)- तच्चतुर्विधम्-अपहस्तकं प्रसृतकं मुष्टिः समतलकमिति॥

अर्थ- 4 तरह के आघात होते हैं-

अपहस्तक- उल्टी हथेली से थपकी मारना।

प्रसृतक- हाथ फैलाकर मारना।

मुष्टि- मुक्का मारना।

समतल- हथेली से मारना।

१लोक (4)- तदुदध्वं च सीत्कृतम्। तस्यार्तिरूपत्वात्। तदनेकविधम्॥

अर्थ- सीत्कार

संभोग क्रिया के समय स्त्री पर प्रहार करने से उसे दर्द तो जरूर होता है लेकिन उस दर्द की वजह से जो आवाज या सिसकी निकलती है उसी को सीत्कार कहा जाता है। सीत्कार कई प्रकार के होते हैं।

१लोक (5)- विरुतानि चाष्टौ॥

अर्थ- सीत्कार से 8 तरह की अलग-अलग आवाजें निकलती हैं।

१लोक (6)- हिंकारस्तनितकूजितरुदितसूत्कृतदूत्कृतफूत्कृतानि॥

अर्थ- 8 तरह की आवाजें-

1. हिंकार (हिं हिं की आवाज निकालना)

2. स्तनित (हं)

3. कूजित (धीरे-धीरे कुकुवाना)

4. रुदित (रोने की आवाज निकालना)

5. सूत्कृत (सी-सी की आवाज निकालना)

१लोक (7)- अम्बार्थः शब्दा वारणार्थ मोक्षणार्थाश्चलमर्थास्ते ते चार्थयोगात्।

अर्थ- उई मां अब बस करो, बहुत हो चुका, मर गई मां, छोड़ दो प्लीज, धीरे-धीरे करो ना आदि दर्द के शब्द होते हैं।

श्लोक (8)- पारावतपरभूतहारीतशु कमधुकरदात्यूहंसकारण्डवलावकविरुतानि सीत्कृतभूयिष्ठानि विकल्पशः प्रयीञ्जीत॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय पुरुष द्वारा प्रहार करने पर सीत्कार करती हुई स्त्री को कोयल, हंस, कबूतर, कारण्डव (बतख), गधे आदि की आवाजें बदल-बदलकर निकालनी चाहिए।

श्लोक (9)- उत्सङ्गोपविष्टायाः पृष्ठे मुष्टिना प्रहारः॥

अर्थ- अगर स्त्री पुरुष की गोद में बैठी होती है तो पुरुष को उसकी पीठ पर मुक्कों से प्रहार करना चाहिए।

श्लोक (10)- तत्र सासुयाया इव स्तनितरुदितकूजितानि प्रतिघातश्चस्यात्॥10॥

अर्थ: अपनी पीठ पर मुक्का पड़ते ही स्त्री को असहनशील होकर 'ह' की आवाज निकालकर, 'उसांसें' भरकर तथा लंबी-लंबी सांसें भरकर पुरुष पर उल्टा प्रहार करना चाहिए।

श्लोक (11)- युक्तयन्त्रायाः स्तनान्तरेऽपहस्तकेन प्रहरेत्॥

अर्थ- बिल्कुल सीधी लेटकर संभोग करती हुई स्त्री के दोनों स्तनों के बीच वाले स्थान पर उल्टी हथेली से प्रहार करना चाहिए।

श्लोक (12)- मन्दोपक्रमं वर्धमानरागमा परिसमाप्तेः।

अर्थ- संभोग क्रिया के समय धीरे-धीरे से मुक्कों से प्रहार करना शुरू कर देना चाहिए और फिर जैसे-जैसे उत्तेजना बढ़ती जाए वैसे ही प्रहारों में भी तेजी लानी चाहिए।

श्लोक (13)- तत्र हिंकारादीनामनियमेनाभ्यासेन विकल्पेन च तत्कालमेव प्रयोगः॥

अर्थ- हिं-हीं, हूं, फुसकारना, हांफना आदि दर्द वाली आवाजें निकालने का न तो कोई नियम होता है और न ही कोई क्रम। संभोग करते समय मुक्का लगने की शुरुआत होने से लेकर आखिरी तक दर्द वाली आवाजें निकालते रहना जरूरी है।

श्लोक (14)- शिरसि किंजिदाकुञ्जिताडलिना करेण विवदन्तया: फूत्कृत्य प्रहणनं तत्प्रसृतकम्॥

अर्थ- अगर उल्टी हथेली के प्रहार से स्त्री को सुख नहीं मिलता हो तथा वह कोई और प्रहार चाहती हो तो पुरुष को चाहिए कि वह उत्तेजना के अनुसार धीरे से या जोर से उंगलियों को सांप के फन की तरह बनाकर स्त्री के सिर पर मारने चाहिए। इस तरह के प्रहार को प्रसृतक (खोटका) कहा जाता है।

श्लोक (15)- तत्रान्तर्मुखेन कुजिंत फूत्कृतं च॥

अर्थ- संभोग क्रिया में जिस समय पुरुष स्त्री को मुक्का मारे उस समय उसे हाय राम या हाय-हाय की आवाजें न निकालकर कूं कूं सूं सूं फूं फूं आदि आवाजें निकालनी चाहिए।

श्लोक (16)- रतान्ते च श्वसितरुदिते॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद स्त्री जब हांफती है तो उसे रुदन (रोना) कहा जाता है।

श्लोक (17)- वेणोरिव स्फुट्तः शब्दानकरणं दुत्कृतम्॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय जब स्त्री के मुख से 'चट-चट' की आवाजें निकालती हैं। इसे दूत्कृत कहते हैं।

श्लोक (18)- अप्सु बदरस्येव निपततः फूत्कृतम्॥

अर्थ- जिस तरह किसी फल को पानी में गिराने के बाद 'डुब्ब' की आवाज होती है उसी तरह की आवाज जब संभोग करते समय स्त्री के मुंह से निकलती है तो उसे फूत्कृत कहते हैं।

श्लोक (19)- सर्वत्र चुम्बनादिष्वक्रान्तायाः ससीत्कृतं तेनैव प्रत्युत्तरम्॥

अर्थ- पुरुष द्वारा स्त्री के शरीर पर नाखून मारने पर, दांत गढ़ाने पर या चुम्बन आदि करने पर जिस तरह की आवाज स्त्री निकालती है वैसी ही आवाज पुरुष को भी निकालनी चाहिए।

१लोक (20)- रागवशात्प्रहणनाऽयासे वारणमोक्षणालमर्थानां शब्दानामम्बार्थानां च
सतान्तश्वसितरुदितस्तनितमिश्रीकृतप्रयोगा विरुतानां च। रागावसानलकाले जघनपाश्वयोस्ताडनमित्यतित्वरया
चापरिसमाप्तेः॥

अर्थ- काम-उत्तेजना तेज होने के बाद जब पुरुष बार-बार जोर-जोर से स्त्री पर प्रहार करने लगे तो स्त्री को 'अरीरी', 'अरी मरी', ऊई मां, अब बस भी करो, रहने दो ना, छोड़ दो ना आदि आवाजों को भी हाँफने और सिसियाने के साथ निकालते रहना चाहिए।

१लोक (21)- तत्र लावकहंसविकूजितं त्वरयैव। इति स्तननप्रहणनयोगः॥

अर्थ- ऐसे समय में स्त्री को हंस और लवा आदि पक्षी की आवाज की नकल करके आवाज निकालते रहना चाहिए।

१लोक (22)- भवतश्चात्र १लोकौ- पारुष्यं रभस्तवं च पौरुषं तेज उच्यते। अशक्तिरार्तिव्यावृत्तिरबलत्वं च योषितः॥

अर्थ- इस विषय में २ १लोक हैं-

पुरुष के स्वाभाविक गुण धैर्य, सख्ती, बहादुरी और मजबूती होते हैं और कमजोरी, कोमलता, असमर्थता पीड़ित होना स्त्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं। इसी वजह से जब पुरुष स्त्री पर प्रहार करता है तो वह सी-सी की आवाज निकालती रहती है।

१लोक (23)- रागात्प्रयोगसात्म्याच्च व्यत्ययोऽपि कविदध्वेत्। न चिरं तस्य चैवान्ते प्रकृतेरेव योजनम्।

अर्थ- लेकिन यह गुण स्त्री और पुरुष में हमेशा नहीं होते हैं। देश, समय और परिस्थितियों की वजह से दुबारा चरम सीमा तक उत्तेजना के पहुंच जाने पर स्त्री पुरुष की तरह सख्त और ढीठ बनकर उस पर प्रहार करने लगती है तथा पुरुष स्त्री की ही तरह सिसियाता रहता है।

१लोक (24)- कीलामुरसि कर्तरीं शिरसि विद्धां कपोलयोः संदंशिकां स्तनयोः पाश्चर्योश्चेति पूर्वः सह प्रहणनमष्टविधमिति दाक्षिणात्यानाम्। तद्युवतीनामुरसि कीलानि च तत्कृतानि दृश्यन्ते। देशसात्म्यमेतत्।

अर्थ- छाती में कीला, गालों में विद्धा, सिर में कर्तरी और स्तन तथा दोनों बगलों में संदशिका और पहले के चार मिलाकर 8 तरह के प्रहणन दक्षिण देश के रहने वालों में प्रचलित हैं।

श्लोक (25)- कष्टमनार्यवृत्तमनाद्वतमिति वात्स्यायनः॥

अर्थ- वात्स्यायन के अनुसार इस तरह के प्रहारों को अनार्यवृत्त कहते हैं। उनके कहने के अनुसार ऐसा व्यवहार अच्छे लोगों के लिए नहीं है।

श्लोक (26)- तथान्यदपि देशसात्म्यात्प्रयुक्तमन्यत्र न प्रयुज्जीत्॥26॥

अर्थ: एक देश के रीति-रिवाज सिर्फ उसी देश के लिए लागू होते हैं दूसरे देश के लिए नहीं। इसी वजह से एक जगह की प्रथा को दूसरी जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्लोक (27)- आत्ययिकं तु तत्रापि परिहरेत्॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय ऐसे प्रयोग जिनमें स्त्री के अंग खराब होने के या उसकी मृत्यु हो जाने का डर रहता है उनका प्रयोग वहां पर भी नहीं करना चाहिए जहां उनका रिवाज होता हो।

श्लोक (28)- रतियोगे हि कीलया गणिकां चित्रसेनां चोलराजो जघान॥

अर्थ- इस तरह के प्रहारों के दृष्टिरिणाम-

अर्थ- चोलदेश के राजा ने चित्रसेना नाम की वेश्या की छाती पर संभोग करते समय ऐसा प्रहार किया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

श्लोक (29)- कर्तर्या कुन्तलः शातकर्णिः शातवाहनो महादेवीं मलयवतीम्॥

अर्थ- कुन्तल देश के राजा ने काम-उत्तेजना में आकर राजा शातकर्णि सातवाहन ने महादेवी मलयवती पर प्रहार करके उसे मार डाला।

१लोक (30)- नरदेवः कुपार्णिविद्धया दुष्प्रयुक्तया नटीं काणां चकार॥

अर्थ- पांडव देश के राजा के सेनाध्यक्ष नरदेव ने नाच करने वाली नर्तकी के, अपना हाथ गालों पर मारने के चक्कर में आंख में मार दिया और वह कानी हो गई।

१लोक (31)- भवन्ति चात्र १लोकाः- नास्त्यत्र गणना काचिन्न च शास्त्रपरिग्रहः। प्रवृते रतिसंयोगे राग एवात्र कारणम्।

अर्थ- इस विषय में कुछ पुराने १लोक प्रचलित हैं-

जिस समय मनुष्य उत्तेजना में भरकर संभोग करने में मन हो जाता है तो उस समय न तो वह शास्त्र के वचन के बारे में सोचता है और न ही बाद के परिणामों के बारे में। इस तरह के बुरे परिणामों की एकमात्र कारण सिर्फ उत्तेजना ही है।

१लोक (32)- स्वप्नेष्वपि न दश्यन्ते ते भावास्ते च विभ्रमाः। सुरतव्यवहारेषु ये स्युस्तक्षणकल्पितः॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय मनुष्य का दिमाग भटक जाता है। उस समय उसके दिल में जो भाव पैदा होते हैं वह उसको सपने में भी नहीं दिखाई देते।

१लोक (33)- यथा हि पञ्जर्मीं धारामास्थाय तुरगः पथि। स्थाणुं श्वभं दरीं वापि वेगान्धो न समीक्षते॥ एवं सुरतसंमर्द्दं रागान्धौं कामिनावपि। चण्डवेगौ प्रवर्तते समीक्षेते न चात्ययम्॥

अर्थ- जिस तरह से कोई घोड़ा तेज गति से भागता है तो उसे अपने बीच में आने वाले गड्ढे, पानी, पेड़ आदि कुछ दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही उत्तेजना में आकर स्त्री और पुरुष बहुत तेज गति से संभोग करते हुए नाखूनों को गढ़ाने के, दांतों से काटने के या प्रहार करने के कारण होने वाले बुरे परिणामों के बारे में नहीं सोचते हैं।

१लोक (34)- तस्मान्मृत्वं चण्डत्वं युवत्या बलमेव च। आत्मनश्च बलं जात्वा तथा युञ्जीत शास्त्रवित्॥

अर्थ- इसी तरह स्त्री के शरीर की कोमलता, संभोग की तेजी तथा उसकी सहनशक्ति को समझते हुए और जीवन-शक्ति का अनुमान करके ही पुरुष को संभोग क्रिया में लगना चाहिए।

१८
श्लोक (35)- न सर्वदा न सर्वासु प्रयोगः सांप्रयोगिकाः। स्थाने देश च काले च योग एषां विधीयते॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय हर क्रिया को हर समय हर किसी स्त्री के साथ नहीं किया जा सकता। जो स्त्री को पसंद हो और जो सभी के हिसाब से सही हो उसी के अनुसार संभोग क्रिया करनी चाहिए।

जानकारी-

संभोग क्रिया के समय काम-उत्तेजना में भरकर पुरुष स्त्री के सिर, कंधे, स्तनों के बीच में, पीठ पर और जांघों में प्रहार करता है। अगर स्त्री के इन अंगों में प्रहार करता है तो स्त्री सीत्कार करती है और आनंद में भर जाती है। पुरुषों को चाहिए कि स्त्री पर इस तरह के प्रहार चुटकी काटकर, चपत लगाकर या हथेलियों से थपथपाकर करने चाहिए।

१९
श्लोक- इति श्रीवात्सायायनीये कामसूत्रे सांप्रयोगिके द्वितीयोऽधिकरने पहणनप्रयोगस्तद्युक्ताश्च सीत्कृतक्रमाः
सप्तमोऽध्यायः।

अध्याय 8 पुरुषायित प्रकरण (विपरीत रति)

१३
श्लोक-(1)- नायकस्य संतताभ्यासात्परिश्रममुपलभ्य रागस्य चानुपशमम्, अनुमता तेन तमधोऽवपात्य पुरुषायितेन
साहाय्यं दद्यात्॥

अर्थ- संभोग क्रिया में जिस समय स्त्री, पुरुष की तरह का व्यवहार करती है तो उसे विपरीत रति कहते हैं। स्त्री के साथ काफी देर से संभोग करते हुए जब पुरुष थक जाता है, लेकिन स्त्री की तब तक भी काम-इच्छा शांत नहीं हुई होती तो ऐसे में स्त्री, पुरुष की मर्जी से उसके ऊपर लेटकर संभोग क्रिया करती है।

१४
श्लोक-(2)- स्वाभिप्रयाद्वा विकल्पयोजनार्थिनी॥

अर्थ- स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से भी पुरुष के साथ यह क्रिया कर सकती है।

== =

१५
श्लोक-(3) नायककुतूहलाद्वा॥

अर्थ- अगर पुरुष थक भी नहीं हो रहा होता तो भी सिर्फ आनंद के लिए वह नीचे लेट जाता है और स्त्री उसके ऊपर लेटकर संभोग की क्रिया करती है।

१लोक-(4)- तत्र युक्तयन्वेणैवेतरेणोत्थाप्यमाना तमधः पातयेत्। एवं च रत्मविच्छिन्नरसं तथा प्रवृत्तमेव स्थात्।
इयेकोऽयं मार्गः॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय स्त्री अगर विपरीत रति की इच्छा रखकर पुरुष के ऊपर लेटना चाहती है तो उसे इस तरह से पुरुष के ऊपर लेटना चाहिए कि पुरुष का ध्यान बिल्कुल भी संभोग क्रिया से न हटे। इस तरह से संभोग करने से न तो उन दोनों की उत्तेजना ही कम होती है और आखिरी तक इस क्रिया का आनंद बना रहता है।

१लोक-(5)- पुनरारम्भेणादित एवोपक्रमेत्। इति द्वितीयः॥

अर्थ- अगर एक बार संभोग क्रिया पूरी तरह हो जाने के बाद दुबारा करने की इच्छा होती है तो उसकी शुरुआत में ही स्त्री को पुरुष के ऊपर लेटकर विपरीत सेक्स करना चाहिए।

१लोक-(6)- सा प्रकीर्यमाणकेशकुसुमा श्वासविच्छिन्नहासिनी वक्त्रसंसर्गार्थं स्तनाभ्यामुरः पीडयनंती पुनः पुनः शिरो नामयन्ती याश्चेष्टा: पूर्वमसौ दर्शितवांस्ता एव प्रतिकुर्वीत। पातिता प्रतिपातयामीति हसन्ती तर्जयन्ती प्रतिघ्नती च ब्रूयात्। पुनश्चव्रीढां दर्शयेत्। श्रमं विरामाभीप्सां च। पुरुषोपसृप्तै रेवोपसर्पत्॥

अर्थ- इसके अंतर्गत स्त्री जब पुरुष के ऊपर लेटकर संभोग क्रिया करती है तो उसके बालों में गुंथे हुए फूल बिखर जाते हैं। वह हल्का सा भी हंसती है तो उसकी सांस फूलने लगती है। जब वह अपने मुंह को पुरुष के मुंह के पास उसे चूमने के लिए ले जाती है तो अपने स्तनों से वह पुरुष की छाती को भी दबाती है। संभोग क्रिया के समय जब वह तेजी से हिलती है तो उसका सिर भी तेजी के साथ हिलने लगता है। इस समय स्त्री बिल्कुल ही पुरुष की तरह हो जाती है। वह उसी की तरह नाखूनों को गढ़ाना, दांतों से काटना, चुंबन आदि करती है। इसके बाद वह जोर से हंसते हुए कहती है कि पहले तुमने मुझे गिराया था अब मैं तुम्हे नीचे गिराकर बदला ले रही हूँ। लेकिन जब स्त्री की काम-उत्तेजना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है तो वह शर्माकर और सिकुड़कर आंखें बंद कर लेती है और थककर पलंग पर लेट जाती है।

१लोक-(7) तानि च वक्ष्यामः॥

अर्थ- इसके अंतर्गत पुरुष संभोग क्रिया के समय किस तरह स्ट्रोक लगाता है यह बताया गया है।

१लोक-(8)- पुरुषः शयनस्थाया योषितस्तद्वचनव्याक्षिप्तचित्ताया इव नीर्वीं विश्लेषयेत्। तत्र विवदमानां कपोलचुंबनेन पर्याकुलयेत्॥

अर्थ- पलंग पर लेटी हुई स्त्री जब पुरुष की बातों में पूरी तरह से खोई हुई होती है तब पुरुष को धीरे से उसकी साझी की गांठ को ढीली कर देना चाहिए। अगर इसके बीच में स्त्री मना करती है तो पुरुष को उसका मुंह चूमकर उसे बेचैन कर देना चाहिए।

१लोक-(9)- स्थिरलिङ्गश्च तत्र तत्रैनां परिस्पृशेत्॥

अर्थ- जब पुरुष का लिंग पूरी तरह से उत्तेजित अवस्था में आ जाए तब उसे स्त्री के शरीर के कोमल अंगों को धीरे-धीरे से सहलाना चाहिए।

१लोक-(10)- प्रथमसंगता चेत्संहतोर्वर्णन्तरे घटटनम्॥

अर्थ- सुहागरात के समय अगर स्त्री शर्म के मारे अपने पेटीकोट में हाथ नहीं लगाने देती और अपनी दोनों जांघों को समेट लेती है। ऐसी स्थिति में पुरुष को उसकी जांघों पर हाथ फेरते हुए उन्हें खोल देना चाहिए।

१लोक-(11)- कन्यायाश्च॥

अर्थ- अगर किसी कुंवारी लड़की से संभोग करते हैं तो दसवें सूत्र में बताई गई पहली समागम विधि से संभोग करना चाहिए।

१लोक-(12)- तथा स्तनयोः संहतयोर्हस्तयोः कक्षयोरंसयोग्रीवायमिति च॥

अर्थ- उसी तरह स्त्री की कांख, स्तनों, कमर, गर्दन और जांघों में हाथ फेरना चाहिए।

१लोक-(13)- स्वैरिण्यां यथासात्म्यं यथायोगं च। अलके चुम्बनार्थमेनां निर्दयमवलम्बेत् हनुदेशो चाडठ्लिसंपुटेन॥

अर्थ- जो स्त्रियां मनचली किस्म की होती हैं उनके साथ तो जैसा सही लगे वैसा ही करना चाहिए। मुंह चूमने के लिए उनके बालों में हाथ डालकर उनका मुंह अपनी तरफ घुमाकर चूमना चाहिए या गालों में धीरे से चुटकी काटनी चाहिए।

१लोक-(14)- तत्रेतरस्या वीडा निमीलनं च। प्रथमसमागमे कन्यायाश्च॥

अर्थ- जो स्त्री पहली बार किसी पुरुष से मिलती है तो शर्म के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है।

१८०क-(15)- रतिसंयोगे चैना कथमनुरज्यत इति प्रवृत्त्या परीक्षेत॥

अर्थ- नई-नवेली दुल्हन को सुहागरात के दिन संभोग क्रिया करने के लिए किस तरह राजी किया जाए यह उसकी प्रवृत्ति को देखकर और समझकर ही करना चाहिए।

१८०क-(16)- युक्तयन्त्रेणोपसृप्यमाणा यतो दृष्टिमावर्तयेतत एवैनां पीडयेत्। एतद्रहस्यं युवतीनामिति सुवर्णनाभः॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय स्त्री, पुरुष द्वारा अपने जिस अंग को दबाने पर उत्तेजना में भरकर अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाने लगती है तो उसके उसी अंग को बार-बार दबाना चाहिए। इससे स्त्री तुरंत ही काम-उत्तेजित हो जाती है।

१८०क-(17)- गात्राणां स्त्रंसन नेत्रनिमीलनं वीडानाशः समधिका च रतियोजनेति स्त्रीणां भावलक्षणम्॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय अंगों का ढीला पड़ जाना, आंखों को बंद कर लेना, शर्म का दूर हो जाना तथा पुरुष के लिंग को अपनी योनि से चिपकाए रखना आदि स्त्रियों के भाव के लक्षण हैं। उस समय स्त्री ज्यादा भावुक हो जाती है।

१८०क-(18)- हस्तौ विद्युनोति स्विद्यति दशत्युत्थातुं न ददति पादेनाहन्ति रतावमाने च पुरुषातिवर्तिनी॥

अर्थ- जब स्त्री संभोग क्रिया के आखिरी चरण में हाथों और पैरों को पटकती है, पूरी तरह से पसीने में भीग जाती है, पुरुष को दांतों से काटती है, नाखूनों से नोचती है। इस स्थिति में पुरुष तो स्खलित हो जाता है लेकिन स्त्री पूरी तरह से तृप्त नहीं हुई होती। ऐसे में वह पुरुष को जोर से दबा लेती है, उसे बिल्कुल भी उठने नहीं देती है तथा सारी शर्मों-हर्या को छोड़कर पूरी जान से स्ट्रोक लगाती है।

१८०क-(19)- तस्याः प्राग्यन्त्रयोगात्करेण संबाधं गज इव क्षोभयेत्। आ मृदुभावात्। ततो यन्त्रयोजनम्॥

अर्थ- संभोग क्रिया के समय स्त्री को जल्दी स्खलित करने के लिए पहले उसकी योनि के अंदर अपनी उंगलियों को जोर-जोर से फिराना चाहिए। जब ऐसा महसूस हो कि उसकी योनि गीली हो गई है तो उसके बाद संभोग क्रिया शुरू करनी चाहिए।

१लोक-(20)- उपसृष्टकं मन्थनं हुलोऽवमर्दनं पीडितकं निर्घाता वराहघातो वृषाघातश्चटकविलसितं संपुट इति
पुरुषोपसृष्टानि॥

अर्थ- संभोग क्रिया में 10 तरह के स्ट्रोक, उपसृष्टक, मन्थन, हुल, अवमर्दन, निर्घात वृषाघात, वराहघात, चटकविलसित
तथा सम्पुट ये पुरुषोपसृष्ट शीडितक माने जाते हैं।

१लोक-(21)- न्याय्यमृजस्मश्रणमुपसृष्टकम्॥

अर्थ- वात्स्यायन ने संभोग क्रिया में सिर्फ उपसृष्टक (साधारण स्ट्रोकों) की ही सही बताया है बाकी को बेकार क्योंकि
इसके अंतर्गत सिर्फ साधारण प्रकार से ही इन्द्रियों को मिलाया जाता है।

१लोक-(22)- हस्तने लिंग सर्वतो भ्रामयेदिति मन्थनम्॥

अर्थ- मन्थन-

जिस समय पुरुष द्वारा अपने लिंग को पकड़कर स्त्री की योनि के चारों ओर घुमाया जाता है तो उस क्रिया को
मन्थन कहते हैं।

१लोक-(23)- नीचीकृत्य जघनमुपरिष्यादधृटयेदिति हुलः॥

अर्थ- हुल-

जिस समय पुरुष, स्त्री की जांधों को नीचा करके उन पर प्रहार करता है तो उसे हुल कहते हैं।

१लोक-(24)- तदेव बिपरीतं सरभसमवमर्दनम्॥

अर्थ- स्त्री के नितंबों के नीचे तकिया रखकर पुरुष द्वारा जोर से स्ट्रोक मारना अवमर्दन कहलाता है।

१लोक-(25)- लिङ्गेन समाहत्य पीडयंश्चिरमवतिष्ठेतति पीडितकम्॥

अर्थ- पीड़ितक-

पुरुष जब अपने लिंग को स्त्री की योनि में प्रवेश कराके काफी देर तक जोर से दबाए रखता है तो उसे पीड़ितक कहा जाता है।

श्लोक-(26)- सुदूरमुत्यकृण्य वेगेन स्वजघनमवपातयेदिति निर्धातः॥

अर्थ- निर्धाता-

पीछे हटकर जोरों से अपनी जांघों को गिराने को निर्धात कहा जाता है।

श्लोक-(27)- एकत एव भूयिष्ठमवलिखेदिति वराहघातः

अर्थ- पुरुष के द्वारा अपने लिंग को स्त्री की योनि में डालकर एक ही तरफ स्ट्रोक लगाने को वराहघात कहते हैं।

श्लोक-(28)- स एवोभयतः पर्यायेण वृपाघातः॥

अर्थ- वृपाघात-

स्त्री की योनि के अंदर पुरुष के अपने लिंग के द्वारा इधर-उधर स्ट्रोक मारना वृपाघात कहलाता है।

श्लोक-(29)- सकृन्मिश्रितमनिष्क्रमय्य द्विस्त्रिश्चतुरिति घट्टयेदिति चटकविल-सितम्॥

अर्थ- चटकविलसित-

पुरुष द्वारा स्त्री की योनि में प्रवेश कराए गए लिंग से अंदर ही अंदर 2-3 धक्के लगाने चटकविलसित कहलाता है।
यह सब स्त्री को चरम सुख की प्राप्ति होने पर समाप्त हो जाता है।

श्लोक-(30) रागावसानिकं व्याख्यातं करणं संपुटमिति॥

अर्थ- संपुट-

संपुट संभोग क्रिया करते समय स्खलन होने पर होता है।

१लोक-(31)- तेषां स्त्रीसात्मयाद्विकल्पेन प्रयोगः ॥

अर्थ- स्त्री के आनंद और सुख को ध्यान में रखकर ही इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है।

१लोक-(32)- पुरुषायिते तु संदंशो भ्रमरकः प्रेडखोलितमित्यधिकानि ॥

अर्थ- विपरीत संभोग के भ्रेद- सन्दंश, भ्रमरक और प्रेडखोलित विपरीत सेक्स के 3 प्रकार हैं।

१लोक-(33)- वाडवेन लिंगमवगृहम् निष्कर्षन्त्याः पीडयन्त्या वा चिरावस्थानं संदंशः ॥

अर्थ- सन्दंश-

स्त्री जब पुरुष के लिंग को अपनी योनि में बहुत देर तक फंसाकर रखती है तो उसे सन्दंस कहते हैं।

१लोक-(34)- युक्तायन्त्रा चक्रदभ्मेदिति भ्रमरक आभ्यासिकः ॥

अर्थ- भ्रमरक-

भ्रमर (भंवरा) की तरह घूमने को भ्रमरक कहते हैं।

१लोक-(35)- तत्रेतरः स्वजघनमुत्क्षिपेत् ॥

अर्थ- भ्रमरक विपरीत सेक्स के समय पुरुष को अपनी जांधों को ऊपर उठा लेना चाहिए।

१लोक-(36)- जघनमेव दोनायमानं सर्वतो भ्रामयेदिति प्रेडखोलितकम् ॥

अर्थ- प्रेडखोलितकम्-

संभोग क्रिया करते समय थक जाने के बाद स्त्री को अपनी इन्द्रियों को संलग्न करते हुए अपने माथे को पुरुष के माथे पर रखकर आराम करना चाहिए।

१८०क-(37)- विश्वान्तायां च पुरुषस्य पुनरावर्तनम्। इति पुरुषायितानि॥

अर्थ- अगर स्त्री आराम करने के बाद भी तृप्त नहीं होती तो उसे फिर से नीचे की ओर आ जाना चाहिए तथा पुरुष को उसके ऊपर लेटकर संभोग क्रिया करनी चाहिए।

१८०क-(38)- भवन्ति चात्र १८०का:-

अर्थ- इस विषय के पुराने प्रमाणिक १८०क यह है-

(39) प्रच्छादितस्वभावापि गूढाकारापि कामिनी। विवृणोत्येव भावं स्वं रागादुपरिवर्तिनी॥

जो स्त्रियां शर्म आदि की वजह से अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाती है वह भी विपरीत सेक्स क्रिया के समय काम-उत्तेजना में आकर अपने असली रूप में आ जाती है।

१८०क-(40)- यथाशीला भवेन्नारी यथा च रतिलालसा। तस्या एव विचेष्टाभिस्त्सर्वमुपलक्षेयेत्॥

अर्थ- जिस तरह का शांत स्वभाव स्त्री का होता है और जिस तरह की उनकी काम-उत्तेजना होती है वह विपरीत सेक्स के द्वारा प्रकट हो जाता है।

१८०क-(41)- न त्वेवर्तो न प्रसूतां न मृगीं न च गर्भिणीम्। न चातिव्यायतां नारीं योजयेत्पुरुषायिते॥

अर्थ- गर्भवती स्त्री, छोटी योनी वाली स्त्री, जिस स्त्री का मासिकधर्म आया हो और मोटी स्त्री को विपरीत सेक्स नहीं करना चाहिए।

जानकारी-

आचार्य वात्स्यायन के कामसूत्र का जाता होने की वजह से जिस प्रसंग के बारे में बताया है, उसके शिव (अच्छे) और अशिव (बुरे) दोनों ही पक्षों को पेश करता है, लेकिन वह चारों तरफ शिव (अच्छे) पक्ष का ही समर्थन करते नजर आते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने इस प्रकरण में उपसृप्त और विपरीत सेक्स, इन दो विषयों का प्रतिपादन खासतौर से किया है।

आचार्य वात्स्यायन ने इस अनिर्वयनीय आनंद की अनुभूति को बहुत ज्यादा सरल बनाने के लिए संभोग तथा उसके योगों, प्रयोगों और उसकी प्रतिक्रियाओं को विशदरूप से वर्णन किया है। उनके मुताबिक इन क्रियाओं को वह सिर्फ

मनोरंजन का साधन नहीं मानता है। भौग आसनों का मक्सद जीवन की सिद्धि और जीवन कला का अभिज्ञान हासिल करना है।

आचार्य वात्स्यायन ने अच्छे और बुरे दोनों तरह की प्रवृत्तियों और प्रयोगों का वर्णन किया है लेकिन वह स्त्री और पुरुष दोनों की शुभ नियुक्ति का इच्छुक है। उनका स्वयं का मानना है कि शास्त्र, नियम-विधान से कुछ नहीं होता।

अगर व्यक्ति और समाज को सुरक्षित करना है तो उसके लिए पुनीत वातावरण तथा शुभ नियुक्ति ही सही है।

इस आठवें अध्याय के 2 मुख्य प्रतिपाद्य हैं- पुरुषायित और पुरुषोपसृप्त। दोनों विषयों को अपने नाम के आधार पर दो प्रकरणों में बांटा गया है। इन दोनों प्रकरणों के विषय का प्रयोजन जितना हमारे आध्यात्मिक जीवन से है उससे कहीं ज्यादा व्यावहारिक जीवन से भी है। व्यावहारिक पक्ष में संभोग को कला के रूप में बताया गया है।

संभोग क्रिया करते समय जब पुरुष थक जाए और स्त्री की उत्तेजना बढ़ रही हो तो उस समय स्त्री को अपनी तृप्ति के लिए और पुरुष को आराम देने के लिए काम-उत्तेजित पुरुष की तरह ही बर्ताव करके विपरीत सेक्स करना चाहिए। लेकिन स्त्री को उसी स्थिति में विपरीत सेक्स करना चाहिए जब कि पुरुष संभोग करते-करते शांत हो गया हो लेकिन उसकी उत्तेजना कम न हुई हो। जबकि स्त्री की काम-उत्तेजना काफी बढ़ रही हो। ऐसे समय में पुरुष के निवेदन करने पर, स्त्री को पुरुष के ऊपर लेट जाना चाहिए और पुरुष को स्त्री की तरह नीचे लेटकर संभोग की क्रिया करनी चाहिए।

संभोग क्रिया के समय नागरक यह जांच करता है कि स्त्री की जननेन्द्रिय के अंदर किस स्थान पर लिंग के स्पर्श से या रगड़ से अपनी उत्तेजना को आंखों के द्वारा प्रकट करती है। खासतौर पर उसी जगह पर जब पुरुष उपसर्पण करता है तो अन्तःउपसर्पण किया जाता है। उपसर्पण करते हुए पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्त्री के साथ संभोग क्रिया की जा रही है वह अक्षतयोनि कुमारी है या स्वैरिणी या दूसरी तरह की है। पुरुषायित और उपसृप्तक- यह दोनों प्रयोग पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के बीच में काम-उत्तेजना बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं।

श्लोक- इति श्रीवात्सायायनीये कामसूत्रे साम्प्रयोगिके द्वितीयैधिकरणे पुरुषोपसृप्तानि पुरुषायितं चाष्टमोऽध्यायः॥

अध्याय 9 औपरिष्टक प्रकरण (मुख मैथुन)

श्लोक (1)- द्विविधा तृतीया प्रकृतिः स्त्रीरूपिणी पुरुषरूपिणो च॥

अर्थ- अब तक आपको चारों प्रकार की स्त्रियों के बारे में आलिंगन से लेकर विपरीत सेक्स के बारे में बताया गया है।

अब आपको तीसरी प्रकार अर्थात् किन्नरों के लिए औपरिष्टक योग बताया जा रहा है-

किन्नर प्रकृति 2 तरह की होती है स्त्री और पुरुष।

== =

श्लोक (2)- तत्र स्त्रीरूपिणी स्त्रिया वेषमालापं लीलां भावं मृवत्वं भीरुत्वं मुग्धतामसहिष्णुता व्रीडां चानुकुर्वत्॥

अर्थ- जिसकी चाल-ढाल, रंग-रूप, शरीर की बनावट बिल्कुल स्त्री की तरह ही हो लेकिन उसके यौन अंग पुरुष के साथ संभोग करने में विफल हो तो उस किन्नर को चाहिए कि वह स्त्रियों की तरह ही कपड़े पहने और उसी की तरह हाव-भाव, शर्मा-हस्या, डर आदि को प्रकट करे।

www.freehindipdfbooks.com

श्लोक (3)- तस्या वदने जघनकर्म। तदौपरिष्टकमोचक्षते॥

अर्थ- औपरिष्टक-

किन्नर स्त्री के मुख में जो बुरा काम किया जाता है उसे औपरिष्टक कहा जाता है।

फलमाह-

श्लोक (4)- सा ततो रतिमाभिमानिकीं वृत्तिं च लिप्सेत्॥

अर्थ- ऐसी किन्नर स्त्री को स्तनों को दबाना, चुंबन करना आदि क्रियाओं द्वारा अभिमाननी का संभोग सुख प्राप्त करने के साथ ही मुख मैथुन द्वारा ही अपना जीवन बिता सकती है।

श्लोक (5)- वेश्यावच्चरितं प्रकाशयेत्। इति स्त्रीरूपिणी॥

अर्थ- किन्नर स्त्री को हरदम वेश्याओं जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। यहां पर किन्नर का विषय समाप्त होता है।

श्लोक (6)- पुरुषरूपिणी तु प्रचण्डनकामा पुरुषं लिप्समानां संवाहक-भावमुपजीवेत्॥

अर्थ- जो किन्नर पुरुष जैसे होते हैं वह किन्नर होने की वजह से अपनी इच्छाओं को दबाकर रखते हैं लेकिन वह पुरुष से संभोग करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में उस किन्नर को पुरुष के पांव आदि दबाने का काम करना चाहिए।

श्लोक (7)- संवाहने परिष्वजमानेव गात्रैरुरु नायकस्य मृदगीयात्॥

अर्थ- पुरुष के पांव दबाते समय अपने शरीर को पुरुष के शरीर से छुआते रहे और उसकी जांघों को भी दबाए।

श्लोक (8)- प्रसतपरिचया चोरमूलं सजघनमिति संस्पृशेत्॥

अर्थ- इसके बाद धीरे-धीरे करके पुरुष की जांघों के जोड़ो तथा जांघों को धीरे-धीरे सहलाते हुए मसलना चाहिए।

श्लोक (9)- तत्र स्थिरलिङ्गतामुपलभ्य चास्य पाणिमन्थेन परिघट्टेयेत्। चापलमस्य कुत्सन्तीव हसेत्॥

अर्थ- इस तरह करने से अगर पुरुष के लिंग में उत्तेजना आ जाती है तो उसकी चापलूसी करते हुए उसके लिंग को अपनी मुट्ठी में दबाकर हिलाएं।

श्लोक (10)- कृतलक्षणेनाप्युपलब्धवैकृतेनापि न चोद्यत इति चेत्स्वयमुपक्रमेत्॥

अर्थ- पुरुष का लिंग उसी अवस्था में उत्तेजित हो सकता है जब उत्तेजना पैदा होती है। इस तरह किन्नर द्वारा उत्तेजना पैदा करने और इस बात की जानकारी देते हुए भी कि वह मुख मैथुन करना चाहता है फिर भी पुरुष उस किन्नर को मुख मैथुन करने के लिए कहे लेकिन किन्नर को खुद ही मुख मैथुन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

श्लोक (11)- पुरुषेण च चोद्यमाना विवदेत्। कृच्छ्रेण चाभ्युपगच्छेत्॥

अर्थ- कभी-कभी अगर पुरुष पहले ही किन्नर से मुख मैथुन करने के लिए कहता है तो किन्नर को आनाकानी करते हुए बहुत मुश्किल के मुख मैथुन करना चाहिए।

१८०क (12)- तत्र कर्माष्टविधं समुच्चयप्रयोज्यम्॥

अर्थ- औपरिष्टक काम 8 तरह के होते हैं इसलिए उनका बारी-बारी से प्रयोग करना चाहिए।

१८०क (13)- निमितं पाश्वदेवदण्डं बहिःसंदंशोऽन्तुःसंदंशचुम्बितकं परिमृष्टकमाम्रचूषितकं संगर इति॥

अर्थ-

निमित्त

पाश्वदेवदण्डं

बहिःसंदंश

अंतःसंदंश

चुम्बितकं

परिमृष्टक

आम्रचूषितक

सङ्गर

१८०क (14)- तेष्वैकैमञ्ज्युपगम्य विरामाभीप्सां दर्शयेत्॥

अर्थ- इन 8 क्रियाओं में से किन्नर को एक-एक क्रिया करते हुए आराम करना चाहिए जिससे कि पुरुष ज्यादा उत्सुक हो जाए।

१८०क (15)- इतरश्च पूर्वस्मिन्नञ्ज्युपगते तदुत्तरमेवापरं निदिशेत्। तस्मिन्नपि सिद्धै तदुत्तरमिति॥

अर्थ- पुरुष को एक क्रिया के पूरी हो जाने के बाद किन्नर से दूसरी क्रिया करने के लिए कहना चाहिए। इसी तरह से उससे बाकी क्रियाएं करने के लिए कहना चाहिए।

१८०क (16)- करावलम्बितमोष्ठयोरुपरि विन्यस्तमपविद्य मुखं विधुनुयात्। तन्निमितम्॥

अर्थ- निमित

पुरुष के लिंग को अपने हाथों से पकड़कर उस किन्नर को होठों को गोल-गोल आकार में बनाकर लिंग पर रख देना चाहिए और फिर अपना मुंह हिलाना चाहिए। इसे निमित मुख मैथुन कहते हैं।

१८०क (17)- हस्तेनाग्रमवच्छाद्य पाश्वर्तो निर्देशनमोष्ठाभ्यामवपीडय भवत्वेतावदिति सान्वयेत्। तत्पाश्वर्तोदष्ट।

अर्थ- पाश्वर्तोदष्ट-

किन्नर को पुरुष के लिंग के आगे वाले भाग को अपने हाथ से दबाकर तथा उसके दोनों भागों को सिर्फ होठों से दबाकर छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए कि अब इतना ही करना है। इसे पाश्वर्तोदष्ट कहते हैं।

१८०क (18)- भूयश्चोदिता संमीलितौष्ठी तस्यांग्र निष्पीडच्य कर्षयन्तीव चुम्बेत्। इति बहिःसंदंश॥

अर्थ- बहिःसंदंश

अगर पुरुष दुबारा से किन्नर को यह क्रिया करने के लिए कहता है तो उसे पुरुष के लिंग को मुंह के अंदर लेकर दोनों होठों से दबाकर खींचते हुए उसे चूमना चाहिए। इस क्रिया को बहिःसंदंश कहते हैं।

१८०क (19)- तस्मिभेवाभ्यर्थनया किञ्जिदधिकं प्रवेशयेत्। सापि चाग्रमोष्ठायां निष्पीडय निष्ठीवेत्। इत्यन्तःसंदंशः॥

अर्थ- अन्तःसंदंश

पुरुष के फिर दुबारा से कहने पर किन्नर को पुरुष के लिंग के आगे के भाग को थोड़ा मुंह के अंदर रखकर होठों से दबाकर निकाल देने को अन्तःसंदंश कहते हैं।

१८०क (20)- करावलम्बितस्यौष्ठवद्ग्रहणं चुम्बितकम्॥

अर्थ- चुम्बितक

अपने हाथों में पुरुष के लिंग को पकड़कर होठों को गोल आकृति में बनाकर लिंग को उनसे चूमने को चुम्बित कहते हैं।

क (21)- तत्कृत्वा जिह्वाग्रेण सर्वतो घट्टनमग्रे च व्यधनमिति

अर्थ- परिमुष्टकम्

चुम्बितक क्रिया को करते समय लिंग को जीभ से रगड़ना या उस पर जीभ से प्रहार करने को परिमुष्टक कहते हैं।

श्लोक (22)- तथाभूतमेव रागवशादर्धप्रविष्टं निर्दयमवपीडयावपीडय मुञ्ज्रेत। इत्याम्रसुषितकम्॥

अर्थ- आम्रचूषितक

पूरी तरह से उत्तेजना के बढ़ जाने के बाद लिंग को मुँह में थोड़ा सा पूरा डालकर आम की गुठली की तरह चूसने को आम्रचूषितक कहते हैं।

श्लोक (23)- पुरुषाभिप्रायादेव गिरेत्पीडयेच्चपरिसमाप्तेः। इति संगरः॥

अर्थ- संगर-

किन्नर को पुरुष की इच्छा के मुताबिक ही लिंग को मुँह में डालकर स्खलित होने तक दबाने को संगर कहते हैं।

श्लोक (24)- यथार्थं चात्र स्तननप्रहणनयोः प्रयोगः। इत्यौपरिष्टकम्॥

अर्थ- उत्तेजना के अनुसार ही कम या तेज गति से मुख मैथुन करते समय किन्नर को सिसकियां तथा प्रहणन क्रिया करनी चाहिए।

श्लोक (25)- कुल्टा: स्वैरिण्यः परिचारिका: संवाहिकाश्चाप्येतत् प्रयोजयन्ति॥

अर्थ- किन्नरों के अलावा कुल्टा आदि स्त्रियों के मुख मैथुन कर्म कुल्टा, स्वैरिणी, परिचारिका तथा संवाहिका स्त्रियां भी मुख मैथुन कराती हैं।

श्लोक (26)- तदेतत्तु न कार्यम्। समयविरोधासभ्यत्वाच्च। पुनरपि हयासां वदनंसंसर्गं स्वयमेवर्ति प्रपदयेत। इत्याचार्याः॥

अर्थ- आचार्य के मतानुसार-

इस मुखमैथुन जैसे कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने भी इस काम को गलत बताया है। जो स्त्री या किन्नर मुख मैथुन करवाते हैं इसको करने के बाद अगर इनका मुंह चूमा जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है।

श्लोक (27)- वेश्याकामिनोऽयमदोषः। अंतयतोऽपि परिहार्यः स्यात्। इति वात्स्यायनः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन के अनुसार वेश्यागमन करने वालों के लिए शास्त्रों को न मानना गलत नहीं माना जा सकता। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जानवरों का है तथा ऐसी स्त्रियों के मुंह को चूमने से दुख होता है। जिस देश में इस काम को करना जायज माना जा सकता है वहां के लोगों को यह काम करने पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्लोक (28)- तस्माद्यास्त्वौपरिष्टकमाचरन्ति न ताभिः सह संसृज्यन्ते प्राच्याः।

अर्थ- प्राच्य देश के लोग मुखमैथुन न करवाने वाली स्त्रियों के साथ संभोग नहीं करते हैं।

श्लोक (29)- वेश्याभिरेव नसंसृज्यन्ते आहिच्छत्रिकाः संसृष्टा अपि मुखकर्म तासां परिहरन्ति॥

अर्थ- अहिच्छत्र देश में रहने वाले लोग वेश्यावृति नहीं करते हैं और अगर कोई स्त्री करती भी है तो उसका मुंह नहीं चूमा जाता है।

श्लोक (30)- निरपेक्षाः साकेताः संसृज्यन्ते॥

अर्थ- साकेत देश के लोगों की प्रवृत्ति-

अवध (साकेत) देश के लोग अपनी मनमर्जी के मुताबिक वेश्यावृति करते हैं।

श्लोक (31)- न तु स्वयमौपरिष्टकमाचरन्ति नागरकाः॥

अर्थ- नागरक देश के लोग अपने आप में कोई बुरा काम नहीं करते हैं।

१८०क (32)- सर्वमविशङ्कया प्रयोजयन्ति सौरसेनाः॥

अर्थ- सूरसेन देश के लोग हर काम को बिना डरे करते हैं।

१८०क (33)- एवं हयाहुः- को हि योपितां शीलं शौजमाचारं चरित्रं प्रत्ययं वचनं वा श्रद्धातुमहंति। निसर्गादेव हि मलिनदृष्टयो भवन्त्येता न परित्याज्याः। तस्मादासां स्मृतित एव शौचमन्वेष्टव्यम्। एवं हयाहुः- वत्सः प्रस्त्रवणे मेध्यः श्वा मृगग्रहणे शुचिः। शकुनि फलपाते तु स्त्रीमुखं रतिसंगमेः॥

अर्थ- इसी वजह से कहा जाता है कि ऐसा कौन है जो स्त्रियों के शील, शौच, आचार, चरित्र और वचन पर भरोसा करेगा क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही मलिन स्वभाव की होती हैं फिर भी छोड़ने लायक नहीं होती हैं। इसलिए इनकी पवित्रता को धर्मशास्त्रों में ढूँढ़ना चाहिए।

धर्मशास्त्रों के मुताबिक-

दूध निकालते समय बछड़ा पवित्र होता है, हिरन को पकड़ते समय कुत्ता पवित्र होता है, फलों के गिरने के समय पक्षी पवित्र होता है और संभोग क्रिया के समय स्त्री पवित्र होती है। इसी वजह से संभोग के समय स्त्रियों के मुख को पवित्र समझना चाहिए।

१८०क (34)- शिष्टाविप्रतिपत्तेः स्मृतिवाक्यस्य च सावकाशत्वाद्देशस्थितेरात्मनश्च वृत्तिप्रत्ययानुरूपं प्रवर्तत। इति वात्स्यायनः॥

अर्थ- आचार्य वात्स्यायन कहते हैं-

शिष्टजनों के अनुसार स्त्रियों का मुख नहीं चूमना चाहिए लेकिन धर्मशास्त्र में संभोग क्रिया के समय मुख को चूमना बहुत जरूरी है। ऐसे में अपनी इच्छा और स्त्री के भरोसे के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए।

१८०क (35)- भवन्ति चात्र १८०कः- प्रमृष्टकुण्डलाश्चापि युवानाः परिचारकाः। केपांचिदेव कुर्वन्ति नराणामौपरिष्टकम्॥

अर्थ- इस विषय में ४ १८०क बताए गए हैं-

कानों में कुंडल आदि पहनने वाले या सजकर रहने वाले पुरुष भी मुखमैथुन करते हैं।

१८०क (36)- तथा नागरकाः केचिदन्योन्यस्य हितैषिणीः। कुर्वन्ति रुद्धिविश्वासाः परस्परपरिग्रहम्॥

अर्थ- इसी तरह कुछ भोगविलासी तथा एक-दूसरे के प्यारे बनने वाले लोग भी आपस में मुखमैथुन करते हैं।

१८ोक (37)- पुरुषाश्च तथा स्त्रीसु कमैतत्किल कुर्वते। व्यासम्चत्स्य च विजेयो मुखचुम्बनबद्विधिः॥

अर्थ- बहुत से पुरुष भी स्त्री के साथ मुख मैथुन करते हैं मतलब की वह स्त्री की योनि का चुंबन लेते हैं या उसे जीभ से चाटते हैं।

१९ोक (38)- परिवर्तितेदेहौं तु स्त्रीपुंसौ यत्परस्परम्। युगपत्संप्रयुज्येते स कामः काकिलः स्मृतः॥

अर्थ- जिस क्रिया में स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के सामने मुंह करके लेट जाते हैं और पुरुष स्त्री की योनि का और स्त्री पुरुष के लिंग का चुंबन करती है तो उस मुख मैथुन को काकिल कहते हैं।

२०ोक (39)- तस्माद् गुणवत्स्त्यक्तवा चतुरांस्त्यागिनो नरान्। वेश्याः खलेषु रज्येन्ते दास्हस्तिकादिपु॥

अर्थ- इसी वजह से ज्यादातर वेश्याएं शिष्ट, कलाकुशल और गुणी व्यक्तियों को छोड़कर नौकरों, साइरों आदि खल व्यक्तियों में ज्यादा दिलचस्पी रखती है।

२१ोक (40)- न त्वेतद्ब्राह्मणो विद्वान्मन्त्री वा राजधूर्धरः। गृहीतप्रत्ययो वापि कारचेदौपरिष्टकम्॥

अर्थ- मुख मैथुन जैसे कार्यों को विद्वानों को, ब्राह्मणों को, राज्य के मंत्री को तथा जिससे सब प्यार करते हैं आदि को नहीं करना चाहिए।

२२ोक (41)- न शास्त्रमस्तीत्येतावत्प्रयोगे कारणं भवेत्। शास्त्रार्थान्व्यापिनो विद्यात्प्रयोगांस्तवेकदेशिकान्॥

अर्थ- इस विषय का शास्त्र बना हुआ है सिर्फ यहीं नहीं, इन विषयों के प्रयोग का कारण नहीं हुआ करता क्योंकि शास्त्र तो व्यापक होता है उनके अंतर्गत अच्छाई बुराई सभी कुछ रहती है, लेकिन प्रयोग सीमित तथा देशीय होते हैं।

२३ोक (42)- रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वैद्यके। कीर्तिता इति तत्कि स्यादधक्षणीयं विचक्षणैः॥

अर्थ- आयुर्वेद में तो कुते के मांस को भी वीर्य और रस बढ़ाने वाला बताया गया है क्योंकि जब मांस के गुण और दोषों के बारे में बताया जाता है तो उसमें कुते के मांस के गुण और दोष भी बताने चाहिए लेकिन क्या इतना बता देने से लोगों को कुते का मांस खाना चाहिए।

१लोक (43)-सन्त्येव पुरुषाः केचित्सन्ति देशस्ताथाविधाः। सन्ति कालाश्च येष्वेते योगा न स्युर्निरर्थकाः।

अर्थ- कुछ इस प्रकार के देशों में, इस प्रकार के लोगों पर इस प्रकार का समय आता है जब उनके लिए ऐसे काम कोई बुरा नहीं होता है।

१लोक (44)- तस्माददेशं च कालं च प्रयोगं शास्त्रमेव च। आत्मनं चापि संप्रेक्ष्य योगान्युजीत वा न वा॥

अर्थ- इसी वजह से देश, समय, शास्त्र तथा अपने आपको देखकर जो सही लगे उन्हीं विधियों और योगों को अपनाना चाहिए और जो सही नहीं लगे उन्हे छोड़ देना चाहिए।

१लोक (45)- अर्थस्यास्य रहस्यत्वाच्चलत्वान्मनस्तथा। कः कदा किं कुतः कुर्यादिति को जातुमर्हिति॥

अर्थ- इस प्रकार की मुख मैथुन की क्रिया को छिपाकर ही करना चाहिए और किसी को इसके बारे में बताना भी नहीं चाहिए। मन तो वैसे भी कब, क्या करा डाले यह कोई नहीं जान सकता।

जानकारी-

मुख मैथुन को औपरिष्टक कहा जाता है। यह क्रिया ज्यादातर किन्नर करते हैं। विद्वानों के मुताबिक मुख मैथुन को बहुत ही बुरा बताया गया है और इसका विरोध धर्मशास्त्रों में भी किया गया है। इसी वजह से इस क्रिया को नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस क्रिया को करने में आनंद प्राप्त करते हैं वह लोग बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के कहे जा सकते हैं।

१लोक- इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे साम्प्रयोगिके द्वितीयेऽधिकरणे औपरिष्टकं नवमोऽध्यायः।

अध्याय 10 रतारम्भावसानिक प्रकरण

श्लोक (1)- नागरकः सहमित्रजनेन परिजारकैक्ष कृतपुष्पोपहारे संचारितसुरभिधूपे रत्यावासे प्रसाधिते वासगृह कृतस्त्रानप्रसाधनां युक्तयापीतां स्त्रियं सान्त्वनैः पुनः पानेन चोपक्रमत्॥

अर्थ- नागरक को अपने नौकरों तथा दोस्तों द्वारा फूलों से सजाए गए सुगंधित संभोग किया करने वाले कमरे में अपनी खूबसूरत, महंगे वस्त्रों में सजी, गहनों से लदी हुई, शराब का सेवन की हुई स्त्री के पास जाकर बैठे तथा उससे दुबारा उससे शराब पीने के लिए कहें।

श्लोक (2)- दक्षिणतक्ष्यास्या उपवेशनम्। केशहस्ते वस्त्रान्ते नीव्यामित्यवलम्बनम्। रत्यर्थं सव्येन बाहुनानुद्धतः परिष्वगङ्॥

अर्थ- स्त्री के दाईं तरफ बैठ जाएं। फिर उसके बालों को हाथों से सहलाएं, उसके कपड़ों पर हाथ फेरें। इसके बाद उसकी साड़ी की गांठ पर हाथ लगाएं। संभोग किया का आनंद बढ़ाने के लिए अपनी बाईं भुजा से उसको मजबूती से जकड़ लें।

श्लोक (3)- पूर्वप्रकरणसंबद्धैः परिहासानुरागैर्वचोभिरनुवृत्तिः। गूढाश्लीलानां च वस्तूनां समस्या परिभाषणम्॥

अर्थ- संभोग के समय के आनंद को बढ़ाने के लिए किसी गहरी तथा अश्लील बात को किसी भी समस्या के रूप में बात करें। इसके साथ ही हँसी-मजाक भी जारी रहना चाहिए।

श्लोक (4)- सनृतमनृतं व गीतं वादिन्नम्। कलासु संकथाः। पुनः पानेनोपच्छन्दनम्॥

अर्थ- किसी तरह के संगीत को बजाने की व्यवस्था करें चाहे तो नाच भी करवा सकते हैं, सुकुमार कलाओं पर किसी तरह की बातचीत करें और फिर शराब का सेवन कराकर उसका उत्साह बढ़ाएं।

श्लोक (5)- जातानुरगायां कुसुमानुलेपनताम्बूलदानेन च शेषजनविसृष्टिः। विजने च यथोक्तैरालिङ्गनादिभिरेनामुद्धर्षयेत्। ततो नीवीविश्लेषणादि यथोक्तमुपक्रमेत्। इत्यर्थं रतारम्भः॥

अर्थ- किसी तरह की खुशबूझ, परफ्यूम आदि को स्त्री के ऊपर छिककर उसकी उत्तेजना को बढ़ाए। फालतू बैठे हुए लोगों को विदा कर दें। इसके बाद किसी खाली कमरे में उसकी उत्तेजना को और बढ़ाने के लिए उसके साथ आलिंगन, चुंबन आदि करें। इसके बाद संभोग करने से पहले की क्रियाएं साड़ी खोलना, कपड़े उतारना आदि करें।

६लोक (6)- रतावसानिकं रागमतिवाहयासंतुतयोरिव सत्रीडयोः परस्परमपश्यतोः पृथक्पृथगाजारभूमिगमनम्।
प्रतिनिवृत्यचात्रीडायमानयोरुचितदेशोः पविष्टयोस्ताम्बूलग्रहणमच्छीकृतं चंदनमन्यद्वानुलेपनं तस्या गात्रे स्वयमेव
निवेशयेत्॥

अर्थ- संभोग क्रिया की समाप्ति के बाद काम-उत्तेजना को बढ़ाने वाली क्रियाओं को छोड़कर दोनों को एक-दूसरे से अंजान बने हुए शर्म सी करते रहें और एक-दूसरे को न देखते हुए अलग-अलग शौचालयों में जाकर मूरत्याग करें तथा अपने-अपने जननांगों को साफ करें। इसके बाद शर्मा-हर्या को छोड़कर संभोग करने वाले स्थान के अलावा किसी दूसरे स्थान पर बैठकर पान का सेवन करें। फिर अपने हाथों से स्त्री के शरीर पर चंदन का या किसी दूसरे तेल आदि को लगाएं।

७लोक (7)- स्वयेन बाहुना धैनां परिरभ्य चषकहस्तः सान्त्वयन् पापयेत्। जलानुपानं वा खण्डखाद्दकमन्यदृथा
प्रकृतिसात्म्ययुक्तमुभावप्युञ्जयाताम्॥

अर्थ- इसके बाद अपने बाएं हाथ से स्त्री का अलिंगन करके उसे सांत्वना दें। फिर अपनी पसंद तथा मौसम के अनुसार मीठे पदार्थ या फल आदि का सेवन करें।

८लोक (8)- अच्छरसक्यूषमम्यलयवाग् भृष्टमांसोपदंशानि पानकानि चूतफलानि शुष्कामांसं मातुलुग्ढुक्रकाणि सर्शकराणि
य यथादेशसात्म्यं च। तत्र मधुरमिदं मृदु विशदमिति च विदश्य विदश्य ततदुपाहरेत्॥

अर्थ- स्त्री को कोई भी खाने वाला फल आदि यह कहकर कि इस आम मे कितना रस भरा हुआ है, यह कितना मीठा है, यह कितना सुंदर और बड़ा है, इसे चखकर और चूसकर देखो कहकर देते रहें।

९लोक (9)- हर्म्यलस्थितयोर्वा चन्द्रिकासेवनार्थमासनम्। तत्रानुकूलाभिः कथाभिरनुवर्तते। तदकडंसंलीनायाश्चन्द्रमसं
पश्यन्त्या नक्षत्रपंडितव्यक्तीकरणम्। अरुन्धतीधुवसप्तर्षिमालादर्शनं च। इति रतावसानिकम्।

अर्थ- स्त्री और पुरुष दोनों को मौसम का या चांदनी रात का आनंद लेने के लिए घर की छत पर बैठ जाना चाहिए और प्यार भरी बातें करनी चाहिए। फिर स्त्री को पुरुष की गोद में अपना सिर रखकर लेट जाना चाहिए और चांद की रोशनी को देखते रहना चाहिए। पुरुष को स्त्री को नक्षत्रमालाओं के नाम बताते हुए कहना चाहिए कि देखो वह अरुंधती है, वह ध्रुव तारा है, वह सप्तर्षि है और वह आकाश गंगा है। इस तरह शरीर और मन को शांत और सुस्थिर बनाकर अलग-अलग पलंग पर सो जाना चाहिए।

१लोक (10)- तत्रैतदध्वति- अवसानेऽपि च प्रीतिरुपचारैरुपस्कृता। विस्त्रम्भकथायोगे रतिं जनयते पराम्॥

इस विषय में कही गई कहावते प्रसिद्ध हैं-

अर्थ- अलिंगन, चुंबन और मीठी-मीठी प्यार भरी बातों से और प्यार की कहानियों से दोबारा शरीर में काम-उत्तेजना पैदा हो जाया करती है।

१लोक (11)- परस्परप्रीतिकरैरात्मभावानुवर्तनैः क्षणात्क्रन्धपरावृतैः क्षणात्प्रीतविलोकितैः॥

अर्थ- प्यार पैदा करने वाले भावों को दिखाने से थोड़ी ही देर में नाराज होकर मुँह मोड़ने और दूसरे ही पल हंसकर प्यार भरी नजर से देखने से आपस में प्यार बढ़ता है।

१लोक (12)- हल्लीसंकक्रीड़नकैर्गायनैर्लाटरासकैः। रागलोलाद्रनयनैश्चन्द्रमंडलवीक्षणैः॥

अर्थ- स्त्री और पुरुष के पहली बार मिलने पर मन में किस प्रकार की भावनाएं पैदा हुई थी या पहली बार एक-दूसरे से बिछड़ने पर कितना दुख हुआ। इस प्रकार की बातें करने से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है।

१लोक (13)- आद्ये संदर्शने जाते पूर्व ये स्युमनोरथाः पुनर्वियोगे दुःखं च तस्य सर्वस्य कीर्तनः॥ कीर्तनान्ते च रागेण परिष्बर्गड़ैः सचुम्बनैः। तैस्तैश्च भावैः संयुक्तो यूनो रागो विवर्धते॥

अर्थ- इस तरह से प्यार भरी बातें करने से और आपस में एक-दूसरे को अलिंगन और चुंबन आदि करने से आनंद और उत्तेजना बढ़ जाते हैं।

१लोक (14)- रागवदाहार्यरागं कृत्रिमरागं व्यवहितरागं पोटारतं खलरतमयनित्रितरतमिति रताविशेषाः॥

अर्थ-

रागवत- सबसे पहले एक-दूसरे को देखने से ही आपस में प्यार पैदा हो जाता है।

आहार्यराग- किसी स्त्री से धीरे-धीरे प्यार बढ़ाकर उसके साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए।

कृत्रिमराग- प्यार के बिना ही किसी खास मकसद से संबंध जोड़ना चाहिए।

व्यवहितराग- किसी कारण से अपनी पत्नी के अलगाव हो जाने पर किसी दूसरी स्त्री के साथ अपनी पत्नी की ही तरह संबंध रखने चाहिए।

पोटारत- काम-उत्तेजना में अंथे होकर किसी दुष्ट स्त्री के साथ संबंध जोड़ना।

खलरत- अपने अंदर उठने वाली काम-उत्तेजनाओं को शांत करने के लिए किसी छोटी जाति की स्त्री या नीच व्यक्ति से संबंध जोड़ना।

अयन्त्रितरतम- जिन पुरुषों और स्त्रियों के आपस में संबंध जुँड़ने में किसी तरह की परेशानी नहीं आती है।

१६. श्लोक (15)- संदर्शनात्प्रभृत्युभयोरपि प्रवृद्धरागयोः प्रयत्नकृते समागमे प्रवासप्रत्यागमने वा कलहवियोगयोगे तद्रागवत्॥

अर्थ- सबसे पहले स्त्री और पुरुष की आपस में बातचीत, एक-दूसरे को देखना, एक-दूसरे की आंखों में दोनों को समा जाना, एक-दूसरे से मिलने के लिए दिल में तड़प पैदा होना, दोनों की तड़प बढ़ने से बहुत मुश्किलों से आपस में संभोग करना, किसी दूर देश से वापिस आने पर बिछड़ने की तड़प को भूलकर दोबारा से उत्तेजना भरी हुई बातें करना रागावत कहलाया जाता है।

१७. श्लोक (16)- तत्रात्माभिप्रायादयावदर्थं च प्रवृत्तिः॥

अर्थ- रागावत (उत्तेजना) अपने आप ही बढ़ती है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष संभोग करते हुए जब तक स्खलित नहीं होते तब तक संभोग करने में लगे रहते हैं।

१८. श्लोक (17)- मध्यस्थरागयोरारब्धं यदनुरज्यते तदाहार्यरागम्॥

अर्थ- जब स्त्री या पुरुष एक-दूसरे को देख लेते हैं तो उनमें एक-दूसरे के प्रति सिर्फ चाहत पैदा होती है किसी तरह की काम-उत्तेजना नहीं। इसे मध्यस्थराग कहा जाता है। इस तरह से मध्यस्थराग के द्वारा किए गए उपायों से उत्तेजना पैदा होने से जिस समय दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे आहार्यराग कहते हैं।

१९. श्लोक (18)- तत्र चातुःषष्ठिकैर्यागैः सात्मयानुविद्धैः संघुक्ष्य संघुक्ष्यरागं प्रवर्तत॥

अर्थ- इस तरह के अवसर मिलने पर पहले के अनुभव के आधार पर किये गए अलिंगन आदि के जरिये अपनी तथा स्त्री की काम-उत्तेजना को जगाकर संभोग क्रिया में लीन हो जाना चाहिए।

१लोक (19)- तत्कार्यपेतोरन्यत्र सक्तयोर्वा कृत्रिमरागम्॥

अर्थ- अगर पुरुष किसी और पर फिदा हो जाए तथा स्त्री भी किसी और पर फिदा हो जाए तो इस मक्सद के तहत जब दोनों आपस में संभोग करते हैं तो उसे कृत्रिम राग कहा जाता है।

१लोक (20)- तत्र समुच्चयेन योगाज्ञशस्त्रतः पश्येत्॥

अर्थ- कृत्रिम आदि उत्तेजनात्मक संभोग क्रिया में कामशास्त्रीय योगों या तरीकों का प्रयोग करना चाहिए।

१लोक (21)- पुरुषस्तु हृदयप्रियामन्यां मनसि निधाय व्यवहरेत्। संप्रयोगात्प्रभृति रतिं यावत्। अतस्तद्यवहितरागम्॥

अर्थ- पुरुष जिस स्त्री से पहले प्यार करता था, उसकी छवि को अपने मन में रखकर दूसरी स्त्री के साथ संभोग करते समय संभोग की सारी क्रियाओं का इस्तेमाल करें और स्त्री भी अपने पहले की प्रेमी को मन में बसाकर दूसरे पुरुष के साथ संभोग क्रिया करें। इसे रत व्यवहितराग कहते हैं।

१लोक (22)- न्यूनायां कुम्भदास्यां परिचारिकायां वा यावदर्थं संप्रयोगस्तत्पोटारतम्॥

अर्थ- नीची जाति की स्त्री के साथ या अपने घर आदि में काम करने वाली स्त्री के साथ जब संभोग क्रिया की जाती है उसे पोटारत कहते हैं।

१लोक (23)- तत्रोपचारात्रादियेत्॥

अर्थ- इस प्रकार की स्त्रियों के साथ संभोग करते समय चुंबन, अलिंगन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह की संभोग क्रिया सिर्फ प्रयोजनपरक (किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए) ही मानी जाती हैं।

१लोक (24)- तथा वेश्याया ग्रामीणेन सह यावदर्थं खलरतम्॥

अर्थ- इसी प्रकार वेश्या का किसी गंवार के साथ सिर्फ संभोग करने तक मतलब रहता है। इसे खलरत कहते हैं।

१लोक (25)- ग्रामव्रयप्रत्यन्तयोषिदधिकश्च॥

अर्थ- किसी गंवार स्त्री, गाय चराने वाली स्त्री, शीलनी आदि के साथ संभोग क्रिया में निपुण व्यक्ति जब संभोग करता है तो उसे भी खलरत कहते हैं।

श्लोक (26)- उत्पन्नविस्त्रम्भयोऽच परसपरानुकूल्यादयन्त्रितरतम्। इति रतानि॥

अर्थ- स्त्री और पुरुष जब काफी दिनों से एक-दूसरे को जानने के कारण आपस में एक-दूसरे पर बहुत भरोसा करने लग जाते हैं तो उन दोनों का एक साथ संभोग करना अयन्त्रितरत कहलाता है।

श्लोक (27)- वर्धमानप्रणया तु नायिका सपत्नीनामग्रहणं तदाश्रयमालार्प वा गोत्रस्थलितं वा न मर्षयेत्। नायकव्यतीकं।

अर्थ- जो प्रेमी अपनी प्रेमिका पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग गया हो ऐसे में प्रेमिका को अपने प्रेमी द्वारा अपनी सौतनों का नाम लेना, उनके बारे में बात करना या उनके नाम से खुद को बुलाया जाना आदि को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

श्लोक (28)- तत्र सुभृशः कलहो रुदितामायासः शिरोरुहाणामवक्षोदनं प्रहणनमासनाच्छयनादवा महयां पतनं

माल्यभूषणावमोक्षो भूमौ शश्या च॥

अर्थ- ऐसी स्थिति आ जाने पर स्त्रियां बोलकर तथा दूसरी हरकतों के जरिये अपना गुस्सा जाहिर करती हैं जैसे मैंने कह दिया न कि दुबारा ऐसी बात मत करना, यह बोली द्वारा गुस्सा जाहिर करना होता है। रोना, चिल्लाना, हाथ-पैरों को पटकना यह सब दूसरी तरह से गुस्सा जाहिर करना है। शरीर का गुस्से में कांपना, सिर में दर्द होना आयास कहलाता है। अपने बालों को खोलकर बिखेर देना, पुरुष के बालों को पकड़कर खींच देना अवक्षोदन कहलाता है। अपनी छाती को हाथों से पीटना प्रहणन कहलाता है। इस प्रकार के क्लेश में स्त्री जब पलंग आदि से उतरकर जमीन पर लेट जाती है तो उसे कोई दुख नहीं होता है। जमीन पर लेटना, गहने उतारकर फैंक देना आदि क्लेश पैदा करते हैं।

श्लोक (29)- तत्र युक्तरूपण साम्रा पादपतनेन वा प्रसन्नमनास्तामनुन्युनुपक्रम्य शयनमारोहयेत्॥

अर्थ- स्त्री के इस तरह गुस्से में आकर क्लेश करने पर पुरुष को चाहिए कि वह प्यार भरी बातों से या उसके पैरों में पड़कर उसे बहला-फुसलाकर पलंग पर सुला दे।

श्लोक (30)- तस्य च वचनमुत्तरेण योजयन्ती विवृद्धक्रोधा सकचग्रहमस्यास्यमुन्नमय्य पाठेन बाहौ शिरसि वक्षसि पृष्ठे वा सकृदद्विस्त्रिरवहन्यात्। द्वारदेश गच्छेत्। तत्रोपविश्यश्रुकरणमिति॥

अर्थ- पुरुष की हर बात पर गुस्से में लड़ती हुई स्त्री, पुरुष के बालों को पकड़कर उसके मुँह को ऊपर उठाकर अपने पैरों से उसके हाथों, सिर, छाती या पीठ में 2-3 बार ठोकर मारकर दरवाजे तक चली जाती है और वहां बैठकर आंसू बहाती रहती है।

१लोक (31)- अतिक्रदध्यापि तु न द्वारदेशादधूयो गच्छेत्। दोषवत्वात्। इति दत्तकः। तत्र युक्तितोऽनुगीयमाना प्रसादमाकांक्षेत्। प्रसन्नाति तु सक्षायैरेव वाक्यैरेनं तुदतीव प्रसन्नरतिकाक्षिणी नायकेन परिरभ्येतः॥

अर्थ- महान आचार्य दत्तक का कहना है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में वह स्त्री जब न तो घर के अंदर ही जाए और न ही घर के बाहर ही कदम रखे। उसे वहीं घर के अंदर दरवाजे पर खुश हो जाना चाहिए। खुश हो जाने के बाद स्त्री को अपनी तीखी बोली के प्रहारों से पुरुष के हृदय को चीरती हुई संभोग क्रिया करने की लालसा में पुरुष से परिरम्भण शुरू करना चाहिए।

१लोक (32)- स्वभवनस्था तु निमितात्कलाहिता तथाविधचेष्टैव नायकमाभिगच्छेत् ॥

अर्थ- अपने संगे-संबंधियों के घर पर रहने वाली स्त्री, पुरुष से दूरी में तड़पती हुई उससे मिलने की कोशिश करते हुए उस तक पहुंच ही जाए।

१लोक (33)- तत्र पीठमर्दविटविदूषेकैर्नायकप्रयुक्तैरूपशमितरोषा तैरेवानुनीता तैः सहैव तदध्वनमधिगच्छेत्। तत्र च वसेत्। इति प्रणयकलहः॥

अर्थ- इस तरह के दूरी में तड़पते हुए अवसरों पर अगर पुरुष अपने दोस्तों या जानने वालों को उसको मनाने के लिए भेजे तो स्त्री को गुस्सा छोड़कर पुरुष के पास चले जाना चाहिए तथा पूरी रात पुरुष के पास ही रहना चाहिए। अब प्रणय कलह समाप्त होता है।

१लोक (34)- भवन्ति चात्र १लोकाः- एवमेतां चतुःषष्टिं बाभ्रव्येण प्रकीर्तिताम्। प्रयुञ्जानो वरस्त्रीथु सिद्धिं गच्छति नायकः ॥

अर्थ- वाभ्रव्य आचार्यों के द्वारा बताई गई पान्वालिकी चतुःषष्टि का इस्तेमाल स्त्री पर करके पुरुष सफलता हासिल कर सकता है।

१८०क (35)- वजिंतोऽप्यन्यविजानैरेतया यस्त्वलंकृतः। स गोष्ठयां नरनारीणां कथास्वग्रं निगाहते॥

अर्थ- जो पुरुष बहुत सी विद्याओं का जाता होते हुए भी अलिंगन, चुबन आदि जैसी संभोग की 64 कलाओं को नहीं जानता है तो वह विद्वानों की अर्थ, धर्म, काम की गोष्ठियों में सम्मान नहीं हासिल नहीं कर पाता।

१८०क (36)- ब्रुवन्नप्यन्यशास्त्राणि चतुःषष्टिविवर्जितः। विद्वत्संसदि नात्यर्थ कथासु परिपूज्यते॥

अर्थ- दूसरी विद्याओं में निपुण न होने के बावजूद भी जो पुरुष काम-शास्त्र का जान रखता है वह स्त्री-पुरुषों की कामविषयक गोष्ठियों में सम्मान के अधिकारी बनते हैं।

१८०क (37)- विद्वद्धिः पूजितामेनां खलैरपि सुपूजिताम्। पूजितां गणिकासङ्गनर्ननिन्दीं को न पूजयेत्॥

अर्थ- तीनों लोकों के जाता विद्वान संभोग की इन 64 कलाओं को स्त्री की रक्षा का उपाय समझकर सम्मान देते हैं। गणिकाएं (वेश्याएं) भी इनको जीविका का साधन मानकर पूजती हैं। जब ऐसे बुरे लोग भी इनकी उपयोगिता को जानकर इनका सम्मान करते हैं तो भला ऐसे महान कलाओं को कौन नहीं पूजेगा।

१८०क (38)- नन्दिनी सुभगा सिद्धा सुभगंकरणीति च। नारीप्रियेति चाचार्यः शास्त्रेष्वेषा निरुच्यते॥

अर्थ- संभोग की इन 64 कलाओं का जान हर पति-पत्नी को करना चाहिए। क्योंकि यह कलाएं सुभणा हैं, सिद्धा हैं, संभंगकरणी हैं, स्त्रियों को प्यारी हैं तथा आचार्यों ने शास्त्रों के अंतर्गत इनकी इस तरह की व्याख्या की है।

१८०क (39)- कन्याभिः परयोषिद्धर्गणिकाभिश्च भावतः। वीक्ष्यते बहुमानेन चतुःषष्टिविचक्षणः॥

अर्थ- जो पुरुष संभोग की 64 कलाओं में पूरी तरह से निपुण होते हैं उन्हें पुनर्भू लङ्कियां, परस्त्रियां (पराई स्त्रियां) तथा गणिकाएं बहुत ही सम्मान की नजर से देखती हैं।

प्राक् क्रीडा-

प्राक् क्रीडा को यौन-जीवन की नींव कहा जा सकता है क्योंकि इसका संबंध कहीं न कहीं स्खलन और संभोग के समय मिलने वाले चरम सुख से होता है।

स्पर्श-

जीवन का एक बहुत ही प्रमुख उपादान होता है स्पर्शभाव। प्राक् क्रीड़ा के समय वैसे तो स्त्रियां बहुत ज्यादा शर्माती हैं, न खरें करती हैं, पुरुष की बाजुओं से छूटने की कोशिश करती है। लेकिन उनके इस तरह के विरोध में उनकी हर न में स्पर्श बिंदुओं को बढ़ाने का ही मकसद मौजूद रहता है। इस बात को तो सभी को मानना पड़ेगा कि स्पर्श ही असल में काम-उत्तेजना को जगाने की पहली सीढ़ी है।

चुंबन-

महान आचार्य वात्स्यायन ने प्राक् क्रीड़ा तथा संभोग करने के समय में चुंबन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। इसकी वजह यह है कि यौन-क्षेत्र में स्नायविक, शक्ति को जागृत करने के लिए चुंबन से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है।

हॉठ-

होठों की त्वचा तथा श्लैष्मिक डिल्ली के बीच में एक बहुत ही अनुभूतिपूर्ण भाग होता है जो ज्यादातर नजरिये से योनि तथा योनिगहवर के बीच के भाग की तरह होता है। इस भाग में जब पुरुष अपनी जीभ से स्पर्श करता है तो स्त्री के शरीर में एक बहुत ही उत्तेजना की लहर दौड़ पड़ती है जो संभोग क्रिया में बहुत ही खास भूमिका निभाती है।

गंध-

हर स्त्री और पुरुष के शरीर में अपनी-अपनी एक अलग तरह की गंध होती है जो पुरुष या स्त्री में युवावस्था की शुरुआत में ही पैदा हो जाती है। यही गंध पुरुष या स्त्री के स्नायुओं में उत्तेजना पैदा करके उनकी संभोग करने की इच्छा को तेज करती है। बहुत बार देखने या सुनने में आता है कि किसी बहुत ही सुंदर स्त्री ने किसी साधारण लड़के से विवाह कर लिया या किसी बड़ी उम्र की स्त्री ने किसी छोटी उम्र के लड़के के साथ भागकर विवाह कर लिया। इस तरह की खबरों के पीछे ज्यादातर इस तरह की गंध का ही हाथ होता है।

हास्य-ट्यंग-

किसी तरह का हंसी-मजाक, संगीत, कहानियां आदि शरीर में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करती है। इस प्रकार जिन कारणों से आनंद की छंद-प्रवृत्ति बढ़ती है उनका हम पर निश्चित रूप से उत्तेजक तथा उत्साह बढ़ाने वाला प्रभाव पड़ता है। यह बात पूरी तरह से सामने आ चुकी है कि संगीत में स्त्रियों का असीम प्यार भरा होता है।

आवाज-

पुरुष की आवाज का स्त्री पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। असल जिंदगी में बहुत बार स्त्रियों को सिर्फ पुरुषों की आवाज सुनकर ही फिदा होते पाया गया है। इसलिए वात्स्यायन ने संभोग क्रिया में आनंद बढ़ाने के लिए आवाज पर ज्यादा जोर दिया है।

नजर-

नजर से एक-दूसरे के प्रति आसक्त होकर संभोग क्रिया तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है। जब स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के प्यार में पड़ते हैं तो उनकी सबसे पहले नजरें ही आपस में मिलती हैं।

बूढ़ा हो या जवान हर कोई किसी न किसी प्रकार के उत्तेजक दृश्यों को देखने के लिए बेचैन रहते हैं। सुंदर चीज को देखने की प्यास हर आंख को रहती है।

आचार्य वात्सयायन ने संभोग किया करने के बाद अलिंगन, चुंबन या प्यार भरी बातों के बारे में कहा है। इसे खावसानिक कहा जाता है। अगर विवेक के नजरिये से देखा जाए तो काम-वासनाएं अपनी प्यास बुझाना चाहती हैं। इसके लिए वह हर समय बेचैन रहती है। पुरुष की काम-शक्ति ऐसी वासनाओं की प्यास बुझाने में कामयाब नहीं हो पाती। उस संक्षोम से ही उन दोनों की काम-शक्ति में कमी आती है। जीवन में खुशी तथा उत्साह बनाने के लिए चुस्ती-फुर्ती तथा खोई हुई ताकत को दुबारा पाने के लिए रतावसानिक क्रियाएं बहुत जरूरी हैं।

www.freehindipdfbooks.com